



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार

राजस्व विभाग

(अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)

2024 की प्रतिवेदन संख्या 7

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

**संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)
2024 की प्रतिवेदन सं. 7**

_____ को लोकसभा / राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्रस्तावना	i
कार्यकारी सार	iii
अध्याय 1: अप्रत्यक्ष कर प्रशासन और राजस्व प्रवृत्ति	1-16
1.1 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति	1
1.2 संगठनात्मक संरचना	3
1.3 राजस्व प्रवृत्ति	4
1.4 वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए क्षतिपूर्ति निधि लेखा प्रस्तुत न करना	13
1.5 निष्कर्ष	15
अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा समष्टि और लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया	17-23
2.1 लेखापरीक्षा अधिदेश	17
2.2 लेखापरीक्षा समष्टि	18
2.3 लेखापरीक्षा नमूना, लेखापरीक्षा प्रयास और लेखापरीक्षा उत्पाद	20
2.4 पिछले सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	22
2.5 इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया	22
अध्याय III: जीएसटी के अंतर्गत अनुपालन सत्यापन तंत्र की प्रभावशीलता	25-52
3.1 सरलीकृत विवरणी तंत्र के कार्यान्वयन की स्थिति	25
3.2 जीएसटी के अंतर्गत विवरणियों की संविक्षा	28
3.3 जीएसटी के अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा	35
3.4 डीजीजीआई की अपवंचन रोधी कार्यप्रणाली	40
3.5 जीएसटी और विरासतीय करों (केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) के तहत अपील की निगरानी	45
3.6 निष्कर्ष	51
अध्याय IV: जीएसटी भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी	53-152
4.1 परिचय	53

	विषय	पृष्ठ
4.2	कानूनी ढांचा	54
4.3	संदर्भ और महत्व	55
4.4	लेखापरीक्षा के उद्देश्य	56
4.5	लेखापरीक्षा पद्धति और दायरा	57
4.6	लेखापरीक्षा नमूना	58
4.7	लेखापरीक्षा मानदंड	59
4.8	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	60
4.9	राज्य माल एवं सेवा कर पर प्रभाव	147
4.10	सिफारिशों का निष्कर्ष और सारांश	147
अध्याय V: जीएसटी के तहत परिवर्ती क्रेडिट		153-183
5.1	प्रस्तावना	153
5.2	लेखापरीक्षा विषयक्षेत्र	153
5.3	लेखापरीक्षा उद्देश्य	154
5.4	लेखापरीक्षा मानदंड	154
5.5	अभिलेख प्रस्तुतीकरण की स्थिति	154
5.6	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	158
अध्याय VI: माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा अनुरक्षित जीएसटी आंकड़ों की विश्वसनीयता		185-229
6.1	प्रस्तावना	185
6.2	लेखापरीक्षा के उद्देश्य	187
6.3	लेखापरीक्षा विषयक्षेत्र	187
6.4	कार्यपद्धति	188
6.5	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	189
6.6	सिफारिशों का निष्कर्ष एवं सारांश	226
अध्याय VII: संयोजन शुल्क योजना के आंकड़ों का विश्लेषण		231-261
7.1	परिचय	231
7.2	कानूनी प्रावधान	232
7.3	संयोजन शुल्क योजना की मुख्य विशेषताएं	232
7.4	संयोजन शुल्क योजना के लिए निर्धारित रिटर्न	235

विषय	पृष्ठ
7.5 संयोजन शुल्क योजना से संबंधित अखिल भारतीय आंकड़ों का विश्लेषण (सीबीआईसी से संबंधित आंकड़े)	236
7.6 आंकड़ों के विश्लेषण का दायरा	236
7.7 संयोजन शुल्क योजना के अंतर्गत उच्च जोखिम वाले करदाता	237
7.8 संयोजन शुल्क योजना के तहत अयोग्य करदाता	245
7.9 करदाता जिन्होंने अपनी अनिवार्य जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया	252
7.10 संयोजन शुल्क योजना विवरण में सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य अलग से घोषित करने के प्रावधान का अभाव	258
7.11 सिफारिशों का निष्कर्ष और सारांश	259
परिशिष्ट-I: 2018-19 से 2021-22 तक राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) संग्रह	263
परिशिष्ट-II : 2021-22 से पहले की अवधि के दौरान पाए गए लेखापरीक्षा निष्कर्ष	264
परिशिष्ट-III : विभाग द्वारा उत्तर प्रस्तुत न करना	265
परिशिष्ट-IV: अप्रस्तुतीकरण के शीर्ष दस मामलों की सूची	266
परिशिष्ट-V : आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के शीर्ष दस मामले	267
परिशिष्ट-VI : राज्य माल एवं सेवा कर पर प्रभाव	270
परिशिष्ट-VII : जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2ए, जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 9 के तहत विभिन्न क्षेत्रों का विवरण	277
शब्दावली	279

प्रस्तावना

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व विभाग के अधीन केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम दिए गए हैं। यह प्रतिवेदन मुख्य रूप से माल एवं सेवा कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के मामलों से संबंधित है। अप्रत्यक्ष करों की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण और विरासतीय सेवा कर के संबंध में कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित वे दृष्टांत हैं, जो 2021-22 और 2022-23 की पहली छमाही के दौरान नमूना जाँच लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए थे, साथ ही वे दृष्टांत भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संज्ञान में आए थे लेकिन पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

माल एवं सेवा कर (जीएसटी), मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति पर करों को छोड़कर माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाया गया कर है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पांच पेट्रोलियम और तम्बाकू उत्पादों को छोड़कर), सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी) और राज्यों के अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में सम्मिलित कर दिया गया है। यह प्रतिवेदन मुख्यतः माल एवं सेवा कर लगाने और संग्रहण से संबंधित मुद्दों से संबंधित है। अप्रत्यक्ष करों की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण और विरासत सेवा कर के संबंध में कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल किया गया है।

यह प्रतिवेदन सात अध्यायों में विभाजित है। अध्याय I अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की संगठनात्मक संरचना, अप्रत्यक्ष कर राजस्व में रुझान, अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न घटकों की तुलनात्मक वृद्धि और जीएसटी बजट अनुमानों बनाम वास्तविक प्राप्तियों की तुलना और लेखापरीक्षा के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि खाते को प्रस्तुत न करने का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है। अध्याय II में राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के लिए सीएजी के लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा संसृति, लेखापरीक्षा नमूने और लेखापरीक्षा प्रयासों के परिणाम का उल्लेख किया गया है। अध्याय III सरलीकृत जीएसटी विवरणी प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति; और अनुपालन सत्यापन कार्यों के संबंध में विभाग का निष्पादन जैसे विवरणियों की संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा और अपवंचन रोधी गतिविधियां; और अपील मामलों की निगरानी को सामने लाता है। अध्याय IV में जीएसटी भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी के विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) के दौरान देखे गए प्रणालीगत और अनुपालन मुद्दों पर चर्चा की गई है। विभाग ने ₹2,201.42 करोड़ की राशि के 1,523 मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्वीकार की हैं अथवा जांच शुरू की हैं और लेखापरीक्षा के आग्रह पर 355 मामलों में ₹78.43 करोड़ की वसूली सूचित की है। अध्याय V में जीएसटी के अंतर्गत परिवर्ती क्रेडिट की पूरक लेखापरीक्षा के

महत्वपूर्ण निष्कर्ष शामिल हैं, जिन्हें सीबीआईसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दावों की जांच के दौरान देखा गया था जो 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे। विभाग ने 128 मामलों में ₹ 44.70 करोड़ की राशि की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और लेखापरीक्षा के आग्रह पर 48 मामलों में ₹ 3.65 करोड़ की वसूली की सूचना दी। अध्याय VI और VII जीएसटी विवरणी आंकड़े और संयोजन शुल्क योजना आंकड़ों के डेटा विश्लेषण से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रकाश डालते हैं। प्रतिवेदन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

अध्याय I: अप्रत्यक्ष कर प्रशासन और राजस्व प्रवृत्ति

वि.व.21 की तुलना में वि.व.22 के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रह में ₹2,16,964 करोड़ (20 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अप्रत्यक्ष करों (वर्ष-दर-वर्ष) की वार्षिक वृद्धि में, जो वि.व.18 में 5.80 प्रतिशत से लगातार घटकर वि.व.20 में 1.76 प्रतिशत हो गई, वि.व.21 और वि.व.22 में वृद्धि देखी गई। इसके अलावा, वि.व.22 के दौरान अप्रत्यक्ष करों से जीडीपी अनुपात में वृद्धि हुई जब यह वि.व.22 में बढ़कर 5.47 प्रतिशत हो गया, जो वि.व.21 में 5.44 प्रतिशत था। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि मुख्य रूप से केंद्रीय जीएसटी राजस्व और सीमा शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई, जिसमें वि.व.22 के दौरान क्रमशः 27 प्रतिशत और 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वि.व. 21 की तुलना में वि.व. 22 के दौरान केंद्रीय जीएसटी राजस्व में 27.30 प्रतिशत (₹1,50,558 करोड़) की वृद्धि हुई। वि.व. 22 के दौरान, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय जीएसटी राजस्व वि.व. 21 में 2.79 प्रतिशत से बढ़कर 2.97 प्रतिशत हो गया।

(पैराग्राफ 1.3.1. पैराग्राफ 1.3.1.1 & पैराग्राफ 1.3.2)

लेखापरीक्षा जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (अप्रैल 2023) की धारा 10 (4) के अंतर्गत सत्यापन लेखापरीक्षा हेतु सरकार द्वारा लेखापरीक्षा के लिए क्षतिपूर्ति निधि लेखाओं के प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्षों के संबंध में लेखापरीक्षा अपना वैधानिक

लेखापरीक्षण उत्तरदायित्व निभाने में असमर्थ थी, जैसा कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 10 (4) द्वारा अधिदेशित किया गया था।

(पैराग्राफ 1.4)

अध्याय III: जीएसटी के अंतर्गत अनुपालन सत्यापन तंत्र की प्रभावशीलता

सीएजी की पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों¹ में, लेखापरीक्षा ने सिफारिश की थी कि सरलीकृत रिटर्न प्रपत्रों को लागू करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जाए और उसे लागू किया जाए क्योंकि बार-बार स्थगन के परिणामस्वरूप विवरणी दाखिल करने की प्रणाली के स्थिरीकरण में विलंब हो रहा था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने "बीज़क मिलान" के माध्यम से इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के प्रणाली-सत्यापित प्रवाह की सिफारिश की थी और यह कि मंत्रालय सरकारी राजस्व की सुरक्षा में कर कार्यालयों द्वारा कार्योत्तर हस्तक्षेप पर भरोसा करने के बजाय मूल रूप से परिकल्पित विवरणी प्रपत्रों में आईटी प्रणालियों के माध्यम से लागू निवारक जांचों पर अधिक भरोसा करे।

लेखापरीक्षा ने जीएसटी विवरणी प्रणाली के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा की और पाया कि जीएसटी विवरणी प्रणाली में बदलाव करके कुछ बाधाओं को दूर किया गया था, लेकिन मौजूदा जीएसटीआर-3 बी में अभी भी त्रुटियाँ थीं और उसमें सुधार की आवश्यकता थी।

संशोधन तालिकाओं, पंक्तिवार आईटीसी निरसन को उल्लेखित करने के लिए जीएसटीआर-3बी की तालिका 4 में संशोधन, और जीएसटीआर-3बी की विशिष्ट पंक्तियों में जीएसटीआर-1 से जीएसटीआर-3 बी में राशियों की स्वतः भरण की अनुमति देने दे, जैसा कि आईजीएसटी निपटान और आईटीसी निरसन से संबंधित मुद्दों पर अधिकारियों की उप-समिति द्वारा सिफारिश की गई है, से संबंधित अपेक्षित परिवर्तनों को समयबद्ध तरीके से लागू करे ताकि मौजूदा विवरणी प्रणाली में कमियों को शीघ्रताशीघ्र दूर किया जा सके।

(पैराग्राफ 3.1)

¹ 2021 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 1 और 2022 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी विवरणी और सूचना की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विवरणों की संवीक्षा कर सकता है।

बोर्ड ने मार्च 2022 में वित्त वर्ष 2017 और वित्त वर्ष 18 के विवरणियों की संवीक्षा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त एसओपी एक अंतरिम उपाय के रूप में जारी किया गया था क्योंकि रिटर्न की ऑनलाइन जांच के लिए स्कूटनी माँड्यूल विभाग के बैक-एंड आईटी एप्लिकेशन यानी सीबीआईसी-जीएसटी एप्लिकेशन पर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) की रिपोर्टों से प्राप्त जानकारी और पूर्व की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर जोखिम मानदंडों की आवधिक समीक्षा के साथ जोखिम आधारित संवीक्षा माँड्यूल को शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वित किया जाए ताकि पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और विभाग के संवीक्षा कार्य का सुदृढ़ निरीक्षण और निगरानी की जा सके।

(पैराग्राफ 3.2)

अध्याय IV: जीएसटी भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी

लेखापरीक्षा ने विभागीय निरीक्षण तंत्र का आकलन किया ताकि यह आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि करदाता नियमित रूप से अपने विवरणी दाखिल करते हैं और अपनी कर देयता और अन्य अनिवार्य दायित्वों का उचित निर्वहन करके जीएसटी कानून का पालन करते हैं।

(पैराग्राफ 4.3)

योजना बनाने के साथ-साथ वास्तविक लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करने के लिए एक डेटा-संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस एसएससीए के नमूने में केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए विचलन का एक समुच्चय शामिल था जिसमें क्षेत्र का दौरा

सम्मिलित नहीं था; विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना जिसमें विभागीय परिसर में क्षेत्र का दौरा और करदाता के रिकॉर्ड की संवीक्षा शामिल थी; और रेंज के अनुपालन कार्यों के मूल्यांकन के लिए रेंज का एक नमूना भी सम्मिलित था।

(पैराग्राफ 4.6)

निरीक्षण कार्य

179 रेंजों के नमूने में से, लेखापरीक्षा 113 रेंजों में विवरणी दाखिल पर निगरानी तंत्र को सत्यापित नहीं कर सका क्योंकि लेखापरीक्षा को न तो रिकॉर्ड और न ही डेटा प्रदान किया गया था। शेष रेंजों में निगरानी तंत्र में कमी थी क्योंकि सामान्य और संयोजन करदाताओं के विवरणी न दाखिल करने वाले/देर दाखिल करने वाले फाइलर्स से संबंधित एमआईएस प्रतिवेदन रेंज अधिकारियों को समय पर कार्रवाई करने के लिए उपलब्ध नहीं थीं।

विवरणी न दाखिल करने वाले से मांग की वसूली के लिए निगरानी तंत्र 114 रेंजों में अपर्याप्त था। 95 रेंजों में जहां एएसएमटी-13, डीआरसी-07 जारी करने और वसूली विवरण से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड उपलब्ध थे, लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी चूककर्ताओं के संबंध में कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अलावा, 35 रेंजों में, जीएसटीआर-3ए (जीएसटी विवरणी दाखिल नहीं करने वाले चूककर्ताओं के लिए नोटिस) जारी करने की प्रक्रिया और इसका एएसएमटी-13 (उन मामलों में सर्वश्रेष्ठ निर्णय निर्धारण आदेश जहां करदाताओं ने जीएसटीआर-3ए नोटिस का अनुपालन नहीं किया है) और डीआरसी-07 (एएसएमटी-13 के अनुवर्ती मांग आदेश का सारांश) से अनुसरण करने का पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप चुककर्ताओं से ₹ 128.58 करोड़ की वसूली नहीं हो पाई।

विभाग, नोटिस जारी करने (जीएसटीआर-3ए), निर्धारण आदेश (एएसएमटी-13) और मांग आदेश (डीआरसी-07), लंबित एएसएमटी-13 मूल्यांकन, डीआरसी-07 पर वसूली पूर्ववृत्त और अपील के मामलों, संयोजन करदाताओं और अन्य श्रेणी के पंजीकरणों जैसे इनपुट सेवा वितरकों आदि में विलंब और विवरणी दाखिल न करने वालों आदि से संबंधित एमआईएस प्रतिवेदन, प्रभावी निगरानी के लिए सीबीआईसी-एसीईएस बैंक-एंड सिस्टम में कर अधिकारियों को प्रदान करे।

इसके अलावा, विभाग नोटिस, निर्धारण आदेश, मांग आदेश आदि जारी करने का समर्थन करने के लिए सीबीआईसी-एसीईएस बैक-एंड आईटी सिस्टम के माध्यम से स्वचालन के अधिक उपयोग पर विचार करे।

(पैराग्राफ 4.8.2.1)

लेखापरीक्षा ने देखा कि अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण मॉड्यूल में आवश्यक सत्यापन, चेतावनी और रद्द करने की प्रभावी तिथियां दर्ज नहीं की गई थी। निलंबन की प्रभावी तिथि भी बैक-एंड प्रणाली में दर्ज नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, नियम 21ए (3) में निर्धारित शर्तों, जो निलंबन की अवधि के दौरान पंजीकृत व्यक्तियों को किसी भी कर योग्य आपूर्ति करने और परिणामस्वरूप क्रेडिट के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता था, को लागू करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि विभाग पंजीकरण मॉड्यूल के अंतर्गत रद्दीकरण कार्यप्रवाह में रद्दीकरण आवेदनों के लंबित होने, पंजीकरण रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस (आरईजी-17) जारी करने और अंतिम विवरणी (जीएसटीआर-10) दाखिल करने के लिए आवश्यक एमआईएस प्रतिवेदन/सुविधाओं की पूर्ति करे।

(पैराग्राफ 4.8.3.3.2 & 4.8.3.3.5)

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए 2017-18 से संबंधित जीएसटी विवरणी आंकड़ों का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटी विवरणियों के बीच नियम-आधारित विचलन, और तार्किक विसंगतियों की पहचान 14 मापदंडों जैसे कि वार्षिक रिटर्न और लेखाओं की पुस्तकों के बीच आईटीसी का मिलान न होना, ब्याज का कम भुगतान, आईटीसी का मिलान न होना आदि के एक सेट पर की गई थी। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017-18 के लिए 14 मापदंडों में से प्रत्येक में शीर्ष विचलन/विसंगतियों में से 10,667 मामलों के नमूने का चयन किया। लेखापरीक्षा पृच्छाएँ जनवरी 2022 और मई 2022 के बीच करदाता के अभिलेखों की आगे की जांच के बिना संबंधित रेंज को जारी की गई थीं।

गैर-मिलान/विसंगतियों के 8,220 मामलों में से, जिनके लिए विभाग ने प्रतिक्रियाएं प्रदान कीं, लेखापरीक्षा ने 1,268 मामलों (15 प्रतिशत) में, जिसमें ₹ 2,203.57 करोड़ का कम कर लगाया गया था, अधिनियम के प्रावधानों से विचलन पाया। ब्याज का कम/गैर-भुगतान, आईटीसी का मिलान न होना, अतिरिक्त प्रति प्रभार प्रणाली (आरसीएम) आईटीसी का लाभ, गलत टर्नओवर घोषणाएं और कम कर भुगतान जैसे जोखिम मानकों में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गई।

लेखापरीक्षा ने 1,368 मामलों (17 प्रतिशत) में करदाताओं द्वारा आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों को विवरणी आंकड़ों में गैर-मिलान/विसंगतियों के कारण के रूप में देखा। 846 मामलों में, जो 10 प्रतिशत हैं, विभाग ने कहा कि वह ₹ 16,157.35 करोड़ के अंतर्निहित विचलन की जांच कर रहा था।

लेखापरीक्षा सिफ़ारिश करती है कि विभाग लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 2,447 विसंगतियों और विचलन पर तत्काल कार्रवाई करे और प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए ऐसे विचलन के कारणों का विश्लेषण करे ताकि ऐसे विचलन दोबारा न हो।

(पैराग्राफ 4.8.4.1 & पैराग्राफ 4.8.4.2)

विस्तृत लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए 1,103 मामलों का चयन किया जिसमें क्षेत्राधिकार कार्यकारी आयुक्तालयों और लेखापरीक्षा आयुक्तालयों के पास उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए क्षेत्र में दौरे शामिल थे।

मांग और अनुवर्तन के बावजूद, क्षेत्राधिकार रेंज ने 1,103 मामलों के नमूने में से 67 मामलों में वित्तीय विवरण, जीएसटीआर-9सी और जीएसटीआर-2ए जैसे मूलभूत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। इस प्रकार, नमूने के 6 प्रतिशत की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। 373 मामलों में, विभाग ने संबंधित अभिलेख जैसे पूरक वित्तीय बहीखाते, बीजक, समझौते की प्रतियां आदि जो आईटीसी और कर देयता के मिलान न होने के लिए प्रेरक कारकों की जांच के लिए आवश्यक थे, को प्रस्तुत नहीं किया।

(पैराग्राफ 4.8.5)

पूरी तरह से या आंशिक रूप से लेखापरीक्षा किए गए 1,036 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने ₹ 468.96 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ 657 अनुपालन कमियों को पाया। मुख्य कारण कारक अपात्र और अनियमित आईटीसी का लेना, आपूर्ति का गलत वर्गीकरण, कराधान के लिए आपूर्ति का अपवर्जन, आपूर्ति का कम मूल्यांकन और आरसीएम के तहत कर का गलत निर्वहन थे।

इसके अलावा, चूंकि अनुपालन विचलन के लिए मुख्य कारण कारक में से एक अपात्र और अनियमित आईटीसी का लेना था, इसलिए, राजस्व की रक्षा के लिए, विभाग को जीएसटी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को अक्षरशः और भावार्थ में लागू करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (10) जो यह प्रदान करती है कि उचित अधिकारी प्रतिदाय के भुगतान को तब तक रोक सकता है जब तक कि करदाता ने विवरणी प्रस्तुत नहीं की हो या कर, ब्याज या दंड का भुगतान नहीं किया हो, या जैसा भी मामला हो; आईटीसी के जीएसटी प्रतिदाय की मंजूरी के दौरान कर योग्य व्यक्ति द्वारा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी किसी भी कर, ब्याज, शास्ति, शुल्क या किसी अन्य राशि की प्रतिदाय से कटौती की जाए।

विभाग को चाहिए कि

- विवरणी फाइल करने, करदाता अनुपालन, कर भुगतान, डीजीएआरएम रिपोर्टों का अनुवर्तन, पंजीकरण रद्द करने और चूककर्ताओं से बकाया राशि की वसूली पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने और बनाए रखने के लिए रेंज में संस्थागत तंत्र और दस्तावेज़ीकरण की गुणवत्ता को मजबूत करे।
- लेखापरीक्षा द्वारा इंगित सीबीआईसी बैंक-एंड एप्लिकेशन में वैधीकरण नियंत्रण और एमआईएस सुविधाओं को मजबूत करे।
- डेटा की गुणवत्ता में सुधार, और करदाता अनुपालन में सुधार और विवरणियों की संवीक्षा की सुविधा के लिए जीएसटी विवरणियों में अतिरिक्त वैधीकरण नियंत्रण शुरू करे।

(पैराग्राफ 4.10)

अध्याय V: जीएसटी के तहत परिवर्ती क्रेडिट

सीएजी की 2022 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 (अप्रत्यक्ष कर: माल और सेवा कर) के अध्याय VI में उल्लिखित किए गए जीएसटी के तहत परिवर्ती क्रेडिट पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में, लेखापरीक्षा ने सारभूत विषय क्षेत्र सीमा को इंगित किया क्योंकि 954 दावों, जो 8,514 दावों के नमूना आकार का 11 प्रतिशत था, के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये थे। इसके अलावा, 2,209 दावों से संबंधित अभिलेख, जो नमूना आकार का 26 प्रतिशत था, आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे।

अनुपूरक लेखापरीक्षा मुख्य रूप से विभाग को जीएसटी के तहत परिवर्ती क्रेडिट पर एसएससीए के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए या आंशिक रूप से प्रस्तुत रिकॉर्ड प्रदान करने का अवसर प्रदान करने और दावों का अधिनियम/नियमों से अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए शुरू की गई थी।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान भी जीएसटी के अंतर्गत परिवर्ती क्रेडिट की लेखापरीक्षा करते समय व्यापक विषयक्षेत्र की सीमा का अनुभव किया गया था। 3,163 मामलों (954 मामले पहले प्रस्तुत नहीं किए गए और 2,209 अभिलेखों आंशिक रूप से पहले प्रस्तुत किए गए) के नमूने में से 362 दावों (प्रस्तुत नहीं किए गए) और 1,344 दावों (आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए) के संबंध में अभिलेख प्रदान नहीं किए गए थे।

व्यापक अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के बाद भी, पूरी तरह या आंशिक रूप से लेखापरीक्षा किए गए 1,698 दावों में से ₹ 55.15 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट वाले 188 मामलों में विचलन देखा गया।

विभाग को चाहिए कि

- लेखापरीक्षा को अपने वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करे।
- दावों के काल बाधित होने से पहले इंगित किए गए अनुपालन विचलन को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय करे।

(पैराग्राफ 5.6.9)

अध्याय VI: माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा अनुरक्षित जीएसटी आंकड़ों की विश्वसनीयता

सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अंतर्गत आवश्यक कर अनुपालन के लिए मंच प्रदान करती है, करदाताओं के साथ इंटरफेस का गठन करती है और राजस्व के संग्रह में कर प्रशासन में सहायता करती है। जीएसटी प्रणाली में अधिकांश प्रक्रियाएं ऑनलाइन² की जाती हैं और कई प्रक्रियाएं मानवीय हस्तक्षेप³ के बिना की जाती हैं। कर भुगतान स्व-मूल्यांकन⁴ के आधार पर होता है। कर अधिकारी को केवल तभी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती है जब उसके पास यह मानने का कारण हो कि प्रदान की गई जानकारी में कोई कमी है या जब करदाता ने चूक की है।

सरकार ने केन्द्रीय और राज्य माल एवं सेवा कर प्रशासनों के लिए चुनिंदा संवीक्षा का प्रस्ताव किया है क्योंकि सभी मामलों की संवीक्षा करना व्यवहार्य नहीं है। ऐसे परिदृश्य में, आंकड़ों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर कर प्रशासन जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप कर सकता है।

2021-22 के दौरान, लेखापरीक्षा ने करदाताओं द्वारा अगस्त 2021 तक फाइल 2017-18 से 2019-20 की अवधि से संबंधित जीएसटी विवरणी आंकड़ों का विश्लेषण किया और कर योग्य राशि और घोषित कर देयता के बीच महत्वपूर्ण आंकड़ा विसंगतियाँ देखीं। जीएसटी के सीजीएसटी और एसजीएसटी घटकों के बीच और जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-9 विवरणियों में दर्ज आईटीसी आंकड़ों के बीच विसंगतियां भी देखी गईं। तदनुसार, लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि मंत्रालय को महत्वपूर्ण आंकड़ा तत्वों के संबंध में कार्योत्तर डेटा विश्लेषण द्वारा पूरक उचित वैधीकरण नियंत्रण (नियंत्रण जो अनुचित आंकड़ा प्रविष्टियों को रोकते हैं या करदाता को अनुचित आंकड़ों के लिए सचेत करते हैं या दोनों)

² पंजीकरण, पंजीकरण प्रकारों में परिवर्तन, पंजीकरण विवरण में संशोधन, रद्दीकरण, प्रतिदाय, करों का भुगतान, विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से विवरणियां दाखिल करना, करदाताओं के साथ कर अधिकारियों का संचार ऑनलाइन किया जाता है।

³ ऑटो-ड्राफ्ट आईटीसी उपलब्धता, ऑटो-ड्राफ्ट जीएसटीआर -3 बी आदि।

⁴ धारा 59 में स्व-मूल्यांकन का प्रावधान है।

शुरू करने पर विचार करना चाहिए। इन निष्कर्षों को 2022 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 के अध्याय- IV में प्रतिवेदित किया गया था।

2022-23 के दौरान, जीएसटीएन डेटा की गुणवत्ता का निर्धारण करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या मंत्रालय/जीएसटीएन ने जीएसटीएन आंकड़ों में विसंगतियों के मुद्दे को संबोधित किया है, जैसा कि पिछले लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा प्रतिवेदन किया गया था, एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई थी

(पैराग्राफ 6.1 एवं 6.2)

लेखापरीक्षा ने आंकड़ों में लगातार बनी हुई असंगतता देखी जैसे कि मासिक विवरणी (जीएसटीआर-3बी) में आईटीसी दावे एवं वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में इसकी घोषणा के बीच असंगतता, जीएसटी के सीजीएसटी एवं एसजीएसटी घटकों के बीच असंगतता तथा कर योग्य राशि, दर एवं घोषित कर देयता के बीच असंगतता। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने जीएसटीआर 2⁵ से जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के स्वतः भरे गए आंकड़ों में विसंगतियां, मासिक एवं वार्षिक रिटर्न के बीच कर देयता में असंगतता, जीएसटीआर-1⁶ में कर की कम गणना एवं जीएसटीआर-1 में पर्याप्त वैधीकरण की कमी के कारण अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों से करदाताओं द्वारा विचलन के दृष्टांत देखे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि जीएसटीएन/विभाग द्वारा आंकड़ों की प्रविष्टि में गलतियों का विश्लेषण नहीं किया जा रहा था तथा ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की जा रही थी।

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि मंत्रालय/जीएसटीएन वार्षिक रिटर्न के गैर-संपादन योग्य क्षेत्रों की स्वतः भरे जाने की प्रक्रिया की समीक्षा करे; वार्षिक विवरणी में घोषित अतिरिक्त कर देयता का अभिग्रहण करने के लिए वार्षिक विवरणी में एक अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करने पर विचार करे; सीजीएसटी

⁵ स्वतः प्रारूपित मासिक विवरणी जो करदाता के सभी आवक आपूर्ति विवरणों को दर्शाती है।

⁶ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सभी बाहरी आपूर्ति दिखाते हुए मासिक/ त्रैमासिक दाखिल, जिसमें अन्य पंजीकृत करदाताओं को आपूर्ति का बीजक विवरण शामिल है।

और एसजीएसटी घटकों के मिलान के संबंध में वार्षिक रिटर्न में वैधीकरण को लागू करे; और माल या सेवाओं की बाहरी आपूर्ति के विवरण के लिए मासिक विवरणी (जीएसटीआर -1) में वैधीकरण जांच शामिल करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित अवधि के बाद कोई क्रेडिट नोट और बीजक विवरण में संशोधन न किया जा सके।

(पैराग्राफ 6.6)

अध्याय VII: संयोजन शुल्क योजना के आँकड़ों का विश्लेषण

सरलता लाने और अनुपालन की लागत को कम करने के लिए, छोटे करदाताओं हेतु सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत जीएसटी लगाने के एक अन्य रूप में एक कंपोजीशन शुल्क योजना (सीएलएस) निर्धारित की गई थी। सीएलएस उन करदाताओं के लिए उपलब्ध है जिनका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार ₹1.5 करोड़ से अधिक नहीं रहा है। विशेष श्रेणी वाले राज्यों के करदाताओं के लिए यह सीमा ₹ 75 लाख है। सीएलएस करदाताओं के संबंध में दो प्रमुख जोखिम क्षेत्र करदाताओं द्वारा योजना में जारी रहने के लिए 'जावक आपूर्ति के मूल्य' की कम घोषणा करना; और सीएलएस का लाभ उठाने के लिए पात्रता शर्तों को पूरा न करना है।

वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए केंद्रीय क्षेत्राधिकार के तहत 8.66 लाख कंपोजीशन शुल्क करदाताओं से संबंधित जीएसटीएन आँकड़ों पर आँकड़ा विश्लेषण किया गया था। आँकड़ा विश्लेषण से सीएलएस के लिए टर्नओवर अधिकतम सीमा को पार करने के उच्च जोखिम वाले करदाताओं की बड़ी संख्या का पता चला। इन उच्च जोखिम वाले करदाताओं की पहचान लेखापरीक्षा द्वारा जीएसटी विवरण जीएसटीआर-4ए, जीएसटीआर-7 और तीसरे पक्ष के आँकड़ा स्रोतों जैसे आईटी विवरण, 'वाहन' डेटाबेस आदि में निहित आँकड़ों से की गई थी और मंत्रालय को भेजा गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इन करदाताओं के संबंध में सीबीआईसी क्षेत्र कार्यालयों द्वारा कोई अनुपालन सत्यापन किया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि कुछ सीएलएस करदाता थे जो अधिनियम और नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने के बावजूद योजना में बने हुए थे, और बड़ी संख्या में

सीएलएस करदाता विवरण दाखिल करने और प्रति प्रभार के अंतर्गत कर के भुगतान की अपनी अनिवार्य जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे थे।

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि मंत्रालय को जोखिम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके समय-समय पर सीएलएस में उच्च जोखिम वाले करदाताओं की पहचान करनी चाहिए और अयोग्य व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग की संभावना को कम करने के लिए तीसरे पक्ष सहित अन्य स्रोतों से जावक आपूर्ति के उनके घोषित मूल्य को सत्यापित करना चाहिए।

(पैराग्राफ 7.11)

अध्याय I: अप्रत्यक्ष कर प्रशासन और राजस्व प्रवृत्ति

इस अध्याय में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में राजस्व रुझान का अवलोकन दिया गया है।

1.1 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मुख्यतः माल एवं सेवा कर लगाने और संग्रहण से संबंधित मुद्दों से संबंधित है। अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और विरासतीय सेवा कर संग्रहण के संबंध में कुछ टिप्पणियां शामिल की गई हैं। सीमा शुल्क लगाने और संग्रहण करने के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष एक अलग प्रतिवेदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रतिवेदन में शामिल अप्रत्यक्ष करों पर नीचे चर्चा की गई है:

क) माल एवं सेवा कर: माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति एवं पाँच पेट्रोलियम उत्पादों⁷ पर करों को छोड़कर माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर कर है। जीएसटी 1 जुलाई 2017⁸ से लागू हुआ। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) और सीमा शुल्क के विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) घटक और राज्यों के अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में समाहित कर दिया गया है। पांच पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क जारी रखा गया है क्योंकि ये उत्पाद वर्तमान में जीएसटी से बाहर हैं, और बाद में जीएसटी के अंतर्गत लाए जाएंगे। तंबाकू उत्पाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी दोनों के अधीन हैं। जीएसटी एक उपभोग आधारित कर है अर्थात् कर उस राज्य में देय होता है जहां माल या सेवाओं या दोनों का अंतिम रूप से उपभोग किया जाता है। जीएसटी के अलावा एक उपकर, जिसे जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर कहा जाता है, तंबाकू उत्पादों, कोयला, वातित जल, मोटर कार आदि जैसे कुछ सामानों पर लगाया जाता है।

⁷ कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और विमानन टरबाइन ईंधन।

⁸ जम्मू और कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से प्रभावी

जीएसटी के तीन घटक इस प्रकार हैं:

- **केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) :** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत माल और सेवाओं की आपूर्ति पर केन्द्र सरकार को देय होता है।
- **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी/यूटीजीएसटी) :** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत माल और सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को देय होता है।
- **एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी):** माल और सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति के मामले में, आईजीएसटी भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। भारत में आयात पर भी आईजीएसटी लगाया जाता है। आईजीएसटी को केंद्र और राज्यों के बीच उस तरीके से विभाजित किया जाएगा जैसा कि माल और सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर संसद द्वारा कानून द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

ख) केंद्रीय उत्पाद शुल्क: केंद्रीय उत्पाद शुल्क उस माल के विनिर्माण या उत्पादन पर लगाया जाता है जिन्हें जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं लाया गया है। संसद के पास तंबाकू और पांच पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने की शक्तियां हैं (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84)।

ग) सेवा कर (विरासतीय): सेवा कर योग्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लगाया जाता था। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66बी में यह परिकल्पना की गई थी कि नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं के मूल्य पर 14 प्रतिशत की दर से कर उद्ग्रहीत किया जाएगा, जिन्हें कराधेय क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रदान किया गया हो अथवा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई हो एवं यथा विहित⁹ रीति से संगृहीत किया जाएगा। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65बी (44) में परिभाषित 'सेवा' का अर्थ है कि प्रतिफल हेतु एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति

⁹ धारा 66बी को 1 जुलाई 2012 से वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा शामिल किया गया था; धारा 66डी उन मदों को सूचीबद्ध करती है जिनमें नकारात्मक सूची शामिल है।

के लिए कोई भी गतिविधि (उसमें अपवर्जित मदों के अलावा) संपादित करना एवं एक घोषित सेवा¹⁰ को सम्मिलित करना।

1.2 संगठनात्मक संरचना

वित्त मंत्रालय (वि.म.) का राजस्व विभाग (रा.वि.) सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करता है और दो वैधानिक बोर्डों अर्थात् केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), जिसका गठन केंद्रीय राजस्व अधिनियम, 1963 के अंतर्गत किया गया है, के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष केंद्रीय करों से संबंधित मामलों का समन्वय करता है। जीएसटी के उदग्रहण और संग्रहण से संबंधित मामलों को सीबीआईसी द्वारा देखा जाता है।

अप्रत्यक्ष कर विधियों को सीबीआईसी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित करता है। जीएसटी के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, सीबीआईसी ने 16 जून 2017 के परिपत्र के माध्यम से जीएसटी के 21 क्षेत्रों में प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन किया। जीएसटी के इन 21 क्षेत्रों के अंतर्गत, 107 जीएसटी करदाता सेवा आयुक्तालय हैं जो जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित मामलों को देखते हैं, जिनकी अध्यक्षता प्रधान आयुक्त/आयुक्त करते हैं। प्रभाग और रैंज अनुवर्ती संगठन हैं, जिनकी अध्यक्षता क्रमशः उप/सहायक आयुक्त और अधीक्षक करते हैं। इन आयुक्तालयों के अलावा, 49 जीएसटी अपील आयुक्तालय, 48 जीएसटी लेखापरीक्षा आयुक्तालय और 22 निदेशालय हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए डीजी (सिस्टम) और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए डीजी, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स (एनएसीआईएन) जैसे विशिष्ट कार्यों का सम्पादन करते हैं।

¹⁰ वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ई में घोषित सेवाओं की सूची दी गई है।

1.3 राजस्व प्रवृत्ति

1.3.1 अप्रत्यक्ष कर राजस्व प्रवृत्ति

केंद्र सरकार के कर राजस्व में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं। भारत सरकार के समग्र संसाधन और 2017-18 से 2021-22 तक केंद्र सरकार के कर राजस्व का विवरण नीचे तालिका संख्या 1.1 में दिया गया है:

तालिका 1.1: भारत सरकार के संसाधन

	(₹ करोड़ में)				
कर घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
क. कुल राजस्व प्राप्तियां *	23,64,148	25,67,917	25,98,705	24,59,510	33,34,813
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	10,02,738	11,37,718	10,50,685	9,47,174	14,12,422
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	9,16,445	9,42,747	9,59,374	10,79,929	12,96,893
iii. गैर-कर प्राप्तियां	4,41,383	4,86,388	5,88,273	4,30,654	6,24,192
iv. सहायता अनुदान और अंशदान	3,582	1,063	373	1,752	1,306
ख. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	1,00,049	94,979	50,349	37,897	14,638
ग. अग्रिमों और ऋणों की वसूली	70,639	30,257	18,647	29,923	24,948
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	65,54,002	67,58,482	73,01,386	81,62,910	82,49,152
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	90,88,838	94,51,635	99,69,087	1,06,90,240	1,16,23,551

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघीय वित्त लेखे।


* कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को सीधे सौंपे गए प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों की शुद्ध प्राप्तियों का हिस्सा सम्मिलित है।

वित्त वर्ष 21 की तुलना में वित्त वर्ष 22 के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रह में ₹2,16,964 करोड़ (20 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अप्रत्यक्ष करों (वर्ष दर वर्ष) की वार्षिक वृद्धि में, जो वित्त वर्ष 18 में 5.80 प्रतिशत से लगातार घटकर वित्त वर्ष 20 में 1.76 प्रतिशत हो गई, वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 22 में वृद्धि की

प्रवृत्ति देखी गई। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि माल एवं सेवा कर और सीमाशुल्क से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई, जो पिछले वर्ष (वि.व.21) की तुलना में क्रमशः ₹1,50,564 करोड़ (27 प्रतिशत) और ₹64,978 करोड़ (48 प्रतिशत) बढ़ी; यह पैराग्राफ 1.3.2 में वर्णित है।

कुल राजस्व प्राप्तियों में अप्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी वि.व.18 में 38.76 प्रतिशत से लगातार घटकर वित्त वर्ष 20 में 36.92 प्रतिशत हो गई थी। कुल राजस्व प्राप्तियों में अप्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी, हालांकि, वित्त वर्ष 2021 में बढ़कर 43.90 प्रतिशत हो गई। वित्त वर्ष 22 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों में अप्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी प्रत्यक्ष करों (49 प्रतिशत) और गैर-कर प्राप्तियों (45 प्रतिशत) में महत्वपूर्ण वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के कारण घटकर 39 प्रतिशत हो गई।

चार्ट 1.1, 2017-18 से 2021-22 के दौरान अप्रत्यक्ष करों, निगम कर और निगम कर के अलावा अन्य आय पर करों के रुझान को दर्शाता है।



स्रोत- संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे

*- अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क और माल और सेवाओं पर अन्य करों (समानीकरण उदग्रहण को छोड़कर) से राजस्व शामिल है।

जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट से देखा गया है, वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 22 की अवधि के दौरान, अप्रत्यक्ष करों से प्राप्तियां वित्त वर्ष 18 में ₹9,13,486 करोड़ से लगातार बढ़कर वित्त वर्ष 22 (42 प्रतिशत) में ₹12,93,672 करोड़

हो गई थीं हालांकि, वित्त वर्ष 21 की तुलना में वित्त वर्ष 22 के दौरान निगम कर से प्राप्तियों में 56 प्रतिशत (₹2,54,325 करोड़) की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 19 से वित्त वर्ष 21 तक 31 प्रतिशत (₹2,05,860 करोड़) कम होने के बाद थी। वित्त वर्ष 2020 की तुलना में वित्त वर्ष 21 में मंदी का सामना करने के बाद निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर भी वित्त वर्ष 21 की तुलना में वित्त वर्ष 22 के दौरान 43 प्रतिशत (₹2,02,781 करोड़) बढ़ गया। इस संबंध में, यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि इसी अवधि अर्थात् वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 22 के दौरान, कॉर्पोरेट निर्धारिती और गैर-कॉर्पोरेट निर्धारिती क्रमशः 21 प्रतिशत (1.65 लाख) और 25 प्रतिशत (134.10 लाख) की वृद्धि हुई, जबकि सीबीआईसी प्रशासित जीएसटी करदाताओं में 71 प्रतिशत (23.05 लाख) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

1.3.1.1 अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि - रुझान और संरचना

तालिका 1.2 में सकल घरेलू उत्पाद और सकल कर राजस्व के संबंध में वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 22 के दौरान अप्रत्यक्ष करों की सापेक्ष वृद्धि को दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर *	जीडीपी (मौजूदा मूल्यों पर)	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष कर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वित्त वर्ष 18	9,13,486	1,70,90,042	5.35	19,19,184	47.59
वित्त वर्ष 19	9,40,100	1,88,99,668	4.97	20,80,465	45.18
वित्त वर्ष 20	9,56,574	2,00,74,856	4.76	20,10,058	47.58
वित्त वर्ष 21	10,77,597	1,98,00,914	5.44	20,27,104	53.15
वित्त वर्ष 22	12,93,672	2,36,64,637	5.47	27,09,315	47.75

स्रोत: कर राजस्व - केंद्रीय वित्त लेखा, जीडीपी - सीएसओ¹¹ का प्रेस नोट

* अप्रत्यक्ष करों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, जीएसटी, सीमा शुल्क और क्मोडिटी और सेवाओं पर अन्य करों से राजस्व (समकारी उदग्रहण को छोड़कर) शामिल हैं।

¹¹ केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा 31 मई, 2022 को जारी जीडीपी पर प्रेस नोट।

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष कर वि.व.18 में 5.35 प्रतिशत से घटकर वि.व.20 में 4.76 प्रतिशत हो गया। हालांकि, वि.व.21 और वि.व.22 के दौरान अप्रत्यक्ष करों से जीडीपी अनुपात में वृद्धि हुई जब यह वि.व.21 और वि.व.22 में बढ़कर क्रमशः 5.44 प्रतिशत और 5.47 प्रतिशत हो गया। अप्रत्यक्ष कर उछाल ने वि.व.19 से वि.व.20 और वि.व.22 में बढ़ते रुझान दिखाए। वि.व.21 के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि के लिए वि.व.21 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि को मुख्य रूप से उत्तरदायी ठहराया गया था, जो वि.व.20 में ₹ 2,39,452 करोड़ से बढ़ कर, 62 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ, वि.व.21 में ₹ 3,89,667 करोड़ हो गया। हालांकि, वि.व.22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि मुख्य रूप से केंद्रीय जीएसटी राजस्व और सीमा शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण थी। वि.व.22 के दौरान, केंद्रीय जीएसटी राजस्व वि.व. 21 में ₹5,51,541 करोड़ से 27 प्रतिशत बढ़कर ₹7,02,105 करोड़ हो गया। इसी तरह, वि.व.22 के दौरान, सीमा शुल्क वि.व.21 में ₹1,34,750 करोड़ से 48 प्रतिशत बढ़कर ₹1,99,728 करोड़ हो गया।

सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष करों ने वि.व.19 से वि.व. 21 तक वृद्धि की प्रवृत्ति को दिखाया, जो वि.व.19 में 45.18 प्रतिशत से बढ़कर वि.व. 21 में 53.15 प्रतिशत हो गया। वि.व.22 के दौरान, सकल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का प्रतिशत वि.व.21 में 53.15 प्रतिशत से घटकर 47.75 प्रतिशत हो गया। सकल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के प्रतिशत में कमी के लिए वि.व.22 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 49.12 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (नवंबर 2022), मंत्रालय ने कहा (मार्च 2023) कि अप्रत्यक्ष कर उपभोग आधारित कर हैं जो वृहद आर्थिक कारकों पर निर्भर करते हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि वि.व.21 के सापेक्ष वि.व.22 में अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि कोविड की लगातार लहरों के बाद तेजी से हुए आर्थिक सुधार, जो कराधान में बेहतर अनुपालन प्रयासों द्वारा पूरित थी, से प्रेरित थी। अप्रत्यक्ष कर प्रशासन द्वारा प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के माध्यम से उच्च अनुपालन के लिए विभिन्न प्रयास किए गए थे। मंत्रालय ने यह भी कहा

कि सरकार ने व्यापक परामर्श और जनता की राय के माध्यम से सीमा शुल्क संरचना की व्यापक समीक्षा और युक्तिकरण किया था और विभिन्न छूटों को युक्तिसंगत बनाया था और प्रशुल्क संरचना को सरल बनाया था।

1.3.2 अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न घटकों की तुलनात्मक वृद्धि

तालिका 1.3, वि.व.19 से वि.व.22 के दौरान अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न घटकों की सापेक्ष वृद्धि को दर्शाती है:

तालिका संख्या 1.3: अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न घटकों की तुलनात्मक वृद्धि

(₹ करोड़ में)

कर घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
केंद्रीय जीएसटी कर ¹²	5,84,339 ¹³	6,01,784 ¹⁴	5,51,541 ¹⁵	7,02,105 ¹⁶
सीमा शुल्क	1,17,813	1,09,283	1,34,750	1,99,728
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	2,30,993	2,39,452	3,89,667	3,90,808
सेवा कर	6,904	6,029	1,615	1,012
अन्य कर और शुल्क	51	26	24	19
अप्रत्यक्ष कर	9,40,100	9,56,574	10,77,597	12,93,672

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघीय वित्त लेखे।

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, वि.व.20 की तुलना में वि.व.21 में कमी के बाद, वि.व.22 में वि.व.21 की तुलना में केंद्रीय जीएसटी राजस्व में

¹² केंद्रीय जीएसटी राजस्व में केंद्रीय माल और सेवा कर, एकीकृत माल और सेवा कर, यूटी माल और सेवा कर और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर शामिल हैं।

¹³ आईजीएसटी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए केंद्र द्वारा आईजीएसटी खाते से ₹13,944 करोड़ रखे गए थे, जिसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच आईजीएसटी के विभाजन की आवश्यकता होती है।


¹⁴ आईजीएसटी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए केंद्र द्वारा आईजीएसटी खाते से ₹9,125 करोड़ रखे गए थे, जिसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच आईजीएसटी के विभाजन की आवश्यकता होती है।

¹⁵ आईजीएसटी अधिनियम के उल्लंघन में केंद्र द्वारा आईजीएसटी खाते से ₹7,251 करोड़ रखे गए थे, जिसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच आईजीएसटी के विभाजन की आवश्यकता होती है।

¹⁶ आईजीएसटी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए केंद्र द्वारा आईजीएसटी खाते से ₹2,119 करोड़ रखे गए थे, जिसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच आईजीएसटी के विभाजन की आवश्यकता होती है।

27.30 प्रतिशत (₹1,50,564 करोड़) की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान, सीमा शुल्क में भी 48.22 प्रतिशत (₹64,978 करोड़) की वृद्धि हुई, जबकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क में वृद्धि 0.29 प्रतिशत (₹1,141 करोड़) पर न्यूनतम रही। वि.व.19 और वि.व.20 के दौरान अप्रत्यक्ष करों में केंद्रीय जीएसटी करों का हिस्सा 62 प्रतिशत पर स्थिर रहा। हालांकि, वि.व.21 के दौरान कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में केंद्रीय जीएसटी की हिस्सेदारी घटकर 51 प्रतिशत रह गई। हालांकि, कुल अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण में केंद्रीय जीएसटी करों की हिस्सेदारी वि.व.22 के दौरान बढ़कर 54 प्रतिशत हो गई। वि.व. 19 से वि.व. 22 तक राज्यवार जीएसटी (एसजीएसटी) प्राप्तियां **परिशिष्ट-1** में दी गई हैं।

चार्ट 1.2 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष करों के तीन प्रमुख घटकों अर्थात् केंद्रीय जीएसटी राजस्व, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में रुझानों को दर्शाता है।



जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट से स्पष्ट है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय जीएसटी राजस्व वि.व.20 में 3.00 प्रतिशत और वि.व.19 में 3.08 प्रतिशत से वि.व.21 में घटकर 2.79 प्रतिशत हो गया था। वि.व.22 के दौरान, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय जीएसटी राजस्व में, हालांकि, वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी और यह बढ़कर 2.97 प्रतिशत हो गया।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (नवंबर 2022), मंत्रालय ने कहा (मार्च 2023) कि जीएसटी राजस्व प्रचलित जीएसटी दरों, अन्य वृहद-आर्थिक कारकों के अलावा

माल और सेवाओं की खपत का परिणाम है। मंत्रालय ने आगे कहा कि आर्थिक सुधार के साथ अपवंचन गतिविधियों, आसान और सुचारू रूप से अनुपालन और अनियमित करदाताओं के विरुद्ध की गई सख्त प्रवर्तन कार्रवाई ने जीएसटी संग्रह को बढ़ाने में योगदान दिया है। मंत्रालय ने जीएसटी राजस्व में सुधार का श्रेय जीएसटी परिषद द्वारा उत्कृष्ट शूलक संरचना को ठीक करने के लिए किए गए विभिन्न दरों को युक्तिसंगत बनाने हेतु किए गए विभिन्न उपायों और कानूनी और प्रक्रियात्मक परिवर्तनों, जो रिटर्न फाइलिंग व्यवहार में सुधार के लिए करदाताओं को प्रेरित करने के लिए रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाकर अनुपालन में सुधार के लिए किए गए हैं, को भी दिया।

1.3.2.1 भारत की संचित निधि में आईजीएसटी को बनाये रखना

वित्तीय वर्षों 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान वर्ष के अंत में आईजीएसटी शेष को केंद्र सरकार द्वारा बनाए रखा गया था। विवरण इस प्रकार है:

तालिका संख्या 1.4: वर्ष के अंत में आईजीएसटी शेष का भारत की संचित निधि में बनाए रखना

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	केंद्रीय जीएसटी राजस्व	वर्ष के अंत में आईजीएसटी शेष का भारत की संचित निधि में बनाए रखना
2018-19	5,84,387	13,944
2019-20	6,01,784	9,125
2020-21	5,51,541	7,251
2021-22	7,02,105	2,119

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघीय वित्त लेखे।

एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017¹⁷ (आईजीएसटी अधिनियम, 2017) की धारा 17 (2ए) के अनुसार, आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की उप-धारा 17 (1) और उप-धारा 17 (2) के अंतर्गत विभाजित न की गई राशि फिलहाल, परिषद की सिफारिश पर, केंद्र सरकार को पचास प्रतिशत और राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों को, जैसा भी मामला हो, पचास प्रतिशत की दर

¹⁷ 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा डाला गया

से तदर्थ आधार पर विभाजित की जा सकती है एवं उक्त उप-धारा के अंतर्गत विभाजित राशि के प्रति समायोजित किया जाएगा।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, भारत की संचित निधि में रखे गए वर्ष के अंत में आईजीएसटी शेष की राशि केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच विभाजित की जा सकती है, जैसा की आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17 (2 ए) में प्रदान किया गया है।

मंत्रालय से यह इंगित करने के लिए अनुरोध किया गया था (नवंबर 2022) कि तालिका 1.4 के अनुसार क्या भारत की संचित निधि में अवधारित आईजीएसटी का वर्षांत शेष, बाद के वर्षों में समायोजित किया गया था। मंत्रालय से यह भी अनुरोध किया गया था कि वह भारत की समेकित निधि में वर्ष के अंत में आईजीएसटी शेष को बनाए रखने के कारणों और बाद के वर्षों में केंद्र और राज्यों के बीच वर्ष के अंत में अवधारित आईजीएसटी शेष के विभाजन का विवरण प्रदान करे। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

1.3.3 भारत सरकार का जीएसटी राजस्व: बजट अनुमान बनाम वास्तविक प्राप्तियां

नीचे तालिका 1.5 में जीएसटी प्राप्तियों के लिए बजट अनुमानों और संबंधित वास्तविक प्राप्तियों की तुलना प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.5: बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक प्राप्तियां (जीएसटी)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान (बीई)		संशोधित अनुमान (आरई)				वास्तविक प्राप्तियां					
	सीजीएसटी ¹⁸	आईजीएसटी	उपकर	कुल	सीजीएसटी	आईजीएसटी	उपकर	कुल	सीजीएसटी	आईजीएसटी	उपकर	कुल
2018-19	6,03,900	50,000	90,000	7,43,900	5,03,900	50,000	90,000	6,43,900	4,57,534	28,945 ¹⁹	95,081	5,81,560
2019-20	5,26,000	28,000	1,09,343	6,63,343	5,14,000	--	98,327	6,12,327	4,94,071	9,125	95,553	5,98,749
2020-21	5,80,000	---	1,10,500	6,90,500	4,31,000	---	84,100	5,15,100	4,56,334	7,251	85,192	5,48,777
2021-22	5,30,000	---	1,00,000	6,30,000	5,70,000	---	1,05,000	6,75,000	5,91,226	2,119	1,04,769	6,98,114

स्रोत: संघ वित्त लेखा और संबंधित वर्षों के प्राप्ति बजट दस्तावेज।

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, केंद्रीय जीएसटी राजस्व²⁰ वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के बजट अनुमानों से कम था। वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए बजट अनुमानों की तुलना में यह कमी क्रमशः 22 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 21 प्रतिशत थी। हालांकि, 2021-22 के दौरान, वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमानों से 11 प्रतिशत अधिक थीं।

2018-19 और 2019-20 के वास्तविक प्राप्तियां संशोधित अनुमानों से भी कम थे। हालांकि, 2020-21 और 2021-22 के दौरान वास्तविक प्राप्तियां संशोधित अनुमानों से अधिक थीं और संशोधित अनुमानों का क्रमशः 107 प्रतिशत और 103 प्रतिशत थीं।

यह उल्लेख करना उचित है कि केंद्रीय जीएसटी राजस्व की वास्तविक प्राप्तियों में भारत की संचित निधि में रखे गए वर्ष के अंत में आईजीएसटी शेष राशि भी शामिल है, जो वि.व.19, वि.व.20, वि.व.21 और वि.व.22 में क्रमशः ₹13,944 करोड़, ₹9,125 करोड़, ₹7,251 करोड़ और ₹2,119 करोड़ थी, जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैरा 1.3.2.1 में बताया गया है।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (नवंबर 2022), मंत्रालय ने कहा (मार्च 2023) कि वि.व.22 के लिए बजट अनुमान वार्षिक बजट 2021-22 के दौरान आयात की मात्रा, भारतीय रूपये के प्रति प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के विनिमय दर,

¹⁸ इसमें यूटी माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी) शामिल नहीं हैं।

¹⁹ इसमें से ₹ 15,001 करोड़ राज्यों को सौंपे गए थे और शेष ₹13,944 करोड़ केन्द्र द्वारा अपने पास रखे गए थे

²⁰ सीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी मुआवजा उपकर

पेट्रोलियम की खपत, देश में आर्थिक विकास, माल और सेवाओं के लिए घरेलू खपत का स्तर आदि जैसे आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए तय किए गए थे। कुछ निश्चित धारणाओं के तहत, संशोधित अनुमान चरण पर लक्ष्य तय करने के लिए, मौजूदा वृहद आर्थिक स्थितियों के साथ इन लक्ष्यों की समीक्षा की गई थी और तदनुसार, आर्थिक गतिविधियों में मजबूत उछाल को ध्यान में रखते हुए 2021-22 के लिए अनुमानों को उर्ध्व संशोधित किया गया था और जीएसटी की वास्तविक प्राप्तियां संशोधित अनुमानों के अनुरूप थीं।

1.4 वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए क्षतिपूर्ति निधि लेखा प्रस्तुत न करना

माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों को लागू किए जाने की तिथि (1 जुलाई, 2017) से वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए पांच साल की अवधि के लिए या ऐसी अवधि के लिए जो जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित की जा सकती है के लिए अधिनियमित किया गया था। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत माल और सेवाओं पर लगाया जाता है। अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत उपकर लगाने और एकत्र करने की अवधि अधिसूचना संख्या 1/2022-क्षतिपूर्ति उपकर, दिनांक 24 जून 2022 के माध्यम से 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई थी।

अधिनियम की धारा 10(1) में यह निर्धारित किया गया है कि धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर की प्राप्तियां और ऐसी अन्य राशियां जिनकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, माल एवं सेवा कर प्रतिकर निधि (प्रतिकर निधि) नामक अव्यपगत निधि में जमा की जाएंगी जो भारत की लोक लेखा का हिस्सा बनेगी और उक्त धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाएगी।

अधिनियम की धारा 10(4) के अनुसार, क्षतिपूर्ति निधि से संबंधित लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जैसा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10(5) के

अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा इस संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित प्रतिकर निधि के लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

मार्च 2019 और मार्च 2020 को समाप्त वर्षों के लिए सीएजी के 2021 के प्रतिवेदन सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर- माल एवं सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) के पैराग्राफ संख्या 1.5 में लेखापरीक्षा ने सरकार द्वारा लेखापरीक्षा के लिए क्षतिपूर्ति निधि लेखाओं को प्रस्तुत न करने की ओर संकेत किया था।

उपरोक्त पैराग्राफ के उत्तर में, मंत्रालय ने सूचित किया (अप्रैल 2021) कि लेखा महानियंत्रक (सीजीए) सीएजी के परामर्श से क्षतिपूर्ति निधि खाते का खाका तैयार करेगा। मंत्रालय ने आगे कहा कि क्रेडिट और डेबिट प्रविष्टियों के साथ अनंतिम वर्ष-वार जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि लेखा, जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि लेखाओं की तैयारी और लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करने के लिए सीजीए को प्रस्तुत किया गया था।

सितंबर 2021 में, सीजीए ने सुझाव दिया कि जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि लेखाओं के लिए अलग-अलग लेखाओं की कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं है। चर्चा के बाद और प्रतिक्रिया में, लेखापरीक्षा ने वित्त लेखाओं के प्रासंगिक विवरण में एक नोट/अनुलग्नक शामिल करने का सुझाव दिया जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी शामिल हो जैसे कि प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को कितना क्षतिपूर्ति देय है, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को कितनी क्षतिपूर्ति दी गई है और शेष, यदि कोई हो, और वित्त लेखाओं के प्रासंगिक विवरण में एक नोट के रूप में शामिल करने के लिए एक नमूना प्रारूप का सुझाव दिया (जून 2022)। बाद में, मंत्रालय ने 2021 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 1 के पैरा संख्या 1.5 के अपने एटीएन में कहा (दिसंबर 2022) कि राजस्व विभाग ने जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि लेखाओं के नमूना प्रारूप पर अपनी "अनापत्ति" से अवगत कराया था। हालांकि, लेखापरीक्षा अभी भी जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (जून 2023) की धारा 10 (4) के अंतर्गत लेखापरीक्षा द्वारा सुझाए गए उचित प्रारूप में लेखापरीक्षा के लिए क्षतिपूर्ति निधि लेखाओं की तैयारी और उनके प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था।

परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा अभी भी अधिनियम की धारा 10 (4) द्वारा अनिवार्य 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्षों के संबंध में अपना वैधानिक लेखापरीक्षण उत्तरदायित्व निभाने में असमर्थ है।

मंत्रालय, लेखापरीक्षा के वित्त लेखाओं के विवरण में उपयुक्त टिप्पणी के सुझाव के मद्देनजर, क्षतिपूर्ति निधि लेखाओं को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने में तेजी लाए ताकि अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत लेखाओं की लेखापरीक्षा का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अधिदेश पूरा किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (मार्च 2023)। मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही थी (जनवरी 2024)।

1.5 निष्कर्ष

वि.व.21 की तुलना में वि.व.22 के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रह में ₹2,16,964 करोड़ (20 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अप्रत्यक्ष करों (वर्ष-दर-वर्ष) की वार्षिक वृद्धि में, जो वि.व.18 में 5.80 प्रतिशत से लगातार घटकर वि.व.20 में 1.76 प्रतिशत हो गई, वि.व.21 और वि.व.22 में वृद्धि देखी गई। इसके अलावा, वि.व.22 के दौरान अप्रत्यक्ष करों से जीडीपी अनुपात में वृद्धि हुई जब यह वि.व.22 में बढ़कर 5.47 प्रतिशत हो गया, जो वि.व.21 में 5.44 प्रतिशत था। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि मुख्य रूप से केंद्रीय जीएसटी राजस्व और सीमा शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई, जिसमें वि.व.22 के दौरान क्रमशः 27 प्रतिशत और 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वि.व.21 की तुलना में वि.व.22 के दौरान केंद्रीय जीएसटी राजस्व में 27.30 प्रतिशत (₹1,50,558 करोड़) की वृद्धि हुई। वि.व.22 के दौरान, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय जीएसटी राजस्व वि.व.21 में 2.79 प्रतिशत से बढ़कर 2.97 प्रतिशत हो गया। हालांकि, वि.व.22 के दौरान केंद्रीय जीएसटी राजस्व और जीडीपी अनुपात वि.व.19 में 3.08 प्रतिशत और वि.व.20 में 3.00 प्रतिशत के संगत आंकड़े से कम था।

जहां तक क्षतिपूर्ति निधि के लेखापरीक्षा का संबंध है, लेखापरीक्षा अभी भी जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 10 (4) के अंतर्गत उचित प्रारूप में लेखापरीक्षा के लिए क्षतिपूर्ति निधि लेखाओं को तैयार करने और प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था (अप्रैल 2023)। यह तब है जब लेखापरीक्षा ने वित्त लेखाओं में उपयुक्त विवरण के लिए क्षतिपूर्ति उपकर निधि लेखाओं के लिए एक नमूना प्रारूप का सुझाव दिया है।

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा समष्टि और लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

2.1 लेखापरीक्षा अधिदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 में यह प्रावधान है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) संघ और राज्यों तथा अन्य किसी प्राधिकार या निकाय, जो संसद द्वारा पारित किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत बनाई गई हैं, के लेखाओं के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत निर्धारित किए जाएं। संसद ने 1971 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम (सीएजी का डीपीसी अधिनियम) पारित किया। सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 16 सीएजी को भारत सरकार, सभी राज्य सरकारों और विधानपरिषद वाली सभी केंद्र शासित प्रदेशों की सभी प्राप्तियों के लेखापरीक्षा तथा स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि निर्धारण, संग्रहण और राजस्व के उचित आवंटन पर प्रभावी जांच को सुरक्षित करने के लिए नियम और प्रक्रियाएं बनाई गई हैं और उन्हें विधिवत देखा जा रहा है, के लिये अधिकृत करता है। लेखापरीक्षा और लेखों पर विनियम (संशोधन), 2020 प्राप्त लेखापरीक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित करते हैं।

2.1.1 प्रणालियों और प्रक्रियाओं की जाँच और उनकी प्रभावकारिता

प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में मुख्य रूप से निम्नलिखित के संबंध में प्रणालियों और प्रक्रियाओं तथा उनकी प्रभावकारिता की जांच करना शामिल है:

- क. संभावित कर निर्धारितियों की पहचान, नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ कर अपवंचन का पता लगाना और रोकथाम करना;
- ख. शास्ति लगाने और अभियोजन शुरू करने सहित उचित तरीके से विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करना;
- ग. अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त कार्रवाई;

- घ. राजस्व प्रशासन को मजबूत करने या सुधारने के लिए शुरू किए गए कोई भी उपाय;
- ड. राजस्व जो बकाया हो सकता है, बकाया के दस्तावेजों का अनुरक्षण और बकाया राशि की वसूली के लिए की गई कार्रवाई;
- च. उचित उद्यम के साथ दावों की जांच करना और यह सुनिश्चित करना कि पर्याप्त कारण और उचित प्राधिकरण को छोड़कर इन्हें त्याग दिया या घटाया न जाए।

2.1.2 अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा

अप्रत्यक्ष कर प्रणाली एक स्व-निर्धारण प्रणाली है जिसमें करदाता अपने स्वयं के कर विवरणी तैयार करते हैं और इसे विभाग को प्रस्तुत करते हैं। यह प्रणाली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 और विरासतीय कर अधिनियमों जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1994 सहित राजकोषीय कानूनों द्वारा निर्दिष्ट की गई है। अप्रत्यक्ष कर प्रशासन विवरणी संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा आदि के माध्यम से विवरणियों की जांच और निर्धारण करता है और करदाता द्वारा जमा किए गए कर की शुद्धता सुनिश्चित करता है।

अप्रत्यक्ष कर प्रशासन की प्रणालियों और प्रक्रियाओं की प्रभावोत्पादकता की जांच करने के लिए, लेखापरीक्षा बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और कार्यात्मक शाखाओं के अभिलेखों के साथ-साथ निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत विवरणी से संबंधित अभिलेखों की जांच करता है।

2.2 लेखापरीक्षा समष्टि

लेखापरीक्षा समष्टि में राजस्व विभाग, सीबीआईसी, इसके अधीनस्थ संगठन और क्षेत्रीय संरचनाएं शामिल हैं। सीबीआईसी की संगठनात्मक संरचना और विभागीय इकाइयों की संख्या पर इस प्रतिवेदन के पैरा 1.2 में चर्चा की गई है। सीबीआईसी और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की भूमिकाओं और कर्तव्यों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.2.1 सीबीआईसी

वित्त मंत्रालय में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, भारत संघ के अप्रत्यक्ष करों के उदग्रहण और संग्रहण के प्रशासन के लिए शीर्ष निकाय है। यह अप्रत्यक्ष करों के करारोपण व संग्रहण, तस्करी की रोकथाम और अप्रत्यक्ष करों और सीबीआईसी के क्षेत्रांगत नशीले पदार्थों के संदर्भ में प्रशासनिक मामलों के नीति निर्धारण का कार्य करता है। सीबीआईसी का एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं।

2.2.2 जोन

जोन प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में उच्चतम लेखापरीक्षा योग्य क्षेत्र संस्थाएं हैं। प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, जोन के सभी आयुक्तालयों के तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करते हैं। वे जोन में प्रत्येक आयुक्तालय द्वारा राजस्व संग्रह और अधिनियमों/नियमों और समय-समय पर जारी बोर्ड के अनुदेशों/दिशानिर्देशों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं।

2.2.3 आयुक्तालय

आयुक्तालयों को तीन श्रेणियों अर्थात् कार्यकारी आयुक्तालय, आयुक्तालय (लेखापरीक्षा) और आयुक्तालय (अपील) में विभाजित किया गया है।

कार्यकारी आयुक्तालयों का प्राथमिक कार्य केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, इन अधिनियमों और संसद के अन्य संबद्ध अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों जिनके अंतर्गत जीएसटी/केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया और एकत्र किया जाता है को लागू करना है। प्रशासनिक रूप से, प्रत्येक आयुक्तालय एक त्रिस्तरीय सेट-अप है जिसके शीर्ष पर मुख्यालय है, दूसरे स्तर पर चार से छह प्रभाग हैं और तीसरे और अंतिम स्तर पर प्रत्येक प्रभाग के अंतर्गत औसतन चार से सात रेंज हैं।

प्रत्येक क्षेत्र में, आयुक्त (लेखापरीक्षा) की अध्यक्षता में एक या अधिक लेखापरीक्षा आयुक्तालय हो सकते हैं। लेखापरीक्षा आयुक्तालय का मुख्य कार्य अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले करदाताओं की आंतरिक लेखापरीक्षा करना,

निगरानी समिति की बैठकें आयोजित करना, निर्धारितियों के विरुद्ध मामलों को आगे बढ़ाने में कार्यकारी आयुक्तालयों की सहायता करना आदि है।

आयुक्त (अपील) एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है और आयुक्त के रैंक के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित अधिनिर्णयन आदेशों के संबंध में अपील पर आदेश पारित करता है।

2.2.4 प्रभाग

प्रत्येक कार्यकारी आयुक्तालय में चार से छह प्रभाग होते हैं जिनकी अध्यक्षता एक उप/सहायक आयुक्त करता है। प्रभाग प्रमुख अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कानूनों और प्रक्रियाओं के उचित अनुपालन के लिए उत्तरदायी हैं। वे अंतरिम मूल्यांकन, प्रतिदाय दावों की मंजूरी और अर्ध-न्यायिक कार्यों अर्थात् उनकी क्षमता के अंतर्गत आने वाले मामलों का अधिनिर्णयन के निष्पादन के लिए भी जिम्मेदार हैं।

2.2.5 रैंज

प्रत्येक प्रभाग में औसतन चार से सात रैंज होती हैं। रैंज, एक अधीक्षक की अध्यक्षता में, व्यापार व उद्योग और विभाग के बीच संपर्क का पहला कार्यालय है। कर निर्धारण की संवीक्षा रैंज द्वारा कर निर्धारितियों द्वारा फाइल निर्धारित विवरणियों के आधार पर की जाती है। मूल्यांकन कार्य के अलावा, रैंज के अधिकारी करदाताओं द्वारा दाखिल किये गये वैधानिक घोषणाओं की शुद्धता की भी जांच करते हैं।

2.3 लेखापरीक्षा नमूना, लेखापरीक्षा प्रयास और लेखापरीक्षा उत्पाद

वर्ष 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा को अखिल भारतीय डेटा और सीबीआईसी के बैक-एंड सिस्टम तक पहुँच प्रदान की गई थी। इससे लेखापरीक्षा को जीएसटी के संबंध में इकाई स्तर (रैंज/प्रभागों) पर सामान्य जोखिम निर्धारण से अधिक व्यापक विषय वस्तु जोखिम निर्धारण में बदलने में सुविधा हुई। तदनुसार, 2021-22 के दौरान, लेखापरीक्षा के महानिदेशक (डीजी)/प्रधान निदेशकों (पीडी) की अध्यक्षता में नौ क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों ने जीएसटी भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी का विषय विशिष्ट अनुपालन

लेखापरीक्षा किया ताकि यह आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि करदाता नियमित रूप से अपना रिटर्न फाइल करते हैं और अपनी कर देयता एवं अन्य अनिवार्य दायित्वों का ठीक से निर्वहन करके जीएसटी कानून का पालन करते हैं। लेखापरीक्षा ने ₹2,813.62 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाले 2,264 अनुपालन विचलन प्राप्त किए। जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रतिवेदन के अध्याय IV में शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, परिवर्ती क्रेडिट दावों की पूरक लेखापरीक्षा की गई जो उन दावों तक सीमित थी जो 2020-21 के दौरान किये गये और 2022 की सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 (अप्रत्यक्ष कर: माल एवं सेवा कर) के अध्याय VI में प्रतिवेदित किये गये परिवर्ती क्रेडिट दावों की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न किये गये/आंशिक रूप से प्रस्तुत किये गये दावों में से लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये। लेखापरीक्षा 954 दावों, जो इससे पूर्व वर्ष 2022 की सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 (अप्रत्यक्ष कर: माल एवं सेवा कर) में 'प्रस्तुत न किए गए' के रूप में उल्लिखित थे, में से 354 दावों की पूर्ण रूप से जांच कर सका जिसमें ₹ 2,588.88 करोड़ का परिवर्ती क्रेडिट शामिल था। लेखापरीक्षा ने ₹55.15 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाले 188 अनुपालन विचलन पाए। परिवर्ती क्रेडिटों से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर इस प्रतिवेदन के अध्याय V में चर्चा की गई है।

इसके अलावा, 2022-23 के दौरान, जीएसटीएन डेटा की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए जीएसटी डेटा की विश्वसनीयता पर एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या मंत्रालय/जीएसटीएन ने जीएसटीएन डेटा विसंगतियों के मुद्दे को, जैसा कि सीएजी की वर्ष 2022 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 में लेखापरीक्षा द्वारा प्रतिवेदन किया गया है, संबोधित किया है; लेखापरीक्षा ने वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए केंद्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 8.66 लाख संयोजित उदग्रहण करदाताओं से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण भी किया। इन आंकड़ों के विश्लेषण के निष्कर्ष इस प्रतिवेदन के अध्याय VI और VII में दिए गए हैं।

जीएसटी के अंतर्गत अप्रत्यक्ष कर प्रशासन, राजस्व प्रवृत्तियों और अनुपालन सत्यापन तंत्र के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को इस प्रतिवेदन के अध्याय I और अध्याय III में शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने माल एवं सेवा कर लेखापरीक्षा से संबंधित ₹6.63 करोड़ के धन मूल्य वाले नौ पैराग्राफ भी जारी किए थे। इन लेखापरीक्षा निष्कर्षों को 2021-22 से पहले की अवधि के दौरान देखा गया था। इन नौ लेखापरीक्षा पैराग्राफों का विवरण परिशिष्ट-II में दिया गया है।

2.4 पिछले सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

पिछले चार वर्षों में (वि.व.22 को छोड़कर), हमने केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और माल एवं सेवा कर से संबंधित 866 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए थे, जिसमें ₹3,907.49 करोड़ की राशि शामिल थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण तालिका 2.1 में शामिल किया गया है।

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

(₹ करोड़ में)

वर्ष		वि व 17	वि व 18	वि व 19 और वि व 20	वि व 21	कुल
पैराग्राफ/एसएससीए जो शामिल किये गये	सं.	300	239	297	30	866
	राशि	1,018.79	401.26	1,236.26	1,251.18	3,907.49
स्वीकार किए गए पैराग्राफ	सं. 28.02.2023 तक	269	216	205	28	718
	राशि	548.56	200.39	1,101.12	757.69	2,607.76
प्रभावित वसूलियाँ	सं. 28.02.2023 तक	160	116	107	14	397
	राशि	372.15	58.37	43.24	168.16	641.92

मंत्रालय ने ₹2,607.76 करोड़ के धन मूल्य वाले 718 लेखापरीक्षा पैराग्राफ की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्वीकार की थीं और 397 लेखापरीक्षा पैराओं के संबंध में ₹641.92 करोड़ की वसूली की थी।

2.5 इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया

हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पहले मंत्रालय को जारी की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए छह सप्ताह का समय

दिया था। हमने इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ₹2,868.77 करोड़ की राशि वाली दो विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) प्रतिवेदनों को शामिल किया है। मंत्रालय ने जीएसटी भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी के एसएससीए के संबंध में ₹ 2,201.42 करोड़ की राशि वाले 1,523 मामलों में अभ्युक्तियों को स्वीकार किया या जांच शुरू की और लेखापरीक्षा के आग्रह पर 355 मामलों में ₹ 78.43 करोड़ की वसूली की सूचना दी। परिवर्ती क्रेडिट संबंधी पूरक एसएससीए के संबंध में, मंत्रालय ने 128 मामलों में ₹ 44.70 करोड़ की राशि की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया है और लेखापरीक्षा के कहने पर 48 मामलों में ₹ 3.65 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

हमने नौ ड्राफ्ट पैराग्राफ (₹ 6.63 करोड़ की राशि वाले) भी शामिल किए हैं, जिन्हें 2021-22 से पहले देखा गया था। मंत्रालय ने सभी मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है।

हमने मंत्रालय को जीएसटी डेटा गुणवत्ता और संयोजित उदग्रहण योजना पर डेटा विश्लेषण निष्कर्ष भी जारी किए हैं। जीएसटी डेटा गुणवत्ता (जनवरी 2024) पर एसएससीए पर मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही थी।

उपरोक्त के अलावा, हमने जीएसटी के अंतर्गत अनुपालन सत्यापन तंत्र, अप्रत्यक्ष कर प्रशासन और जीएसटी के अंतर्गत राजस्व रुझानों से संबंधित 11 मसौदा पैराग्राफ जारी किए। दो ड्राफ्ट पैराग्राफ (जनवरी 2024) के संबंध में मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही थी।

अध्याय III: जीएसटी के अंतर्गत अनुपालन सत्यापन तंत्र की प्रभावशीलता

केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 59 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति कर अवधि के दौरान की गई आपूर्ति पर देय कर का स्व-मूल्यांकन करेगा और प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी फाइल करेगा। इसलिए, जीएसटी केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वैट और सेवा कर की तरह स्व-मूल्यांकन को बढ़ावा देना जारी रखता है।

स्व-निर्धारण की शुरुआत ने एक प्रभावी कर अनुपालन सत्यापन तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस तरह के तंत्र में आमतौर पर तीन महत्वपूर्ण घटक होते हैं- विवरणियों की संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा और अपवंचन रोधी कार्य। यह अध्याय सरलीकृत जीएसटी रिटर्न तंत्र के कार्यान्वयन की स्थिति और उपरोक्त अनुपालन सत्यापन तंत्र और अपील मामलों की निगरानी के संबंध में विभाग के निष्पादन को सामने लाता है।

3.1 सरलीकृत विवरणी तंत्र के कार्यान्वयन की स्थिति

सीएजी की पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों²¹ में, लेखापरीक्षा ने सिफारिश की थी कि सरलीकृत रिटर्न प्रपत्रों को लागू करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जाए और उसे लागू किया जाए क्योंकि बार-बार स्थगन के परिणामस्वरूप विवरणी दाखिल करने की प्रणाली के स्थिरीकरण में विलंब हो रहा था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने "बीजक मिलान" के माध्यम से इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के प्रणाली-सत्यापित प्रवाह की सिफारिश की थी और यह कि मंत्रालय सरकारी राजस्व की सुरक्षा में कर कार्यालयों द्वारा कार्योत्तर हस्तक्षेप पर भरोसा करने के बजाय मूल रूप से परिकल्पित विवरणी प्रपत्रों में प्रणालियों के माध्यम से लागू निवारक नियंत्रणों पर अधिक भरोसा करे।

लेखापरीक्षा ने माल एवं सेवा कर विवरणी तंत्र के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा की।

²¹ 2021 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 और 2022 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 5।

मूल विवरणी प्रपत्र "बीजक-मिलान" पर आधारित थे, जिसे जीएसटीआर 1, 2 और 3 रिटर्न के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाना था, जहां आपूर्तिकर्ता जीएसटीआर-1 के माध्यम से महीने के दौरान उनके द्वारा की गई बाहरी आपूर्ति का बीजक-वार विवरण दाखिल करते। जीएसटीआर-1 में आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत बाहरी आपूर्ति का विवरण सिस्टम-सत्यापित इनपुट कर क्रेडिट के रूप में फॉर्म जीएसटीआर-2ए के माध्यम से पंजीकृत प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना था। इसके बाद फॉर्म जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध विवरण के आधार पर करदाता को अन्य आवक आपूर्ति का विवरण शामिल करने के बाद जीएसटीआर-2 फॉर्म प्रस्तुत करना था। जीएसटीआर-3 को जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 से स्वतः सृजित किया जाना था, जबकि करदाता को जीएसटीआर-3 फाइल करते समय इलेक्ट्रॉनिक नकद बही से किए गए प्रतिदाय, कर, ब्याज, शास्ति की देनदारी के निर्वहन और इलेक्ट्रॉनिक नगद/साख बही में डेबिट प्रविष्टियों का विवरण शामिल करना था।

हालाँकि, अपरिपक्व जीएसटी परितंत्र और विवरणी प्रपत्रों की जटिलता के कारण, मूल रूप से परिकल्पित प्रमुख रिटर्न, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 को स्थगित रखा गया था और एक नया सरल अस्थायी विवरणी, जीएसटीआर-3बी, शुरू में दो महीने के लिए आरंभ की गई थी।

मिलान किए गए बीजकों के आधार पर मूल रूप से परिकल्पित प्रणाली द्वारा उत्पन्न जीएसटीआर-3 रिटर्न के बजाय जीएसटीआर-3बी एक स्व-मूल्यांकित सारांश विवरणी थी। जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 को स्थगित रखने के परिणामस्वरूप, आईटीसी और मासिक रिटर्न अब सिस्टम-सत्यापित विवरणों पर आधारित नहीं थे, जैसा कि मूल रूप से कल्पना की गई थी। जीएसटीआर-3बी की अन्य सीमाएं बाहरी आपूर्ति और उत्क्रमी प्रभार को आकर्षित करने वाली आंतरिक आपूर्ति में संशोधन का प्रावधान न होना, और संशोधनों के कारण आईटीसी के साथ उपलब्ध आईटीसी के मद-वार विवरण को प्राप्त न करना था। इसके अलावा, जीएसटीआर-3बी ने अंतर-राज्य आपूर्ति और अंतरा-राज्य आपूर्ति के बीच उत्क्रमी प्रभार को आकर्षित करने वाली बाहरी और आवक आपूर्ति में अंतर नहीं किया, जिसने एकीकृत जीएसटी के निपटान को एक जटिल प्रक्रिया बना दिया।

इसके बाद, जीएसटी परिषद की 28वीं बैठक (जुलाई 2018) में 'बीजक-मिलान' पर आधारित एक नई रिटर्न प्रणाली (एएनएक्स-1/एएनएक्स-11 और आरईटी-01) की परिकल्पना की गई थी। सीजीएसटी संशोधन अधिनियम, 2018 के माध्यम से सीजीएसटी अधिनियम में रिटर्न प्रस्तुत करने और आरईटीसी का लाभ उठाने की प्रक्रिया पर धारा 43ए भी शामिल की गई थी। मई 2019 में, करदाताओं को नए रिटर्न फॉर्म का स्वरूप और अनुभव देने के लिए जीएसटी पोर्टल पर ऑफ़लाइन टूल का एक प्रोटोटाइप साझा किया गया था और जुलाई 2019 से, करदाता परिचितीकरण के लिए परीक्षण के आधार पर बीजक अपलोड करने में सक्षम थे। प्रस्तावित नई विवरणी प्रणाली की कुछ विशेषताएँ आपूर्तिकर्ता द्वारा निरंतर बीजकों को अपलोड व देखने की सुविधा व प्राप्तकर्ता द्वारा, विवरणी दाखिल करने से पहले, बीजक को कर भुगतान की स्थिति के साथ देखने की सुविधा प्रदान करना था। हालाँकि, धारा 43ए को अधिसूचित नहीं किया गया था और इस प्रकार, एक नई रिटर्न प्रणाली शुरू नहीं की थी।

जीएसटी परिषद ने अपनी 42वीं बैठक (अक्टूबर 2020) में नई रिटर्न प्रणाली शुरू करने के बजाय मौजूदा जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी प्रणाली में नई रिटर्न प्रणाली की विशेषताओं को शामिल करने का निर्णय लिया। परिवर्तनों ने करदाता को कर भुगतान की नियत तारीख से पहले सभी स्रोतों यानी घरेलू आपूर्ति, आयात और रिवर्स चार्ज पर भुगतान आदि से अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध आरईटीसी देखने की अनुमति दी, और तंत्र को वर्तमान प्रचलित जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-3बी योजना में करदाता और उसके सभी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दाखिल किए गए डेटा के माध्यम से रिटर्न (जीएसटीआर -3बी) को स्वतः भरने में सक्षम बनाया।

जबकि जीएसटी रिटर्न प्रणाली में हाल के बदलावों से कुछ सीमाओं को हटाने की दिशा में प्रयास किया गया था, मौजूदा जीएसटीआर-3बी में अभी भी कमियाँ हैं और इसमें सुधार की जरूरत है। जीएसटीआर-3बी में बाह्य आपूर्ति, उत्क्रमी प्रभार वाली इनपुट आपूर्ति और पिछली अवधि के आरईटीसी में संशोधनों को उल्लेखित करने के लिए संशोधन तालिकाएं; आरईटीसी के निरसन और पुनः दावा की गई आरईटीसी को, आरईजीएसटी राजस्व के निपटान को व्यवस्थित बनाने के लिए, पंक्तिवार दिखाने के लिए जीएसटीआर-3बी की तालिका 4 में

संशोधन; और जीएसटीआर-3बी की तालिका 3 में संशोधन जिससे कुछ विशिष्ट पंक्तियों में जीएसटीआर-1 की राशियों का जीएसटीआर-3बी में स्वतः भरण हो सके की आवश्यकता है।

जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक (जून 2022) में, आईजीएसटी निपटान और आईटीसी निरासन से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए गठित अधिकारियों की एक उप-समिति ने इन मुद्दों के समाधान के लिए जीएसटीआर-3बी में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव रखा। जीएसटी परिषद ने सिफारिश की कि जीएसटीआर-3बी में व्यापक बदलाव के प्रस्ताव को हितधारकों के विचार/सुझाव मांगने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए और सुझावों को समयबद्ध तरीके से मंजूरी के लिए जीएसटी परिषद के समक्ष लाया जाए। तदनुसार, बोर्ड ने जीएसटीआर-3बी (जुलाई 2022) में प्रस्तावित बदलावों पर हितधारकों से सुझाव मांगे थे। प्रस्तावित परिवर्तनों पर हितधारकों के सुझाव जनवरी 2023 तक जीएसटी परिषद को प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालय के विचाराधीन थे।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (मई 2023) कि फॉर्म जीएसटीआर-3बी में बदलाव के संबंध में हितधारकों से प्राप्त सुझावों की जीएसटी परिषद की कानून समिति द्वारा जांच की जा रही थी।

सरकार, हितधारकों के सुझावों पर विचार करने के बाद, जीएसटीआर-3बी में संशोधन तालिकाओं, पंक्तिवार आईटीसी निरासन को उल्लेखित करने के लिए जीएसटीआर-3बी की तालिका 4 में संशोधन, और जीएसटीआर-3बी की विशिष्ट पंक्तियों में जीएसटीआर-1 से जीएसटीआर-3 बी में राशियों की स्वतः भरण की अनुमति देने दे, जैसा कि आईजीएसटी निपटान और आईटीसी निरासन से संबंधित मुद्दों पर अधिकारियों की उप-समिति द्वारा सिफारिश की गई है, से संबंधित अपेक्षित परिवर्तनों को समयबद्ध तरीके से लागू करे ताकि मौजूदा विवरणी प्रणाली में कमियों को शीघ्रतापूर्वक दूर किया जा सके।

3.2 जीएसटी के अंतर्गत विवरणियों की संविक्षा

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी विवरणी और सूचना की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विवरणों की संवीक्षा कर सकता

है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 99 के तहत यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो उसके बारे में करदाता को स्पष्टीकरण के लिए सूचित किया जाए। यदि प्रस्तावित स्पष्टीकरण सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य पाया जाता है, तो कार्यवाही छोड़ दी जाएगी, करदाता को सूचित किया जाएगा और मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि, हालांकि, करदाता

- सूचित किए जाने के 30 दिनों के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है (सक्षम अधिकारी द्वारा विस्तारित), या
- अपनी विवरणी में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करता है जिसमें विसंगति स्वीकार की जाती है,

सक्षम अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के तहत कर देयता का निर्धारण करने के लिए अधिनिर्णयन कार्यवाही सहित उचित कार्रवाई शुरू कर सकता है।

सीएजी की पिछली लेखापरीक्षा 2022 की प्रतिवेदन सं. 5 में, लेखापरीक्षा ने देखा था कि जीएसटी विवरणियों की संवीक्षा, विभाग का एक महत्वपूर्ण अनुपालन सत्यापन कार्य, जीएसटी कार्यान्वयन के चार साल से अधिक समय के बाद भी प्रभावी ढंग से शुरू नहीं किया गया था। तदनुसार, लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि विवरणियों की जांच के लिए एक प्रभावी जोखिम आधारित मानकीकृत प्रणाली (विस्तृत अनुदेशों/मानक प्रचालन प्रक्रिया के साथ) को शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि इससे पहले कि मामलें काल बाधित हो जाए विभाग के पास कानून के अनुसार अनुपालन न करने वाले करदाताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त समय हो। इस तरह की संवीक्षा में रिटर्न का जोखिम-आधारित चयन शामिल होना चाहिए, और जांच के परिणामों (आयकर के संबंध में जांच आकलन के समान) को भी सीबीआईसी-जीएसटी प्रणाली के माध्यम से वास्तविक समय में प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो और मनमानेपन को कम किया जा सके।

2022-23 के दौरान, लेखापरीक्षा ने रिटर्न की जांच के संबंध में आगे की प्रगति की जांच की। लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

3.2.1. सूचना को प्रस्तुत न करना

सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 99 के अनुसार, जहां किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किसी भी विवरणी को संवीक्षा के लिए चुना जाता है, उचित अधिकारी उसके पास उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में धारा 61 के प्रावधानों के अनुसार इसकी जांच करेगा, और किसी भी विसंगति के मामले में, वह उक्त व्यक्ति को इस तरह की विसंगति के बारे में सूचित करते हुए ऐसी अवधि के भीतर उसका स्पष्टीकरण मांगते हुए, जो नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिनों से अधिक न हो या ऐसी आगे की अवधि जो उसके द्वारा अनुमत हो और जहां तक संभव हो, कर, ब्याज की राशि की मात्रा एवं ऐसी विसंगति के संबंध में देय कोई अन्य राशि निर्धारित करते हुए फॉर्म जीएसटी एएसएमटी-10 में नोटिस जारी करेगा।

पंजीकृत व्यक्ति उप-नियम (1) के तहत जारी नोटिस में उल्लिखित विसंगति को स्वीकार कर सकता है, और कर, ब्याज और ऐसी विसंगति से उत्पन्न होने वाली किसी भी अन्य राशि का भुगतान कर सकता है और उसे सूचित कर सकता है या फॉर्म जीएसटी एएसएमटी -11 में विसंगति के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है।

जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या उप-नियम (2) के तहत प्रस्तुत की गई जानकारी स्वीकार्य पाई जाती है, सक्षम अधिकारी उसे तदनुसार फॉर्म जीएसटी एएसएमटी -12 में सूचित करेगा।

लेखापरीक्षा ने सीबीआईसी (नवंबर 2022) से वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 (जीएसटीएन या सीबीआईसी परिसर में) के लिए विभागीय कार्यालयों द्वारा जारी/प्राप्त एएसएमटी-10, एएसएमटी-11 और एएसएमटी-12 का विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया ताकि विभाग के विवरणी संवीक्षा कार्य की लेखापरीक्षा योजना बनाई जा सके और लेखापरीक्षा की जा सके। हालाँकि, इसे अभी तक लेखापरीक्षा (मार्च 2023) को प्रदान नहीं किया गया था।

वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए विभागीय कार्यालयों द्वारा जारी-प्राप्त एएसएमटी/10, एएसएमटी-11 और एएसएमटी-12 के संबंध में

विस्तृत जानकारी के अभाव में, लेखापरीक्षा विभाग के संवीक्षा सत्यापन तंत्र की प्रभावकारिता की जांच नहीं कर सका।

मंत्रालय विभागीय कार्यालयों द्वारा वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए जारी/प्राप्त एसएमटी-10, एसएमटी-11 और एसएमटी-12 का विवरण बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराए ताकि विभाग के एक महत्वपूर्ण अनुपालन सत्यापन कार्य का लेखापरीक्षा द्वारा मूल्यांकन किया जा सके।

इसे इंगित किए जाने पर (फरवरी 2023), मंत्रालय ने कहा (जून 2023) कि वर्ष 2018-19 के लिए एसएमटी-10, एसएमटी-11 और एसएमटी-12 से संबंधित सूक्ष्म डेटा सीबीआईसी - बैंक एंड एप्लिकेशन में उपलब्ध नहीं था क्योंकि रिटर्न की जांच के लिए कार्यक्षमता केवल मई 2023 में विकसित की गई थी। हालांकि, एसएमटी-10, एसएमटी-11 और एसएमटी-12 से संबंधित जानकारी नियत समय में लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

3.2.2. विवरणियों की संवीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

बोर्ड ने मार्च 2022 में वित्त वर्ष 2017 और वित्त वर्ष 18 के विवरणियों की संवीक्षा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त एसओपी एक अंतरिम उपाय के रूप में जारी किया गया था क्योंकि रिटर्न की ऑनलाइन जांच के लिए स्कूटनी मॉड्यूल विभाग के बैंक-एंड आईटी एप्लिकेशन यानी सीबीआईसी-जीएसटी एप्लिकेशन पर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

मंत्रालय ने सूचित²² किया (दिसंबर 2022) कि सीबीआईसी बैंक एंड एप्लिकेशन में रिटर्न की जांच को सक्षम करने के लिए कार्यक्षमता अर्थात 'जोखिम-आधारित चयनात्मकता प्रणाली' विकसित की जा रही थी।

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) की रिपोर्टों से प्राप्त जानकारी और पूर्व की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर जोखिम मानदंडों की आवधिक समीक्षा के साथ जोखिम आधारित संवीक्षा मॉड्यूल को शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वित किया जाए

²² वर्ष 2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 5 के पैरा 3.2 पर की गई कार्रवाई नोट में।

ताकि पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और विभाग के संवीक्षा कार्य का सुदृढ़ निरीक्षण और निगरानी की जा सके।

जब बताया गया (फरवरी 2023), मंत्रालय ने कहा (जून 2023) कि जोखिम आधारित चयनात्मकता प्रणाली (आरएसएस) का भाग-1, जो जोखिम कारक निर्माण, जोखिम नियम निर्माण और जांच के लिए रिटर्न के जोखिम आधारित चयन का प्रावधान करता है, प्रक्रिया में है और जल्द ही उपयोग के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। आरएसएस का भाग-2, जो करदाताओं के साथ पारस्परित विचार विमर्श करके, यानी एसएमटी -10 में करदाताओं को नोटिस जारी करना, एसएमटी -11 में करदाता के जवाब की प्राप्ति और एसएमटी -12 में जवाब की स्वीकृति का आदेश, विवरणियों की संवीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए एक डैशबोर्ड और वर्कफ़्लो प्रदान करता है, प्रस्तुत किया जा चुका है।

अतः जोखिम-आधारित संवीक्षा मॉड्यूल को अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था क्योंकि जोखिम कारक निर्माण, जोखिम नियम निर्माण और संवीक्षा के लिए रिटर्न के जोखिम आधारित चयन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्षमता को अभी तक लागू नहीं किया गया था (जून 2023)।

3.2.3 वि.व.18 और वि.व.19 के लिए विवरणियों की संवीक्षा की प्रगति।

लेखापरीक्षा ने वित्त वर्ष 18 और वित्त वर्ष 19 के लिए रिटर्न की संवीक्षा के लिए रिपोर्टिंग और निगरानी तंत्र की जांच की, जैसा कि मार्च 2022 के एसओपी में प्रदान किया गया है। लेखापरीक्षा ने एसओपी से पाया कि विश्लेषिकी एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) केंद्रीय कर प्राधिकरणों के पास पंजीकृत जीएसटीआईएन का चयन विशिष्ट जोखिम मानकों के आधार पर करता है और डीडीएम²³ पोर्टल के माध्यम से समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालयों को इसकी सूचना देता है। इसके बाद, सक्षम अधिकारी महीने के भीतर एसएमटी -10 में विसंगति की सूचना देने के लिए नोटिस जारी करता है। क्षेत्रीय कार्यालय एसएमटी-10 जारी होने के 60 दिनों के भीतर एसएमटी-12 जारी करके या सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 या धारा 74, धारा 65, धारा 66 या धारा 67 के तहत एसएमटी-10 जारी होने के 45 दिनों से 60 दिनों के

²³ डेटा प्रबंधन निदेशालय (डीडीएम)

भीतर उचित कार्रवाई शुरू करके जांच प्रक्रिया पूरी करते हैं। अतः क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विवरणियों की संवीक्षा का कार्य संवीक्षा अनुसूची प्राप्त होने के अधिकतम 90 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022 की अवधि के लिए मासिक जांच प्रगति रिपोर्ट की जांच की। विभाग द्वारा विवरणियों की संवीक्षा की मासिक प्रगति तालिका 3.1 में दी गई है।

तालिका 3.1: विवरणियों की संवीक्षा की मासिक प्रगति

माह	प्रारंभिक शेष	जांच के लिए आवंटित नए मामले		जारी किए गए एएसएमटी-10		जिन मामलों की जांच पूरी हो चुकी है		अंत शेष
		माह के दौरान	माह तक	माह के दौरान	माह तक	माह के दौरान	माह तक	
अप्रैल-22	0	3,923	3,923	2,359	2,359	124	124	3,799
मई-22	3,799	9,298	13,221	7,666	10,025	445	569	12,652
जून-22	12,652	10,023	23,244	9,866	19,891	1,759	2,328	20,916
जुलाई-22	20,916	5,694	28,938	5,353	25,244	2,904	5,232	23,706
अगस्त-22	23,706	2,569	31,507	2,833	28,077	3,268	8,500	23,007
सितम्बर-22	23,007	1,087	32,594	1,373	29,450	3,035	11,535	21,059
अक्टूबर-22	21,059	492	33,086	892	30,342	3,083	14,618	18,468

स्रोत: विभाग की मासिक संवीक्षा प्रगति रिपोर्ट।

उपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है कि 31 अक्टूबर 2022 तक 18,468 संवीक्षा मामले लंबित थे। विस्तृत आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा संवीक्षा मामलों को पूरा करने में हुए 90 दिनों से अधिक विलंब की सही सीमा का पता नहीं लगा सकी। हालांकि, तीन महीने की अवधि यानी अगस्त 2022 से अक्टूबर 2022 के दौरान प्राप्त 4,148 मामलों को हटाने के बाद, 31 अक्टूबर 2022 तक कम से कम 14,320 मामलों के निपटान में विलंब हुआ।

इस संबंध में, यह उल्लेख करना उचित है कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 में यह प्रावधान है कि जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर क्रेडिट को गलती से लिया गया

है या कपट या कर अपवंचन के लिए जानबूझ कर कोई मिथ्या कथन करने या तथ्यों को छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट या कर अपवंचन के लिए जानबूझ कर कोई मिथ्या कथन करने या तथ्यों को छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को कारण बताने के लिए सूचना कि तामील करेगा कि क्यों वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति का संदाय न करे। सक्षम अधिकारी उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन साल²⁴ के भीतर आदेश जारी करेगा, जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है, या जो गलत प्रतिदाय की तारीख से तीन साल के भीतर से संबंधित है।

वि.व.18 और वि.व.19 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख क्रमशः 5/7 फरवरी 2020 और 31 दिसंबर 2020 थी। इसलिए, सक्षम प्राधिकारी को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 (10) के अंतर्गत वि.व.18 और वित्त वर्ष 19 के लिए बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली के लिए जहां आवश्यक था, क्रमशः जून 2023²⁵ और सितंबर 2023 तक, मामलों को काल बाधित होने से पूर्व, कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करने की आवश्यकता थी।

अतः लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग निर्धारित समय-सीमा के भीतर संवीक्षा को पूरा करना सुनिश्चित करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मांगें, यदि कोई हों, काल बाधित न हों।

²⁴ सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत कर चोरी करने के लिए किसी भी जानबूझकर-मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के मामलों में पांच साल।

²⁵ बोर्ड ने 2017-18 की कर अवधि के संबंध में गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग किए गए कर की वसूली के लिए आदेश की धारा 73 की उप-धारा (10) के तहत निर्दिष्ट समय सीमा को 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया है।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (फरवरी 2023), मंत्रालय ने (जून 2023) को करदाताओं द्वारा मांगे गए अतिरिक्त समय और एसएमटी-11 दाखिल करने में विलंब, सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी, जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के मिलान में लगने वाले समय जैसे विभिन्न कारकों को 90 दिनों के भीतर रिटर्न की जांच प्रक्रिया को पूरा न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। मंत्रालय ने आगे कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि जांच निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मांगें, यदि कोई हों, समय-वर्जित न हों।

3.3 जीएसटी के अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा

3.3.1 जीएसटी इकाइयों का आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा²⁶ माल एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के परिप्रेक्ष्य में करदाताओं द्वारा अनुपालन के स्तर का आकलन करने में मदद करती है। बोर्ड ने जुलाई 2019 में माल एवं सेवा कर लेखापरीक्षा मैनुअल (जीएसटीएएम) के रूप में आंतरिक लेखापरीक्षा करने के बारे में विस्तृत निर्देश जारी किया था। विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रावधानों में जीएसटी डेटा का उपयोग करके जोखिम मूल्यांकन के आधार पर करदाताओं के चयन की परिकल्पना की गई है, जो विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशक (डीजीएआरएम) द्वारा किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के संबंध में जुलाई से जून तक और माल एवं सेवा कर के संबंध में अप्रैल से मार्च तक है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (13) "लेखापरीक्षा" से घोषित आवर्त, संदत्त करों, दावाकृत प्रतिदाय और उपभोग किए गए इनपुट कर क्रेडिट की शुद्धता को और उसके द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए नियमों के उपबंधों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा बनाए गए या प्रस्तुत किए गए अभिलेखों, विवरणियों या अन्य दस्तावेजों की परीक्षा से अभिप्रेत है।

²⁶ सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65।

3.3.1.1 सूचना/अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग का एक महत्वपूर्ण निरीक्षण कार्य है। सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के तहत स्वतंत्र बाहरी लेखापरीक्षकों के रूप में सीएजी की भूमिका में, प्रणालीगत सुधारों का सुझाव देने के लिए विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों का मूल्यांकन, सम्मिलित है।

सीबीआईसी वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अंतर्गत लेखापरीक्षा महानिदेशालय (डीजी ऑडिट), अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालयों²⁷ में आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित निष्पादन और लंबित मामलों की निगरानी; प्रमुख लेखापरीक्षा रिपोर्टों की नमूना समीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा गुणवत्ता आश्वासन का आकलन करने और सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने; लेखापरीक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने और देश भर में लेखा परीक्षा प्रणाली में एकरूपता लाने के लिए मानक और मानदंड निर्धारित करने; एवं अखिल भारतीय, आंचलिक और आयुक्तालय स्तर पर महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों/बिन्दुओं से संबंधित देय राशियों की वसूली सहित अनुपालन के स्तर का अध्ययन करने के लिए उत्तरदायी है।

इसके अलावा, जीएसटी लेखापरीक्षा मैनुअल, 2019 (जीएसटीएएम) आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों/करदाताओं के चयन की विधि प्रदान करता है। इसमें प्रावधान है कि पंजीकृत व्यक्तियों का चयन विश्लेषिकी एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) के परामर्श से महानिदेशक (लेखापरीक्षा) द्वारा निर्धारित जोखिम मूल्यांकन पद्धति के आधार पर किया जाएगा। जोखिम पद्धति के आधार पर, डीजीएआरएम/डीजी (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षा आयुक्तालयों को इकाइयों की एक सूची भेजी जाती है ताकि लेखापरीक्षा वर्ष के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की जा सके। लेखापरीक्षा आयुक्त स्थानीय जोखिम अवधारणाओं और मापदंडों के संदर्भ में सूची की समीक्षा करने के बाद किसी विशेष वर्ष में लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाइयों का चयन कर सकते हैं। तथापि, एक वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षा किए जाने वाले कुल करदाताओं में

²⁷ कार्य-पत्र में प्रदान किए गए महानिदेशक (लेखा परीक्षा) के कार्यात्मक दायित्वों के अनुसार

से केवल 20 प्रतिशत का चयन स्थानीय जोखिम कारकों के आधार पर लेखापरीक्षा आयुक्तालयों द्वारा किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने (जनवरी 2021, अक्टूबर 2021, नवंबर 2022), महानिदेशक (लेखापरीक्षा) से 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान नियोजित और लेखापरीक्षा की गई इकाइयों का अखिल भारतीय आयुक्तालय वार और करदातावार विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया। हालांकि, महानिदेशक (लेखापरीक्षा) ने सूचित किया (अगस्त 2020, फरवरी 2021) कि उपरोक्त जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं थी और डीजीएआरएम जोखिम वाले करदाताओं की एक सूची तैयार करता है और इसे सीधे संबंधित लेखापरीक्षा आयोगों को भेजता है। महानिदेशक (लेखापरीक्षा) ने आगे सूचित किया (नवंबर 2021) कि उपरोक्त विवरण संबंधित लेखापरीक्षा आयुक्तालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि, 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा किए गए आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण लेखापरीक्षा को प्रदान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी 2021) डीजीएआरएम से 2018-19, 2019-20 और 2020-21 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा कमिश्नरों को अग्रेषित अखिल भारतीय जीएसटी करदाताओं की सूची प्रदान करने का अनुरोध किया। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

लेखापरीक्षा ने (नवंबर 2022) सीबीआईसी के अध्यक्ष से नियोजित और निष्पादित आंतरिक लेखापरीक्षा का समेकित डेटा प्रदान करने का भी अनुरोध किया। हालांकि, लेखापरीक्षा को यह प्रदान नहीं किया गया था (जनवरी 2024)।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी 2023) मंत्रालय से अनुरोध किया कि वह 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान नियोजित और लेखापरीक्षा की गई इकाइयों का अखिल भारतीय आयुक्तालय वार और करदाता-वार विवरण बिना किसी विलंब के प्रदान करे ताकि विभाग के एक महत्वपूर्ण अनुपालन सत्यापन कार्य का आकलन किया जा सके। चूंकि आंतरिक लेखापरीक्षा का समेकित ब्यौरा न तो लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया था और न ही वे महानिदेशक (लेखापरीक्षा) के पास उपलब्ध थे, इसलिए लेखापरीक्षा महानिदेशक (लेखापरीक्षा)

के निगरानी कार्यो और विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की प्रभावोत्पादकता की जांच नहीं कर सकी। प्रत्येक लेखापरीक्षा आयुक्तालय से सूचना के लिए अलग से अनुरोध करने से विलंब हो रहा था और समय पर सूचना प्राप्त नहीं हो पा रही थी।

मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही थी (जनवरी 2024)।

3.3.1.2 जीएसटी के लिए 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान विभाग द्वारा किए गए आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण निम्नानुसार है: -

तालिका 3.2: आंतरिक लेखापरीक्षा (जीएसटी) द्वारा लेखापरीक्षित इकाइयों की तुलना में की गई कुल पहचान

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी	कुल नियोजित इकाइयाँ	कुल लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा की गई इकाइयों का प्रतिशत	कम उदग्रहण का पता चला	कुल वसूली	कुल पहचान के प्रतिशत के रूप में वसूली
वि.व.20	बड़ी इकाइयाँ	17,172	244	1	66	9	14
	मध्यम इकाइयाँ	18,050	296	2	15	8	53
	छोटी इकाइयाँ	19,920	318	2	15	2	12
	कुल	55,142	858	2	96	19	20
वि.व.21	बड़ी इकाइयाँ	16,294	2,816	17	1,624	292	18
	मध्यम इकाइयाँ	14,904	4,405	30	510	138	27
	छोटी इकाइयाँ	15,464	4,781	31	347	84	24
	कुल	46,662	12,002	26	2,481	514	21
वि.व.22	बड़ी इकाइयाँ	12,442	5,673	46	7,640	946	12
	मध्यम इकाइयाँ	13,745	7,118	52	1,528	404	26
	छोटी इकाइयाँ	14,839	6,837	46	1,079	390	36
	कुल	41,026	19,628	48	10,246	1,740	17

स्रोत: विभाग की मासिक प्रगति रिपोर्ट।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वित्त वर्ष 20, वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 22 के दौरान लेखापरीक्षा की गई इकाइयों की संख्या नियोजित कुल इकाइयों का क्रमशः 2 प्रतिशत, 26 प्रतिशत और 48 प्रतिशत थी। हालांकि वित्त वर्ष 22 में लेखापरीक्षा की गई इकाइयों के प्रतिशत में सारभूत वृद्धि हुई है, फिर भी नियोजित और लेखापरीक्षा की गई इकाइयों की संख्या के बीच एक बड़ा अंतर है।

वित्त वर्ष 20 और वित्त वर्ष 21 में कुल वसूली क्रमशः 20 प्रतिशत और 21 प्रतिशत थी। हालांकि, वित्त वर्ष 22 के दौरान, कुल वसूली वित्त वर्ष 21 में 21 प्रतिशत से घटकर 17 प्रतिशत हो गई। मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा के दौरान इकाइयों के कम कवरेज के लिए लेखापरीक्षा आयुक्तालयों में अधिकारियों की कमी, विशेष रूप से निरीक्षकों के ग्रेड में जिनकी कार्य क्षमता अधिकांश लेखापरीक्षा आयुक्तालयों में स्वीकृत संख्या के 50 प्रतिशत से कम थी, को जिम्मेदार ठहराया था।

मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही थी (जनवरी 2024)।

लेखापरीक्षा आयुक्तालयों में अधिकारियों की कमी के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा इकाइयों की लगातार कम कवरेज को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि मंत्रालय लेखापरीक्षा आयुक्तालयों में मानव संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाए और आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करे।

3.3.2 केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर इकाइयों के लिए 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान विभाग द्वारा किए गए आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका 3.3: आंतरिक लेखापरीक्षा (उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर) द्वारा लेखापरीक्षित इकाइयों की तुलना में की गई कुल पहचान

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी	कुल नियोजित इकाइयां	कुल लेखापरीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षा की गई इकाइयों का प्रतिशत	कम उदग्रहण का पता चला	कुल वसूली	कुल पहचान के प्रतिशत के रूप में वसूली
विव 20	बड़ी इकाइयाँ	6,361	3,432	54	8,429	519	6
	मध्यम इकाइयाँ	12,075	6,678	55	1,698	365	21
	छोटी इकाइयाँ	35,383	21,649	61	1,210	412	34
	कुल	53,819	31,759	59	11,337	1,296	11
विव 21	बड़ी इकाइयाँ	4,075	1,421	35	5,532	185	3
	मध्यम इकाइयाँ	7,758	2,106	27	1,017	118	12

वर्ष	श्रेणी	कुल नियोजित इकाइयाँ	कुल लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा की गई इकाइयों का प्रतिशत	कम उदग्रहण का पता चला	कुल वसूली	कुल पहचान के प्रतिशत के रूप में वसूली
	छोटी इकाइयाँ	27,630	8,860	32	468	124	27
	कुल	39,463	12,387	31	7,017	428	6
विव	बड़ी इकाइयाँ	3,269	1,793	55	2,284	116	5
	मध्यम इकाइयाँ	5,171	2,268	44	598	83	14
22	छोटी इकाइयाँ	18,327	6,047	33	219	59	27
	कुल	26,767	10,108	38	3,101	258	8

स्रोत: विभाग की मासिक प्रगति रिपोर्ट।

यह देखा गया है कि वित्त वर्ष 20, वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 22 के दौरान इकाइयों के आंतरिक लेखापरीक्षा का कवरेज नियोजित इकाइयों का क्रमशः 59 प्रतिशत, 31 प्रतिशत और 38 प्रतिशत था।

इसके अलावा, कुल वसूली वित्त वर्ष 20, वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 22 के दौरान पता लगाई गई राशि का क्रमशः 11 प्रतिशत, छह प्रतिशत और आठ प्रतिशत थी।

मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि वह नियोजित इकाइयों (फरवरी 2023) की तुलना में आंतरिक लेखापरीक्षा में इकाइयों के कवरेज में कमी के कारणों को सूचित करे। मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही थी (जनवरी 2024)।

3.4 डीजीजीआई की अपवंचन रोधी कार्यप्रणाली

माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय-डीजीजीआई (पूर्व में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशक (डीजीसीईआई)) के साथ-साथ माल एवं सेवा कर आयुक्तालयों की माल एवं सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अपवंचन के मामलों का पता लगाने के कार्य में सुपरिभाषित भूमिकाएं हैं। जबकि आयुक्तालय, अपने अधिकार क्षेत्र में इकाइयों के व्यापक डेटाबेस और क्षेत्र में उपस्थिति के साथ, शुल्क अपवंचन के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति हैं, डीजीजीआई को राजस्व की सारभूत चोरी के बारे में विशिष्ट खुफिया जानकारी एकत्र करने में विशेषज्ञता प्राप्त है। इस प्रकार एकत्र की गई आसूचना का

आदान-प्रदान आयुक्तालयों के साथ किया जाता है। अखिल भारतीय प्रभाव वाले मामलों में डीजीजीआई द्वारा जांच भी की जाती है।

3.4.1 अपवंचन रोधी गतिविधियों में डीजीजीआई का निष्पादन

पिछले पांच वर्षों के दौरान पता लगाए गए मामलों की संख्या और राशि तथा करदाताओं द्वारा किए गए स्वैच्छिक भुगतान के संदर्भ में डीजीजीआई²⁸ का निष्पादन तालिका 3.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4 2017-18 से 2021-22 के दौरान डीजीजीआई का कर अपवंचन रोधी निष्पादन
(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	केंद्रीय उत्पाद शुल्क			सेवा कर			वस्तु एवं सेवा कर			कुल		
	सं.	राशि	वीपी*	सं.	राशि.	वीपी*	सं.	राशि.	वीपी*	सं.	राशि.	वीपी*
2017-18	283	5,349	247	2,042	21,378	2,555	136	7,879	7,438	2,461	34,606	10,240
2018-19	692	2,782	386	1,677	27,835	2,822	1,539	19,319	8,687	3,908	49,936	11,895
2019-20	483	8,366	231	1,417	13,489	1,166	2,466	21,739	13,065	4,366	43,594	14,462
2020-21	122	2,860	91	1,173	8,993	539	3,828	31,908	10,630	5,123	43,761	11,260
2021-22	42	811	127	630	3,753	199	3,835	50,325	21,183	4,507	54,889	21,509
कुल	1,622	20,168	1,082	6,939	75,448	7,281	11,804	1,31,170	61,003	20,365	2,26,786	69,366

* स्वैच्छिक भुगतान

जैसा कि तालिका 3.4 से स्पष्ट है, वित्त वर्ष 22 के दौरान अपवंचन-रोधी गतिविधियों के माध्यम से पता चला जीएसटी अपवंचन ₹50,325 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 21 की तुलना में 58 प्रतिशत अधिक है। पता लगाई गई राशि के प्रतिशत के रूप में स्वैच्छिक भुगतान भी वित्त वर्ष 21 के दौरान 26 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 22 में बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया।

3.4.2 वि.व. 22 के दौरान अपवंचन-रोधी मामलों की प्रकृति

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और जीएसटी से संबंधित डीजीजीआई द्वारा पता लगाए गए अपवंचन-रोधी मामलों की प्रकृति तालिका 3.5 में दर्शाई गई है:

²⁸ जीएसटी आयुक्तालयों के कर अपवंचन-रोधी निष्पादन से संबंधित सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

तालिका 3.5: डीजीजीआई द्वारा पता लगाए गए अपवंचन-रोधी मामलों की प्रकृति

केंद्रीय उत्पाद शुल्क		सेवा कर		वस्तु एवं सेवा कर	
प्रकृति	%	प्रकृति	%	प्रकृति	%
अवैध निष्कासन	33	कर योग्य सेवा प्रदान करने के लिए सेवा कर का भुगतान न करना	60	इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत प्राप्ति/वापस न करना	42
छूट अधिसूचना का गलत लाभ लेना	13	प्रति प्रभार प्रणाली के तहत सेवा कर का भुगतान न करना	25	कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कर का भुगतान न करना	23
गलत वर्गीकरण	13	कर योग्य सेवा का कम मूल्यांकन करके सेवा कर का कम भुगतान	4	कर एकत्र किया गया लेकिन सरकारी राजकोष में भुगतान नहीं किया गया	4
सेनवैट योजना का दुरुपयोग	8	सेनवैट क्रेडिट योजना का दुरुपयोग	4	कर योग्य वस्तुओं और सेवा का कम मूल्यांकन करके कर का कम भुगतान	4
कम मूल्यांकन	5	सेवा कर एकत्र किया गया लेकिन सरकारी राजकोष में भुगतान नहीं किया गया	2	प्रति प्रभार प्रणाली के तहत कर का भुगतान न करना	3
अन्य	28	अन्य	5	अन्य	24

(स्रोत: विभाग के एमपीआर (सीईआई-सीई-3, सीईआई-एसटी-2, सीईआई-जीएसटी-5), नवंबर 2022 में प्रदान किए गए)

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है कि वि.व.22 के दौरान, इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ/गैर-वापसी और कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कर का भुगतान न करना वि.व.22 के दौरान माल एवं सेवा कर में पाई गई अपवंचन गतिविधियों का प्रमुख हिस्सा था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में पकड़ी गई अपवंचन गतिविधियों में अवैध रूप से निष्कासन, गलत वर्गीकरण करना और छूट अधिसूचना का गलत लाभ उठाना प्रमुख भाग था। इसी प्रकार, कर-योग्य सेवा प्रदान करने के लिए सेवा कर का भुगतान न करना और व्युत्क्रमी प्रभार प्रणाली के तहत सेवा कर का भुगतान न करना सेवा कर में पकड़ी गई अपवंचन गतिविधियों का प्रमुख भाग था।

3.4.3 जांच के लिए शुरू किए गए मामले और उनका निपटान

जीएसटी कानून सक्षम अधिकारी को शुल्क और करों की चोरी से संबंधित मामलों की जांच करने, तलाशी, जब्त करने और जांच करने का अधिकार देता है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान माल और सेवा कर से संबंधित जांच मामलों की संख्या और उनके निपटान का विवरण तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6 - मामलों की जांच (नए मामले) और उनका निपटान (16 मार्च 2023 तक)
(राशि ₹ करोड़ में)

विव	विवरण	एमपीआर के अनुसार आदिशेष	जांच हेतु लिए गए नए मामले	मामलों की कुल संख्या	निपटाए गए मामले	एमपीआर के अनुसार अंतिम शेष
विव18	मामलों की संख्या	1	351	352	46 13.07%	306
	निहित शुल्क	0.02	1,041	1041.6	17.33 1.66%	1,023
विव19	मामलों की संख्या	306	6,362	6,668	1,311 19.66%	5,357
	निहित शुल्क	1023.3	40,670	41,693	2,236 5.36%	39,457
विव20	मामलों की संख्या	5,357	8,331	13,688	2,287 16.71%	11,401
	निहित शुल्क	39,457	38,070	77,527	9,167 11.82%	68,360
विव21	मामलों की संख्या	11,401	10,230	21,631	3875 17.91%	17,756
	निहित शुल्क	68,360	51,645	1,20,005	11,503 9.59%	1,08,501
विव22	मामलों की संख्या	17,756	12551	30,307	10,577 34.90%	19,730
	निहित शुल्क	1,08,501	75,125	1,83,626	38,953 21.21%	1,44,673

(स्रोत: एमपीआर यानी, विभाग का सीईआई-जीएसटी-7 और अप्रैल 2023 में मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

वि.व.22 के दौरान, विभाग ने 10,577 मामलों (कुल मामलों का 34.90 प्रतिशत) का निपटारा किया, जहां वर्ष 2021-22 की शुरुआत में 17,756 मामले लंबित थे। निपटाए गए मामलों में निहित शुल्क ₹38,953 करोड़ (कुल शुल्क राशि का

21.21 प्रतिशत) था, जहां वर्ष 2021-22 की शुरुआत में ₹1,08,501 करोड़ की शुल्क राशि लंबित थी।

3.4.4 जांच के लिए लंबित मामलों का अवधि-वार लंबन।

मार्च, 2022 तक जांच के लिए लंबित मामलों का अवधि-वार लंबन तालिका 3.7 में दिया गया है।

तालिका 3.7-जांच के लिए लंबित मामलों का अंतिम शेष (16 मार्च, 2023 तक)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्षेत्र	कुल	6 महीने से कम	6 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम	1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक	
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	मामलों की संख्या	24	6	1	2	15
	निहित शुल्क	184.74	173.55	1.14	0.25	9.80
सेवा कर	मामलों की संख्या	458	119	49	31	259
	निहित कर	753.33	273.62	268.75	16.75	194.22
वस्तु एवं सेवा कर	मामलों की संख्या	19,730	6,929	3,904	5,234	3,663
	कर निहित	1,44,672.78	53,442.93	27,239.59	32,575.12	31,415.14

(स्रोत: विभाग के एमपीआर (सीईआई-सीई-5, सीईआई-एसटी-4, सीईआई-जीएसटी-7, 16 मार्च 2023 तक और अप्रैल 2023 में मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी अनुसार)।

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, मार्च, 2022 तक जीएसटी से संबंधित कुल 19,730 मामले जांच के लिए लंबित थे, जिनमें से 3,663 मामले (19 प्रतिशत) ₹31,415 करोड़ (22 प्रतिशत) के निहित कर के साथ 2 साल से अधिक समय से लंबित थे।

जब लेखापरीक्षा ने इस ओर ध्यान दिलाया (फरवरी 2023), मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2023) कि लंबित जीएसटी मामलों की जांच एक प्राथमिकता वाला प्रमुख परिणाम क्षेत्र है और एक वर्ष से अधिक लंबित मामलों को कम करने के लिए इसकी बारीकी से निगरानी की जा रही है।

3.5 जीएसटी और विरासतीय करों (केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) के तहत अपील की निगरानी

सरकारी राजस्व एकत्र करते समय विभाग और करदाताओं के बीच मतभेद और विवाद हो सकते हैं। सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए, विवाद समाधान के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित तंत्र आवश्यक है।

प्रत्येक कार्यवाही कर के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण या अन्य कारणों से राजस्व की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करने के साथ शुरू होती है। एससीएन उन आधारों को सामने रखता है जिन पर विभाग ने एक विशेष राय बनाई है। उक्त आधारों को निर्धारित करते समय, विभाग नोटिस प्राप्तकर्ता को सभी प्रासंगिक तथ्यों, साक्ष्यों, रिपोर्टों और कानून का खुलासा करता है और किए गए अपराधों/अनियमितताओं और उनके खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई के साथ-साथ कम भुगतान या भुगतान न किए गए बकाया का विवरण देता है। इसके बाद कारण बताओ नोटिस का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। अधिनिर्णय आदेश के विरुद्ध करदाता के साथ-साथ विभाग भी अपील कर सकता है।

3.5.1 जीएसटी के तहत अपील की प्रक्रिया

जीएसटी अधिनियम, 2017 के अध्याय XVIII में अपील के प्रावधान दिए गए हैं। करदाता और विभाग दोनों को अधिनियम और नियमों के तहत पारित आदेशों के विरुद्ध बहु स्तरीय उपाय-अपनाने के अधिकार दिए गए हैं।

धारा 107, धारा 112, धारा 117 और धारा 118 में क्रमशः अपीलीय प्राधिकरण, अपीलीय अधिकरण, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है।

3.5.2 अपील मामलों की निगरानी

अपील मामलों की निगरानी आयुक्तालयों, प्रभागों और रेंजों में की जाती है और अपीलों के आंकड़े उनके द्वारा रखे जाते हैं। उच्च न्यायालय स्तर तक दायर की जाने वाली अपीलों का निर्णय क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जाता है जबकि सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली अपीलों का निर्णय बोर्ड स्तर पर किया जाता है और बोर्ड में विधिक मामले निदेशालय (डीएलए) द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत मासिक निष्पादन रिपोर्टों (एमपीआर) के माध्यम से निगरानी की जाती है।

डीएलए बोर्ड और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के कानूनी और न्यायिक कार्यों की निगरानी के लिए प्रधान संस्था है। डीएलए को अखिल भारतीय आधार पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सीईएसटीएटी से संबंधित अपीलों के कानूनी और न्यायिक डेटाबेस को बनाए रखने और निगरानी करने के लिए भी अधिकृत किया गया है।

3.5.3 अपील मामलों का लंबित होना

अपील के आकड़ों का रखरखाव और निगरानी तंत्र की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए, 2021-22 की अवधि के लिए जानकारी एकत्र की गई और उसकी जांच की गई। अपील मामलों का विवरण, जहां 31 मार्च 2022 तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और जीएसटी के संबंध में विभाग या करदाताओं द्वारा दायर अपील लंबित थीं, तालिका 3.8 में उल्लिखित है:

तालिका 3.8: 31 मार्च 2022 तक विभिन्न न्यायधिकरणों पर अपील के लंबित मामले
(राशि ₹ करोड़ में)

न्यायधिकरणों जिसमें लंबित	विभाग की अपीलों का विवरण						पार्टी की अपील का विवरण						कुल	
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क		सेवा कर		जीएसटी		केंद्रीय उत्पाद शुल्क		सेवा कर		जीएसटी			
	अपीलों की संख्या	राशि	अपीलों की संख्या	राशि	अपीलों की संख्या	राशि	अपीलों की संख्या	राशि	अपीलों की संख्या	राशि	अपीलों की संख्या	राशि	अपीलों की संख्या	राशि
सर्वोच्च	659	12,702	524	14,790	310	161	405	2,951	352	7,662	29	176	2,279	38,442
न्यायालय														
उच्च	2,729	12,369	880	10,538	77	184	3,127	10,383	3,646	33,386	3,445	9,294	13,904	76,153
न्यायालय														
सीईएसटीएटी	2,338	12,132	2,834	20,852	0	0	15,953	62,321	20,158	96,936	0	0	41,283	1,92,241
निपटान	0	0	0	0	0	0	11	16	9	28	0	0	20	45
आयोग														
आयुक्त	412	541	1,111	526	1,071	535	2,819	1,538	7,063	3,429	3,849	3,126	16,325	9,694
(अपील)														
कुल	6,138	37,743	5,349	46,705	1,458	879	22,315	77,209	31,228	1,41,441	7,323	12,596	73,811	3,16,574

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े

जैसा कि तालिका 3.8 से देखा जा सकता है, कुल 73,811 अपीलों, जिनमें ₹3,16,574 करोड़ का राजस्व शामिल है, 31 मार्च 2022 को विभिन्न कानूनी मंचों में लंबित थीं। विभाग ने 12,945 अपील (18 प्रतिशत) दायर की थीं और 60,866 अपील (82 प्रतिशत) करदाता/पक्ष ने दायर की थीं। इसके अलावा, सीईएसटीएटी में सबसे अधिक अपीलों लंबित थीं, जहां 31 मार्च 2022 तक निपटान के लिए 41,283 अपीलों (56 प्रतिशत), जिनमें ₹ 1,92,241 करोड़ का राजस्व शामिल था, निपटान के लिए लंबित थीं। 31 मार्च 2022 तक विभिन्न कानूनी मंचों में ₹1,88,146 करोड़ के निहित कर के साथ सेवा कर से संबंधित 36,577 अपीलों (50 प्रतिशत) लंबित थीं।

जीएसटी के संबंध में, 31 मार्च 2022 तक, 8,781 अपील मामले (12 प्रतिशत), जिनमें ₹13,475 करोड़ का राजस्व शामिल था, विभिन्न मंचों में लंबित थे।

जब लेखापरीक्षा ने इस ओर इंगित किया (फरवरी 2023), मंत्रालय ने तथ्यों और आंकड़ों (जुलाई 2023) की पुष्टि करते हुए कहा कि सीईएसटीएटी में अपील मामलों का लंबित रहना मामलों की प्राप्ति और निपटान दोनों का होने

के कारण है। इसलिए, लंबित मामलों के समापन के लिए अपीलों का निपटान प्राप्त की तुलना में तेजी से होना चाहिए। मंत्रालय ने आगे बताया कि कोविड-19 महामारी ने लंबित अपीलों की सुनवाई और निपटान को भी प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप सीईएसटीएटी अपीलों का धीमा निपटान हुआ। मंत्रालय ने अपील के लंबित मामलों के लिए सीईएसटीएटी और अधिकरण की कुछ पीठों में रिक्तियों को भी उत्तरदायी ठहराया।

सेवा कर से संबंधित मामलों के लगातार बड़ी संख्या में लंबित रहने के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि 2014-15 से 2016-17 की अवधि के लिए सीबीडीटी से प्राप्त तीसरे पक्ष के आंकड़े/सूचना के आधार पर बड़ी संख्या में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इस पर समयबद्ध तरीके से निर्णय दिया गया जिससे अधिकरण में अपीलें दायर की गईं।

3.5.4 अपील मामलों का अवधि-वार लंबन

नीचे दी गई तालिका 3.9 केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और जीएसटी में 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 तक अपील मामलों का आयु-वार लंबन को दर्शाती है।

तालिका 3.9: अपील मामलों का आयु-वार लंबन

(राशि ₹ करोड़ में)

न्यायधिकरण	केंद्रीय उत्पाद शुल्क						सेवा कर						जीएसटी				
	अपीलों की कुल संख्या	कुल धनराशि	1 वर्ष से कम	1-5 वर्ष	5-10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	अपीलों की कुल संख्या	कुल धनराशि	1 वर्ष से कम	1-5 वर्ष	5-10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	अपीलों की कुल संख्या	कुल धनराशि	1 वर्ष से कम	1-5 वर्ष	
31 मार्च 2021 की स्थिति	सर्वोच्च न्यायालय	1,079	14,691	259	425	256	139	943	20,390	272	440	222	9	200	1,012	125	75
	उच्च न्यायालय	5,541	23,060	1,994	1,800	938	809	4,424	33,801	1,757	1,735	681	251	2,149	4,343	1,051	1,098
	सी ई एस टी टी निपटान आयोग	19,843	71,413	5,511	9,161	4,392	779	23,196	1,09,147	6,844	11,981	3,978	393	2	0	2	0
	आयुक्त (अपील)	15	32	7	8	0	0	9	24	2	7	0	0	0	0	0	0
	कुल	3,777	1,950	1,668	1,678	306	125	6,547	3,917	3,712	2,473	267	95	3,133	2,079	2,962	171
	कुल	30,255	1,11,146	9,439	13,072	5,892	1,852	35,119	1,67,279	12,587	16,636	5,148	748	5,484	7,435	4,140	1,344
31 मार्च 2022 की स्थिति अनुसार	सर्वोच्च न्यायालय	1,064	1,5653	207	446	255	156	876	22452	221	392	234	29	339	337	156	183
	उच्च न्यायालय	5,856	22,751	2,289	1,770	922	875	4,526	4,3924	1,792	1,794	673	267	3,522	9,478	1,719	1,803
	सी ई एस टी ए टी	18,291	74,453	4,838	8,165	4,602	686	22,992	1,17,788	6,540	11,265	4,597	590	0	0	0	0
	निपटान आयोग	11	16	1	9	1	0	9	28	6	3	0	0	0	0	0	0
	आयुक्त (अपील)	3,231	2,078	1,786	1,081	246	118	8,174	3,955	5,473	2,317	320	64	4,920	3,661	4,179	741
	कुल	28,453	1,14,952	9,121	11,471	6,026	1,835	36,577	1,88,146	14,032	15,771	5,824	950	8,781	13,476	6,054	2,727

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े


केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील मामलों के संबंध में, 31 मार्च 2022 तक लंबित कुल 28,453 अपील मामलों में से 7,861 मामले (28 प्रतिशत) पांच साल से अधिक समय से लंबित थे; और 1,835 मामले 10 साल से अधिक समय से लंबित थे। हालांकि, 2021-22 के दौरान विभिन्न न्यायधिकरणों में लंबित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील मामलों में 1,802 अपील मामलों (छह प्रतिशत) की कमी आई थी।

सेवा कर के संबंध में, 31 मार्च 2022 तक लंबित कुल 36,577 अपील मामलों में से 6,674 (19 प्रतिशत) पांच साल से अधिक समय से लंबित थे। इसके अलावा, 2021-22 में 1,458 सेवा कर अपील मामलों (चार प्रतिशत) की वृद्धि हुई। पांच साल से अधिक समय से विभिन्न कानूनी मंचों पर लंबित सेवा कर अपील मामलों में 2021-22 के दौरान 878 मामलों (15 प्रतिशत) की वृद्धि भी देखी गई।

जीएसटी के संबंध में, 2021-22 में 3,297 अपील मामलों (60 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसमें 2,727 अपील मामले विभिन्न कानूनी मंचों में एक साल से अधिक समय से लंबित थे। इसके अलावा, एक साल से अधिक समय से लंबित जीएसटी मामलों में 103 प्रतिशत (1,383 मामले) की वृद्धि दर्ज की गई।

नीचे दिया गया चार्ट 3.3 अपील मामलों के आयु-वार लंबन में प्रतिशत परिवर्तन दिखाता है।

चार्ट 3.3: अपील मामलों की आयु-वार लंबितता में प्रतिशत परिवर्तन



जब लेखापरीक्षा ने इस ओर इंगित किया (फरवरी 2023), मंत्रालय ने तथ्यों और आंकड़ों (जुलाई 2023) की पुष्टि करते हुए कहा कि क्षेत्र कार्यालय लंबित मामलों को कम करने के प्रयास में शीघ्र सुनवाई के लिए विभिन्न अपीलीय मंचों में विविध आवेदन दायर करके महत्वपूर्ण राजस्व निहितार्थ वाले और पुराने मामलों का सक्रिय रूप से अनुसरण कर रहे हैं।

जीएसटी अपील मामलों के संबंध में, मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी अपील मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि रिटर्न जांच, लेखापरीक्षा, अपवंचन-रोधी कार्रवाइयों और पंजीकरण रद्द करने को वापस लेने संबंधी मामले, रिटर्न के विलंब से दाखिल करने, परिवर्ती क्रेडिट, अभुगतान या करों के कम भुगतान से संबंधित मुद्दों के माध्यम से विभाग द्वारा बढ़ी हुई अनुपालन निगरानी के कारण हुई है।

3.6 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने जीएसटी विवरणी तंत्र के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा की और पाया कि मौजूदा जीएसटीआर -3बी में अभी भी कमियाँ हैं और सुधार की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा ने नोट किया कि बोर्ड ने जीएसटीआर -3बी में प्रस्तावित परिवर्तनों पर हितधारकों से सुझाव मांगे थे, और ऐसे प्रस्तावित परिवर्तनों पर सुझावों पर विचार किया जा रहा था। सरकार, हितधारकों के सुझावों पर विचार करने के बाद, जीएसटीआर-3बी में संशोधन तालिकाओं, पंक्तिवार आईटीसी निरसन को उल्लेखित करने के लिए जीएसटीआर-3बी की तालिका 4 में संशोधन, और जीएसटीआर-3बी की विशिष्ट पंक्तियों में जीएसटीआर-1 से जीएसटीआर-3 बी में राशियों की स्वतः भरण की अनुमति देने दे, जैसा कि आईजीएसटी निपटान और आईटीसी निरसन से संबंधित मुद्दों पर अधिकारियों की उप-समिति द्वारा सिफारिश की गई है, से संबंधित अपेक्षित परिवर्तनों को लागू करे ताकि मौजूदा विवरणी प्रणाली में कमियों को शीघ्रतापूर्वक दूर किया जा सके। लेखापरीक्षा ने सीबीआईटी से (जीएसटीएन या सीबीआईटी परिसर में) वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए विभागीय कार्यालयों द्वारा जारी/प्राप्त एसएमटी-10, एसएमटी-11 और एसएमटी-12 का विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया ताकि विभाग के विवरणी संवीक्षा कार्य की योजना बना कर लेखापरीक्षा की जा सके। हालाँकि, इसे अभी तक लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया था (जनवरी 2024)। वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए विभागीय कार्यालयों द्वारा जारी/प्राप्त एसएमटी-10, एसएमटी-11 और एसएमटी-12 के संबंध में विस्तृत जानकारी के अभाव में, लेखापरीक्षा विभाग के जांच सत्यापन तंत्र की प्रभावकारिता की जांच नहीं कर सका। लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि मंत्रालय विभागीय कार्यालयों द्वारा वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए जारी/प्राप्त एसएमटी-10, एसएमटी-11 और एसएमटी-12 का विवरण अविलंब प्रदान करे ताकि विभाग के एक महत्वपूर्ण अनुपालन सत्यापन कार्य का लेखापरीक्षा द्वारा मूल्यांकन किया जा सके।

इसी तरह, लेखापरीक्षा ने विभाग और बोर्ड से नियोजित और निष्पादित आंतरिक लेखापरीक्षा के समेकित आंकड़े प्रदान करने का अनुरोध किया। तथापि, लेखापरीक्षा को ये आंकड़े प्रदान नहीं किए गए।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने आंतरिक लेखापरीक्षा और अपवंचन-रोधी कार्यों के संबंध में विभाग के निष्पादन की जांच की। लेखापरीक्षा ने देखा कि हालांकि वित्त वर्ष 22 में लेखापरीक्षा की गई इकाइयों के प्रतिशत में पर्याप्त वृद्धि हुई थी, फिर भी जीएसटी, केंद्रीय उत्पादशुल्क और सेवा कर इकाइयों में नियोजित और लेखापरीक्षा की गई इकाइयों की संख्या के बीच एक बड़ा अंतर था। कर अपवंचन रोधी कार्यों के संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि 16 मार्च 2023 तक, कुल 19,730 जीएसटी मामलों में, जिनकी कर राशि ₹1,44,672.73 करोड़ थी, जांच लंबित थी, जिनमें से 3,663 जीएसटी मामले (19 प्रतिशत), ₹31,415.14 करोड़ (22 प्रतिशत) के कर निहितार्थ के साथ, दो साल से अधिक समय से लंबित थे।

अध्याय IV: जीएसटी भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी

4.1 परिचय

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में सबसे बड़ा कराधान सुधार माना जाता है। इस सुधार ने अलग-अलग और विविध अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एक कर बाजार के साथ एक राष्ट्र के रूप में एक समेकित तंत्र में एकीकृत किया। जीएसटी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एक साथ वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। आपूर्ति के साथ-साथ कर चलता है, माल की आवाजाही पर व्यापक प्रभाव और सीमा प्रतिबंधों को हटाकर व्यवसायों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का निर्बाध प्रवाह प्रदान करता है। जीएसटी प्रावधानों में कहा गया है कि प्रत्येक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति को देय करों का स्व-मूल्यांकन करना होगा, उसी का भुगतान करना होगा और प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करना होगा। पंजीकृत करदाताओं को पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने और करों के अनावश्यक भुगतान को रोकने के लिए अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ खरीद डेटा का मिलान सुनिश्चित करना होता है।

किसी भी राजस्व प्राधिकरण का प्राथमिक लक्ष्य अनुपालन बढ़ाने और कर आधार में वृद्धि करने की दिशा में एक कुशल और उचित तरीके से कानून के अनुसार करों के उद्ग्रहण और संग्रह की निगरानी करना है। कर प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए सुस्थापित रणनीतियों और ढांचों की आवश्यकता होती है कि कानून का अननुपालन कम से कम हो। अच्छे अनुपालन परिणाम अच्छे कानून से शुरू होते हैं। कानून अपने इरादे और व्याख्या के बारे में स्पष्ट और साफ होना चाहिए ताकि यह प्रशासनिक अनुपालन कार्यक्रमों और अनुपालन जोखिम प्रबंधन के निर्माण के लिए एक ठोस आधार प्रदान करे।

जीएसटी कानून और परिकल्पित प्रक्रियाएं विकसित हो रही हैं और जुलाई 2017 में जीएसटी के कार्यान्वयन से, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हुए कर से संबंधित कार्यों में नियमित संशोधन और डिजिटलीकरण हुआ है। इसके कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष की समाप्ति तक लगभग 256 अधिसूचनाएं, 29

परिपत्र और 12 आदेश जारी किए जा चुके थे। नई कर व्यवस्था में कर अनुपालन के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र और विभाग के निरीक्षण तंत्र के महत्व पर विचार करते हुए इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) को शुरू किया गया था।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में कुल 1.05 करोड़ जीएसटी करदाता थे। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कुल ₹ 7.41 लाख करोड़ जीएसटी संग्रहण किया गया, जिसमें से ₹ 4.43 लाख करोड़ सीबीआईसी प्रशासित करदाताओं से संबंधित थे।

4.2 कानूनी ढांचा

सीजीएसटी अधिनियम (अधिनियम) की धारा 59 जीएसटी को स्व-मूल्यांकन आधारित कर के रूप में निर्धारित करती है, जिससे कर देयता की गणना, गणना कर देयता का निर्वहन करने और विवरणी दाखिल करने की जिम्मेदारी करदाता के पास निहित है। अधिनियम 'आपूर्ति' शब्द को परिभाषित करता है, जिस पर जीएसटी देय है। आपूर्ति पर कर देयता निर्धारित दरों पर आपूर्ति के समय, स्थान और प्रकृति के अनुसार निर्धारित की जाती है। समान्यतः आम तौर पर, कर का भुगतान करने की देयता आपूर्तिकर्ताओं के साथ निहित होती है, जबकि कर का बोझ ग्राहक द्वारा वहन किया जाता है। हालांकि, कुछ आपूर्ति पर, पंजीकृत व्यक्ति रिवर्स चार्ज तंत्र (आरसीएम) के तहत प्राप्तकर्ता के रूप में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। जीएसटी में मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में आईटीसी की अनुमति देकर केवल मूल्य संवर्धन पर कर लगाने की परिकल्पना की गई है। देश में श्रृंखला में इनपुट क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर आईटीसी का लाभ उठाने और उपयोग करने के लिए विस्तृत प्रावधान उपलब्ध हैं।

सीजीएसटी नियमावली (नियमावली) के नियम 99 के साथ पठित अधिनियम की धारा 61 में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विवरणों की जांच कर सकता है, करदाताओं को विसंगतियों के बारे में बता सकता है और स्पष्टीकरण मांग सकता है। अधिनियम की धारा

46 में नोटिस जारी करने का प्रावधान है यदि करदाता नियत तारीख के भीतर विवरणी दाखिल करने में विफल रहा हो। नोटिस के बावजूद करदाताओं द्वारा विवरणी दाखिल करने में विफलता सक्षम अधिकारी को सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर उक्त व्यक्ति की कर देयता का आकलन करने का अधिकार देती है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 65 और 66 विभाग को पंजीकृत व्यक्तियों की लेखापरीक्षा या विशेष लेखापरीक्षा करने का अधिकार देती है। इसी प्रकार के प्रावधान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियमों एवं नियमावली की संगत धाराओं और नियमों में निहित हैं।

4.3 संदर्भ और महत्व

स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान और नियमों में निर्धारित आवधिक विवरणी का समय पर दाखिल करना जीएसटी के तहत कर प्रशासन की कुंजी है। स्व-मूल्यांकन तंत्र करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी सत्यापन तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करता है। स्वैच्छिक अनुपालन को बनाए रखने के लिए, जीएसटी प्रावधानों ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की परिकल्पना की जिससे करदाता प्रावधानों के अनुपालन में सक्षम हुए हैं।

जीएसटी पोर्टल को करदाताओं के अनुपालन को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया था। बैक-ऑफिस प्रक्रियाओं के स्वचालन को करों के प्रभावी प्रशासन को सक्षम करने और त्रुटि में उल्लेखनीय सुधार और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। मुख्य रूप से आईटी प्लेटफॉर्म द्वारा उत्पन्न कुछ शुरुआती समस्याएं थीं। इसके अलावा, शुरू में तीन मूल विवरणी की परिकल्पना की गई थी, अर्थात्, बाहरी आपूर्ति के लिए जीएसटीआर-1; आवक आपूर्ति के लिए जीएसटीआर-2 जो आपूर्तिकर्ताओं के जीएसटीआर-1 से स्वतः भरा जाना था; और जीएसटीआर -3 मासिक विवरणी जो इन दो विवरणियों का सारांश था। हालांकि, शुरू में परिकल्पित विवरणियों के स्थान पर, लागू विवरणियों जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2ए थे - जो विवरणी नहीं है लेकिन एक स्वतः उत्पादित कथन है, और जीएसटीआर-3बी - स्वतः भरण क्षम नहीं है, लेकिन करदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। इसके परिणामस्वरूप कार्यात्मक और प्रौद्योगिकी से संबंधित दोनों आयामों से जटिलताएं बढ़ी हैं। इन मुद्दों को भारत

के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ²⁹(सीएजी) की पिछली प्रतिवेदनों में उजागर किया गया है और इन्हें इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 3.1 में भी शामिल किया गया है।

जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1 विवरणी दाखिल करने की घटती प्रवृत्ति, नियत तारीख तक विवरणी दाखिल न करना और विवरणी दाखिल करने की सीमा के संदर्भ में और माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) से निकाले गए अखिल भारतीय डेटा से विवरणी में आईटीसी और कर देयता अमिलान की सीमा ने भी इस एसएससीए के संदर्भ को निर्धारित किया। इसके अलावा, विभाग ने लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न³⁰ के जवाब में कहा कि केंद्रीय जीएसटी क्षेत्राधिकार द्वारा जुलाई 2017 से अगस्त 2020 तक 20,233 मामलों में ₹ 93,462.08 करोड़ की जीएसटी चोरी की पहचान की गई थी।

उपर्युक्त निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा ने विभागीय निरीक्षण तंत्र का आकलन करने का निर्णय लिया ताकि यह आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि करदाता नियमित रूप से अपने विवरणी दाखिल करते हैं और अपनी कर देयता और अन्य अनिवार्य दायित्वों का उचित निर्वहन करके जीएसटी कानून का पालन करते हैं।

4.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

यह एसएससीए निम्नलिखित व्यापक लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ किया गया था:

- क) क्या नियमों और प्रक्रियाओं को कर अनुपालन पर एक प्रभावी नियंत्रण को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और करदाताओं द्वारा विधिवत पालन किया जा रहा है; और
- ख) क्या विभागीय क्षेत्रीय कार्यालयों की जांच प्रक्रियाएं और अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त और प्रभावी हैं।

²⁹ 2019 की सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 11 (पैरा 1.6.2), 2021 की संख्या 1 (पैरा 1.4.1) और 2022 की संख्या 5 (पैरा 3.1)

³⁰ अतारांकित प्रश्न 1184 दिनांक 19 सितंबर 2020

4.5 लेखापरीक्षा पद्धति और दायरा

यह एसएससीए मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण के आधार पर आयोजित किया गया था, जिसमें जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि से संबंधित जोखिम क्षेत्रों और चेतावनियों को उजागर किया गया था, अर्थात्, जीएसटी की शुरुआत के बाद पहली समयावधि तक। डेटा विश्लेषण के माध्यम से, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर देयता का निर्वहन, पंजीकरण और विवरणी फाइलिंग के कार्यक्षेत्र में 14³¹ विचलनों का एक सेट पहचाना गया था। इस तरह के विचलनों की एक केंद्रीकृत लेखापरीक्षा³² के माध्यम से जांच की गई थी, जिसके तहत इन विचलनों को संबंधित सीबीआईसी क्षेत्राधिकार कार्यालयों (रेंज) को सूचित किया गया था और पहचाने गए विचलन पर रेंजों द्वारा की गई कार्रवाई का पता क्षेत्र का दौरा किए बिना लगाया गया था। केन्द्रीकृत लेखापरीक्षा को एक विस्तृत लेखापरीक्षा द्वारा पूरित किया गया था जिसमें क्षेत्राधिकार वाले कार्यकारी आयुक्तालयों और लेखापरीक्षा आयुक्तालयों के पास उपलब्ध रिकार्डों के सत्यापन के लिए क्षेत्र दौरे शामिल थे। करदाताओं से संबंधित डेटा/दस्तावेजों (जैसे पंजीकरण, कर भुगतान, विवरणी और अन्य विभागीय कार्यों) की जांच करने के लिए विभाग की बैक-एंड प्रणाली - सीबीआईसी-एसीईएस-जीएसटी एप्लिकेशन के माध्यम से विवरणी और संबंधित संलग्नक और जानकारी तक पहुंचा गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा में करदाताओं से संबंधित सूक्ष्म रिकॉर्ड तक पहुंचना भी शामिल था, जैसे कि संबंधित रेंजों के माध्यम से चालान। इसके अलावा, रेंजों के अनुपालन कार्यों जैसे विवरणियों की संवीक्षा की समीक्षा भी चुनिंदा रेंजों में की गई थी।

विभाग द्वारा विवरणी की जांच की समीक्षा और करदाताओं के रिकॉर्ड के सत्यापन में जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि को कवर किया गया, जबकि चयनित रेंजों के कार्यों की लेखापरीक्षा में 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि को कवर किया गया। एसएससीए केवल केंद्र प्रशासित करदाताओं

³¹ आईटीसी का लाभ उठाना, आरसीएम के तहत आईटीसी का लाभ उठाना और भुगतान, आईटीसी समायोजन, आईएसडी क्रेडिट वितरण, आईएसडी क्रेडिट रिवर्सल, कर देयता का मिलान न होने, अदत्त कर देयता, संयोजन करदाताओं के रूप में दाखिल ई-कॉमर्स पंजीकरण, देर से दाखिल करने वाले और दाखिल न करने वालों पर अदत्त ब्याज देयता

³² केंद्रीय लेखापरीक्षा में करदाता के सूक्ष्म अभिलेखों जैसे वित्तीय विवरण संबंधित बहीखातें, बीजक, समझौता पत्र आदि।

(सीबीआईसी) को कवर करता है। फील्ड लेखापरीक्षा अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया था।

एसएससीए रिपोर्ट का मसौदा 31 जनवरी 2023 को वित्त मंत्रालय को जारी किया गया था। मंत्रालय के साथ एक निकास सम्मेलन मई 2023 में आयोजित किया गया था जहां सीबीआईसी सदस्य ने कहा कि एसएससीए में लेखापरीक्षा द्वारा की गई सभी सिफारिशों को नोट कर लिया गया है और कार्यान्वयन के लिए जांच की जाएगी। 11 सितंबर 2023 को मंत्रालय को फिर से रिपोर्ट जारी की गई। जनवरी 2024 तक मंत्रालय/विभाग की प्रतिक्रिया को रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

4.6 लेखापरीक्षा नमूना

योजना बनाने के साथ-साथ वास्तविक लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करने के लिए एक डेटा-संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस एसएससीए के नमूने में केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए विचलन का एक सेट शामिल था जिसमें क्षेत्र का दौरा सम्मिलित नहीं था; विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना जिसमें विभागीय परिसर में क्षेत्र का दौरा और करदाता के रिकॉर्ड की जांच के साथ-साथ; रेंज के अनुपालन कार्यों के मूल्यांकन के लिए रेंज का एक नमूना भी सम्मिलित था।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए नमूना आकार 14 जोखिम आयामों पर आधारित था जिसमें 10,667 विचलन शामिल थे। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए 1,103 करदाताओं के नमूने चार जोखिम मानकों पर विचार करके चुने गए थे - जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच आईटीसी की विसंगति, जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के बीच देयता की विसंगति, छूट प्राप्त और शून्य दर मूल योजित कारोबार का कुल कारोबार से अनुपात, और आईटीसी विपर्यय। इसके अतिरिक्त, उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विस्तृत लेखापरीक्षा इकाइयों की संख्या के आधार पर अनुपालन सत्यापन कार्यों की लेखापरीक्षा के लिए 179 रेंजों का चयन किया गया था।

4.7 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंडों के स्रोत में सीजीएसटी अधिनियम, आईजीएसटी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान शामिल थे। सार्थक प्रावधान तालिका 4.1 में दिए गए हैं-

तालिका 4.1: मानदंड का स्रोत

क्र.सं.	विषय	अधिनियम एवं नियम
1	उद्ग्रहण और संग्रहण	सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 9
2	रिवर्स चार्ज तंत्र	सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 9(3) और आईजीएसटी अधिनियम की धारा 5(3)
3	आईटीसी की प्राप्ति और उसका उपयोग करना	अध्याय V के अंतर्गत धारा 16 से 21; अध्याय V के अंतर्गत नियम 36 से 45
4	पंजीकरण	सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 22 से 25; सीजीएसटी/एसजीएसटी (नियम) के नियम 8 से 26
5	आपूर्ति	सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 7 और 8। अधिनियम की अनुसूची I, II और III
6	आपूर्ति का स्थान	आईजीएसटी अधिनियम की धारा 10-13
7	आपूर्ति का समय	सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 12 से 14
8	आपूर्ति का मूल्यांकन	सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 15; सीजीएसटी/एसजीएसटी (नियम) के नियम 27-34
9	कर का भुगतान	अध्याय X के अंतर्गत धारा 49 से 53; अध्याय IX के अंतर्गत नियम 85 से 88ए
10	जीएसटी विवरणी दाखिल करना	अध्याय IX के अंतर्गत धारा 37 से 47; अध्याय VIII के अंतर्गत नियम 59 से 68 और 80 से 81। सीजीएसटी नियमों का भाग बी विवरणी का प्रारूप निर्धारित करता है
11	शून्य दर मूल योजित कर आपूर्ति	आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16
12	मूल्यांकन और लेखापरीक्षा कार्य	अध्याय XII एवं XIII के अंतर्गत धारा 61, 62, 65 और 66; अध्याय XI के अंतर्गत नियम 99 से 102 तक

इसके अलावा, सीबीआईसी द्वारा विवरणी दाखिल करने, विभिन्न विवरणी दाखिल करने की प्रभावी तारीखों को अधिसूचित करने, विवरणी दाखिल करने

की नियत तारीखों को बढ़ाने, वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें, कर के भुगतान, आईटीसी की प्राप्ति और उपयोग करने, विवरणी की जांच और कर अनुपालन की निगरानी से संबंधित अधिसूचनाएं और परिपत्र भी लेखापरीक्षा मानदंडों का हिस्सा थे।

4.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सीबीआईसी के सभी 21 ज़ोनों में की गई लेखापरीक्षा से प्रणालीगत और अनुपालन दोनों मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, जिन पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है। यद्यपि, प्रणालीगत मुद्दे परिकल्पित सत्यापन तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावकारिता के बारे में बताते हैं, अनुपालन संबंधी मुद्दे अलग-अलग मामलों में अधिनियम/नियमों के उपबंधों से विचलन से संबंधित होते हैं। यह देखते हुए कि यह एसएससीए विभाग के निरीक्षण तंत्र के मूल्यांकन की ओर उन्मुख था, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

1. उचित दस्तावेज का अभाव
2. विवरणी दाखिल करने पर निगरानी
3. कर भुगतान पर निगरानी

4.8.1 उचित दस्तावेज का अभाव

अधिनियम की धारा 2 (91) के अनुसार, इस अधिनियम के तहत किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में "सक्षम अधिकारी" का अर्थ है आयुक्त या केंद्रीय कर का अधिकारी, जिसे बोर्ड में आयुक्त द्वारा कार्य सौंपा गया है। इसी तरह, निरीक्षक और अधीक्षक के कार्यों और कार्य की प्रकृति को सीबीआईसी³³ द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों में परिभाषित किया गया था। मांग और वसूली संबंधी कार्यों के अलावा, उनकी भूमिका में नए करदाताओं का पंजीकरण, विवरणी दाखिल न करने वालों का आकलन, विवरणी की जांच, पंजीकरण रद्द करना और विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) द्वारा

³³ सीबीआईसी परिपत्र संख्या 1/1/2017 दिनांक 26 जून 2017, परिपत्र संख्या 3/3/2017 - जीएसटी दिनांक 5 जुलाई 2017 और परिपत्र संख्या 31/05/2018 - जीएसटी दिनांक 9 फरवरी 2018

पहचाने गए उच्च जोखिम वाले मामलों का सत्यापन भी शामिल है। 179 रेंज के नमूने में, लेखापरीक्षा ने देखा कि:

क) हालांकि रेंज के काम में कर प्रशासन से संबंधित गतिविधियों के सारे पहलू सम्मिलित हैं, लेकिन रेंजों में दस्तावेजों के रखरखाव पर कोई विशेष निर्देश जारी नहीं किए गए थे। विभाग ने एक बैक-एंड प्रणाली विकसित की थी, लेकिन विवरणी मॉड्यूल से संबंधित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रतिवेदनों को केवल आंशिक रूप से लागू किया गया है। जीएसटीआर-3ए (निश्चित तारीख के भीतर विवरणी दाखिल न करने वाले बकाएदारों को जारी किए गए नोटिस) और आरईजी-17 (कारण बताओ नोटिस) जैसी कई प्रक्रियाएं अभी भी प्रगति पर हैं। इस बीच, सभी चयनित रेंजों में यह देखा गया कि मुख्य कार्यों जैसे विवरणी दाखिल करने की निगरानी, पंजीकरण रद्द करने या दाखिल न करने वालों की निगरानी, के लिए फाईल, रजिस्टर और रिपोर्ट जैसे मैनुअल अभिलेख भी नहीं रखे जा रहे थे तथा दस्तावेजों की गुणवत्ता खराब थी।

ख) अधीक्षक और निरीक्षक के अग्रणी स्तर पर रेंजों में प्रभार सौंपने/लेने की कोई प्रक्रिया नहीं थी। इसके साथ ही रेंज अधिकारियों द्वारा करदाताओं और अन्य विभागों के साथ संचार के आदान-प्रदान के लिए तीसरे पक्ष की ईमेल सेवाओं का उपयोग जारी रखने के परिणामस्वरूप नए पदाधिकारियों के रेंज में मामलों के बारे में पिछले कार्यों और पुरानी जानकारी से पूरी तरह से अनजान होने का खतरा पैदा हो गया।

सिफारिश: विभाग

- 1) बैक-एंड प्रक्रियाओं जैसे कि विवरणी दाखिल न करने वालों (जीएसटीआर-3ए) की पहचान करना और नोटिस जारी करना, विवरणी में मिलान न होने की पहचान, कारण बताओ नोटिस (आरईजी-17) जारी करना, निर्धारण और मांग आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई और विवरणियों की संवीक्षा के स्वचालन में तेजी लाये। जब तक स्वचालन पूरा नहीं हो जाता, विभाग मैनुअल रिकॉर्ड/रजिस्टर का उचित रखरखाव सुनिश्चित करे।

2) अधीक्षक और निरीक्षक स्तरों पर कार्यभार सौंपने/लेने की प्रक्रिया को लागू करे।

मंत्रालय ने कहा (मई 2023) कि जीएसटीएन से सीधे जीएसटीआर-3बी विवरणी दाखिल न करने वालों को जीएसटीआर-3ए नोटिस जारी करना शुरू कर दिया गया है और अन्य विवरणियां दाखिल न करने वालों को नोटिस जारी करने की इसी सुविधा में तेजी लाई जा रही है। इसी तरह, जीएसटीएन ने विवरणियां दाखिल न करने के लिए आरईजी-17 नोटिस जारी करना शुरू कर दिया था, जो सीबीआईसी-एसीईएस बैंक-एंड एप्लिकेशन के साथ एकीकृत है। मंत्रालय ने आगे कहा कि विवरणियों में मिलान न होने की पहचान करने के लिए, सीबीआईसी-एसीईएस बैंक-एंड एप्लिकेशन में एक कार्यक्षमता "देयता तुलना की रिपोर्ट" भी प्रस्तुत की गई थी (अप्रैल 2022) और विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई थी।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि एसएमटी-10 से एसएमटी-12 से संबंधित कार्यक्षमता तैनात की गई थी और एसएमटी-14 से एसएमटी-18 से संबंधित कार्यक्षमता उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण के तहत थी।

मंत्रालय ने यह भी बताया (अप्रैल 2023) कि फील्ड कार्यालयों को मैनुअल रिकॉर्ड/रजिस्ट्रों के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने और सुचारू अधिग्रहण एवं रेंज के आवश्यक कार्यों की प्रभावी निगरानी के लिए अधीक्षक और निरीक्षक स्तर पर प्रभार सौंपने/लेने की प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया गया था।

4.8.2 विवरणी दाखिल करने पर निगरानी

विवरणी एक निर्धारित अवधि के दौरान करदाताओं द्वारा की गई व्यावसायिक गतिविधि से संबंधित निर्दिष्ट विवरणों का एक विवरण है। प्रत्येक करदाता एक निश्चित अवधि के लिए कर देनदारी और निर्धारित समय के भीतर भुगतान किए गए करों की विधिवत घोषणा करते हुए एक पूर्ण और सही विवरणी प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। स्वमूल्यांकन व्यवस्था में-, करदाताओं द्वारा विवरणी दाखिल करने की निगरानी का महत्व अधिक महत्व प्राप्त करता है क्योंकि विवरणियां करदाताओं और उनकी संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में जानकारी का पहला तरीका है।

4.8.2.1 विवरणी दाखिल करने की प्रवृत्ति

मासिक जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1 विवरणी दाखिल करने का समग्र रुझान तालिका 4.2 में दिया गया है।

तालिका 4.2: जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी की विवरणी फाइलिंग की प्रवृत्ति

वि.व.	दाखिल किए जाने वाली विवरणियों की संख्या		नियत तारीख तक दाखिल की गई विवरणियों की संख्या		नियत तारीख के बाद दाखिल विवरणियों की संख्या		दाखिल की गई कुल विवरणियां		दाखिल ³⁴ विवरणियां (%)		दाखिल विवरणियों के आधार पर नियत तारीख तक फाइलर (%)	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(1)	जीएसटीआर-3बी	जीएसटीआर-1	जीएसटीआर-3 बी	जीएसटीआर-1	जीएसटीआर-3 बी	जीएसटीआर-1	जीएसटीआर-3 बी	जीएसटीआर-1	3 बी	1	3 बी	1
2017-18	7,04,69,376	4,72,01,778	4,11,21,997	3,54,17,939	2,59,53,993	69,77,972	6,70,75,990	4,23,95,911	95	90	61	84
2018-19	11,57,07,817	7,56,97,667	6,96,28,789	2,77,20,033	3,35,00,577	3,13,23,794	10,31,29,366	5,90,43,827	89	78	68	47
2019-20	12,47,36,213	8,14,57,191	7,53,54,782	3,05,76,460	3,65,86,493	3,39,36,992	11,19,41,275	6,45,13,452	90	79	67	47
2020-21	11,94,16,108	9,80,45,251	6,13,23,805	3,83,83,812	4,86,68,301	3,46,87,987	10,99,92,106	7,30,71,799	92	75	56	53
2021-22	10,20,16,148	10,20,16,148	6,65,69,982	5,01,14,015	3,03,80,144	4,37,25,208	9,69,50,126	9,38,39,223	95	92	69	53

स्रोत: जीएसटी वेबसाइट <https://www.gst.gov.in/download/gststatistics>

उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि जीएसटी कार्यान्वयन की शुरुआत से ही कर विवरणियां दाखिल करने में विलंब हुआ है, जीएसटीआर-3बी की तुलना में जीएसटीआर-1 दाखिल करने में और भी अधिक विलंब हुआ है। वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 और 2019-20 में जीएसटीआर-3बी को दाखिल करने की प्रतिशतता में लगभग छः प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि जीएसटीआर-1 के लिए प्रतिशतता में लगभग 12 प्रतिशत की गिरावट आई। 2019-20 से 2021-22 की अगली अवधि के लिए दाखिल करने की प्रतिशतता बढ़कर जीएसटीआर-3बी के संबंध में 95 प्रतिशत और जीएसटीआर-1 के संबंध में 92 प्रतिशत हो गई, जो 2017-18 के स्तर पर पहुंच गई।

नियत तिथि तक दाखिल किए गए जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1 विवरणियों का प्रतिशत काफी कम है। जीएसटीआर-3बी विवरणी की नियत

³⁴ अगस्त 2022 तक

तारीख तक विवरणियां दाखिल करने का प्रतिशत 2018-19 में 68 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 56 प्रतिशत हो गया, लेकिन 2021-22 में सुधार कर 69 प्रतिशत हो गया। विवरणी दाखिल करने में विभाग द्वारा प्रदान की गई विभिन्न माफी योजनाओं³⁵ का लाभ उठाने वाले करदाताओं के कारण नियत तिथि तक दाखिल करने के प्रतिशत और दाखिल करने वालों के प्रतिशत में अंतर, हो सकता है। हालाँकि, जैसा कि 2019 की सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 11 के पैरा 2.3.1 में बताया गया है, जबकि यह उम्मीद की गई थी कि अनुपालन में सुधार होगा क्योंकि प्रणाली समय बीतने के साथ स्थिर हो जाएगी, नियत तिथि तक जीएसटीआर3-बी दाखिल करने में लगातार सुधार की कोई प्रवृत्ति नहीं थी।

जीएसटीआर-1 का विवरणी दाखिल प्रतिशत जीएसटीआर-3बी के संबंधित दाखिल प्रतिशत की तुलना में कम था। नियत तारीख तक दाखिल किया गया जीएसटीआर-1 पहले वर्ष में 84 प्रतिशत से घटकर 2018-19 और 2019-20 में केवल 47 प्रतिशत रह गया और फिर बाद के वर्षों 2020-21 और 2021-22 में सुधारकर 53 प्रतिशत हो गया। जीएसटीआर 1-और जीएसटीआर3-बी दाखिल करने के बीच अनुपालन में अंतर से (या विवरणी दाखिल करने के दायित्वों में कोई अंतर), जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी विवरणी के बीच कुल कारोबार, कर देयता और उपलब्ध आईटीसी जैसी कर जानकारी में मिलान न होने से, विभाग के अनुपालन कार्य और अधिक जटिल बन सकते हैं।


जबकि जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1 के बीच विवरणी दाखिल में अंतर 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में कोविड-19 महामारी तक 11 प्रतिशत

³⁵ पहली योजना जुलाई 2017 से सितंबर 2018 तक लंबित विवरणी दाखिल करने की अनुमति 31 मार्च 2019 तक देती है। दूसरी योजना को जुलाई 2017 से नवंबर 2019 तक लंबित जीएसटीआर-1 के लिए दिसंबर 2019 में प्रस्तावित किया गया था जिसे 17 जनवरी 2020 तक दाखिल किया जाना था। तीसरी योजना जून 2020 में जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक लंबित जीएसटीआर-3बी के लिए प्रस्तुत की गई थी, जिसे 30 सितंबर 2020 तक दाखिल किया जाना था। चौथा जून 2021 में जारी किया गया था, जिसमें जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक लंबित जीएसटीआर-3बी रिटर्न को 30 नवंबर 2021 तक दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। विवरणी दाखिल करने के लिए इन सभी विस्तारों को विलंब शुल्क की वसूली में रियायत के साथ अनुमति दी गई थी।

था, महामारी के दौरान यह बढ़कर 17 प्रतिशत हो गया और 2021-22 में इसमें लगभग तीन प्रतिशत की गिरावट आई।

ग्राफ 4.1 अगस्त 2022 तक 2017-18 से 2021-22 तक जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी की नियत तारीख तक दाखिल करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

ग्राफ 4.1: नियत तारीख के भीतर दायर विवरणी का प्रतिशत



स्रोत: जीएसटी वेबसाइट <https://www.gst.gov.in/download/gststatistics>

उपरोक्त ग्राफ में नियत तारीख तक विवरणी दाखिल करने के विश्लेषण से पता चलता है कि नियत तारीख के भीतर जीएसटीआर-3बी दाखिल करने का प्रतिशत नवंबर 2017 तक पहले पांच महीनों के दौरान कम रहा, नियत तारीख के भीतर औसत दाखिल प्रतिशत 54 प्रतिशत था, जो 2017-18 की दूसरी छमाही में धीरे-धीरे बढ़कर 70 प्रतिशत हो गया। अप्रैल 2018 में शुरुआती गिरावट (43 प्रतिशत) के बाद, नियत तारीख के भीतर दाखिल करने की दर औसतन 70 प्रतिशत के साथ लगभग स्थिर हो गई। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के दौरान, नियत तारीख के भीतर दाखिल करने के प्रतिशत में तेजी से गिरावट आई। इसका श्रेय सरकार द्वारा प्रभावित करदाताओं को लाभ देने के लिए उठाए गए विभिन्न छूट उपायों को दिया जा सकता है, जैसे कि पांच करोड़ ₹ से कम वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं के लिए जीएसटी विवरणी विलंब से दाखिल करने पर ब्याज, विलंब शुल्क और जुर्माने का भुगतान माफ करना और शेष करदाताओं के लिए दंडात्मक ब्याज की दर को कम करके नौ प्रतिशत करना।

फरवरी से अप्रैल 2020 महीनों के लिए जीएसटीआर-3बी विवरणी दाखिल करने की नियत तारीखें ₹ 5 करोड़ से अधिक कुल कारोबार वाले करदाताओं के लिए 24 जून 2020 तक और ₹ 5 करोड़ से कम कुल कारोबार वाले करदाताओं के लिए फरवरी और मार्च 2020 की नियत तारीखें 29 जून 2020 तक बढ़ा दी गईं, और अप्रैल 2020 के लिए 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई थी।

जीएसटीआर-1 दाखिल करने के एक समान विश्लेषण से संकेत मिलता है कि नियत तारीख के भीतर जीएसटीआर-1 दाखिल करने का प्रतिशत अगस्त 2018 से काफी कम हो गया है और नियत तारीख के भीतर औसत दाखिल प्रतिशत अगस्त 2018 से पहले की अवधि के लिए लगभग 78 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2018 से मार्च 2019 की अवधि के लिए लगभग 38 प्रतिशत हो गया है। गिरावट की प्रवृत्ति 2019-20 की पहली छमाही में, दिसम्बर 2019 से मार्च 2020 - कोविड से पूर्व की अवधि तक, 66 प्रतिशत तक उल्लेखनीय सुधार दिखाने से पहले, नियत तारीख तक दाखिल करने के औसत प्रतिशत के और अधिक 33 प्रतिशत तक गिरने के साथ, जारी रही। अनंतिम आईटीसी का लाभ उठाने पर प्रतिबंध को बाद में जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक 110 प्रतिशत और जनवरी से दिसंबर 2021 तक 105 प्रतिशत तक कम कर दिया गया। कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान, नियत तारीख के भीतर फाइलिंग प्रतिशत में गिरावट आई, जो फरवरी से अगस्त 2020 तक अनंतिम आईटीसी का लाभ उठाने के लिए 110 प्रतिशत के प्रतिबंध को हटाने के कारण हो सकता है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद, जून 2021 के बाद से जीएसटीआर-1 के दाखिल प्रतिशत में उल्लेखनीय सुधार हुआ और नियत तारीख के भीतर औसत दाखिल 62 प्रतिशत रही जो फरवरी 2022 में बढ़कर 84 प्रतिशत हो गई।

जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1 के बीच विवरणी दाखिल में अंतर के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि नियत तारीख के भीतर दाखिल प्रतिशत में अंतर सितंबर 2018 (22 प्रतिशत) से बढ़ गया और नवंबर 2019 तक औसतन 38 प्रतिशत रहा, इन दोनों विवरणी के बीच कर जानकारी में मिलान न होने के पर्याप्त मामले और कम/शून्य कर देनदारी के निर्वहन के संभावित उच्च जोखिम की संभावना को दर्शाता है। वर्ष 2017-18 के लिए विवरणी जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1 के लिए माहवार विवरणी दाखिल तालिका 4.3 में दी गई है:

तालिका 4.3: 2017-18 के दौरान विवरणी दाखिल करने की प्रवृत्ति

अवधि	जीएसटीआर-3बी			जीएसटीआर-1		
	दाखिल %	नियत तारीख के अनुसार विवरणी दाखिल करने वालों की संख्या का %	देर से विवरणी दाखिल करने वालों की संख्या का %	दाखिल %	नियत तारीख के अनुसार विवरणी दाखिल करने वालों की संख्या का %	देर से विवरणी दाखिल करने वालों की संख्या का %
जुलाई 2017	98	56	42	92	78	14
अगस्त 2017	97	37	60	85	77	8
सितंबर 2017	97	49	48	92	75	17
अक्टूबर 2017	96	57	39	87	79	8
नवंबर 2017	95	62	33	88	78	10
दिसंबर 2017	95	68	27	92	74	18
जनवरी 2018	94	66	28	86	75	11
फरवरी 2018	94	65	29	85	74	11
मार्च 2018	94	62	32	91	70	21

स्रोत: जीएसटी वेबसाइट से लिया गया डेटा

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि लगभग छः प्रतिशत पंजीकृत करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी विवरणी दाखिल नहीं किया है, जो पूर्ण रूप से प्रति माह लगभग 3,77,043 विवरणी के औसत के साथ पूरी अवधि के लिए 33,93,386 विवरणी में बदल जाता है। यह भी देखा गया है कि लगभग 39 प्रतिशत ने विलंब से विवरणी दाखिल किया है, जो कुल मिलाकर 2,59,53,993 विवरणी है, जो प्रति माह औसतन 28,83,777 विवरणी है। ये दोनों विचलन संभावित रूप से अस्थिर देनदारियों या आईटीसी का अधिक प्राप्ति का कारण बनते हैं और अधिनियम की धारा 62 के तहत कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

इस पृष्ठभूमि में, लेखापरीक्षा ने करदाताओं द्वारा विवरणी दाखिल करने की निगरानी करने और विवरणी दाखिल न करने वालों पर कार्रवाई शुरू करने के लिए रेंज के चयनित नमूने में प्रचलित तंत्र की समीक्षा की।

179 रेंजों के नमूने में से, लेखापरीक्षा 113 रेंजों में विवरणी दाखिल पर निगरानी तंत्र को सत्यापित नहीं कर सका क्योंकि लेखापरीक्षा को न तो रिकॉर्ड और न ही डेटा प्रदान किया गया था। शेष रेंजों में निगरानी तंत्र में कमी थी क्योंकि सामान्य और कंपोजीशन करदाताओं के विवरणी न दाखिल करने वाले/देर दाखिल

करने वाले फाइलर्स से संबंधित एमआईएस प्रतिवेदन रेंज अधिकारियों को समय पर कार्रवाई करने के लिए उपलब्ध नहीं थीं।

विवरणी न दाखिल करने वाले से मांग की वसूली के लिए निगरानी तंत्र 114 रेंजों में अपर्याप्त था। 95 रेंजों में जहां एएसएमटी-13, डीआरसी-07 जारी करने और वसूली विवरण से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड उपलब्ध थे, लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी चूककर्ताओं के संबंध में कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अलावा, 35 रेंजों में, जीएसटीआर-3ए (जीएसटी विवरणी दाखिल नहीं करने वाले चूककर्ताओं के लिए नोटिस) जारी करने की प्रक्रिया और इसका एएसएमटी-13 (उन मामलों में सर्वश्रेष्ठ निर्णय निर्धारण आदेश जहां करदाताओं ने जीएसटीआर-3ए नोटिस का अनुपालन नहीं किया है) और डीआरसी-07 (एएसएमटी-13 के अनुवर्ती मांग आदेश का सारांश) से अनुसरण करने का पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप चूककर्ताओं से ₹ 128.58 करोड़ की वसूली नहीं हो पाई।

विवरणी दाखिल करने और विवरणी दाखिल न करने वालों पर कार्रवाई करने के संबंध में रेंज में प्रचलित निगरानी तंत्र का विवरण नीचे दिया गया है:

4.8.2.2 विवरणी दाखिल न करने वालों पर अनुवर्ती कार्रवाई

मौजूदा निर्देशों³⁶ में परिकल्पना की गई है कि ऐसे मामलों में जहां करदाता विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, रेंज अधिकारी को फॉर्म जीएसटीआर-3 ए में एक नोटिस जारी करना होगा और चालान, बिक्री और खरीद रजिस्टर, वित्तीय विवरण और व्यवसाय से संबंधित और जैसे अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों जैसे दस्तावेजों की मांग करनी होगी जो मूल्यांकन के लिए आवश्यक हैं। यदि उक्त नोटिस के 15 दिनों के भीतर चूककर्ता द्वारा उक्त विवरणी अभी भी दाखिल नहीं की जाती है, तो नियम 100 के साथ पठित अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत फॉर्म एएसएमटी -13 में धारा 29 की उपधारा 5 के अंतर्गत करदाता की देनदारी निर्धारित करने के लिए समुचित अधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर एक निर्धारण आदेश जारी किया जाना चाहिए यदि एएसएमटी-13 में आदेश जारी होने से 30 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर उक्त विवरणी अभी भी अप्राप्त रहता है, तो उचित अधिकारी अधिनियम की

³⁶ सीबीआईसी परिपत्र संख्या 129/48/2019-जीएसटी दिनांक 24 दिसंबर 2019

धारा 79 के तहत वसूली कार्यवाही शुरू कर सकता है। यदि चूककर्ता फॉर्म एसएमटी-13 में निर्धारण आदेश की सेवा के 30 दिनों के भीतर वैध विवरणी प्रस्तुत करता है, तो उक्त निर्धारण आदेश को धारा 62 अधिनियम की उप-धारा (2) के प्रावधान के अनुसार वापस ले लिया गया माना जाएगा।

179 रेंज के नमूने में विवरणी न दाखिल करने वाले के संबंध में निगरानी तंत्र की समीक्षा से निम्नलिखित पता चला:

क) विवरणी दाखिल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं की गई: रेंज के करदाताओं की प्रोफाइल और रेंज द्वारा पहचाने गए देर से दाखिल करने वालों/ दाखिल न करने वालों की तुलना में उनके द्वारा दाखिल विवरणी की समीक्षा से पता चला कि रेंज ने सभी चूक मामलों का संज्ञान नहीं लिया था। सीबीआईसी बैक-एंड सिस्टम में उपलब्ध 'ड्यू फाइलर रिपोर्ट' से, लेखापरीक्षा ने पाया कि 46 रेंजों में 36,457 मामलों में कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। बेलगावी आयुक्तालय के अंतर्गत बेल्लारी-सी रेंज और मैंगलोर आयुक्तालय के अंतर्गत बैकमपाडी रेंज में, क्रमशः 13,954 और 4,005 विवरणी न दाखिल करने वाले थे, जहां कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। शेष रेंजों में रेंज अधिकारी द्वारा बनाए गए जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1 के विवरणी न दाखिल करने वाले से संबंधित देय फाइलर रिपोर्ट और अन्य एमआईएस रिपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण, मामलों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा ने रेंजों में विवरणी न दाखिल करने वाले की पहचान और उसके बाद की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पर्याप्त प्रणालियों की कमी देखी। कर अधिकारी को विवरणी दाखिल न करने वालों की पहचान करने और उन्हें नोटिस जारी करने में सक्षम बनाने के लिए सीबीआईसी बैक-एंड सिस्टम में "नॉन-फाइलर देखें" कार्यक्षमता नवंबर 2019 में ही शुरू की गई थी। इस अवधि से पहले, कर अधिकारी के लिए मामलों की पहचान करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा, 2021 के अंत में भी, इस सुविधा में कंपोजीशन करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटीआर-4 विवरणी शामिल नहीं थे। इसके अतिरिक्त, जैसा कि मार्च 2021 तक देखा गया था, जीएसटीआर-3ए और एसएमटी-13 के मुद्दे स्वचालित नहीं थे और केवल ईमेल मोड द्वारा जारी किए जा रहे थे।

लेखापरीक्षा प्रश्न के जवाब में, बेल्लारी सी रेंज अधिकारी ने उल्लेख किया कि वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान, दाखिल न करने वालों और विवरणी दाखिल करना बंद करने वालों पर की गई कार्रवाई मुख्य रूप से केंद्रीय करों के प्रधान आयुक्तों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित थी और रेंज द्वारा कोई स्वतंत्र पहचान नहीं बनाई गई थी। बेंगलुरु ज़ोन में लेखापरीक्षा किए गए अन्य सभी रेंजों में भी यह पाया गया कि अन्य ज़ोन से प्रतिक्रियाएँ प्राप्त नहीं हुई थीं।

ख) विवरणी दाखिल न करने वालों पर कार्रवाई शुरू की गई लेकिन पूर्ण नहीं हुई: सभी मामलों में जीएसटीआर-3ए के बाद एसएमटी-13 जारी करने की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने 2017-18 से 2020-21 के दौरान 33 रेंज में 13,010 मामले देखे जहां जीएसटीआर-3ए अधिसूचना जारी की गई, लेकिन करदाताओं द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपनी विवरणी दाखिल न करने के बावजूद, एसएमटी-13 के अंतर्गत मूल्यांकन आदेश जारी नहीं किया गया। तीन रेंज में जहां अभिलेख उपलब्ध थे, लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ मामलों में करदाताओं ने जीएसटीआर-3ए के अनुसरण में अपनी विवरणी दाखिल की, लेकिन ₹ 0.11 करोड़ की कर राशि के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज की वसूली नहीं की गई। दो रेंज में जहां राशि की गणना की गई, वहाँ वसूली न की गई राशि ₹ 1.93 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा ने 12 रेंज में 730 मामले भी देखे जहां, अधिनियम के अंतर्गत देय राशि की मांग के लिए करदाता द्वारा एसएमटी-13 पर अनुपालन न करने के बावजूद, डीआरसी-07 सारांश आदेश जारी नहीं किया गया। आठ रेंज में 499 मामलों में अंतर्निहित कर राशि (जहां अभिलेख उपलब्ध थे) ₹ 111.46 करोड़ है। कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

- i. राउरकेला केंद्रीय कर आयुक्तालय के कालूंगा । रेंज में, 2017-18 से 2020-21 के दौरान फॉर्म जीएसटीआर-3ए में जारी 355 अधिसूचनाओं में से, केवल 43 मामलों में करदाताओं ने जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसरण में अपनी विवरणी दाखिल की। शेष 312 मामलों में से एसएमटी-13 आदेश केवल छः मामलों में जारी किए गए। रेंज ने 306 मामलों में

कोई कार्रवाई नहीं की। इन मामलों में डीआरसी-07 जारी करने से संबंधित जानकारी/विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया।

मंत्रालय ने कहा (मई 2023) कि 355 जीएसटीआर-3ए अधिसूचनाओं में से 119 मामलों का निपटान किया, क्योंकि बाद में विवरणियां दर्ज की गई थी। शेष 236 मामलों में, जांच प्रक्रियाधीन थी और सत्यापन के बाद, एएसएमटी-13 और डीआरसी-07 उचित समय पर जारी किए जाने हैं। सभी मामलों में जहां करदाता छः महीने की निरंतर अवधि के लिए वैधानिक विवरणी दाखिल करने में विफल रहे और उनकी स्थिति 'निष्क्रिय' रूप में दिखाई गई, उन करदाताओं का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था।

ii. बेलगावी केंद्रीय कर आयुक्तालय के होस्पेट सी रेंज में, विवरण दाखिल न किए गए 362 मामलों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि मूल्यांकन आदेश (एएसएमटी-13) जारी करने के बाद मांग आदेश (डीआरसी-07) जारी नहीं किया गया, हालांकि करदाता ने पूरी तरह से प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था। इन मामलों में रेंज द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों से डीआरसी-07 जारी न होने के कारणों का पता नहीं लग पाया। इन मामलों में देय राजस्व ₹ 15.46 करोड़ था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

ग) डीआरसी-07 की मांग के साथ निर्वहन की गई देयता का मिलान नहीं किया गया: सीजीएसटी नियमावली के नियम 100 के अनुसार, सक्षम अधिकारी फॉर्म एएसएमटी-13 में एक आदेश जारी कर सकता है और फॉर्म डीआरसी-07 (आदेश का सारांश) में उसका सारांश अपलोड कर सकता है, जिसमें कर/उपकर, ब्याज, जुर्माना और करदाता द्वारा देय किसी भी अन्य राशि जैसे मांग विवरण शामिल होंगे। करदाता अपने डैशबोर्ड पर आदेश देख सकते हैं और तदनुसार देयता का निर्वहन कर सकते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि देयता का निर्वहन, दो रेंजों में की गई मांग से कम किया गया। दो रेंज में 32 मामलों में, जहां डीआरसी-07 जारी की गई और वसूल की गई राशि के बारे में प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध थी, भुगतान में कमी ₹ 2.36 करोड़ की थी, जिसकी चर्चा नीचे की गई है। मांग की तुलना में कर भुगतान में अंतर के कारण उपलब्ध नहीं थे।

- i. बेलगावी केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत होस्पेट सी रेंज और बेल्लारी सी रेंज में, लेखापरीक्षा ने देखा कि 32 मामलों में करदाता द्वारा निर्वहन की गई देयता डीआरसी-07 मांग राशि से कम थी। रेंज ने अंतर को ठीक करने या (डीआरसी-08 जारी करके) मांग को सुधारने के लिए कार्रवाई नहीं की। इन मामलों में वसूली में कमी ₹ 2.36 करोड़ थी। इन मामलों में से, विभाग ने चार मामलों में पंजीकरण रद्द कर दिया, लेकिन ₹ 0.31 करोड़ की बकाया राशि की वसूली लंबित थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

घ) बकाया राशि की वसूली के लिए आधा अधूरा प्रयास: धारा 78 निर्दिष्ट करती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश के अनुसरण में कर योग्य व्यक्ति द्वारा किसी भी देय राशि का भुगतान ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश के निष्पादन की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा, ऐसा न करने पर वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी। कुछ विशेष परिस्थितियों में समय अवधि तीन महीने से कम हो सकती है, यदि यह सरकार के हित में उचित है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 13 रेंजों में 632 मामलों में, रेंज ने एएसएमटी-13 और डीआरसी-07 जारी करने के बाद ₹15.19 करोड़ की बकाया राशि की वसूली को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई नहीं की।

उदाहरणस्वरूप कुछ मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

- i. बेलगावी केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत होस्पेट सी रेंज में, लेखापरीक्षा ने देखा कि 122 मामलों में हालांकि एएसएमटी-13 जारी किए गए थे, डीआरसी-07 जारी नहीं किए गए और 19 से 29 महीने (जनवरी 2023) बीत जाने के बावजूद वसूली के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। इन मामलों में शामिल धनराशि ₹ 5.68 करोड़ थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

- ii. बेलगावी केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत बेल्लारी सी रेंज में, लेखापरीक्षा ने देखा कि 22 मामलों में जहां डीआरसी-07 जारी किए गए थे, 19 मामलों में 23 से 36 महीने (जनवरी 2023) बीत जाने के बावजूद वसूली हेतु कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। लंबित वसूली ₹ 3.68 करोड़ आकलित की गई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

सिफारिश:

3) (क) विभाग, नोटिस जारी करने (जीएसटीआर-3ए), निर्धारण आदेश (एसएमटी-13) और मांग आदेश (डीआरसी-07), लंबित एसएमटी-13 मूल्यांकन, डीआरसी-07 पर वसूली पूर्ववृत्त और अपील के मामलों, संयोजन करदाताओं और अन्य श्रेणी के पंजीकरणों जैसे इनपुट सेवा वितरकों आदि में विलंब और विवरणी दाखिल न करने वालों आदि से संबंधित एमआईएस प्रतिवेदन, प्रभावी निगरानी के लिए सीबीआईसी-एसीईएस बैक-एंड सिस्टम में कर अधिकारियों को प्रदान करे।

(ख) इसके अलावा, विभाग नोटिस, निर्धारण आदेश, मांग आदेश आदि जारी करने का समर्थन करने के लिए सीबीआईसी-एसीईएस बैक-एंड आईटी सिस्टम के माध्यम से स्वचालन के अधिक उपयोग पर विचार करे।

मंत्रालय ने कहा (मई 2023) कि जीएसटीएन द्वारा जीएसटीआर-3ए अधिसूचना जारी करने की कार्यात्मकता के कार्यान्वयन में विलंब के कारण बैक-एंड एप्लिकेशन में 'व्यू नॉन-फाइलर' कार्यात्मकता को अंतरिम उपाय के रूप में आरंभ किया गया। जीएसटीएन ने नवंबर 2020 से जीएसटीआर-3बी विवरणी के लिए जीएसटीआर-3ए अधिसूचना जारी करने के कार्य को शुरू किया और जीएसटीएन से अन्य जीएसटी विवरणी भुगतान न करने वालों के लिए भी ऐसी कार्यक्षमता विकसित करने का अनुरोध किया गया, जिसमें करदाताओं में से वे विवरणी दाखिल न करने वाले भी शामिल हैं जिन्होंने संयोजन स्कीम का विकल्प चुना है। मंत्रालय ने आगे कहा कि डीआरसी-07 के लिए एमआईएस रिपोर्ट अभिनियोजित की गई और वसूली और अपील के लिए एमआईएस रिपोर्ट विकास के चरण में थी।

4.8.3 कर भुगतान पर निगरानी

अनुपालन जोखिम प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है जो सक्रिय कार्रवाई की मांग करती है। विवरणी दाखिल और कर प्रशासन की पूरी प्रक्रिया को सहज करने वाली तकनीक के साथ, न केवल विभिन्न स्तरों पर कर भुगतान पर निगरानी की जा सकती है, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा बाह्य-हस्तक्षेप रहित और सुनियोजित भी हो सकता है। विभाग ने विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन

महानिदेशालय (डीजीएआरएम) बनाया है और कर प्रशासन के लिए आंकड़ा विश्लेषण का उपयोग कर रहा है। कर भुगतान पर प्रभावी निरीक्षण में विवरणी की जांच और करदाताओं द्वारा कर देयता के निर्वहन की निगरानी के लिए एक प्रभावी और स्थायी तंत्र भी शामिल है।

लेखापरीक्षा ने विवरणियों की जांच की प्रक्रिया की समीक्षा करके और रेंज में डीजीएआरएम रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई करके कर भुगतान पर निगरानी की जांच की; करदाताओं द्वारा जीएसटी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए, ऐसे मामलों में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए विभिन्न जीएसटी विवरणी के बीच त्रुटियों के नमूने की केंद्रीकृत रूप से पहचान करना, और मामलों के एक नमूने की विस्तृत लेखापरीक्षा करना, जिसमें बीजक जैसे ग्रेनुलर रिकार्ड की जांच भी शामिल है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विवरणियों की संवीक्षा की प्रक्रिया को जीएसटी के कार्यान्वयन के चार वर्ष से अधिक समय बाद केवल मार्च 2022 में एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ संस्थागत किया गया। इससे पहले, विभाग मुख्य रूप से अपने अनुपालन सत्यापन कार्यों के निर्वहन के लिए डीजीएआरएम इनपुट पर निर्भर था। रेंज में डीजीएआरएम रिपोर्ट के सत्यापन और अनुवर्ती से संबंधित अभिलेखों के रखरखाव में कमी थी और इसलिए लेखापरीक्षा डीजीएआरएम रिपोर्ट पर रेंज द्वारा किए गए सत्यापन की गुणवत्ता और सीमा पर कोई प्रणालीगत आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका। उपलब्ध कराए गए अभिलेख से, लेखापरीक्षा ने देखा कि डीजीएआरएम रिपोर्ट में मुद्दों का भी क्षेत्राधिकार संरचनाओं द्वारा कई मामलों में प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया गया।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा पहचाने गये आंकड़ों की विसंगतियों/विचलनों और इनके रेंज (केंद्रीकृत लेखापरीक्षा) के साथ अनुसरण ने ₹ 2,203.57 करोड़ की सीमा तक आईटीसी का अनियमित लाभ उठाने और करदाताओं द्वारा कर देयता का निर्वहन नहीं किये जाने या कम किये जाने को स्थापित किया।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि विस्तृत लेखापरीक्षा में, करदाताओं द्वारा ₹ 468.96 करोड़ के कर भुगतान में आईटीसी प्राप्ति और साथ ही साथ उसका उपयोग करने में भी जीएसटी प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया।

संवीक्षा प्रक्रिया पर विस्तृत निष्कर्ष, डीजीएआरएम रिपोर्ट का अनुवर्तन, आंकड़ा विसंगतियों और करदाताओं द्वारा जीएसटी प्रावधानों के अनुपालन पर आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

4.8.3.1 विवरणियों की संवीक्षा

अधिनियम की धारा 61 में उचित अधिकारी द्वारा विवरणियों की संवीक्षा का प्रावधान है। नियम 99 पर्यवेक्षित त्रुटियों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। विवरणी की संवीक्षा की एक प्रभावी प्रणाली, विभाग के एक महत्वपूर्ण अनुपालन कार्य को जीएसटी कार्यान्वयन के चार वर्षों से अधिक समय तक भी संस्थागत नहीं किया गया। पूर्व सीएजी रिपोर्ट³⁷ में भी यह टिप्पणी की गई थी।

विभाग ने संवीक्षा के लिए विवरणियों के चयन, ऐसी विवरणियों की संवीक्षा की पद्धति और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए केवल मार्च 2022³⁸ में विवरणियों की संवीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) शुरू की। एसओपी की परिकल्पना है कि संवीक्षा के लिए इकाइयों का चयन (डीजीएआरएम) द्वारा किया जाएगा। इसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए विवरणी की संवीक्षा शामिल थी और यह कहा कि जब तक सीबीआईसी बैंक-एंड सिस्टम पर विवरणी की ऑनलाइन संवीक्षा के लिए एक संवीक्षा मॉड्यूल उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक एसओपी एक अंतरिम उपाय होगा।

अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022 तक क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा विवरणी की संवीक्षा की प्रगति का परीक्षण लेखापरीक्षा द्वारा किया गया। 31 अक्टूबर 2022 तक कम से कम 14,320 जांच मामलों को पूरा करने में विलंब जैसी लेखापरीक्षा टिप्पणियों को इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 3.2 में शामिल किया गया है।

³⁷ 2022 की सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5

³⁸ सीबीआईसी परिपत्र संख्या.2/2022, दिनांक 22 मार्च 2022

लेखापरीक्षा ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में एक निर्धारित जांच का उल्लेख किया, जिसमें उन मामलों की पहचान करना शामिल है जहां धारा 16 (4) में उल्लिखित किसी भी बीजक या डेबिट नोट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाने के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद दायर जीएसटीआर3बी पर आईटीसी का अनियमित रूप से लाभ उठाया गया। अधिनियम द्वारा लगाई गई परिसीमाओं को देखते हुए, केवल खुफिया नियंत्रणों पर भरोसा करने के बजाय प्राथमिक उपाय के रूप में एक निवारक नियंत्रण स्थापित करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

सिफारिश:

- 4) वर्तमान प्रणाली में करदाता सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में प्रदान की गई अंतिम अवधि के बाद जीएसटीआर-3बी के विलंब से दर्ज होने पर आईटीसी का लाभ उठा सकता है। एक प्रभावी नियंत्रण यह सुनिश्चित करे कि मासिक जीएसटीआर-3बी से वार्षिक विवरणी की तालिका 6ए में स्वतः दर्ज आईटीसी के लाभ में, अंतिम अवधि के बाद दायर जीएसटीआर-3बी सम्मिलित न हो।

मंत्रालय ने कहा (मई 2023) कि विवरणी की संवीक्षा (जोखिम आधारित चयनात्मकता प्रणाली) से संबंधित कार्यक्षमता का विकास शुरू किया गया था और इस प्रकार की प्रणाली अभिनियोजन उपरांत उपयुक्त जोखिम नियमों के निर्माण द्वारा इस प्रकार के मुद्दों को लक्षित कर सकती थी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा अनुशंसित सत्यापन फ्रंट-एंड से संबंधित है और इसलिए, इसे जीएसटीएन द्वारा देखे जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह फ्रंट एंड से संबंधित है।

मंत्रालय उचित सत्यापन नियंत्रणों को शामिल करने के लिए जीएसटीएन के साथ मामलों को उठाए, जैसी कि सिफारिश की गई थी।

4.8.3.2 डीजीएआरएम प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशक (डीजीएआरएम) की स्थापना अप्रत्यक्ष कर आंकड़ों का अध्ययन, व्याख्या और विश्लेषण करने और विभिन्न हितधारकों के साथ परिणाम साझा करने के उद्देश्य से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और

सीमा शुल्क बोर्ड के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में की गई। इसने जून 2018 में कार्य करना प्रारम्भ किया।

डीजीएआरएम कार्रवाई के लिए आंकड़ा प्रबंधन निदेशालय (डीडीएम) पोर्टल पर विभिन्न विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों के माध्यम से सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ उच्च जोखिम वाले करदाताओं की सूची साझा करता है। कार्रवाई पूरी होने पर, सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं को संबंधित डीजीएआरएम प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया अद्यतित करने की आवश्यकता होती है जिसमें पहचान करने और वसूली संबंधी विवरण शामिल होते हैं। प्रारंभ में नवंबर 2018 से फरवरी 2019 के महीनों में, वर्ष 2017-18 के लिए विचलन से संबंधित 10³⁹ डीजीएआरएम प्रतिवेदन थे, जिन्हें बाद में मार्च 2021 के अंत तक बाद के वर्षों के लिए विभिन्न परिमाणों के आधार पर 37⁴⁰ प्रतिवेदनों तक बढ़ा दिया गया था। 179 रेंजों के लेखापरीक्षा नमूने में डीजीएआरएम प्रतिवेदनों की अनुवर्ती कार्यवाही के लेखापरीक्षा विश्लेषण ने निम्नलिखित को प्रकट किया:

क) अभिलेखों का खराब रखरखाव: पूर्व सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2022 की संख्या 5), ने टिप्पणी की थी कि हालांकि डीजीएआरएम प्रतिवेदन और इन प्रतिवेदनों पर क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा की गई कार्रवाई को डीडीएम पोर्टल पर अद्यतित किया गया था, क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा इन प्रतिवेदनों पर की गई विस्तृत कार्रवाई, जैसे कि विसंगति की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए करदाता के साथ पत्राचार और उसी पर करदाताओं की प्रतिक्रिया मांगने के लिए की गई कार्रवाई अभी भी मानवीय रूप से/ऑफलाइन की जा रही थी। यह सिफारिश की गई थी कि पारदर्शिता और प्रभावी वास्तविक समय में निगरानी की सुविधा के लिए, गतिविधियों का पूरा सेट सीबीआईसी बैक-एंड सिस्टम के हिस्से के रूप में शुरू से अंत तक स्वचालित होना चाहिए। सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने लेखापरीक्षा के लिए डीजीएआरएम प्रतिवेदन के सत्यापन से संबंधित अभिलेख पेश न

³⁹ 1,2,3,4,5,6,6ए,7 श्रृंखला,9,10 श्रृंखला

⁴⁰ 1,2,3,4,5,6,6ए,7श्रृंखला,9,10श्रृंखला,11,12,13,14,15,15ए,15बी,15सी,15डी,15ई,15एफ,15जी,15एच, 15आई, 15जे,16 श्रृंखला, 17ए, 17बी,17सी, 17डी, 18ए-एन,18ओ,18पी, 18क्यू,18आर,18एस, 19 श्रृंखला, 20 श्रृंखला, 21 श्रृंखला, 22ए,22बी,23,25,26 श्रृंखला, 27, 29, 29बी,29सी,31,32,33,34 श्रृंखला, 35,36,37।

करने के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला था और यह सिफारिश की गई थी कि विवरणी की संवीक्षा के एक प्रभावी जोखिम-आधारित प्रणाली के अभाव में, डीजीएआरएम इनपुट, सत्यापन का एकमात्र स्रोत था, और विभाग की कार्य-निष्पादन क्षमता पर आश्वासन प्रदान करने के लिए ऐसे अभिलेख तक पहुंच आवश्यक थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी 179 नमूना रेंजों में, डीजीएआरएम प्रतिवेदनों के सत्यापन से संबंधित अभिलेखों के रखरखाव में कमी थी; या तो प्रासंगिक फाइलें उपलब्ध नहीं थीं, या जांच के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को इंगित करने वाले और जिस आधार पर रेंज अधिकारी निष्कर्ष पर पहुंचे थे, वे अंतर्निहित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। एक रेंज में, डीजीएआरएम सत्यापन फाइलें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं करवाई गईं।

जयपुर जोन में, जोधपुर केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले सीजीएसटी रेंज-XII मेड़ता ने गोपनीयता के कारणों का हवाला देते हुए डीजीएआरएम प्रतिवेदन तक पहुंच प्रदान नहीं की। यह कहा गया कि डीजीएआरएम प्रतिवेदन सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा लक्षित प्रवर्तन कार्रवाई के लिए खुफिया जानकारी है और इसलिए इसे साझा नहीं किया जा सकता। हालाँकि, उक्त प्रतिवेदन अन्य रेंजों द्वारा प्रदान किये गये। यह स्थिति तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अधिकांश डीजीएआरएम प्रतिवेदन आंकड़ा आधारित चेतावनी-सूचक हैं जिन्हें क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा सत्यापन के लिए आगे बढ़ाया जाना है और जांच की पूरी प्रणाली डीजीएआरएम द्वारा प्रदत्त जानकारी पर आधारित है। रेंजों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई वाले अभिलेखों के साथ लेखापरीक्षा को इन प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण, रेंज द्वारा किए गए बुनियादी कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए अनिवार्य है।

खराब अभिलेख रखरखाव के मद्देनजर और कुछ रेंजों द्वारा अभिलेखों के उपलब्ध न कराने के कारण, लेखापरीक्षा डीजीएआरएम प्रतिवेदन पर रेंजों द्वारा किए गए सत्यापन की गुणवत्ता और सीमा पर आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी।

ख) चेतावनी-सूचक मामलों का अपर्याप्त सत्यापन: 2020-21 के अंत तक छः डीजीएआरएम प्रतिवेदन, अर्थात् 10 श्रृंखला के अंतर्गत प्रतिवेदन (जीएसटीआर-3बी के साथ ई-वे बिलों में घोषित कर देयता की तुलना), 15 श्रृंखला (स्टॉप फाइलर्स), 18 श्रृंखला (जीएसटीआर-3बी विवरणी दाखिल न करने वाले), 19 श्रृंखला (जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1 कर देयता में अंतर), 20 श्रृंखला (जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए के बीच आईटीसी गैर-मिलान), 21 श्रृंखला (आईजीएसटी प्रतिदाय का दावा करना और जीएसटीआर-3बी दाखिल न करना) चेतावनी-सूचक प्रतिवेदन थे जिनमें केवल बैक-एंड प्रणाली तक जांच को सीमित किए बिना, करदाताओं के अभिलेखों के विस्तृत सत्यापन की आवश्यकता थी। चेतावनी-सूचक मामलों में, रेंज अधिकारियों को ब्याज के साथ अंतर कर/क्रेडिट की वसूली सहित सभी प्रक्रियाओं को पूरा करना आवश्यक था। अनुपालन न करने की स्थिति में, आवश्यक जानकारी मांगकर तुरंत कार्रवाई की जानी थी। अभिलेखों/दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के मामले में, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 70 के अंतर्गत सम्मन जारी किया जाना था और राजस्व की सुरक्षा के लिए जहां भी आवश्यक हो, मांग/कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया जाना था।

179 चयनित रेंजों में से 30 रेंजों में जहां चेतावनी-सूचक मामलों से संबंधित फाइलें उपलब्ध कराई गईं, लेखापरीक्षा ने देखा कि 411 मामलों में पांच चेतावनी-सूचक वाली प्रतिवेदनों (10,15,18,19 और 20 श्रृंखलाओं में) पर 22 रेंजों द्वारा कम जांच की गई।

एक मामले का उदाहरण नीचे दिया गया है:

चेन्नई दक्षिण केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले गिंडी रेंज - 1 में, अप्रैल 2019 से जून 2019 की अवधि के लिए डीजीएआरएम प्रतिवेदन 10⁴¹ से संबंधित चार मामलों को चेतावनी-सूचक पाया गया था। प्रतिवेदन में जीएसटीआर-3बी विवरणी के साथ ई-वे बिल में घोषित

⁴¹ ई-वे बिल रिपोर्ट में शामिल जीएसटी देयता का विश्लेषण।

कर देयता की तुलना शामिल थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि रेंज द्वारा इस चेतावनी-सूचक प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

जब इंगित किया गया (अक्टूबर 2022), मंत्रालय ने कहा (मई 2023) कि चार में से दो मामलों में अंतर की पहचान की गई और सितंबर 2022 में डीआरसी-01ए जारी किया गया। शेष दो मामलों में, उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

इसके अलावा, नमूना 179 रेंजों के 83 प्रतिशत, 149 रेंजों ने चेतावनी-सूचक मामलों से संबंधित अभिलेख/फाइलें प्रदान नहीं कराईं और इसलिए, लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी कि क्या इन रेंजों में चेतावनी-सूचक मामलों का सत्यापन पर्याप्त था।

ग) अन्य डीजीएआरएम प्रतिवेदनों का अपर्याप्त सत्यापन: रेंजों द्वारा किए जाने वाले जाँचों/परीक्षणों के लिए प्रदान किए गए निर्देशों के अनुसार, यदि मामले को जांच की आवश्यकता न हो या यदि मामला किसी अन्य सीजीएसटी क्षेत्राधिकार से संबंधित हो या राज्य के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया हो तो "कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं" विकल्प का चयन करना था। यदि करदाता से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के बाद मुद्दे की जांच की आवश्यकता नहीं थी तो "बिना किसी जांच/वसूली के पूरी की गई कार्रवाई" का चयन करना था। लेखापरीक्षा की गई सभी 179 रेंजों में, डीजीएआरएम प्रतिवेदन से संबंधित फाइलों को या तो प्रस्तुत नहीं किया गया या फाइलों में जांच या संबंधित दस्तावेजों का विवरण नहीं पाया गया। इसलिए, लेखापरीक्षा जांच की प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं कर सकी। निम्नलिखित रेंजों में, जहां कुछ फाइलें उपलब्ध कराई गई थीं, लेखापरीक्षा ने देखा कि जांच की सीमा अपर्याप्त थी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

i. अंगुल 1 रेंज में, राउरकेला केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत, अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि से संबंधित जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी में प्रतिवेदित देयता में अंतर से संबंधित दो

डीजीएआरएम प्रतिवेदन (19एफ⁴² और 19एल⁴³) में, रेंज ने "कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है" और "मामले की जांच की आवश्यकता नहीं है" के रूप में प्रतिक्रिया प्रस्तुत की थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 8.53 करोड़ की कर योग्य राशि में विसंगति थी, जिसकी कर राशि ₹ 1.48 करोड़ थी। जब इंगित किया गया (अक्टूबर 2022), मंत्रालय ने कहा (मई 2023) कि दोनों मामलों में एएसएमटी-10 में करदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे।

- ii. राउरकेला केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत क्यॉडर रेंज I में, जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी में प्रतिवेदित देयता में अंतर से संबंधित प्रतिवेदन 19एफ⁴⁴ से संबंधित एक मामला "कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं" इंगित करके बंद कर दिया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 0.19 करोड़ की देयता में विसंगति अभी भी मौजूद थी। जब इस विसंगति को इंगित किया गया (सितंबर 2022), मंत्रालय ने कहा (मई 2023) कि दिसंबर 2022 में करदाता को ₹ 0.19 करोड़ के लिए मांग नोटिस जारी किए गए हैं।
- iii. बेल्लारी आयुक्तालय के अंतर्गत होस्पेट सी रेंज में, डीजीएआरएम प्रतिवेदन संख्या 19 पी⁴⁵ ने, अक्टूबर से दिसंबर 2020 तिमाही के लिए जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के बीच ₹ 0.71 करोड़ की कर राशि के अंतर पर प्रकाश डाला। रेंज अधिकारी ने ₹ 0.43 करोड़ की राशि के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया क्योंकि करदाता ने जवाब दिया कि फरवरी 2021 में ₹ 0.28 करोड़ की शेष राशि का भुगतान किया गया था। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में

⁴² अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1 की देयता में अंतर (₹ 5 लाख से अधिक का अंतर)

⁴³ जुलाई से सितंबर 2019 की अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1 की देयता में अंतर (₹ 10 लाख से अधिक का अंतर)

⁴⁴ अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1 की देयता में अंतर (₹ 5 लाख से अधिक का अंतर)

⁴⁵ अक्टूबर से दिसंबर 2020 की अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1 की देयता में अंतर (₹ 1 करोड़ से अधिक का अंतर)

₹ 0.28 करोड़ का डेबिट नहीं मिला। इसे अप्रैल 2022 में इंगित किया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

iv. मैसूर आयुक्तालय के अंतर्गत शिवमोग्गा रेंज में, एक करदाता से संबंधित एक मामले को डीजीएआरएम द्वारा जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी आईटीसी गैर-मिलान⁴⁶ ₹ 0.88 करोड़ के लिए चेतावनी-सूचक दिखाया गया। चूंकि एसएमटी-10 के खिलाफ करदाता से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, इसलिए कर बीजक के बिना आईटीसी लाभ पाने के लिए अधिनियम की धारा 74 (1) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया। वाहन वेबसाइट में ई-वे बिलों में इंगित वाहन विवरण की प्रति-जांच से पता चला है कि आपूर्तिकर्ताओं ने ऑटो-रिक्शा के माध्यम से 24,140 किलोग्राम लोहे और अशोक लीलैंड दोस्त एलजीवी के माध्यम से 24,560 किलोग्राम लोहे के परिवहन को दिखाया था, जो असंभव था। इसने इनपुट की पावती प्राप्त किए बिना आईटीसी लाभ जैसी बड़ी धोखाधड़ी की संभावना का संकेत दिया, जिन पर एससीएन जारी करते समय रेंज द्वारा विचार/जांच नहीं कि गई थी। इसे अगस्त 2022 में इंगित किया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था(जनवरी 2024)।

घ) वसूली नहीं की गई: लेखापरीक्षा ने देखा कि छः रेंजों में 15,304 मामलों में वसूली नहीं की गई। 32 अन्य रेंजों में, जांच में पाए गए विचलन पर वसूली विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके अभाव में, लेखापरीक्षा में इस प्रकार के मामलों की संख्या और वसूली के लिए लंबित राशि की पहचान नहीं की जा सकी।

भुवनेश्वर केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत भुवनेश्वर II रेंज में, पांच मामलों⁴⁷ में, ₹ 1.58 करोड़ का आईटीसी गैर-मिलान शामिल था, लेकिन कोई वसूली नहीं की गई। हालांकि इसे 'जांच और वसूली के साथ पूर्ण कार्रवाई' के रूप में प्रतिवेदित किया गया था। इन मामलों में केवल

⁴⁶ प्रतिवेदन 3ए/2021

⁴⁷ प्रतिवेदन 19ई और 19एफ

एसएमटी-10 जिसने करदाता की विसंगति पर प्रकाश डाला था, जारी किया गया था।

इसी प्रकार, बेंगलुरु पूर्व केन्द्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले डीईडी-7 रेंज में, डीजीएआरएम की विवरणी दाखिल न करने वालों के प्रतिवेदन में छः मामलों के संबंध में ₹ 0.58 करोड़ की कर राशि के विलंबित प्रेषण पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया या कम ब्याज का भुगतान किया गया था। हालांकि करदाताओं ने विलंब से विवरणी दाखिल की थी, लेकिन ब्याज वसूलने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सिफारिशें:

5) पूर्व सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2022 की संख्या 5) में निहित निम्नलिखित सिफारिशों को दोहराया गया है:

- क. डीजीएआरएम प्रतिवेदन से संबंधित अनुवर्ती गतिविधियों के पूरे सेट का कार्यप्रवाह स्वचालन सीबीआईसी बैक-एंड सिस्टम के एक हिस्से के रूप में किया जाए।
- ख. विभाग डीजीएआरएम प्रतिवेदन और डीजीएआरएम प्रतिवेदन के सत्यापन से संबंधित अभिलेखों/फाइलों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

मंत्रालय ने कहा (मई 2023) कि उसने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर ध्यान दिया है और तीन पहलुओं- विवरणी, प्रतिदाय और पंजीकरण की जांच, में गतिविधियों के पूरे सेट के कार्यप्रवाह स्वचालन को सुनिश्चित करके इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, निकास सम्मेलन (मई 2023) के दौरान, मंत्रालय ने कहा कि यह डीजीएआरएम प्रतिवेदन को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न करने के मुद्दे को हल करने का प्रयास करेगा।

4.8.3.3 अन्य निरीक्षण कार्य- पंजीकरण रद्द करना

सीजीएसटी नियमों के नियम 20 के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 29 करदाता द्वारा कुछ स्थितियों में पंजीकरण रद्द करने की अनुमति देती है जैसे कि व्यवसाय बंद होना, पंजीकरण के लिए निर्धारित सीमा से कम टर्नओवर, व्यवसाय का हस्तांतरण/विलय/समामेलन, स्थायी खाता संख्या (पीएएन) में परिवर्तन, निर्धारित समय अवधि के भीतर व्यवसाय शुरू न करना और मालिक की मृत्यु। पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने वाले करदाता को रद्दीकरण हेतु घटित घटना के 30 दिनों की अवधि के भीतर जीएसटी कॉमन पोर्टल पर आरईजी-16 में आवेदन करना होगा।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 (2) करदाता द्वारा अधिनियमों या नियमों के उल्लंघन के आधार पर, संयोजन करदाता द्वारा लगातार तीन कर अवधि⁴⁸ के लिए विवरणी दाखिल न करने पर, सामान्य करदाता द्वारा छः महीने की निरंतर अवधि के लिए विवरणी दाखिल न करने पर, पंजीकृत व्यक्ति जो पंजीकरण की तारीख से छः महीने के भीतर व्यवसाय शुरू न करे और धोखाधड़ी के माध्यम से जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपा कर पंजीकरण प्राप्त करने पर, कर अधिकारी द्वारा करदाता के पंजीकरण को स्वतः रद्द करने की अनुमति देती है।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 45 (ए) इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आईएसडी) या एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या (बी) संयोजन कर योग्य व्यक्ति (धारा 10) या (सी) धारा 52 के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति - स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) या धारा 51 के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति - स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, रद्द करने की प्रभावी तारीख से या रद्द करने के आदेश की तारीख के तीन महीने के भीतर, जो भी बाद में हो, जीएसटीआर-10 में अंतिम विवरणी दाखिल करने के लिए अनिवार्य करती है। अंतिम विवरणी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाता बकाया देयता का निर्वहन करें। जीएसटीआर-10 की विवरणी दाखिल न करने के मामले में,

⁴⁸ 1 अक्टूबर 2022 से, एक वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी, उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन महीने से अधिक।

कर अधिकारी द्वारा किसी भी विवरणी को दाखिल न करने के लिए अपनाई गई समान प्रक्रिया का पालन करना होगा।

लेखापरीक्षा ने रद्दीकरण के कार्य के मूल्यांकन के लिए 179 रैंजों के एक नमूने का चयन किया। लेखापरीक्षा ने पंजीकरण रद्द करने में विभिन्न कमियों को देखा, जिन्हें निम्न दिखाया गया है:

4.8.3.3.1 रद्द करने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई

करदाताओं के पंजीकरण को स्वतः रद्द करने का आंकड़ा बैक-एंड प्रणाली में उपलब्ध रद्दीकरण प्रतिवेदनों से निकाला गया। लगातार छः से अधिक कर अवधियों के लिए जीएसटी विवरणी को दाखिल न करने वालों की सूची से, लेखापरीक्षा ने देखा कि 179 परीक्षण जांच की गई रैंजों में से 16 रैंजों में इस तरह के पंजीकरण को रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।

इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 49 के अनुसार, जीएसटीआईएन जारी होने के 45 दिनों के भीतर बैंक विवरण प्रदान करने या जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण के बाद पहली विवरणी दाखिल करने में विफलता, जो भी पहले हो, पंजीकरण रद्द करने का कारण बन सकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सीबीआईसी की बैक-एंड प्रणाली में कोई तंत्र नहीं था, जिससे कर अधिकारियों को उन करदाताओं की पहचान करने में सक्षम बनाया जा सके और उनका पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही शुरू कर सके, जिन्होंने अपेक्षित बैंक विवरण प्रस्तुत नहीं किया। यह लेखापरीक्षा द्वारा सभी रैंजों में देखा गया।

मंत्रालय ने कहा (मई 2023) कि जहां 45 दिनों के भीतर बैंक विवरण प्रदान नहीं किया गया है, उन मामलों में सचेतक जारी करने और पंजीकरण रद्द करने का कार्य, विकास के चरण में था और शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा।

4.8.3.3.2 अपर्याप्त निगरानी तंत्र

सीजीएसटी नियमों के नियम 22 (3) में प्रावधान है कि जहां एक व्यक्ति जिसने अपने पंजीकरण को रद्द करने के लिए आवेदन (आरईजी-16) प्रस्तुत किया है, वह अब पंजीकृत होने के योग्य नहीं है, उचित अधिकारी उसके द्वारा निर्धारित की जाने वाली तारीख से और कर योग्य व्यक्ति को सूचित करते हुए, उसे धारा 29 की उप-धारा (5) के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि सहित किसी भी कर, ब्याज या दंड के बकाया का भुगतान करने का निर्देश देते हुए, उसके पंजीकरण को रद्द कर सकता है। किसी भी मामले में प्रभावी तिथि उसके आवेदन की तारीख से पहले की तारीख नहीं होनी चाहिए।

सीजीएसटी नियमों के नियम 21ए में कहा गया है कि जहां एक पंजीकृत व्यक्ति ने पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन किया है, पंजीकरण आवेदन जमा करने की तारीख या रद्द करने की तारीख, जो भी बाद में हो, पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही के पूरा होने तक निलंबित माना जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण माँड्यूल में आवश्यक सत्यापन, चेतावनी और रद्द करने की प्रभावी तिथियां दर्ज नहीं की गई थी। निलंबन की प्रभावी तिथि भी बैक-एंड प्रणाली में दर्ज नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, नियम 21ए (3) में निर्धारित शर्तों को लागू करने के लिए कोई तंत्र नहीं था, जो निलंबन की अवधि के दौरान पंजीकृत व्यक्तियों को किसी भी कर योग्य आपूर्ति करने और परिणामस्वरूप क्रेडिट के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता था।

लेखापरीक्षा ने तीन रेंजों में 121 मामलों को देखा, जहां रद्द करने की तारीख, रद्द करने के लिए किए गए आवेदन की तारीख से पहले थी।

एक उदाहरण का मामला नीचे दिया गया है:

होस्पेट सी रेंज में, करदाताओं के अनुरोध पर रद्द करने के 331 मामलों में से, 39 मामलों में यह देखा गया था कि रेंज ने आवेदन की तारीख से पहले की तारीखों से अनियमित रूप से पंजीकरण रद्द कर दिया था। इसे अप्रैल 2022 में इंगित किया गया और मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

मंत्रालय ने 121 मामलों के संबंध में कहा (मई 2023) कि समर्पण आवेदन करने की तारीख से पहले रद्दीकरण को प्रतिबंधित करने के सत्यापन पर विचार किया जाएगा। मंत्रालय ने आगे कहा कि कर अधिकारी को निलंबित पंजीकरणों की सूची देखने में सक्षम बनाने वाली एक नई कार्यक्षमता विकसित की गई थी। इसके अलावा, 'निष्क्रिय सूची' पृष्ठ को फिर से बनाया गया और 'रद्द/समाप्त पंजीकरण' सूची के रूप में अभिनियोजित किया गया है और इसमें उन पंजीकरण का विवरण शामिल है जो रद्द/समाप्त हो गए हैं। इस कार्यक्षमता के परिनियोजन के साथ निलंबन की तिथि और रद्द करने की प्रभावी तिथि को संग्रहित और प्रदर्शित किया जा रहा है।

4.8.3.3.3 स्वतः रद्द करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करना

अधिनियम की धारा 29(2) के अनुसार, कर अधिकारी द्वारा करदाता को कारण बताओ नोटिस दिए बिना और सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना, जीएसटी पंजीकरण रद्द नहीं किया जा सकता। नमूना 179 रेंजों में से 58 रेंजों में यह देखा गया कि स्वतः रद्द किए गए 14,998 मामलों में से 6,353 मामलों में कारण बताओ नोटिस (आरईजी-17) जारी नहीं किया गया था। शेष 8,645 मामलों में जहां कारण बताओ नोटिस (एससीएन) को रेंज अधिकारियों द्वारा जारी करने का दावा किया गया था, लेखापरीक्षा इस पहलू को सत्यापित नहीं कर सका क्योंकि आरईजी-17 के निर्गम और निपटान से संबंधित एमआईएस प्रतिवेदन बैक-एंड प्रणाली के पंजीकरण मॉड्यूल में उपलब्ध नहीं हैं। एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

कोच्चि केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत एर्नाकुलम रेंज 1 ने 2020-21 की अवधि के दौरान फॉर्म आरईजी-17 में कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना स्वतः 78 मामलों में पंजीकरण रद्द कर दिया था। इसे सितंबर 2022 में इंगित किया गया और विभाग/मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

4.8.3.3.4 रद्द करने में विलंब

आरईजी-19 में रद्दीकरण, आदेश आवेदन (करदाताओं के अनुरोध) की तारीख या स्वतः रद्दीकरण के मामले में आरईजी-17 के उत्तर देने की तारीख से, 30 दिनों के भीतर जारी किया जाना है। करदाताओं के अनुरोध पर रद्द करने के 13,816 मामलों में और स्वतः रद्द करने के 14,998 मामलों में, लेखापरीक्षा ने

देखा कि 58 रैंजों के अंतर्गत आने वाले 8,543 मामलों में, रद्द करने में निर्धारित अवधि से अधिक विलंब हुआ था। 38 रैंजों में 5,750 मामलों में विलंब 1 से 1,334 दिनों तक था। 20 रैंजों से संबंधित शेष 2,793 मामलों में, रैंज द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि जीएसटीआईएन वार विवरण वाली अंतर्निहित फाइलों को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था और इसलिए, लेखापरीक्षा इन मामलों में विलंब की अवधि निर्धारित नहीं कर सका। शेष रैंजों में, रद्द करने में ऐसे विलंब पर ध्यान नहीं दिया गया। एक मामले का उदाहरण नीचे दिया गया है:

गाजियाबाद आयुक्तालय के अंतर्गत डिवीजन-VI के रैंज-28 में, करदाताओं के आवेदन के खिलाफ रद्द करने की प्रक्रिया अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि के लिए 1,221 मामलों में शुरू की गई। 799 मामलों में, लेखापरीक्षा ने 1 से 363 दिनों के बीच 155 दिनों का औसत विलंब देखा। रद्दीकरण के अनुमोदन में अत्यधिक विलंब पर विभाग की प्रतिक्रिया मांगी गई। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

4.8.3.3.5 जीएसटीआर-10 दाखिल न करने पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई

अधिनियम की धारा 45 के अनुसार, जीएसटीआर-10 - अंतिम विवरणी, रद्द करने की प्रभावी तिथि या रद्द करने के आदेश की तिथि, जो भी बाद में हो, के तीन महीने के भीतर दाखिल की जानी है। उन करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-10 प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जिसका पंजीकरण 30 सितंबर 2018 को या उससे पहले रद्द कर दिया गया है, अधिसूचना संख्या. 58/2018 - केंद्रीय कर दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के अनुसरण में 31 दिसंबर 2018 तक बढ़ा दी गई थी।

सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 68 और इस संबंध में जारी परिपत्र⁴⁹ के अनुसार, जीएसटीआर-3ए करदाता को जारी किया जाना है, जहां जीएसटीआर-10 दायर नहीं किया गया है। यदि करदाता अभी भी नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अंतिम विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है, तो सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 100 के साथ पढ़े गए सीजीएसटी अधिनियम की धारा

⁴⁹ परिपत्र सं. 129/48/2019-जीएसटी दिनांक 24 दिसंबर 2019

62 के अंतर्गत फॉर्म एसएमटी-13 में करदाता की देयता निर्धारित करते हुए, एक मूल्यांकन आदेश जारी किया जाएगा। यदि करदाता आदेश एसएमटी-13 जारी होने के 30 दिनों के भीतर अंतिम विवरणी दाखिल करता है, तो उक्त आदेश को वापस लिया गया माना जाएगा। हालांकि, ब्याज और विलंब शुल्क के भुगतान की देयता बनी रहेगी। यदि एसएमटी-13 आदेश जारी होने से 30 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर उक्त विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती, तो उचित अधिकारी धारा 78 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू कर सकता है और सीजीएसटी अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत वसूली कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-10 दाखिल करने में विलंब की निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 66 रेंजों में 40,347 मामलों में जीएसटीआर-10 दाखिल नहीं किया गया। शेष रेंजों में, जीएसटीआर-10 दाखिल करने से संबंधित जानकारी लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई।

कुछ उदाहरण मामले नीचे दिए गए हैं:

(i) गांधीनगर आयुक्तालय के अंतर्गत रेंज-II में, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए रद्द करने के 413 मामलों में से, जीएसटीआर-10 जुलाई 2022 तक केवल 10 मामलों में दर्ज किए गए। शेष मामलों में, जीएसटीआर-10 दाखिल करने के संबंध में कोई अनुवर्ती कार्रवाई शुरू नहीं की गई।

इसे इंगित किए जाने पर (जुलाई 2022), मंत्रालय ने कहा (मई 2023) कि 413 करदाताओं में से 269 करदाताओं को जीएसटीआर-10 दाखिल करने का अनुरोध किया गया और 10 करदाताओं ने जीएसटीआर-10 दाखिल किया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि 33 करदाता संयोजन/आईएसडी करदाता के अंतर्गत आ रहे थे और इसलिए जीएसटीआर-10 दाखिल करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। शेष करदाताओं को अनुस्मारक पत्र जारी किए गए।

(ii) होस्पेट सी, बेल्लारी आयुक्तालय में, रेंज अधिकारी ने कहा कि जीएसटीआर-10 के दाखिल होने को ट्रैक करने के लिए उनके पास कोई सूचना/प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे। इस तरह के तंत्र के अभाव में, रेंज द्वारा कोई वसूली

कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी। रेंज द्वारा प्रस्तुत एसएमटी-13 प्रतिवेदन के अनुसार, ऐसे मामलों में ₹15.46 करोड़ की राशि की वसूली लंबित थी। इसे अप्रैल 2022 में इंगित किया गया था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)। इसी तरह, बेल्लारी सी रेंज में, जीएसटीआर-10 दाखिल करने की निगरानी के लिए एक तंत्र की अनुपस्थिति में, रेंज द्वारा कोई वसूली कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी। रेंज द्वारा प्रस्तुत एसएमटी-13 प्रतिवेदन के अनुसार ऐसे मामलों में ₹ 3.54 करोड़ की राशि की वसूली लंबित थी। यह इंगित किया गया था (अप्रैल 2022), मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

सिफारिशें : विभाग

- 6) करदाता द्वारा पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पहले पंजीकरण रद्द करने से रोकने के लिए आवश्यक वैधीकरण नियंत्रण नियुक्त करे।
- 7) करदाताओं के जीएसटी पंजीकरण को स्वतः रद्द करने से पहले क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करना सुनिश्चित करे।
- 8) पंजीकरण मॉड्यूल के अंतर्गत रद्दीकरण कार्यप्रवाह में रद्दीकरण आवेदनों के लंबित होने, पंजीकरण रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस (आरईजी-17) जारी करने और अंतिम विवरणी (जीएसटीआर-10) दाखिल करने के लिए आवश्यक एमआईएस प्रतिवेदन/सुविधाओं की पूर्ति करे।

मंत्रालय ने कहा (मई 2023) कि पंजीकरण का समय पर रद्दीकरण/निलंबन सुनिश्चित करने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए नियंत्रक बनाए गए थे और मासिक प्रगति प्रतिवेदन के माध्यम से वसूली की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। हालांकि, लेखापरीक्षा सिफारिश को नोट किया गया और आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए अप्रैल 2023 में क्षेत्रीय संरचनाओं को निर्देश जारी किए गए।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि कार्यान्वयन के लिए आवश्यक एमआईएस प्रतिवेदन तैयार करने के संबंध में लेखापरीक्षा की सिफारिश की जांच की जाएगी।

4.8.4 जीएसटी विवरणियों में विसंगतियां-केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए 2017-18 से संबंधित जीएसटी विवरणी आंकड़ों का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटी विवरणी के बीच नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों की पहचान 14 मापदंडों के एक सेट पर की गई, जिन्हें मोटे तौर पर दो प्रक्षेत्रों - आईटीसी और कर भुगतान में वर्गीकृत किया जा सकता है।

13 निर्धारित जीएसटी विवरणी⁵⁰ में से, सामान्य करदाताओं पर लागू होने वाले निम्नलिखित बुनियादी विवरणी पर जीएसटी विवरणी/आंकड़ों के बीच विचलन, विसंगतियों और अंतर की पहचान करने के उद्देश्य से विचार किया गया:

- जीएसटीआर-1: माल और सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी, और इसमें माल और सेवाओं की जावक आपूर्ति का विवरण शामिल होता है।
- जीएसटीआर-3बी: करदाता द्वारा कर के भुगतान के साथ-साथ जावक आपूर्ति और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मासिक सारांश विवरणी, अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट धारा 39 (1) को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा दाखिल किया जाना है। यह वह विवरणी है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में क्रेडिट और डेबिट और इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाते में डेबिट को दर्शाता है।
- जीएसटीआर 6: इनपुट सेवा वितरकों के लिए मासिक विवरणी उनके वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट और आवक आपूर्ति का विवरण प्रदान करता है।

⁵⁰ जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4 (संयोजन योजना के अंतर्गत करदाता), जीएसटीआर-5 (अनिवासी कर योग्य व्यक्ति), जीएसटीआर-5ए (अनिवासी ओआईडीएआर सेवा प्रदाता), जीएसटीआर-6 (इनपुट सेवा वितरक), जीएसटीआर-7 (टीडीएस काटने वाले करदाता), जीएसटीआर-8 (ई-कॉमर्स परिचालक), जीएसटीआर-9 (वार्षिक विवरणी), जीएसटीआर-10 (अंतिम विवरणी), जीएसटीआर-11 (यूआईएन प्राप्त करने वाला और धनराशि वापसी का दावा करने वाला व्यक्ति), सीएमपी-08, और आईटीसी-04 (प्रमुख/जॉब वर्कर द्वारा किसी प्रमुख/जॉब वर्कर को भेजे गए/प्राप्त माल के विवरण के बारे में दायर किया जाने वाला विवरण)।

- जीएसटीआर 8: जीएसटी के अंतर्गत टीसीएस (स्रोत पर एकत्र कर) में कटौती करने के लिए आवश्यक ई-कॉमर्स परिचालको द्वारा मासिक विवरणी दाखिल की जानी है, जिसे अक्टूबर 2018 में पेश किया गया।
- जीएसटीआर-9: इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी), स्रोत पर कर कटौतीकर्ता/स्रोत पर कर संग्रहकर्ता, सामान्य कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी करदाता के अलावा सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल किया जाना है। इस दस्तावेज़ में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों (सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी) के अंतर्गत की गई और प्राप्त सभी आपूर्तियों का विवरण और इसके लिए टर्नओवर और लेखापरीक्षा विवरण शामिल हैं।
- जीएसटीआर-9सी: किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ₹ 5 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा प्रपत्र। यह मूल रूप से जीएसटीआर-9 में दायर वार्षिक विवरणी और करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के बीच एक समायोजन विवरण है।
- जीएसटीआर-2ए: प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का एक प्रणाली-जनित विवरण। इसमें आपूर्तिकर्ताओं के सभी (व्यवसाय से व्यवसाय) बी2बी लेनदेन, जो उनके फॉर्म जीएसटीआर-1/5 में घोषित किया गया है, जीएसटीआर-6 से आईएसडी विवरण, प्रतिपक्ष द्वारा क्रमशः जीएसटीआर-7 और जीएसटीआर-8 से विवरण और बिल ऑफ एंट्री पर विदेशों से माल का आयात, जैसा कि भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा इंटरचेंज गेटवे (आईसीईजीएटीई) पोर्टल से भारतीय सीमा शुल्क से प्राप्त होता है, शामिल है।

केंद्रीय क्षेत्राधिकार से संबंधित अखिल भारतीय आंकड़ा विश्लेषण को 14 निर्धारित मापदंडों के आधार पर पाए गए गैर-मिलानों/विसंगतियों को तालिका 4.4 में सारांशित किया गया है। इन गैर-मिलानों/विसंगतियों के कारण हुए अननुपालन पर इस रिपोर्ट के पैरा 4.8.4.2 में चर्चा की गई है।

तालिका 4.4: अखिल भारतीय आंकड़ा विश्लेषण का सारांश और गैर-मिलानों/विसंगतियों की सीमा

क्र.सं.	मापदंड	प्रयुक्त कलन विधि	गैर-मिलानों/विसंगतियों की संख्या
डी1	जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच आईटीसी गैर-मिलान	जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी, इसके सभी संशोधनों के साथ, की तुलना जीएसटीआर-3बी की तालिका 4ए (5) में आईटीसी लाभ (घरेलू आपूर्ति पर उपार्जित) से की गई थी जिसमें तालिका 4बी (2) में उत्क्रमण को शामिल नहीं किया गया था लेकिन बाद के वर्ष 2018-19 में प्राप्त आईटीसी को जीएसटीआर-9 की तालिका 8सी से शामिल किया गया था।	4,35,710
डी2	जीएसटीआर-3बी/जीएसटीआर-9 में कर के भुगतान के बिना आरसीएम के अंतर्गत आईटीसी लाभ	जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1 (डी) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-9 तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में आईटीसी लाभ के साथ की गई। ऐसे मामलों में जहां जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, जांच को जीएसटीआर-3बी के भीतर प्रतिबंधित कर दिया गया - तालिका 3.1 (डी) में निर्वहन किए गए कर की तुलना तालिका 4ए (2) और 4ए (3) में उपलब्ध आईटीसी लाभ से।	49,947
डी3	जीएसटीआर-3बी/जीएसटीआर-9 में आईटीसी लाभ बनाम आरसीएम के अंतर्गत कर का कम भुगतान	जीएसटीआर-9 तालिका 4जी (देय कर) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-9 तालिका 6सी, 6डी और 6एफ (आईटीसी लाभ) में आईटीसी लाभ के साथ की गई। ऐसे मामलों में जहां जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1 (डी) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-3बी 4ए (2) और 4ए (3) के साथ की गई। जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-3बी में अधिक अंतर को माना गया, जहां दोनों उपलब्ध थे।	40,301
डी4	आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ	जीएसटीआर-9 तालिका 6जी या जीएसटीआर-3बी तालिका 4ए (4) में स्थानांतरित आईएसडी की तुलना प्राप्तकर्ता जीएसटीआईएन के जीएसटीआर 6 की तालिका 5ए, तालिका 8ए और तालिका 9ए के योग से की गई।	7,631

2024 की प्रतिवेदन सं. 7 (अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)

क्र.सं.	मापदंड	प्रयुक्त कलन विधि	गैर-मिलानों/विसंगतियों की संख्या
डी 5	गलत आईएसडी क्रेडिट उत्क्रमण	प्राप्तकर्ताओं के जीएसटीआर-9 तालिका 7बी/7एच की तुलना उनके जीएसटीआर 6 की तालिका 8ए (केवल नकारात्मक आंकड़े) और तालिका 9ए (केवल नकारात्मक आंकड़े) के योग से की गई।	34
डी-6	वार्षिक विवरणी और बही खातों के मध्य आईटीसी लाभ में गैर-मिलान	जीएसटीआर-9सी तालिका 12एफ में सकारात्मक आंकड़ा और तालिका 13 में दिए गए गैर-मिलान के कारणों की जांच	69,400
डी 7	वित्तीय विवरणों में खर्च के साथ वार्षिक विवरणी के में आईटीसी लाभ के मध्य समायोजन	जीएसटीआर-9सी तालिका 14टी में सकारात्मक आंकड़े और गैर-मिलान के लिए तालिका 15 में दिए गए कारणों की जांच	10,63,780
डी8	जीएसटीआर-9सी तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में गैर-मिलान	जीएसटीआर-9सी तालिका 5आर में नकारात्मक आंकड़ा और गैर-मिलान के लिए तालिका 6 में दिए गए कारणों की जांच	65,635
डी 9	जीएसटीआर-9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में गैर-मिलान	जीएसटीआर-9सी तालिका 7जी में नकारात्मक आंकड़ा और गैर-मिलान के लिए तालिका 8 में दिए गए कारणों की जांच	57,047
डी10	बही खातों और विवरणी के बीच भुगतान किए गए कर में गैर-मिलान	जीएसटीआर-9सी तालिका 9आर में नकारात्मक आंकड़ा और गैर-मिलान के लिए तालिका 10 में दिए गए कारणों की जांच	1,06,562
डी11	असमायोजित देयताएं	अग्रिमों और संशोधनों पर विचार करते हुए जीएसटीआर-1 (तालिकाओं 4 से 11) और जीएसटीआर-9 (तालिकाओं 4एन, 10 और 11) के बीच कर देयता के अधिक की तुलना जीएसटीआर-3बी तालिकाओं 3.1 (ए) और 3.1 (बी) में कर देय विवरण के साथ की गई। ऐसे मामलों में जहां जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, भुगतान किए गए जीएसटीआर-3बी कर की तुलना जीएसटीआर-1 देयता से की गई।	8,49,111

क्र.सं.	मापदंड	प्रयुक्त कलन विधि	गैर-मिलानों/विसंगतियों की संख्या
डी12	ई-कॉमर्स संयोजन करदाता भी ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठा रहा है	ई-कॉमर्स जीएसटीआर-8 1 अक्टूबर 2018 से प्रभावी हो गया जब टीसीएस प्रावधान प्रभावी हो गए। जीएसटीआर-8 में घोषित जीएसटीआईएन हैं जो संयोजन योजना के अंतर्गत जीएसटीआर-4 भी दाखिल कर रहे हैं।	157
डी13	जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है	करदाता जिन्होंने जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया है, लेकिन जीएसटीआर-1 दाखिल किया है या जहां जीएसटीआर-2ए उपलब्ध है, कर का निर्वहन किए बिना व्यवसाय करने वाले करदाताओं को इंगित करता है।	1,704
डी14	ब्याज का कम भुगतान	जीएसटीआर-3बी में घोषित ब्याज की तुलना में जीएसटीआर-3बी के विलंब से दाखिल करने पर कर भुगतान के नकद हिस्से पर 18 प्रतिशत की दर से गणना किया गया ब्याज	24,25,284

4.8.4.1 विभाग द्वारा उत्तर प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017-18 के लिए 14 मापदंडों में से प्रत्येक में विवरणी में शीर्ष विचलन/विसंगतियों में से 10,667 मामलों के एक नमूने का चयन किया। करदाताओं के अभिलेखों की आगे की जांच के बिना जनवरी 2022 और मई 2022 के बीच संबंधित रेंजों को लेखापरीक्षा पृच्छा जारी किए गए। इन मामलों में लेखापरीक्षा जांच, पहचान किए गए विचलनों/गैर-मिलानों पर विभाग की कार्रवाई की पुष्टि करने तक सीमित थी।

विभाग को सूचित की गई 2,447 विसंगतियों के लिए 31 जनवरी, 2024 तक प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं अभी प्राप्त नहीं हुई, जिसमें ₹ 32,577.73 करोड़⁵¹ का गैर-मिलान/विसंगतियां थीं। शीर्ष 10 मामले जहां विभाग की प्रतिक्रिया अभी तक प्राप्त नहीं हुई, वे ₹ 2,244.22 करोड़ के थे। जोखिम परिमाण आधारित विवरण परिशिष्ट-III में दिया गया है।

यह ध्यान में रखते हुए कि अनुपालन विचलन में विसंगतियों के रूपांतरण की समग्र दर सारभूत है जैसा कि अगले पैराग्राफ में स्पष्ट किया गया है, विभाग

⁵¹ बेमेल राशि में ₹ 23,289.86 करोड़ के टर्नओवर में अंतर शामिल है।

को प्राथमिकता के रूप में इन मामलों के सत्यापन के कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है।

सिफ़ारिशें:

- 9) लेखापरीक्षा सिफ़ारिश करती है कि विभाग लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 2,447 विसंगतियों और विचलन पर तत्काल कार्रवाई करे और प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए ऐसे विचलन के कारणों का विश्लेषण करे ताकि ऐसे विचलन दोबारा न हों।

4.8.4.2 जीएसटी विवरणियों में अनुपालन विचलन-केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा पृच्छों पर विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर, अनुपालन विचलन में परिवर्तित 14 मापदंडों में से प्रत्येक को तालिका 4.5 में सारांशित किया गया है।

तालिका 4.5: कमियों का सारांश

(₹ करोड़ में राशि)

लेखापरीक्षा आयाम	नमूना		ऐसे मामले जहां उत्तर प्राप्त हुआ		लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किए गए विभाग के उत्तर जिनमें डीईई ⁵² , प्रश्न से पहले की गई कार्रवाई, शामिल है		अनुपालन विचलन					
							विभाग द्वारा स्वीकृत मामले जिनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां कार्रवाई अभी शुरू की जानी है		विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है (खंडन)		कुल	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि.	सं.	राशि.	सं. (स्तम्भ 8 + 10)	राशि (स्तम्भ 9 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच आईटीसी गैर-मिलान	1,088	7,913.03	858	6,161.62	511	3,819.67	118	696.87	21	184.84	139	881.71
जीएसटीआर-3बी/जीएसटीआर-9 में कर के भुगतान के बिना आरसीएम के अंतर्गत आईटीसी लाभ	1,020	1,017.12	814	854.29	582	617.72	104	64.78	3	1.85	107	66.63
जीएसटीआर-3बी/जीएसटीआर-9 में आईटीसी लाभ बनाम आरसीएम के अंतर्गत कर का कम भुगतान	619	277.43	545	241.41	429	174.06	51	17.93	1	1.29	52	19.22

⁵² आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटि

2024 की प्रतिवेदन सं. 7 (अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)

लेखापरीक्षा आयाम	नमूना		ऐसे मामले जहां उत्तर प्राप्त हुआ		लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किए गए विभाग के उत्तर जिनमें डीईई ⁵² , प्रश्न से पहले की गई कार्रवाई, शामिल है		अनुपालन विचलन					
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	विभाग द्वारा स्वीकृत मामले जिनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां कार्रवाई अभी शुरू की जानी है		विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है (खंडन)		कुल	
							सं.	राशि.	सं.	राशि.	सं.	राशि (स्तम्भ 8 + 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ	813	764.28	625	694.27	425	553.21	92	34.76	9	5.57	101	40.33
गलत आईएसडी क्रेडिट उत्क्रमण	37	17.09	22	17.02	19	16.99	0	0.00	0	0	0	0.00
वार्षिक विवरणी और बही खातों के मध्य आईटीसी लाभ में गैर-मिलान	846	6,089.34	631	5,340.20	445	4,226.14	53	165.83	5	15.78	58	181.61
वित्तीय विवरणों में खर्च के साथ वार्षिक विवरणी के में आईटीसी लाभ के मध्य समायोजन	850	33,499.30	651	28,620.52	545	23,590.80	12	210.26	0	0	12	210.26
जीएसटीआर-9सी तालिका 5आर ⁵³ में घोषित टर्नओवर में गैर-मिलान	1,020	91,413.77	772	75,126.49	569	70,874.07	33	-	5	-	38	-
जीएसटीआर-9सी तालिका 7जी ⁵⁴ में घोषित कर योग्य टर्नओवर में गैर-मिलान	850	33,112.98	666	26,110.40	507	25,081.60	35	-	4	-	39	-
बही खातों और विवरणी के बीच भुगतान किए गए कर में गैर-मिलान	1,099	1,310.67	843	1,028.42	528	731.18	133	78.28	5	5.51	138	83.79
असमयोजित देयताएं	795	7,53,935.20	619	7,52,709.2	358	7,50,621.47	106	438.55	14	145.93	120	584.48
संयोजन करदाता भी ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठा रहा है	145	0	91	0	61	0.04	9	0.02	1	0.02	10	0.04
जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है	637	233.54	446	174.75	122	86.48	203	42.50	6	1.97	209	44.47

⁵³ यह आयाम टर्नओवर पर आधारित है। इसलिए, इस आयाम के तहत कर देयता निर्धारित नहीं की गई।

⁵⁴ यह आयाम टर्नओवर पर आधारित है। इसलिए, इस आयाम के तहत कर देयता निर्धारित नहीं की गई।

2024 की प्रतिवेदन सं. 7 (अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)

लेखापरीक्षा आयाम	नमूना		ऐसे मामले जहां उत्तर प्राप्त हुआ				लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किए गए विभाग के उत्तर जिनमें डीईई ⁵² , प्रश्न से पहले की गई कार्रवाई, शामिल है		अनुपालन विचलन				
									विभाग द्वारा स्वीकृत मामले जिनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां कार्रवाई अभी शुरू की जानी है		विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है (खंडन)		कुल
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं. (स्तम्भ 8 + 10)	राशि (स्तम्भ 9 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ब्याज का कम भुगतान	850	399.44	637	326.89	301	111.73	236	77.00	9	14.03	245	91.03	
कुल							1,185	1,826.78	83	376.79	1,268	2,203.57	

लेखापरीक्षा ने 1,268 मामलों में वैधानिक प्रावधानों से विचलन पाया, जिसमें ₹ 2,203.57 करोड़ की राशि शामिल थी, जो आंकड़ों में 8,220 विसंगतियों/गैर-मिलानों जिसके लिए विभाग ने प्रतिक्रियाएं प्रदान की, का 15 प्रतिशत था। ब्याज का कम/भुगतान न करना, आईटीसी मिलान न होना, अतिरिक्त आरसीएम आईटीसी का लाभ लेना, गलत टर्नओवर घोषणाएं और कम कर भुगतान जैसे जोखिम मापदंडों में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दरें देखी गईं।

5,402 मामलों में, जो प्राप्त प्रतिक्रियाओं का 66 प्रतिशत था, जहां विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य था, करदाताओं द्वारा आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों के 1,368 मामले (17 प्रतिशत) थे, विभाग ने 510 मामलों (छ: प्रतिशत) में सक्रिय रूप से कार्रवाई की थी और 3,524 मामलों (43 प्रतिशत) में वैध स्पष्टीकरण थे।

846 मामलों में, जो कि कुल मामलों का 10 प्रतिशत था, विभाग ने कहा कि वह ₹ 16,157.35 करोड़ के अंतर्निहित विचलन की जांच कर रहा था। शेष 704 मामलों में, जो कि 9 प्रतिशत थे, हालांकि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विचलन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसका तर्क साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था और इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन के लिए उत्तरदायी नहीं था।

(1) प्रेरक कारकों का विश्लेषण

10,667 आंकड़ा विचलन/विसंगतियों के नमूने में से 8,220 मामलों पर विभाग की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, आंकड़ा विचलन/विसंगतियों का कारण बनने वाले कारक इस प्रकार हैं:

क) **जीएसटी कानून और नियमों से विचलन:** उपरोक्त तालिका 4.5 में सारांशित 1,268 विचलनों में से, विभाग ने ₹ 1,826.78 करोड़ के कर प्रभाव के साथ 1,185 मामलों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया या कार्रवाई शुरू की। इन मामलों में से, विभाग ने 251 मामलों में ₹ 74.97 करोड़ की वसूली की, 420 मामलों में ₹ 595.57 करोड़ के लिए एससीएन जारी किया है, 97 मामलों में ₹ 77.84 करोड़ के लिए, करदाता को फॉर्म एएसएमटी-10 में त्रुटियों की सूचना देते हुए नोटिस या डीआरसी-01ए⁵⁵ जारी किया है और ₹ 1,078.40 करोड़ के कर प्रभाव वाले 417 मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार कर लिया और संबंधित करदाताओं के साथ पत्राचार किया। विचलन के शीर्ष दस मामले जहां विभाग ने स्वीकार किया या कार्रवाई शुरू की, ₹ 650.87 करोड़ राशि के थे।

कुछ उदाहरणात्मक मामले जहां विभाग ने स्वीकार किया या कार्रवाई शुरू की, नीचे दिए गए हैं:

I. **बकाया देयताएं:** अहमदाबाद दक्षिण केंद्रीय कर आयुक्तालय के रेंज III वस्त्रपुर डिवीजन के अंतर्गत एक करदाता के संबंध में जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के बीच तुलना से उत्पन्न होने वाली ₹ 51.39 करोड़ की बकाया देयता पर लेखापरीक्षा पृच्छा जारी किया गया था।

विभाग ने करदाता के स्पष्टीकरण के लिए लेखापरीक्षा के खंडन से सहमति व्यक्त की और बाद में 29 सितंबर 2023 को विचलन राशि को संबोधित करते हुए मांग नोटिस जारी किया, जिसमें ₹ 8.26 करोड़ का आईजीएसटी और ₹ 21.56 करोड़ का प्रत्येक सीजीएसटी और एसजीएसटी शामिल था।

II. **जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच आईटीसी गैर-मिलान:**

क. लेखापरीक्षा ने कुल ₹ 61.26 करोड़ के जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए के बीच आईटीसी गैर-मिलान की जांच के लिए चेन्नई बाहरी केंद्रीय कर आयुक्तालय के पदप्पई रेंज के अंतर्गत एक करदाता की पहचान की। करदाता की प्रतिक्रिया के बाद, विभाग

⁵⁵ सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 (5) / 74 (5) के अंतर्गत देय कर की सूचना।

ने अयोग्य आईटीसी का एक अंश निर्धारित किया, जिससे 26 अक्टूबर 2022 को ₹ 85.08 करोड़ की राशि के लिए एक मांग नोटिस जारी किया गया, जिसमें ₹ 64.68 करोड़ का आईजीएसटी और ₹ 10.14 करोड़ का प्रत्येक सीजीएसटी और एसजीएसटी शामिल था।

ख. आंकड़ा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए ₹ 10.11 करोड़ के आईटीसी गैर-मिलान पर लेखापरीक्षा पृच्छा, लुधियाना केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत रेंज I को जारी की गई थी। रेंज ने करदाता से डीआरसी-03 दिनांक 8 जून 2022 के माध्यम से ₹ 10.30 करोड़ की अतिरिक्त आईटीसी की वसूली की। लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए विचलन की तुलना में ₹ 19 लाख अधिक अतिरिक्त आईटीसी की गणना हुई।

III. जीएसटीआर-3बी/जीएसटीआर-9 में कर के भुगतान के बिना आरसीएम के अंतर्गत आईटीसी लाभ:

संबंधित भुगतान किए बिना आरसीएम के अंतर्गत ₹ 2.69 करोड़ की राशि के आईटीसी लाभ उठाने से संबंधित एक लेखापरीक्षा पृच्छा के जवाब में, सिकंदराबाद केंद्रीय कर आयुक्तालय के वारंगल रेंज के अंतर्गत करदाता ने सुधारात्मक उपाय किए। करदाता ने डीआरसी-03 दिनांक 10 मार्च 2022 के माध्यम से ₹ 2.65 करोड़ की अतिरिक्त आईटीसी को उलट दिया और डीआरसी-03 दिनांक 23 मार्च 2022 के माध्यम से नकदी खाते को डेबिट करके ₹ 0.04 करोड़ की शेष राशि का निपटान किया।

IV. बही खातों और विवरणी के बीच भुगतान किए गए कर में गैर-मिलान:
तालिका 9आर (वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में घोषित कुल भुगतान राशि और जीएसटीआर-9सी में घोषित भुगतान, के अनुसार कर भुगतान में अंतर पर एक लेखापरीक्षा पृच्छा के जवाब में औरंगाबाद केंद्रीय कर आयुक्तालय के सिलोद रेंज के अंतर्गत, एक करदाता ने डीआरसी-03 दिनांक 22 जून 2022 के माध्यम से अंतर राशि ₹ 0.81 करोड़ का भुगतान किया।

V. बहीखातों और विवरणी के बीच घोषित टर्नओवर में गैर-मिलान:

क. पटना । केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत गया रेंज ने, वित्तीय विवरण और वार्षिक विवरणी के बीच घोषित टर्नओवर में ₹ 955.92 करोड़ की राशि के गैर-मिलान होने पर एक पृच्छा के जवाब में, ₹ 47.80 करोड़ की राशि के लिए मांग नोटिस जारी किया। रेंज ने करदाता से स्पष्टीकरण मांगने के असफल प्रयासों के बाद यह कार्रवाई की, क्योंकि भेजी गई सूचना डाक अधिकारियों द्वारा इस निर्देश के साथ वापस की जा रही थी कि "कंपनी ने दिए गए पते से अपना संचालन बंद कर दिया है।"

ख. एक अन्य मामले में, मुंबई-पूर्व केन्द्रीय कर आयुक्तालय, के डिवीजन-VI के अंतर्गत रेंज II में, लेखापरीक्षा पृच्छा के आधार पर, वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण के बीच कर योग्य टर्नओवर में विसंगति को शामिल करते हुए, विभाग ने 6 मई 2022 को ₹31.51 करोड़ के लिए डीआरसी-01ए जारी किया। यह कार्रवाई रेंज द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के लिए करदाता के प्रत्युत्तर के अभाव में की गई।

VI. आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ:

क. गुंटूर आयुक्तालय के अंतर्गत पटनम बाजार रेंज ने 20 सितंबर 2023 को आईएसडी तंत्र के अंतर्गत आईटीसी लाभ पर गैर-मिलान को उजागर करने वाले लेखापरीक्षा पृच्छा के आधार पर करदाता को ₹3.60 करोड़ का मांग नोटिस जारी किया। यह देखा गया कि उनके आईएसडी पंजीकरणकर्ता द्वारा जीएसटीआर-06 ऑनलाइन दाखिल नहीं किया गया था। करदाता ने अपने आईएसडी पंजीकरणकर्ता द्वारा जारी किए गए चालान के आधार पर आईटीसी लिया था, जो प्रासंगिक अवधि के लिए उनके बाह्य आपूर्ति विवरणी में परिलक्षित नहीं हुआ था।

ख. आईएसडी क्रेडिट के गलत लाभ से संबंधित मामले में, गुरुग्राम केंद्रीय कर आयुक्तालय के रेंज-36 के अंतर्गत करदाता ने डीआरसी-03 दिनांक 30 जून 2022 के माध्यम से ₹ 0.72 करोड़ राशि की आईटीसी को लौटा दिया। चूंकि करदाता ने आईटीसी का उपयोग

किया था, इसलिए ₹ 0.29 करोड़ की ब्याज राशि की भी मांग की गई, जिसका भुगतान अभी भी प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)। मंत्रालय ने कहा (मई 2023) कि क्षेत्राधिकार रेंज कार्यालय द्वारा दिसंबर 2022 में सम्मन जारी किया गया था।

VII. वार्षिक विवरणियों और बही खातों के बीच आईटीसी का गैर-मिलान:

- क. जयपुर केंद्रीय कर आयुक्तालय के डिवीजन एच के अंतर्गत रेंज XXXVII के अंतर्गत एक करदाता के जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ में घोषित असंगत आईटीसी, जो जीएसटी विवरणी में आईटीसी लाभ और वित्तीय विवरण में आरक्षित की गई वस्तुओं पर आईटीसी के गैर-मिलान के कारण था, के अवलोकन पर, विभाग ने करदाता की लेखापरीक्षा की और विसंगति की वैधता की पुष्टि की, जिससे 27 फरवरी 2023 को मांग नोटिस जारी किया गया, जिसमें ₹ 62.79 करोड़ की अतिरिक्त आईटीसी लाभ का भुगतान करने का अनुरोध किया गया।
- ख. एक अन्य उदाहरण में, विशाखापत्तनम केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत मदीलापलेम रेंज के अंतर्गत एक करदाता के संबंध में ₹ 2.40 करोड़ की राशि के लिए इसी प्रकार की एक और विसंगति देखी गई, और विभाग को सूचित किया गया। जवाब में, विभाग ने कहा कि एसएमटी-10 30 मई 2022 को जारी किया गया और इकाई को विस्तृत जांच के लिए लिया गया। विस्तृत जांच पर की गई अंतिम कार्रवाई प्रतिवेदन प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

ख) अनुपालन विचलन जहां लेखापरीक्षा विभाग की प्रतिक्रिया से सहमत नहीं थी

1,268 गैर-अनुपालन मामलों में से, विभाग ने ₹ 376.79 करोड़ की राशि के 83 मामलों को स्वीकार नहीं किया। इन मामलों में, विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर स्पष्ट रूप से टिप्पणी किए बिना केवल करदाताओं के स्पष्टीकरण को अग्रेषित किया। शीर्ष दस मामले, जहां लेखापरीक्षा विभाग की प्रतिक्रिया से सहमत नहीं थी, की राशि ₹ 272.45 करोड़ थी। कुछ उदाहरणात्मक मामले जहां लेखापरीक्षा विभाग की प्रतिक्रिया से सहमत नहीं थी, नीचे दिए गए हैं:

- i. **जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच आईटीसी गैर-मिलान:** बेंगलुरु पूर्व केंद्रीय कर आयुक्तालय के बीईडी-8 रेंज के अंतर्गत एक करदाता के संबंध में जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए के बीच ₹ 98.94 करोड़ के आईटीसी गैर-मिलान को देखा और विभाग को सूचित किया गया। विभाग ने कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा दल (आईएपी) ने आईटीसी के आंकड़ों को सत्यापित किया और ₹ 44.89 करोड़ के आईटीसी के अतिरिक्त लाभ की पहचान की, जिसे मार्च 2018 (₹ 5.74 करोड़) और जून 2018 (₹ 39.15 करोड़) के दौरान लौटा दिया गया था, और ₹ 4.31 करोड़ की ब्याज राशि का भुगतान न करने को संज्ञान में लिया और टिप्पणी की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, और ऐसा लगता है कि आईएपी ने करदाता द्वारा आईटीसी के अतिरिक्त लाभ की कम मात्रा निर्धारित की है। विभाग की प्रतिक्रिया के सत्यापन से पता चला है कि मार्च 2018 में दावा किए गए ₹ 5.74 करोड़ के उत्क्रमण के लिए क्रेडिट खाते में कोई डेबिट नहीं था और जून 2018 के लिए जीएसटीआर-3बी में दिखाया गया उलटफेर केवल ₹ 4.48 करोड़ की उपलब्ध क्रेडिट की तुलना में, ₹ 12.42 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.94 करोड़ की राशि की नकारात्मक शेष हानि थी। इसके अलावा, करदाता ने जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी में, जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी की तुलना में ₹ 92.65 करोड़ के आईटीसी का अधिक लाभ उठाने की घोषणा की, जिसमें से आईएपी ने केवल ₹ 44.89 करोड़ को संबोधित किया था। चूंकि तालिका 8डी में अंतर की गणना जीएसटीआर-2ए आईटीसी लाभ के आधार पर की जाती है, जो तालिका 8ए में स्वतःभरण और गैर-सम्पादन योग्य है, जिसमें लेनदेन शामिल नहीं है जहां जीएसटीआर-1 को आपूर्तिकर्ता द्वारा दायर नहीं किया गया है, इसलिए उच्च संभावना है कि अंतर के परिणामस्वरूप आईटीसी अतिरिक्त हो सकता है। विभाग से ₹ 47.76 करोड़ के शेष अंतर के कारण प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।
- ii. **बकाया देयताएं:** नागपुर-1 केंद्रीय कर आयुक्तालय की उमरेर रेंज के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-

3बी के बीच ₹23.12 करोड़ का कर देयता गैर-मिलान देखा गया और विभाग को सूचित किया गया। विभाग ने दावा किया कि जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-3बी के अनुसार निर्वहन किए गए कर के जीएसटीआर-1 में दर्शाई गई कर देयता से मेल खाने के कारण कोई अनुन्मुक्त देयता नहीं थी। हालांकि, उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने बाद के वर्षों के जीएसटीआर-1 में घोषित 2017-18 से संबंधित ₹ 23.12 करोड़ के (व्यवसाय से उपभोक्ता) बी2सी बीजकों की अनदेखी की है, जिसने अनुन्मुक्त देयता संस्थापित की। विभाग को यह पुष्टि करने की आवश्यकता है कि क्या बाद के वर्षों में इन लेनदेनों पर कर का भुगतान किया गया और यदि हां, तो क्या इस तरह के विलंबित भुगतान पर ब्याज का निर्वहन किया गया।

- iii. बेंगलुरु पूर्व आयुक्तालय के ईडी 2 रेंज के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1/9 के बीच ₹ 6.96 करोड़ की कर देयता का गैर-मिलान देखा गया और विभाग को सूचित किया गया। विभाग ने कहा कि करदाता की कुल निर्गत कर देयता ₹ 277.16 करोड़ थी जिसके लिए ₹ 280.24 करोड़ का भुगतान किया गया और इसलिए कम भुगतान नहीं हुआ। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग द्वारा गणना में क्रेडिट/डेबिट नोट और बीजकों में संशोधन के रूप में ₹ 10.03 करोड़ के समायोजन पर विचार नहीं किया गया। नतीजतन, ₹ 6.96 करोड़ के कर भुगतान में कमी बनी रही।
- iv. भिवंडी केंद्रीय कर आयुक्तालय के रेंज II के अंतर्गत एक करदाता ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान कोई जीएसटीआर-3बी विवरणी दाखिल नहीं किया, लेकिन नियमित रूप से जीएसटीआर-1 दाखिल किया जा रहा था। इस अवधि के दौरान, जीएसटीआर-1 में ₹ 0.88 करोड़ की कर देयता घोषित की गई। इस विसंगति के संचार पर, विभाग की प्रतिक्रिया ने संकेत दिया कि करदाता का पंजीकरण 9 दिसंबर 2019 से स्वतः रद्द कर दिया गया, और करदाता ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई बेंच के साथ परिसमापन के लिए दायर किया। हालांकि, विभाग ने करदाता से बकाया राशि की वसूली

के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई शुरू नहीं की। दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के अनुसार, उचित अधिकारी को एनसीएलटी के समक्ष जीएसटी बकाया से संबंधित दावे दायर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, सीबीआईसी के अनुसार, समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी वैधानिक देय राशि का दावा उचित अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। इस तरह के बकाया का दावा करने में विफलता उन्हें बाद के चरण में अननुरक्षणीय बनाती है।

- v. मुंबई पूर्व केन्द्रीय कर आयुक्तालय, के रेंज III के अंतर्गत एक करदाता के मामले में जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के बीच कर देयता का गैर-मिलान विभाग को सूचित किया गया था। 2017-18 में जारी किए गए बीजकों से संबंधित बाद के वर्षों में किए गए संशोधनों सहित जीएसटीआर-1 में करदाता द्वारा घोषित देयता ₹ 880.68 करोड़ थी; हालांकि, जीएसटीआर-3बी में निर्वहन किया गया कर ₹ 800.91 करोड़ था, जिसमें आरसीएम (जो जीएसटीआर-1 में घोषित नहीं किया गया है) के अंतर्गत भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने जवाब दिया (मई 2023), जिसमें कहा गया कि जीएसटीआर-1 में घोषित कर देयता केवल ₹ 791.63 करोड़ थी, और इस राशि का जीएसटीआर-3बी में विधिवत निर्वहन कर दिया गया था। जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1 के बीच के अंतर को जीएसटीआर-9 वार्षिक विवरणी में सुधारा गया था, जहां सही टर्नओवर और संबंधित जीएसटी देयता का खुलासा किया गया था। प्रतिक्रिया अस्वीकार्य है क्योंकि यह बाद के वर्षों में किए गए समायोजन से जुड़े कर भुगतान का हिसाब देने में विफल रहता है। जीएसटीआर-9 के अनुसार देयता पर पहले ही विचार किया जा चुका है, और निर्वहन किया गया कर घोषित देयता से कम है।

- vi. **ब्याज का कम भुगतान:** कोच्चि केंद्रीय कर आयुक्तालय के चेंबुकावु रेंज के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, जीएसटीआर-3बी विवरणी की विलंब से दाखिल होने से उत्पन्न ₹ 0.86 करोड़ की ब्याज देयता का भुगतान न करना पाया गया, और विभाग को सूचित किया गया। जवाब

में, विभाग ने कहा कि तकनीकी खामियों के कारण विवरणी में राशि शून्य दर्शाई जा रही थी, और इस परेशानी को दिसंबर 2017 में ही हल किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जुलाई, अगस्त और अक्टूबर 2017 के महीनों के लिए भुगतान में विलंब हुआ। हालांकि, विभाग के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि यह दर्शाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया कि विवरणी समय पर ऑनलाइन दाखिल की गई थी। इसके अलावा, विलंबित प्रेषण के मामलों में ब्याज माफ करने के लिए कोई विशेष छूट नहीं है।

- vii. **भुगतान के बिना आरसीएम के अंतर्गत आईटीसी लाभ:** बेंगलुरु-पूर्व केन्द्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत डीईडी8 रेंज में आवश्यक कर का भुगतान किए बिना प्रति प्रभार तंत्र (आरसीएम) के अंतर्गत आईटीसी का दावा करने के संभावित जोखिम से जुड़े एक मामले की जांच की गई। जवाब में, विभाग ने बताया कि विचलन राशि में से, ₹ 0.56 करोड़ की एक आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटि थी, जहां करदाता ने गलती से जीएसटीआर-3बी की तालिका 4ए (5) जो 'अन्य सभी आईटीसी' के रूप में वर्गीकृत है के बजाय तालिका 4ए (3), 'आरसीएम आईटीसी' के तहत आईटीसी की घोषणा की। ₹ 0.73 करोड़ की शेष राशि के लिए, विभाग ने दावा किया कि करदाता मासिक आधार पर राशि का प्रेषण तो कर रहा था, लेकिन उसका समायोजन नहीं कर रहा था। जबकि आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटि पर विभाग की प्रतिक्रिया स्वीकार्य है, शेष राशि के गैर-समायोजन के संबंध में आगे की जांच आवश्यक है। विभाग को ब्याज देयता का आकलन करना चाहिए, विशेष रूप से यह देखते हुए कि कर नवंबर 2019 में समायोजित था। मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय⁵⁶ ने इस बात पर जोर दिया है कि क्रेडिट की मात्र उपलब्धता को कर देयता के भुगतान के रूप में नहीं माना जा सकता, जब तक कि क्रेडिट को देयता के निर्वहन के लिए डेबिट नहीं किया जाता।

⁵⁶ भारत यमाहा मोटर (पी) लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त - [2022] 142 टैक्समैन.कॉम 369 (मद्रास)

- viii. **जीएसटीआर-9सी तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में गैर-मिलान:** सिकंदराबाद केंद्रीय कर आयुक्तालय के उप्पल नचरम रेंज के अंतर्गत विभिन्न ब्रांड नामों के अंतर्गत बियर के निर्माण और आपूर्ति में लगे करदाता के मामले में जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर में घोषित ₹ 41.02 करोड़ के असंगत टर्नओवर का एक मामला विभाग को सूचित किया गया। जवाब में, विभाग ने कहा कि असंगत टर्नओवर जीएसटीआर-9 में परिलक्षित लेनदेन के कारण था, जो जीएसटी में आपूर्ति के रूप में योग्य नहीं था (₹ 1.27 करोड़ के समान जीएसटीएन के अंतर्गत स्टॉक हस्तांतरण, ₹ 0.40 करोड़ के मादक उत्पादों पर शुल्क और ₹ 0.02 करोड़ की जमा राशि पर ब्याज आय), और जीएसटीआर-9 में ₹ 42.68 करोड़ के आर्थिक अधिशेष, के कारण था। उत्तर विशेष रूप से ₹ 42.68 करोड़ के आर्थिक अधिशेष को गैर-कर योग्य मानने के लिए स्वीकार्य नहीं है। "आर्थिक अधिशेष" सीबीयू द्वारा खर्चों की प्रतिपूर्ति को छोड़कर, ब्रांड के मालिक और अनुबंध ब्रूइंग/बॉटलिंग इकाइयों (सीबीयू) के संयुक्त खाते में अधिशेष लाभ का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे अंततः ब्रांड मालिक द्वारा विनियोजित किया जाता है। कर्नाटक अपीलीय प्राधिकरण अग्रिम निर्णय⁵⁷ ने फैसला दिया है कि सीबीयू द्वारा ब्रांड मालिक को अंतरित अधिशेष लाभ, प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में योग्य हैं, और जीएसटी ऐसे अंतरण पर देय है। अधिशेष लाभ को विनियोजित करने के लिए ब्रांड मालिक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को आईपीआर (आईपीआर सेवा), फ्रेंचाइज़ी सेवा और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति का उपयोग करने के अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्राधिकरण ने एसएसी कोड 999799 के अंतर्गत सेवा को 'अन्य सेवाएं जो कहीं और वर्गीकृत नहीं हैं' के रूप में वर्गीकृत किया और कहा कि इस सेवा पर 18 प्रतिशत का जीएसटी लगेगा। इसलिए वित्तीय विवरणों में राजस्व के रूप में प्रतिवेदित 'आर्थिक अधिशेष' से संबंधित असंगत टर्नओवर पर कर का निर्वहन करना आवश्यक था।

⁵⁷ आदेश सं. केएआर/एएएआर/03/2018-19 दिनांक 23 अक्टूबर 2018

- ix. **जीएसटीआर-9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में गैर-मिलान:** कोलकाता उत्तरी केंद्रीय कर आयुक्तालय के श्यामबाजार रेंज-1 के अंतर्गत एक करदाता के जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में प्रतिवेदित ₹33.27 करोड़ के असंगत कर योग्य टर्नओवर पर ध्यान दिया और विभाग को सूचित किया गया। अंतर्निहित राजस्व प्रभाव ₹ 5.99 करोड़ (18 प्रतिशत कर दर पर) निकला। विभाग ने उत्तर दिया कि स्पष्टीकरण मांगने वाले पत्र को "पता स्थानांतरित" नोट के साथ वापस कर दिया गया और इसलिए, 30 सितंबर 2022 से प्रभावी रूप से पंजीकरण स्वतः रद्द कर दिया गया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग को करों में कमी की वसूली के लिए आगे की कार्रवाई शुरू करना बाकी था (जनवरी 2024)।

ग) **विसंगतियां जहां विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया**

- (i) **करदाताओं द्वारा आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियां:** आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियां प्राप्त कुल प्रतिक्रियाओं का 17 प्रतिशत (1,368 मामले) थी और ऐसे मामले जहां विभाग की प्रतिक्रियाओं को लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया था का, 25 प्रतिशत थी। इन आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों का कोई राजस्व निहितार्थ नहीं था। अधिकांश आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियां आरसीएम, आईएसडी, टर्नओवर, कर योग्य टर्नओवर और भुगतान किए गए कर (जीएसटीआर-9सी में प्रदान की गई) से संबंधित हैं। एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

गांधीनगर केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत करदाता के जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 विवरणी के बीच कर देयता गैर-मिलान के रूप में ₹ 7,47,681.39 करोड़ की राशि के विचलन की पहचान की गई थी, और विभाग को सूचित किया गया था। विभाग का उत्तर प्राप्त होने पर, यह देखा गया कि यह विचलन टंकण त्रुटि के कारण हुआ। करदाता ने 2017-18 के दौरान जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी में क्रमशः ₹ 0.76 करोड़ और ₹ 0.75 करोड़ की आईजीएसटी देयता की घोषणा की। हालांकि, करदाता ने जीएसटीआर-9 की तालिका 4 में ₹ 7, 47,682.15 करोड़ की आईजीएसटी देयता त्रुटिवश इंगित की। यह विसंगति प्रणाली

में एक संभावित असुरक्षा को रेखांकित करती है, क्योंकि उचित सत्यापन नियंत्रण ऐसी आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों को रोक सकता था।

सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2022 की संख्या 5) ने जीएसटी आंकड़ा में आंकड़ा गुणवत्ता के मुद्दों और महत्वपूर्ण विसंगतियों पर प्रकाश डाला, जिसके कारण लेखापरीक्षा अंतर्दृष्टि और रुझानों को खोजने के लिए लेखापरीक्षा आंकड़ों की विश्वसनीयता स्थापित नहीं कर सका। प्रतिवेदन में यह भी सिफारिश की गई थी कि मंत्रालय को महत्वपूर्ण आंकड़ा तत्वों के संबंध में इस तथ्य के बाद, आंकड़ा एनालिटिक्स द्वारा पूरक उचित सत्यापन नियंत्रण (अनुचित आंकड़ा प्रविष्टियों को रोकने और / या करदाता को अनुचित आंकड़ों के संबंध में सचेत करने के लिए नियंत्रण) शुरू करने पर विचार करना चाहिए।

विभाग ने कर अवधि नवंबर 2020 के बाद से पीडीएफ प्रारूप में स्वतः-भरण जीएसटीआर-3बी की सुविधा प्रदान की है, ताकि करदाताओं को उक्त विवरणी भरने में सहायता मिल सके और यदि इनपुट राशि और स्वतः-भरण राशि के बीच अंतर है तो प्रणाली द्वारा त्वरित सचेतक भेजा जाता है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि पीडीएफ प्रारूप में स्वतः भरा जीएसटीआर-3बी फॉर्म कर अधिकारियों के लिए उपलब्ध नहीं था। सीबीआईसी बैक-एंड प्रणाली में एक सुविधा का प्रावधान जिससे रैंज अधिकारी स्वतः-भरे फॉर्म और दाखिल जीएसटीआर-3बी में भिन्नता की सीमा को देख सकें, विवरणी की बेहतर जांच की सुविधा प्रदान कर सकता है। इस रिपोर्ट के अध्याय VI में जीएसटीएन द्वारा अनुरक्षित जीएसटी आंकड़ा की विश्वसनीयता का एक विस्तृत विश्लेषण है।

- (ii) **लेखापरीक्षा पृच्छा जारी करने से पहले की गई कार्रवाई:** जैसा कि ऊपर तालिका 4.5 में संक्षेप में बताया गया है, विभाग ने पहले ही 510 मामलों में कार्रवाई की थी, जोकि प्राप्त 8,220 प्रतिक्रियाओं का छः प्रतिशत था, शीर्ष पांच ज़ोन जिन्होंने विचलनों/विसंगतियों को सक्रिय रूप से संबोधित किया था, उन्हें **तालिका 4.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.6: पृच्छा से पहले की गई कार्रवाई - ज़ोनवार

ज़ोन	लेखापरीक्षा पृच्छा के पहले की गई कार्रवाई	प्राप्त प्रतिक्रियाएं	प्रतिक्रियाएं प्राप्त नहीं हुई	ऐसे मामलों का प्रतिशत जहां प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं
हैदराबाद	68	554	19	12
मुंबई	60	687	171	9
भोपाल	71	844	212	8
जयपुर	39	563	6	7
अहमदाबाद	41	809	7	5
कुल	279	3,457	415	8

4.8.4.3 इनपुट नियंत्रणों का विश्लेषण

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा का विचार है कि निम्नलिखित सत्यापन न केवल आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों पर अंकुश लगाने में सहायता करेंगे, बल्कि संभावित रूप से करदाता अनुपालन और विवरणी की जांच की गुणवत्ता को भी बढ़ाएंगे:

- जीएसटीआर-3बी तालिका 4(बी) में आईटीसी उत्क्रमण में पिछले कर अवधि से संबंधित आईटीसी के उत्क्रमण शामिल हो। इस प्रकार, वर्तमान और पिछली कर अवधियों के मूल्यों का विभाजन जीएसटीआर-2बी⁵⁸ क्रेडिट नोटों और जीएसटीआर-6 (इनपुट सेवा वितरकों द्वारा दाखिल विवरणी) में घोषित उत्क्रमण से वर्तमान अवधि के लिए स्वतः भरण आंकड़ों के साथ संपादन सुविधा के बिना, प्रदान किया जा सकता है। यह सभी करदाताओं और विभाग के लाभ के लिए आयोग्य आईटीसी के कारण या अन्य कारकों के कारण उत्पन्न होने वाले उत्क्रमण की पहचान करने में उपयोगी होगा।

⁵⁸ जीएसटीआर-2बी एक स्थिर मासिक स्वतः प्ररूपित आईटीसी विवरण है जो आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके संबंधित जीएसटीआर-1 (जावक आपूर्ति) में दी गई जानकारी के आधार पर प्रत्येक सामान्य करदाता के लिए प्रस्तुत होता है। यह जीएसटी पोर्टल पर अगस्त 2020 से शुरू किया गया।

- ii. वर्तमान में करदाता जीएसटीआर-3बी में वर्तमान और पिछले बकाया सहित अपने सभी भुगतानों की घोषणा करता है। जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1 में घोषित कर योग्य राशि (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी बाहरी आपूर्ति और आवक आपूर्ति का विवरण) को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक भाग वर्तमान महीने के जीएसटीआर-1 से उत्पन्न होने वाली देनदारियों से स्वतः भरण हो सकता है और गैर-संपादन योग्य बनाया जा सकता है और दूसरा भाग करदाता को विवरण के साथ अन्य परिवर्धन घोषित करने की अनुमति दे सकता है। यह पिछले बकायों की पहचान करने और उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करने में सहायता करेगा।

जब लेखापरीक्षा ने इस बारे में बताया (जनवरी 2023), मंत्रालय ने कहा (मई 2023) कि विवरणी में सत्यापक निर्माण करने का, विवरणी दाखिल करने में सहजता पर विपरीत प्रभाव होगा। इसके अलावा, इस तरह के सत्यापक का निर्माण सुदूर परिदृश्यों में वास्तविक आंकड़ा प्रविष्टि को बाधित कर सकता है और राजस्व को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

सिफारिश:

- 10) विभाग आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों को नियंत्रित करने, करदाता अनुपालन को बढ़ाने और बेहतर जांच की सुविधा के लिए जीएसटी विवरणी में सत्यापन नियंत्रण और विनम्र सचेतक के न्यायसंगत संयोजन को शुरू करने पर विचार करे। इसके अलावा, विभाग क्षेत्राधिकार कार्यालयों के दुर्लभ संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए करदाताओं द्वारा जीएसटी विवरणी में संशोधन के प्रावधान को शामिल करने पर भी विचार करे।

करदाताओं द्वारा जीएसटी विवरणी में संशोधन के लिए प्रावधान करने के लिए लेखापरीक्षा की सिफारिश पर मंत्रालय मौन था।

4.8.5 जीएसटी विवरणी की विस्तृत लेखापरीक्षा

स्व-मूल्यांकन व्यवस्था में, कानून के अनुपालन की जिम्मेदारी करदाता पर है। विभाग की भूमिका, निगरानी प्रदान करने के लिए एक कुशल कर प्रशासन तंत्र स्थापित करना और रखरखाव करना है। संसाधनों के सीमित स्तर के साथ, एक प्रभावी कर प्रशासन के लिए, कानून के अनुपालन और राजस्व संग्रह सुनिश्चित

करने के लिए, एक कुशल शासन तंत्र आवश्यक है। एक आईटी संचालित अनुपालन मॉडल बड़े पैमाने पर प्रशासन की गैर-विवेकाधीन व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाता है और अनुपालन को लागू करने के लिए लक्षित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है।

बाहरी लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण से, लेखापरीक्षा ने आंकड़ा-संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार, अखिल भारतीय आंकड़ा विश्लेषण के माध्यम से जीएसटी विवरणी में विसंगतियों/विचलन की पहचान करने के अलावा, इस समीक्षा के एक भाग के रूप में जीएसटी विवरणी की एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी की गई। समीक्षा के इस भाग के लिए 1,103 करदाताओं के जोखिम-आधारित नमूने का चयन किया गया। अपनाई गई पद्धति के आरंभ में जीएसटीआर-9सी के हिस्से के रूप में करदाताओं द्वारा दायर वित्तीय विवरणों और जीएसटी विवरणी और बैक-एंड सिस्टम में उपलब्ध अन्य अभिलेखों, जिन्हें सीएजी क्षेत्रीय लेखापरीक्षा अधिकारियों को प्रदान किए गए एसएसओआईडी के माध्यम से, संभावित जोखिम क्षेत्रों, विसंगतियों/विचलनों और चेतावनी-सूचकों की पहचान करने के लिए एक्सेस किया गया था, की एक डेस्क समीक्षा करना था। सीएजी क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों में डेस्क समीक्षा⁵⁹ की गई। डेस्क समीक्षा परिणामों के आधार पर, वित्तीय बही-खातों, बीजक आदि जैसे करदाताओं के संबंधित ग्रैनुलर अभिलेख की मांग करके पहचाने गए जोखिमों के प्रेरक कारकों की पहचान करने और करदाताओं द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए सीबीआईसी क्षेत्रीय कार्यालयों में विस्तृत लेखापरीक्षा की गई।

सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80 (3) में प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, जिसका एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल टर्नओवर ₹ पांच करोड़ से अधिक है धारा 44 के दूसरे प्रावधान में निर्दिष्ट व्यक्तियों, इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति, सामान्य कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, के अलावा, फॉर्म जीएसटीआर-9सी में वार्षिक विवरणी के साथ, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य

⁵⁹ सीबीआईसी बैक-एंड जीएसटी एप्लिकेशन के लिए एसएसओआईडी आधारित रिमोट एक्सेस के माध्यम से क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों में डेस्क-समीक्षा की गई।

पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से, एक स्व-प्रमाणित समायोजन विवरण भी प्रस्तुत करेगा, इसके अलावा, फॉर्म जीएसटीआर-9सी में समाधान विवरण तैयार किया जाना चाहिए और लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और वित्तीय विवरण, लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट आदि सहित अन्य विवरण, जैसा लागू हो, जीएसटीआर-9सी के साथ अद्यतित (अपलोड) किया जाना चाहिए। हालांकि, इन अभिलेखों को जीएसटीआर-9सी के साथ ठीक से अद्यतित (अपलोड) नहीं किया गया। इसके अलावा, जीएसटीआर-9सी के साथ अद्यतित (अपलोड) किए गए वित्तीय विवरणों की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए विभाग के पास कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है।

(1) विषयक्षेत्र सीमा

मांग और अनुवर्तन के बावजूद, क्षेत्राधिकार रेंज ने 1,103 मामलों के नमूने में से 67 मामलों में वित्तीय विवरण, जीएसटीआर-9सी और जीएसटीआर-2ए जैसे मूलभूत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। इस प्रकार, नमूने के 6 प्रतिशत की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

इसके अलावा, जोखिम आधारित नमूने के 34 प्रतिशत वाले अन्य 373 मामलों में, गैरन्युलर करदाता अभिलेख आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए, जैसे कि बीजक प्रदान नहीं किए गए। नतीजतन, इन आंशिक रूप से प्रस्तुत मामलों में, लेखापरीक्षा, करदाताओं द्वारा दायर विवरणी में उपलब्ध जानकारी तक ही सीमित थी। भले ही लेखापरीक्षा ने जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर आगे की जांच के लिए करदाताओं के गैरन्युलर अभिलेख की पहचान की और तदनुसार, विभाग से इसकी मांग की, विभाग ने पूर्ण अभिलेख प्रदान नहीं किए। इस प्रकार, लेखापरीक्षा, दावा किए गए आईटीसी की पात्रता और अनिर्धारित कर देयता की सीमा का आकलन नहीं कर सका, जोकि एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र को सीमित कर देता है।

अभिलेखों के गैर-प्रस्तुतीकरण और अभिलेखों के आंशिक प्रस्तुतीकरण का विवरण निम्नलिखित पैराग्राफ में संक्षेप में दिया गया है:

क) अभिलेख प्रस्तुत न करना: क्षेत्राधिकार-वार अभिलेख के अप्रस्तुतीकरण को तालिका 4.7 में सारांशित किया गया है।

तालिका 4.7: क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा सूचित किए गए अभिलेखों का गैर-प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़ में)

सीबीआईसी का क्षेत्राधिकार क्षेत्र	नमूना	गैर-प्रस्तुतीकरण	
	करदाताओं की संख्या	करदाताओं की संख्या	आईटीसी/कर देयता में गैर-मिलान
अहमदाबाद	70	8	52.39
बेंगलुरु	70	2	3.19
चंडीगढ़	65	18	137.86
चेन्नई	61	2	217.06
हैदराबाद	150	4	7.27
जयपुर	60	7	39.13
कोलकाता	160	1	1.72
मुंबई	130	13	295.73
नई दिल्ली	60	10	33.14
रांची	24	2	0.01
कुल	850⁶⁰	67	787.50

67 मामलों में अभिलेखों को प्रस्तुत न किए जाने के परिणामस्वरूप, डेटा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए, ₹787.50 करोड़ के गैर-मिलानों/ विसंगतियों की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी। अप्रस्तुतीकरण के शीर्ष दस मामले परिशिष्ट-IV में दिए गए हैं।

ख) आंशिक प्रस्तुतीकरण: जैसा कि पैरा 4.8.5 में उल्लेख किया गया है, बैंक-एंड प्रणाली में उपलब्ध करदाताओं के अभिलेखों की डेस्क समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त आईटीसी और कर देयता गैर-मिलानों से संबंधित जोखिमों की पहचान की। आईटीसी आयाम पर, मिलान न होने की पहचान, जीएसटीआर-3बी की जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-9 के साथ तुलना करके और जीएसटीआर-9सी की तालिका 12 और 14 में की गई घोषणाओं से, की गई। कर देयता आयाम पर, जीएसटीआर-3बी की जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के साथ तुलना करके गैर-मिलानों की पहचान की गई और जीएसटीआर-9सी की तालिका 5, तालिका 7 और तालिका 9 में घोषणाओं के साथ तुलना करके विसंगतियों

⁶⁰ भोपाल (74), भुवनेश्वर (40), गुवाहाटी (50), लखनऊ (56) और तिरुवनंतपुरम (33) में सभी मामलों में अभिलेख प्रस्तुत किए गए।

की पहचान की गई। हालांकि, 373 मामलों में, विभाग ने पूरक वित्तीय बही खाते, बीजक, करार की प्रतियां आदि जैसे संबंधित ग्रैनुलर अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जो आईटीसी और कर देयता के मिलान न होने के लिए प्रेरक कारकों की जांच के लिए आवश्यक थे। लेखापरीक्षा ने संबंधित रेंज के माध्यम से करदाताओं के इन ग्रैनुलर अभिलेखों की मांग की। अभिलेखों के क्षेत्राधिकार-वार आंशिक प्रस्तुतीकरण को तालिका 4.8 में सारांशित किया गया है।

तालिका 4.8: क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा सूचित किए गए अभिलेख का आंशिक प्रस्तुतीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

सीबीआईसी का क्षेत्राधिकार क्षेत्र	नमूना	आईटीसी/कर देयता में गैर-मिलान	
	करदाताओं की संख्या	करदाताओं की संख्या	विचलन की राशि
अहमदाबाद	70	8	33.22
बेंगलुरु	70	34	334.51
भोपाल	74	39	258.77
भुवनेश्वर	40	12	74.20
चंडीगढ़	65	2	3.72
चेन्नई	61	59	230.93
गुवाहाटी	50	37	65.15
हैदराबाद	150	21	164.57
जयपुर	60	21	221.65
तिरुवनंतपुरम	33	10	47.84
कोलकाता	160	36	63.83
लखनऊ	56	47	299.19
मुंबई	130	20	557.92
नई दिल्ली	60	15	126.33
रांची	24	12	25.90
कुल	1,103	373	2,507.73

आईटीसी और कर देयता में गैर-मिलानों के मामले में आंशिक प्रस्तुतीकरण के शीर्ष दस मामले परिशिष्ट-V में दिए गए हैं।

34 प्रतिशत मामलों में गैरन्युलर अभिलेख आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा द्वारा ₹ 2,507.73 करोड़ की कर देयता और आईटीसी में गैर-मिलानों/विचलनों से संबंधित पहचाने गए जोखिमों की विस्तार से जांच नहीं की जा सकी।

4.8.5.1 जीएसटी विवरणी की विस्तृत लेखापरीक्षा - लेखापरीक्षा निष्कर्ष

जैसा कि पिछले पैराग्राफों में बताया गया है, विस्तृत लेखापरीक्षा में जोखिमों और चेतावनी सूचकों की पहचान करने के लिए जीएसटी विवरणियों और अन्य मूलभूत अभिलेखों की एक डेस्क समीक्षा शामिल थी, जिसके बाद, करदाताओं द्वारा अनुपालन न होने की सीमा और सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा की गई कार्रवाई की पहचान करने के लिए क्षेत्रीय लेखापरीक्षा की गई। विभिन्न चरणों में करदाताओं द्वारा अनुपालन अंततः, दाखिल की गई विवरणियों, आईटीसी के उपयोग और कर भुगतान के निर्वहन की सत्यता को प्रभावित करता है। इसलिए लेखापरीक्षा निष्कर्षों को क) जीएसटी विवरणी दाखिल करना और भुगतान ख) आईटीसी का उपयोग और ग) कर देयता का निर्वहन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

4.8.5.2 जीएसटी विवरणी दाखिल करने और भुगतान पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1,103 करदाताओं के नमूने द्वारा दाखिल विवरणी की विस्तृत लेखापरीक्षा में खुलासा हुआ कि करदाताओं द्वारा ब्याज भुगतान का निर्वहन नहीं किया गया था और आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियां अत्यधिक मामलों में विवरणियों में मौजूद थीं, जिन्हें बाद के पैराग्राफों में बताया गया है।

क) करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान न करना

लेखापरीक्षा ने 290 मामलों में देखा, जो लेखापरीक्षा किए गए 1,036 मामलों⁶¹ का 28 प्रतिशत थे, कि करदाताओं ने या तो अपनी विवरणियों को विलंब से दाखिल किया था या गलत तरीके से अतिरिक्त आईटीसी क्रेडिट का उपयोग किया था, जिनका वापस भुगतान किया गया था, लेकिन ₹ 29.47 करोड़ की राशि के ब्याज भुगतानों का निर्वहन नहीं किया गया था।

⁶¹ 1,103 मामले कम 67 मामले जिनके लिए मूलभूत अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

जब इसे इंगित किया गया था, मंत्रालय/विभाग ने ₹ 14.47 करोड़ की राशि वाले 107 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया, जिनमें से 60 मामलों में ₹ 1.19 करोड़ की वसूली की गई थी। शेष 183 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था/अस्वीकार किया गया था। इस श्रेणी में देखी गई शीर्ष पांच अनियमितताएं ₹ 13.44 करोड़ की थीं। कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

- i. गुंटूर आयुक्तालय के अंतर्गत अमरावती राजधानी शहर रेंज के अंतर्गत एक करदाता ने सितंबर 2017 और अक्टूबर 2017 से मार्च 2018 की विवरणी क्रमशः मई और जून 2018 में दाखिल की थी और इन विवरणियों में इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाते को डेबिट करके बकाया कर का भुगतान किया था। हालांकि, ₹ 5.58 करोड़ की ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया था। जब इसे बताया गया, विभाग ने कहा कि तकनीकी खामियों के कारण करदाता ऑनलाइन विवरणी दाखिल नहीं कर सका इसलिए विवरणी मैनुअल रूप से दाखिल की थी। यह राशि जीएसटी पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाते में क्रेडिट की गई थी लेकिन इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाते में डेबिट नहीं की जा सकी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि केवल क्रेडिट की उपलब्धता को कर देयता के भुगतान के रूप में नहीं माना जा सकता है जब तक कि इसे देयता के निर्वहन के लिए डेबिट नहीं किया जाता है। इसलिए, विवरणी दाखिल करने में देरी के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाते को डेबिट करके ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाते में शेष राशि की उपलब्धता को कर के भुगतान के रूप में नहीं माना जा सकता है। करदाता कर का भुगतान करने के लिए डीआरसी-03⁶² तरीके का उपयोग कर सकता था।

इसे इंगित किए जाने पर (जुलाई 2022), मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि वसूली की कार्यवाही शुरू की जा रही थी।

- ii. नेल्लोर-3 रेंज, गुंटूर केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत एक करदाता ने जुलाई से अक्टूबर 2017 और जनवरी से मार्च 2018 की अवधि के लिए

⁶² डीआरसी-03 जीएसटी कानून के तहत एक प्रपत्र है जिसे मांग या कर की कमी के लिए स्वैच्छिक कर भुगतान के लिए दाखिल करना आवश्यक है।

जीएसटीआर-3बी विवरणी जनवरी 2018 से सितंबर 2018 तक विलंब से दाखिल की थी। हालांकि, कर राशि के विलंबित भुगतान पर ₹ 2.98 करोड़ की ब्याज देयता का निर्वहन नहीं किया गया था।

जब इसे इंगित किया गया (अक्टूबर 2022), मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि करदाता को ₹ 2.36 करोड़ का माँग नोटिस जारी किया गया था।

- iii. बेंगलुरु उत्तर आयुक्तालय के डीएनडी 3 रेंज के अंतर्गत एक करदाता ने ₹ 0.42 करोड़ के पात्र क्रेडिट के बजाय अगस्त 2017 के दौरान ₹ 4.19 करोड़ के एसजीएसटी क्रेडिट का लाभ लिया था, जिसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में ₹ 3.77 करोड़ का अतिरिक्त एसजीएसटी क्रेडिट हुआ। करदाता ने मई 2020 में डीआरसी-03 के माध्यम से अतिरिक्त आईटीसी लाभ का भुगतान किया। फिर भी, लेखापरीक्षा ने देखा कि करदाता द्वारा अतिरिक्त आईटीसी का पूर्ण रूप से उपयोग एसजीएसटी देयता को समायोजन करने के लिए किया गया था। परिणामस्वरूप, करदाता अब उसके द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त आईटीसी की राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य है। ब्याज देयता ₹ 2.41 करोड़⁶³ आकलित की गई।

इसे सितंबर 2022 में इंगित किया गया था। विभाग ने इस अभ्युक्ति को स्वीकार किया है और 26 सितंबर 2023 को करदाता को एक माँग नोटिस जारी किया है।

ख) आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियां

लेखापरीक्षा ने जीएसटी विवरणी दाखिल करते समय करदाताओं द्वारा महत्वपूर्ण संख्या में आंकड़ा प्रविष्टि गलतियों को पाया। विवरणी में आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों को 345 मामलों में देखा गया था, जो लेखापरीक्षित मामलों का 33 प्रतिशत था। त्रुटियां मुख्य रूप से जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-3बी में कर योग्य राशि और कर देयता के बीच विसंगति, जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-3बी में सीजीएसटी और एसजीएसटी भुगतानों में विसंगति, जीएसटीआर-3बी तथा जीएसटीआर-9

⁶³ दो वर्ष और नौ माह की अवधि के लिए 24 प्रतिशत की दर से, अर्थात् अगस्त 2017 से मई 2020 तक।

आदि के बीच आईटीसी लाभ और उत्क्रमण की विसंगति जैसे क्षेत्रों में थीं। एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

आदिलाबाद रेंज मेडचल केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत एक करदाता ने जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए के बीच ₹ 1.61 करोड़ के आईटीसी गैर-मिलान को दिखाया था। यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया कि करदाता ने अनजाने में नवंबर 2017 और दिसंबर 2017 के अपने जीएसटीआर-3बी में "आरसीएम के लिए उत्तरदायी आवक आपूर्ति "(कॉलम 4ए (3)) के बजाय "अन्य सभी आईटीसी" (कॉलम 4ए(5)) के तहत गलत क्षेत्र में आरसीएम के कारण उत्पन्न आईटीसी लाभ आंकड़ों को दर्ज कर दिया था। करदाता ने फरवरी 2019 के अपने जीएसटीआर-3बी में इस त्रुटि को सुधारा था। उत्तर स्वीकार्य पाया गया।

4.8.5.3 इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का अर्थ है वस्तुओं और/या सेवाओं जिन्हें व्यवसाय के दौरान या इसे आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, की खरीद पर कर योग्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया माल और सेवा कर (जीएसटी) करों के व्यापक प्रभाव से बचने के लिए, इनपुट आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का उपयोग जावक आपूर्ति पर करों के भुगतान को समायोजन करने के लिए किया जा सकता है।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 और 17 आईटीसी का लाभ उठाने की पात्रता और शर्तों को निर्दिष्ट करती है। सीजीएसटी के क्रेडिट का उपयोग एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के क्रेडिट का उपयोग सीजीएसटी के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। सीजीएसटी नियमों के नियम 36 से 45 में आईटीसी का लाभ उठाने और उत्क्रमण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए 1,036 मामलों में से ₹ 144.44 करोड़ की अनुपालन कमियों के 193 मामले पाये गये। ये कमियां आईटीसी का अनियमित रूप से लाभ उठाने, अपात्र आईटीसी का लाभ उठाने, आईटीसी का गैर-या कम

उत्क्रमण और इनपुट सेवा वितरण पर आईटीसी का अधिक लाभ उठाने के कारण थीं।

क) आईटीसी का अनियमित लाभ

अधिनियम की धारा 16(2) आईटीसी का लाभ उठाने के लिए शर्तों को निर्धारित करती है। आईटीसी का लाभ उठाने के लिए पूर्व-आवश्यकताएं हैं:

- करदाता के पास कर बीजक या कोई अन्य निर्दिष्ट कर भुगतान दस्तावेज होना चाहिए
- करदाता को माल या सेवाएं प्राप्त हो गई हैं
- कर का भुगतान वास्तव में आपूर्तिकर्ता द्वारा किया गया है
- करदाता ने आईटीसी का लाभ उठाने के लिए विवरणी प्रस्तुत की है
- कर के साथ माल या सेवाओं की राशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को बीजक जारी करने की तिथि से 180 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

सीजीएसटी नियमों के नियम 36 में आईटीसी का दावा करने के लिए दस्तावेजी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है। एक करदाता (क) माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी बीजक, (ख) कर के भुगतान के प्रमाण के साथ प्राप्तकर्ता द्वारा जारी बीजक, (ग) आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी डेबिट नोट, (घ) आगम पत्र या सीमा शुल्क अधिनियम के तहत निर्धारित दस्तावेज, (ङ) संशोधित बीजक एवं (च) इनपुट सेवा वितरक द्वारा जारी दस्तावेज, के आधार पर आईटीसी का लाभ उठा सकता है। अगले वित्तीय वर्ष जिससे बीजक संबंधित है, के सितंबर या वार्षिक विवरणी दाखिल करने की तिथि, जो भी पहले हो, के बाद कोई आईटीसी का लाभ नहीं उठाया जाएगा।

इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 13(3) के अनुसार प्रति प्रभार तंत्र⁶⁴ (आरसीएम) के संबंध में, आरसीएम के तहत सेवाओं की आपूर्ति के समय को क) भुगतान के तिथि जैसा कि प्राप्तकर्ता के बहीखाते में प्रविष्टि की गई है, या जिस तिथि को भुगतान उसके बैंक खाते में डेबिट किया जाता है या ख) बीजक करने की तिथि से 60 दिन, जो पहले हो, माना जाता है। जहां

⁶⁴ प्रति प्रभार का अर्थ है कि कर का भुगतान करने की देयता आपूर्ति की अधिसूचित श्रेणियों के संबंध में ऐसे माल या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के बजाय माल या सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर है।

उपरोक्त साधनों से आपूर्ति का समय निर्धारित करना संभव नहीं है, आपूर्ति का समय आपूर्ति प्राप्तकर्ता के बही खातों में प्रविष्टि की तिथि मानी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने 115 मामलों (जांच किए गए 1,036 मामलों में से) में अनुपालन कमियों को पाया, जहां करदाताओं ने ₹ 133.24 करोड़ के अनियमित आईटीसी का लाभ उठाया था। कमियां मुख्य रूप से निर्दिष्ट अवधि के बाद जारी किए जा रहे बीजकों, क्रेडिट गलत तरीके से जीएसटी व्यवस्था में स्थानांतरित होने और उसका लाभ उठाने, कर भुगतान किए गए दस्तावेजों के काल बाधित होने, आपूर्तिकर्ताओं के विवरणी दाखिल नहीं करने और निर्धारित समय के भीतर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नहीं करने, के कारण थीं।

जब इसे इंगित किया गया, मंत्रालय/विभाग ने ₹ 65.74 करोड़ की राशि से संबंधित 68 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया था, जिनमें से 12 मामलों में ₹ 0.10 करोड़ की वसूली की गई थी। शेष 47 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था/अस्वीकार किया गया था। आईटीसी के अनियमित लाभ के शीर्ष पांच मामलों की राशि ₹ 66.16 करोड़ थी। कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

- i. बेलगावी केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत होस्पेट सी रेंज में, एक करदाता जुलाई 2017 से प्रत्येक माह बहीखातों में व्यय के रूप में जिला खनिज संस्थान उपकर और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास उपकर के लिए नियमित रूप से लेखांकन करता था और इन उपकरणों पर जीएसटी के भुगतान के बिना आईटीसी का उपयोग करता था। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 13(3) में निहित आपूर्ति के समय के प्रावधानों के अनुसार, आपूर्ति को वित्तीय वर्ष में ही किया माना जाता है, जब भी संबंधित व्यय को बहीखातों में दर्ज किया गया हो। करदाता आईटीसी का लाभ उठाने के लिए तभी पात्र है जब जीएसटी का भुगतान (आरसीएम के तहत) किया जाता है और संबंधित बीजक और संशोधन अगले वर्ष के सितंबर से पहले किए जाते हैं (अर्थात् 2017-18 की कर अवधि के लिए सितंबर 2018 और कर अवधि 2018-19 के लिए सितंबर 2019)। लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने फरवरी 2020 में ही आरसीएम के तहत ₹ 16.70 करोड़ के कर भुगतान का विलंब से निर्वहन किया था। परिणामस्वरूप, करदाता ने ₹ 16.70 करोड़

के आईटीसी का अनियमित रूप से लाभ उठाया था और उपयोग किया था, जिसके लिए ब्याज के साथ इसके उत्क्रमण की आवश्यकता थी। इसे अप्रैल 2022 में इंगित किया गया था। मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

- ii. अधिनियम की धारा 16(2) के अनुसार, कोई भी पंजीकृत व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की किसी भी आपूर्ति के संबंध में किसी भी इनपुट टैक्स के क्रेडिट का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह उन्हें प्राप्त नहीं करता है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 25(5) के अनुसार, किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में किसी व्यक्ति के स्थापना और अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में उसके स्थापना को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अलग-अलग व्यक्ति⁶⁵ माना जाएगा।

तेलंगाना राज्य में सिकंदराबाद केंद्रीय कर आयुक्तालय के बेगमपेट-III रेंज के एक करदाता ने दूरसंचार सर्कल के लिए लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान किया था, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों तक फैला हुआ था। इन दोनों राज्यों में करदाता के स्थापना को जीएसटी के उद्देश्य के लिए विशिष्ट व्यक्तियों के रूप में माना जाता है और अधिनियम के प्रावधान व्यक्तिगत रूप से लागू होते हैं। करदाता के अभिलेखों के सत्यापन पर, यह देखा गया कि करदाता ने तेलंगाना राज्य में आरसीएम आधार के तहत सर्कल के लिए लागू पूरे स्पेक्ट्रम शुल्क पर जीएसटी का भुगतान किया था, हालांकि आंध्र प्रदेश राज्य में उनके संचालन के लिए एक अलग पंजीकरण प्राप्त किया गया था। इसके अलावा, यह देखा गया कि करदाता ने स्पेक्ट्रम शुल्क पर भुगतान किए गए जीएसटी पर ₹ 49.34 करोड़ के आईटीसी का दावा किया था और कर के भुगतान के लिए क्रेडिट का उपयोग किया था। हालांकि, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित स्पेक्ट्रम सेवाओं का उपयोग राज्य के तहत पंजीकृत विशिष्ट इकाई द्वारा किया गया था और सेवाओं पर भुगतान किया गया कर राज्य को अर्जित होना चाहिए था। इस

⁶⁵ कोई व्यक्ति जिसने एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में या एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक से अधिक पंजीकरण प्राप्त किए हैं या प्राप्त करना अपेक्षित है, ऐसे प्रत्येक पंजीकरण के संबंध में, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अलग-अलग व्यक्तियों के रूप में माना जाएगा।

प्रकार, करदाता एक अलग राज्य में पंजीकृत उनकी विशिष्ट इकाई द्वारा उपयोग की जाने वाली सेवाओं के कारण आईटीसी का लाभ उठाने का हकदार नहीं था। इसलिए, राज्य के तहत इनपुट टैक्स दावे के लिए, आंध्र प्रदेश इकाई से संबंधित ₹ 15.92 करोड़ की इनपुट सेवाओं को आईएसडी तंत्र के माध्यम से हस्तांतरित किया जाना चाहिए था।

सितंबर 2022 में जब इसे इंगित किया गया, तो रेंज ने करदाता के उत्तर को प्रेषित किया (दिसंबर 2022) यह बताते हुए कि सरकार ने लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (दूरसंचार सर्कल) के आधार पर लाइसेंस जारी किया है, न कि राज्यवार। इसलिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से युक्त दूरसंचार सर्कल के लिए लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क पर जीएसटी का भुगतान आरसीएम आधार पर नोडल राज्य तेलंगाना में किया गया था और पूरे आईटीसी का लाभ केवल तेलंगाना राज्य में लिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करदाता (तेलंगाना इकाई) द्वारा प्राप्त सेवाओं का उपयोग केवल तेलंगाना इकाई द्वारा किए गए संचालन के लिए नहीं किया गया है और इसलिए आईटीसी का लाभ उठाने के लिए अधिनियम की धारा 16 में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है।

यह मुद्दा केवल आंध्र प्रदेश तक ही सीमित नहीं है; यह अन्य दूरसंचार सर्कलों तक भी पहुंच सकता है जिसमें एक से अधिक राज्य शामिल हैं, जैसे मध्य प्रदेश - छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश - उत्तराखंड, बिहार - झारखंड। यह भी ध्यान रखना उचित है कि यह मुद्दा अन्य दूरसंचार कंपनियों पर भी लागू हो सकता है और इसलिए, इसे हल किए जाने की आवश्यकता है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

- iii. अधिनियम की धारा 140(1) के प्रावधानों के अनुसार, धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अलावा एक पंजीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में, मौजूदा कानून के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत नियत दिन से ठीक पहले के दिन के साथ समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी में अग्रणीत सेनवैट क्रेडिट की राशि लेने का हकदार होगा।

चेन्नई बाह्य केंद्रीय कर आयुक्तालय के अलंदूर बाह्य रेंज के अंतर्गत एक करदाता ने जून 2017 की एसटी-3 विवरणी में ₹ 51.23 करोड़ के समापन शेष के प्रति ट्रान-1 फॉर्म की तालिका 5 (ए) के माध्यम से ₹65.72 करोड़ का परिवृती क्रेडिट प्राप्त किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹14.49 करोड़ के अधिक आईटीसी का लाभ हुआ। इसे अक्टूबर 2022 में इंगित किया गया था। मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

ख) अपात्र आईटीसी का लाभ उठाना

अधिनियम की धारा 16 माल या सेवाओं या दोनों, जिनका उपयोग उसके व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है या किया जाना है की किसी भी आपूर्ति पर आईटीसी का लाभ उठाने की अनुमति देती है, अधिनियम की धारा 17(5) माल और आपूर्ति की एक सूची प्रदान करती है, जिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया जा सकता है, सिवाय इसके कि जब जावक कर योग्य आपूर्ति सेवाओं की समान श्रेणी की हो।

अधिनियम की धारा 18 में उस तारीख से ठीक पहले वाले दिन पर, जिस तिथि से करदाता भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है उन मामलों में जहां व्यक्ति ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, उस तिथि से 30 दिनों के भीतर जिस पर वे पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं, केवल स्टॉक में रखे गए इनपुट और स्टॉक में रखे गए आधे रूप से तैयार या तैयार माल में निहित इनपुट के संबंध में इनपुट टैक्स के क्रेडिट का लाभ उठाने का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा ने 50 मामलों (जांच किए गए 1,036 मामलों में से) में अननुपालन देखा, जहां करदाताओं ने ₹5.50 करोड़ के अपात्र आईटीसी का लाभ उठाया था। कमियां मुख्य रूप से व्यवसाय में उपयोग नहीं की जाने वाले माल और सेवाओं की आपूर्ति पर आईटीसी का लाभ उठाने के कारण, अवरुद्ध/अननुमत वस्तुओं पर प्राप्त क्रेडिट और समय सीमा के भीतर जीएसटी पंजीकरण प्राप्त न करने के कारण थीं।

जब इसे इंगित किया गया था, मंत्रालय/विभाग ने ₹ 3.47 करोड़ की राशि वाले 26 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया था, जिसमें से 11 मामलों में ₹ 0.17 करोड़ की वसूली की थी। शेष 24 मामलों में उत्तर

प्रतीक्षित/स्वीकार नहीं किया गया था। अपात्र आईटीसी का लाभ उठाने से संबंधित शीर्ष पांच अनियमितताएं ₹ 3.84 करोड़ की थीं। अपात्र आईटीसी का लाभ उठाने के कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

- i. रायपुर केंद्रीय कर आयुक्तालय के रेंज V के अंतर्गत, एक करदाता का वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-2ए की तुलना में जीएसटीआर-3बी में ₹ 1.61 करोड़ का आईटीसी गैर-मिलान था। जब पूछताछ की गई, तो विभाग ने बताया कि अनंतिम जीएसटीआईएन को स्थानांतरित करते समय तकनीकी गड़बड़ी के कारण करदाता ने एक नया पंजीकरण प्राप्त किया था और करदाता के आपूर्तिकर्ताओं में से एक से प्राप्त कुछ आपूर्ति अकार्यात्मक जीएसटीआईएन के माध्यम से थी। चूंकि विभाग की प्रतिक्रिया केवल करदाता की प्रतिक्रिया का प्रेषण है, इसलिए विभाग से अनुरोध किया गया था कि इस मुद्दे की जांच करे और पुराने अनंतिम पंजीकरण के अंतर्गत कर के भुगतान के बिना उक्त आपूर्ति की निकासी जैसे अपवचन या प्रावधानों के किसी भी दुरुपयोग की संभावना को खारिज करे।

जब इसे बताया गया (अक्टूबर 2022), मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि ₹ 1.61 करोड़ का मांग नोटिस जारी किया गया था।

- ii. धारा 18 (1) के अनुसार, जिस दिन व्यक्ति पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होता है उस दिन से 30 दिनों के भीतर जब पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, तो करदाता स्टॉक में रखे गए केवल इनपुट⁶⁶ (माल) पर और स्टॉक में रखे गए आधे रूप से तैयार या तैयार माल में निहित इनपुट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा न कि इनपुट सेवाओं पर। सिकंदराबाद केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत मॉडा मार्केट II रेंज के अंतर्गत एक करदाता ने, सेवा लेखा संहिता 997332 (मूल फिल्मों, ध्वनि रिकॉर्डिंग, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम आदि के प्रसारण और दिखाने के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाओं) के तहत इनपुट सेवाओं पर अनियमित रूप से ₹0.72 करोड़ के आईटीसी का लाभ उठाया था, जो

⁶⁶ "इनपुट" को सीजीएसटी अधिनियम में धारा 2 (59) के तहत ऐसे परिभाषित किया गया है, कि पूंजीगत वस्तुओं के अलावा कोई भी वस्तुएँ जिन्हें व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ाने के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा उपयोग किया गया है या किया जाना है।

अधिनियम की धारा 18(1) के तहत पात्र नहीं है। इसलिए, करदाता को आईटीसी के वापस करने और लागू ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता थी। इस मुद्दे को सितंबर 2022 में इंगित किया गया था। मंत्रालय/विभाग की प्रतिक्रिया अभी भी प्रतीक्षित थी (जनवरी 2024)।

- iii. हैदराबाद आयुक्तालय के अंतर्गत सोमाजीगुडा रेंज के अंतर्गत, एक करदाता ने मोटर कारों पर ₹ 0.57 करोड़ की राशि का अनियमित रूप से आईटीसी लाभ उठाया था। पूछताछ करने पर, यह सूचित किया गया कि वाहन का उपयोग साईट पर माल के परिवहन के लिए किया गया था। हालांकि, स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है, यह देखते हुए कि वाहनों को मुख्य रूप से यात्री परिवहन के लिए नामित किया गया था, जो अवरोधित क्रेडिट की श्रेणी में आता है। विभाग ने लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2022) और बाद में 27 सितंबर 2023 को करदाता को एक मांग नोटिस जारी किया।

ग) आईटीसी का गैर-उत्क्रमण/कम उत्क्रमण

नियमों के नियम 42 और 43 के साथ पठित अधिनियम की धारा 17 (2) में कहा गया है कि जहां माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आंशिक रूप से शून्य-निर्धारित आपूर्ति सहित कर योग्य आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए किया जाता है और आंशिक रूप से छूट वाली आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, क्रेडिट की राशि इनपुट टैक्स के इतने भाग तक सीमित होगी जो शून्य-निर्धारित आपूर्ति सहित उक्त कर योग्य आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।

लेखापरीक्षा ने 22 मामलों (जांच किए गए 1,036 मामलों में से) में अननुपालन को पाया जहां करदाताओं ने नियम 42 और 43 के गलत अनुप्रयोग के कारण ₹ 2.44 करोड़ के आईटीसी का या तो गैर-उत्क्रमण या कम उत्क्रमण किया था।

जब यह इंगित किया गया था, मंत्रालय/विभाग ने ₹ 2.31 करोड़ की राशि वाले 9 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया था, जिनमें से चार मामलों में ₹ 0.36 करोड़ की वसूली की गई थी। शेष 13 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था/अस्वीकार किया गया था। आईटीसी के गैर-उत्क्रमण/कम उत्क्रमण

के शीर्ष पांच मामलों की राशि ₹ 2.23 करोड़ थी। आईटीसी के गैर-उत्क्रमण/कम उत्क्रमण का एक उदाहरण नीचे दिया गया है।

- i. मैंगलौर केंद्रीय कर आयुक्तालय के बैकमपडी रेंज के अंतर्गत एक करदाता, कोयले के व्यापार के व्यवसाय में है। करदाता ने समय बीत जाने के कारण नवलखा पोर्ट (गुजरात) और न्यू मैंगलौर पोर्ट (कर्नाटक) में पड़े कोयले के कैलोरिफिक मूल्य की हानि के कारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए वित्तीय विवरणों में ₹ 5.30 करोड़ की राशि को बड़े खाते में डाल दिया था। हालांकि पूरे कोयला स्टॉक को जलाने का दावा किया गया था, लेकिन उन पर आईटीसी लाभ का करदाता के मासिक विवरणी या वार्षिक विवरणी में उत्क्रमण नहीं किया गया था। आईटीसी के गैर-उत्क्रमण की राशि ₹ 0.27 करोड़⁶⁷ थी। उत्तर में विभाग ने बताया (नवंबर 2023) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अनुसरण में करदाता ने मैंगलौर आयुक्तालय के आईटीसी से संबंधित ₹ 14 लाख का उत्क्रमण कर दिया। हालांकि, गुजरात इकाई द्वारा आईटीसी लाभ के संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है (जनवरी 2024)।

घ) इनपुट सेवा वितरण के माध्यम से आईटीसी का अधिक लाभ उठाना

अधिनियम की धारा 2 (61) "इनपुट सेवा वितरण" (आईएसडी) को माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता के कार्यालय के रूप में परिभाषित करती है जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के लिए कर बीजक प्राप्त करते हैं और कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता जिसके पास उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्या (पैन) है, को आईटीसी वितरित करने के प्रयोजनों के लिए निर्धारित दस्तावेज जारी करते हैं।

धारा 20 आईएसडी द्वारा क्रेडिट वितरण के तरीके को निर्धारित करती है। धारा 20(2) के अनुसार, आईएसडी वितरण के लिए उपलब्ध क्रेडिट को उसी महीने में वितरित कर सकता है जिसमें इसका लाभ उठाया गया है। आईएसडी को सीजीएसटी नियमों के नियम 39(1) के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार बीजक जारी करना चाहिए। इस संबंध में, नियम 54 (1ए)(ए)(iv) एक पंजीकृत

⁶⁷ कोयले के लिए लागू 5 प्रतिशत की दर से

व्यक्ति, जिसके पास आईएसडी के समान पैन और राज्य कोड है, को सामान्य इनपुट सेवाओं का क्रेडिट आईएसडी को स्थानांतरित करने के लिए बीजक या, जैसा भी मामला हो, क्रेडिट या डेबिट नोट जारी करने का प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा ने छः मामलों (जांच किये गये 1,036 मामलों में से) में ₹ 3.26 करोड़ की राशि के अननुपालन को पाया, जहां करदाताओं ने या तो आईएसडी के माध्यम से अनियमित रूप से आईटीसी का लाभ उठाया था या अधिक मात्रा में लाभ उठाया था।

विभाग ने ₹ 2.97 करोड़ की राशि के दो मामलों में लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार किया। शेष 4 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था/अस्वीकार किया गया था। एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

केंद्रीय माल और सेवा कर (कठिनाइयों का निवारण - द्वितीय) आदेश, 2018 ने अधिनियम की धारा 16(4) के तहत एक प्रावधान डाला जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान दिए गए माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए इस तरह के डेबिट नोट से संबंधित बीजक या किसी भी बीजक के संबंध में, जिसका विवरण जीएसटीआर-1 में आपूर्तिकर्ता द्वारा मार्च 2019 के महीने के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने की नियत तिथि तक अपलोड किया गया है, मार्च 2019 महीने के लिए जीएसटीआर-3बी विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक, पंजीकृत व्यक्ति को सितंबर 2018 के महीने के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की नियत तिथि के बाद आईटीसी लेने का अधिकार दिया गया था। विस्तार केवल उन मामलों में लागू था जहां आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने जीएसटीआर-1 में संशोधन किया गया है या जब पिछले जीएसटीआर-1 में कोई अनुपस्थित बीजक या डेबिट नोट घोषित नहीं किया गया है।

बेंगलुरु उत्तर केंद्रीय कर आयुक्तालय के तहत एएनडी-4 रेंज के अधिकार क्षेत्र में आने वाले दो करदाताओं ने 31 मार्च 2019 को बीजक जारी करके क्रमशः ₹2.21 करोड़ और ₹0.76 करोड़ की प्राप्त सामान्य आपूर्ति के प्रति अपने आईएसडी पंजीकरणों के लिए आईटीसी पारित किया था। हालांकि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आईटीसी का लाभ उठाने के लिए समायोजन अवधि को मार्च 2019 तक बढ़ा दिया था, यह केवल तभी लागू होता था जब आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने जीएसटीआर -1 में

संशोधन किया जाता है या जब बीजक या डेबिट नोट अनुपस्थित होता है। चूंकि इन सामान्य सेवाओं के आपूर्तिकर्ता पहले ही संबंधित महीनों के जीएसटीआर-1 में अपनी आपूर्ति प्रतिवेदित कर चुके हैं, इसलिए बढ़ाई गई समय सीमा इन लेन-देन पर लागू नहीं होगी। परिणामस्वरूप, करदाता सितंबर 2018 तक सामान्य क्रेडिट को स्थानांतरित करने के लिए बाध्य था। इसके अलावा, चूंकि करदाता सामान्य सेवाओं का आपूर्तिकर्ता नहीं था, बल्कि केवल उक्त आपूर्ति पर आईटीसी के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता था, इसलिए प्रावधान का लाभ करदाता पर लागू नहीं होता है। इसलिए, ₹ 2.97 करोड़ की राशि के आईएसडी पंजीकरण में हस्तांतरित आईटीसी अनियमित थी और इसलिए, इसे वापस कर दिया जाना आवश्यक था। इस विसंगति को नवंबर 2022 में बताया गया था। विभाग ने बाद में 22 सितंबर 2023 और 27 सितंबर 2023 को मांग नोटिस जारी कर दिये हैं।

ई) प्रणालीगत निहितार्थ वाले आईटीसी से संबंधित मुद्दे

उपरोक्त पैरा ग में उजागर किए गए नियम 42 से संबंधित एक प्रणालीगत मुद्दे के अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए अन्य प्रणालीगत मुद्दे जो आईटीसी लाभ, आईटीसी उत्क्रमण और आईएसडी के पहलुओं को प्रभावित करते हैं, नीचे दिए गए हैं:

1. यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा सरकार को कर प्रेषित नहीं किया गया है, तो धारा 16 (2) (सी) के अंतर्गत प्राप्तकर्ता को आईटीसी का उत्क्रमण करने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में, उच्चतम न्यायालय ने व्यापार और कर आयुक्त, दिल्ली और अन्य बनाम अराईज इंडिया लिमिटेड और अन्य के मामले में देखा कि केवल उन बिक्री डीलरों तक आईटीसी के इन्कार को सीमित करने की आवश्यकता थी, जो उनके द्वारा एकत्रित कर को जमा करने में विफल रहे थे और वास्तविक क्रय डीलरों को दंडित नहीं किया जाए। आंध्र प्रदेश⁶⁸ उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर⁶⁹ के समक्ष भी दो रिट याचिकाएं दाखिल की गईं

⁶⁸ 7767/2020 शीर्षक 'मेसर्स एसपीएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम राज्य कर के सहायक आयुक्त, नरसन्नापेटा और अन्य।

⁶⁹ संख्या 9443/2020 शीर्षक 'मेसर्स कमिंस टेक्नोलॉजीज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया'।

थीं। इसके अलावा, 4 मई 2018 की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्राप्तकर्ता की तरफ से आईटीसी का कोई स्वचालित उत्क्रमण नहीं होना चाहिए और आईटीसी का उत्क्रमण केवल असाधारण स्थितियों में हो सकता है जैसे कि आपूर्तिकर्ता का पता न चलना, आपूर्तिकर्ता द्वारा व्यापार को बंद करना या आपूर्तिकर्ता का दिवालिया हो जाना। इन घटनाक्रमों और सरकार के रुख को देखते हुए कि आईटीसी उत्क्रमण केवल असाधारण स्थितियों में हो सकता है, सीबीआईसी को धारा 16(2)(सी) के अनुप्रयोग की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

2. मौजूदा प्रावधान आईटीसी का लाभ उठाने को प्रतिबंधित करते हैं यदि जीएसटीआर-3बी विवरणी अगले वर्ष के सितंबर (2022 के बाद से नवंबर) से पहले दाखिल नहीं की जाती है। वर्तमान में इस बारे में कोई निर्देश नहीं है कि यह आईटीसी का लाभ उठाने के लिए अगले वर्ष के अप्रैल से सितंबर तक अनुमत समय का विस्तार केवल छोटे हुए बीजक और उन दस्तावेजों/डेबिट नोटों में किए गए समायोजन के लिए है या यह पहले की अवधि में की गई आपूर्तियों के लिए इस अवधि के दौरान सृजित नए बीजकों पर भी लागू होता है, जहां इस तरह के बीजक जारी करने के लिए निर्दिष्ट समय अवधि के बाद बीजक जारी किए गए थे।

4.8.5.4 कर देयता के निर्वहन पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

जीएसटी के मामले में कर योग्य घटना माल और/या सेवाओं की आपूर्ति है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 प्रभारी धारा है जो मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर, उक्त अधिनियम की धारा 15 के तहत निर्धारित मूल्य पर और प्रत्येक अधिनियम, यानी सीजीएसटी अधिनियम और एसजीएसटी अधिनियम के तहत 20 प्रतिशत से अनधिक वाली दरों पर, माल या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर-राज्य आपूर्ति पर केंद्र/राज्य माल और सेवा कर नामक कर के संग्रह को अधिकृत करता है। आईजीएसटी अधिनियम की धारा 5 में केंद्र सरकार के साथ वस्तुओं और सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर आईजीएसटी का उदग्रहण और संग्रहण में अधिकतम 40 प्रतिशत की दर निहित है।

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 8 के अंतर्गत, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर-राज्य और राज्यान्तरिक आपूर्ति पर एक उपकर लगाया जाता है, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं जैसे तंबाकू उत्पाद, वातित पेय, सिगरेट, वाहन आदि। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(4) और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5(3) और 5(4) में कुछ माल या सेवाओं पर प्रति प्रभार उदग्रहण का प्रावधान है, जिसमें आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए 1,036 मामलों में से 174 मामलों में ₹ 295.05 करोड़ की अनुपालन कमियों को पाया। कमियां मुख्य रूप से आपूर्ति के गलत वर्गीकरण, कर योग्य आपूर्ति का अपवर्जन, छूट का गलत लाभ, आपूर्ति के कम मूल्यांकन, आपूर्ति प्रावधानों के समय का पालन न करने और प्रति प्रभार के आधार पर कर देयता के गलत निर्वहन के कारण हुई थीं।

क) आपूर्ति का गलत वर्गीकरण

जीएसटी कानून में, कोई पृथक समर्पित टैरिफ अनुसूची या कोई अलग टैरिफ कानून नहीं है। जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं और/या आपूर्ति की दर अधिसूचित की जाती है। दो अधिसूचनाएं, 1/2017 - केंद्रीय कर (दर) और 1/2017- एकीकृत कर (दर) जारी की गई हैं, जिसमें विभिन्न कर दरों के लिए छः अनुसूचियां शामिल हैं। इन अधिसूचनाओं में संलग्न स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची की व्याख्या के लिए नियम, जिसमें धारा और अध्याय नोट और पहली अनुसूची के सामान्य स्पष्टीकरण का नोट शामिल हैं, जहां तक हो सकता है, अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे।

लेखापरीक्षा ने करदाताओं द्वारा माल और सेवाओं की आपूर्ति के गलत वर्गीकरण और करदाताओं द्वारा कम दरों पर कर देयता निर्वहन के परिणामस्वरूप ₹ 31.70 करोड़ की राशि के 25 मामलों (जांच किए गए 1,036 मामलों में से) में अनुपालन कमियों को पाया।

जब इसे इंगित किया गया था, मंत्रालय/विभाग ने ₹ 10.66 करोड़ की राशि से जुड़े 12 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 0.24 करोड़ की वसूली तीन मामलों में की गई थी। शेष 13 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था/अस्वीकार किया गया था। आपूर्ति के गलत वर्गीकरण पर ₹ 27.95 करोड़ की शीर्ष पांच अनियमितताएं थीं। आपूर्ति के गलत वर्गीकरण पर कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

- i. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की व्याख्या के लिए सामान्य सिद्धांतों का नियम 3 निर्दिष्ट करता है कि शीर्षक जो सबसे विशिष्ट विवरण प्रदान करता है, उसे अधिक सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्षकों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। गुंटूर केंद्रीय कर आयुक्तालय की अमरावती कैपिटल सिटी रेंज के अंतर्गत एक करदाता ने अध्याय 22029990 के तहत उत्पाद "थम्स अप चार्जड" - 18 प्रतिशत का जीएसटी आकृष्ट करने वाले अन्य गैर-मादक पेय पदार्थ को गलत तरीके से वर्गीकृत किया था। "थम्स अप चार्जड, कार्बोनेटेड कैफीन पैकड ड्रिंक होने के कारण विशिष्ट टैरिफ शीर्ष 22021090- वातित पेय के अंतर्गत कवर किया जाता है, जिस पर 28 प्रतिशत जीएसटी और 12 प्रतिशत उपकर लगता है। करदाता द्वारा गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 7.93 करोड़ के कर का कम भुगतान हुआ। जब इसे इंगित किया गया (अगस्त 2022), मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि वसूली की कार्यवाही शुरू की जा रही थी।
- ii. अधिसूचना संख्या 11/2017-सीटी (दर) दिनांक 28 जून 2017 आम जनता द्वारा उपयोग के लिए सड़क परिवहन के लिए सड़क, पुल, सुरंग या टर्मिनल के निर्माण के संबंध में निर्माण संविदा के लिए 12 प्रतिशत की रियायती दर की अनुमति देती है। अधिसूचना नहर, बांध या अन्य सिंचाई कार्य आदि के निर्माण के संबंध में एक उप-संविदाकार द्वारा मुख्य संविदाकार को प्रदान की गई निर्माण संविदा सेवाओं के लिए 12 प्रतिशत की रियायती दर भी प्रदान करती है। यह प्रावधान केवल उन परियोजनाओं के लिए 12 प्रतिशत की रियायती दर को सीमित करता है जहां मुख्य संविदाकार नहर, बांध, सिंचाई कार्य और इसी तरह की परियोजनाओं के निर्माण में लगा हुआ है।

राउरकेला केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंगुल । जीएसटी रेंज के अंतर्गत एक करदाता अधिसूचना 11/2017-सीटी (दर) दिनांक 28 जून 2017 के तहत 12 प्रतिशत की रियायती दर पर राष्ट्रीय राजमार्ग-42 परियोजना के पुनर्वास और उन्नयन के संबंध में उप-संविदाकार सेवाएं प्रदान कर रहा है। हालांकि, यह देखा गया है कि उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार, सड़क कार्य की उप-संविदा को 12 प्रतिशत की रियायती दर के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, करदाता 18 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करने के लिए बाध्य है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.43 करोड़ की कमी हुई है। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि माल और सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीएसआई) ने जून 2020 में करदाता के खिलाफ जांच शुरू की थी। हालांकि, डीजीजीएसआई, डीआरसी-01 दिनांक 31 मार्च 2022 में कर देयता की गणना करते समय इस पहलू को नोटिस करने में विफल रहा, जिसमें फरवरी 2018 और मार्च 2018 के महीनों से संबंधित करदाता से 12 प्रतिशत पर ₹ 3.12 करोड़ और ₹ 2.83 करोड़ के शुल्क की मांग की गई थी। इन महीनों की अल्प मांग अतिरिक्त रूप से ₹ 2.98 करोड़ रही। इस प्रकार, कुल ₹ 6.41 करोड़ का कम उदग्रहण हुआ था, जिसका भुगतान ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है।

इस विसंगति को सितंबर 2022 में ध्यान में लाया गया था। मंत्रालय ने यह इंगित करते हुए जवाब दिया कि आम जनता द्वारा उपयोग के लिए सड़क परिवहन हेतु सड़क, पुल, सुरंग या टर्मिनल के कार्यों की समग्र आपूर्ति से संबंधित अधिसूचना संख्या 11/2017 - सीटी (दर) दिनांक 28 जून 2017 (यथासंशोधित) की प्रविष्टि 3(IV) के अनुसार, 12 प्रतिशत की दर (सीजीएसटी और एसजीएसटी) लागू हैं। इसलिए, मुख्य संविदाकार पर लागू जीएसटी दर भी उप-संविदाकार पर लागू होती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 25 जनवरी 2018 की अधिसूचना सं. 1/2018 में प्रविष्टि 3(ix) के अनुसार, 3(iii) और 3(vi) के तहत वर्गीकृत आपूर्ति पर कर की 18% दर से छूट दी गई है। विशेष रूप से, इस संदर्भ में उप-संविदाकार द्वारा मुख्य संविदाकार को प्रदान की जाने वाली निर्माण

संविदा सेवाओं का कोई विशिष्ट समावेश नहीं है। श्री कंस्ट्रक्शन⁷⁰ और कोर कंस्ट्रक्शन⁷¹ के अग्रिम विनिर्णय मामले में विभाग द्वारा यही तर्क दिया गया था।

मुख्य संविदाकारों को उपलब्ध सरकारी परियोजनाओं के लिए निर्माण संविदा के निष्पादन से संबंधित उपरोक्त रियायत उप संविदाकारों के लिए उपलब्ध नहीं थी, हालांकि निष्पादित कार्यों की प्रकृति और उपयोगिता समान थी। मुख्य संविदाकारों को रियायती दर के लिए अधिसूचना प्रदान की गई, लेकिन उप संविदाकारों को नहीं दी गई थी।

सिफारिश:

- 11) विभाग निर्माण संविदा सेवाओं से संबंधित रियायतों की प्रयोज्यता की समीक्षा कर सकता है जहां उप-संविदाकार सरकारी परियोजनाओं को निष्पादित कर रहे हैं।

मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि सिफारिश को जांच के लिए नोट किया गया था।

- iii. सिकंदराबाद केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत मॉंडा मार्केट II रेंज के अंतर्गत एक करदाता, फिल्म वितरण सेवाओं की आपूर्ति में लगा हुआ है। लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि करदाता ने गलती से अपनी आपूर्ति को अध्याय शीर्षक 9973 के तहत 12 प्रतिशत जीएसटी पर कर का भुगतान पर 'संचालक के साथ या उसके बिना पट्टे या किराये की सेवाएं' के रूप में वर्गीकृत किया था। आदर्श रूप से, तत्काल मामले में इस आपूर्ति को 'फिल्म वितरण सेवा' (एसएसी 999614) के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था, जिसमें 18 प्रतिशत जीएसटी दर आकृष्ट होती हैं। इसके अलावा, सीबीआईसी द्वारा जारी सेवाओं के वर्गीकरण की योजना के व्याख्यात्मक नोट्स ने स्पष्ट किया कि एसएसी 999614 अनिवार्य रूप से वितरक और प्रदर्शनकर्ता, टेलीविजन नेटवर्क, टेलीविजन स्टेशन, वीडियो रेंटल स्टोर आदि के बीच संव्यवहार को कवर करता है। इस प्रकार, 'फिल्म वितरण सेवा' के 'संचालक

⁷⁰ सं.जीएसटी-एआरए-09/2018-19/बी-65, दिनांक 11 जुलाई 2018

⁷¹ सं.जीएसटी-एआरए-08/2020-21/बी-109, दिनांक 10 दिसंबर 2021

के साथ या उसके बिना' के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप जीएसटी का ₹ 6.39 करोड़ कम भुगतान हुआ था। इसे सितंबर 2022 में इंगित किया गया था। जनवरी, 2024 तक मंत्रालय/विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही थी।

ख) आपूर्ति का अपवर्जन

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7 आपूर्ति को परिभाषित करती है कि किसी व्यक्ति द्वारा कारोबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में किसी प्रतिफल के लिए किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया विक्रय, अंतरण, वस्तु विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन जैसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सभी रूप। इसमें किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात चाहे वह कारोबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं शामिल हैं। यह एक समावेशी परिभाषा है, मुख्य तत्व हैं (1) आपूर्ति माल या सेवाओं की होनी चाहिए, (2) आपूर्ति एक प्रतिफल के लिए की जानी चाहिए, (3) आपूर्ति व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ने के लिए की जानी चाहिए, (4) आपूर्ति एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए, (5) आपूर्ति एक कर योग्य आपूर्ति होनी चाहिए, और (6) आपूर्ति कर योग्य क्षेत्र के भीतर की जानी चाहिए। प्रथम अनुसूची कुछ गतिविधियों को निर्दिष्ट करती है जिन्हें बिना किसी विचार के भी आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। द्वितीय अनुसूची कुछ गतिविधियों या संव्यवहार के व्यवहार को माल की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में निर्दिष्ट करती है। सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 8 संयोजन और मिश्रित आपूर्ति से संबंधित है।

लेखापरीक्षा ने 28 मामलों (जांचे गए 1,036 मामलों में से), में अनुपालन कमियों को पाया जिनकी राशि ₹ 29.76 करोड़ थी, जो करदाताओं द्वारा कर योग्य आपूर्ति को छोड़कर और परिणामस्वरूप देय कर देयता का निर्वहन नहीं करने के कारण थी।

जब इसे इंगित किया गया, मंत्रालय/विभाग ने ₹ 22.07 करोड़ की राशि वाले आठ मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया। शेष 20 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था/अस्वीकार किया गया। आपूर्ति के अपवर्जन के शीर्ष पांच

मामलों में ₹ 26.23 करोड़ की राशि थी। कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

- i. बेंगलुरु उत्तरी केंद्रीय कर आयुक्तालय के एएनडी4 रैंज के अंतर्गत एक करदाता, अपनी अन्य घरेलू समूह कंपनियों को प्रशासनिक सहायता सेवाएं प्रदान करता है। सामान्य लेजर के विश्लेषण और वर्ष 2017-18 के लिए तुलन पत्रक ने संकेत दिया कि प्रदान की गई सेवाओं के ₹ 522.22 करोड़ मूल्य के प्रति, वार्षिक जीएसटीआर-9 विवरणी में केवल ₹ 427.62 करोड़ की घोषणा की गई थी। घरेलू कर योग्य आपूर्ति के अपवर्जन के कारण ₹ 17.03 करोड़ के कर का कम भुगतान हुआ। जब नवंबर 2022 में इसे बताया गया, तो विभाग ने 22 सितंबर 2023 को मांग नोटिस जारी किया।
- ii. बेंगलुरु दक्षिण केंद्रीय कर आयुक्तालय के डीएसडी4 रैंज के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा ने देखा कि करदाता ने वार्षिक विवरणी में कुछ आपूर्ति को शून्य दर पूर्तियां घोषित किया है, लेकिन मासिक विवरणी में ऐसी कोई आपूर्ति नहीं बताई गई थी। जब कराधान से इन आपूर्तियों की चूक के जोखिम को सामने लाया गया (सितंबर 2022), तो विभाग ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया। विभाग को विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण पत्र (एफआईआरसी) में विसंगतियां मिलीं, जहां इंगित बैंक खाता संख्या घोषित बैंक खाते के विवरण के साथ संरेखित नहीं थी। इसके अतिरिक्त, निर्यात बीजक का विवरण छोड़ दिया गया था। विभाग ने 29 सितंबर 2023 को ₹ 4.03 करोड़ की राशि का मांग नोटिस जारी किया।

ग) छूट का गलत लाभ उठाना

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 11 में बताया गया है कि लोकहित में और परिषद की सिफारिशों पर, सरकार या तो पूरी तरह से या ऐसी शर्तों के अधीन ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से उस पर लगाए जाने वाले कर के पूरे या किसी भी भाग से, जो उसमें निर्दिष्ट की जा सकती हैं, माल या सेवाओं या दोनों किसी भी निर्दिष्ट विवरण से छूट दे सकती है। इस धारा का स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करता है कि जहां किसी भी माल या सेवाओं के संबंध में या उस पर लगाए जाने वाले कर के पूरे या भाग से पूरी तरह से छूट दी गई है, ऐसे माल या सेवाओं की आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्ति, या दोनों कर एकत्र नहीं

करेंगे। माल की लगभग 149 मदे और सेवाओं की लगभग 81 मदों को अधिसूचनाओं⁷² द्वारा सीजीएसटी/आईजीएसटी के शुल्क से छूट दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने आठ मामलों (जांचे गए 1,036 मामलों में से) में ₹ 9.78 करोड़ की राशि की अनुपालन कमियों को पाया, करदाताओं द्वारा गलत तरीके से छूट प्राप्त करने के कारण, जिससे कर देयता का निर्वहन नहीं किया गया।

जब इसे इंगित किया गया था, मंत्रालय/विभाग ने ₹ 9.78 करोड़ की राशि से जुड़े सात मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 0.04 करोड़ की वसूली दो मामलों में की गई थी। शेष एक मामले में उत्तर प्रतीक्षित था। गलत छूट प्राप्त करने के शीर्ष पांच मामले की राशि ₹ 9.76 करोड़ थी। कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

- i. बेंगलुरु उत्तर-पश्चिम केंद्रीय कर आयुक्तालय के डीएनडब्ल्यूडी-5 के अंतर्गत एक करदाता सरकारी विभागों के विभिन्न सिविल कार्यों के निष्पादन में लगा हुआ है, जिसके लिए उन्हें अग्रिम में निधि प्राप्त होती है। केंद्र पर्यवेक्षण शुल्क के माध्यम से एक निश्चित दर पर राजस्व अर्जित करता है, जिसे कार्यों के पूरा होने के आधार पर मान्यता दी जाती है। हालांकि करदाता को सिविल कार्यों के निष्पादन के लिए विभिन्न विभागों से ₹ 70.45 करोड़ का अग्रिम मिला था, लेखापरीक्षा ने देखा कि कर का निर्वहन केवल पर्यवेक्षण प्रभारों पर किया गया था। यह गलत था क्योंकि निर्माण संविदा सेवाओं के लिए सरकारी विभागों से प्राप्त अग्रिमों को अधिनियम के तहत छूट नहीं दी गई है। इन अग्रिमों पर कर का भुगतान न करने की राशि ₹ 8.34 करोड़ थी। इस विसंगति को सितंबर 2022 में इंगित किया गया था। विभाग ने उत्तर दिया, जो यह दर्शाता है कि डीआरसी-01 राज्य प्राधिकरणों द्वारा 7 अगस्त 2023 को जारी किया गया है।
- ii. अधिसूचना 12/2017 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 के क्रम संख्या 34 पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड

⁷² अधिसूचना संख्या 2/2017 - केंद्रीय कर (दर) और 2/2017-एकीकृत कर (दर) माल के लिए और 12/2017 - केंद्रीय कर और 12/2017 -एकीकृत कर (दर) सेवाओं के लिए।

सेवा के माध्यम से किए गए एकल संव्यवहार में ₹ 2000 तक की राशि के निपटान के संबंध में 'अधिग्रहण बैंकों' को छूट का प्रावधान करता है।

बेंगलुरु दक्षिण केंद्रीय कर आयुक्तालय के डीएसडी4 रेंज के अंतर्गत एक करदाता भुगतान प्रसंस्करण सेवा प्रदान कर रहा है, इन लेखाओं में जमा संव्यवहार राशि पर कमीशन चार्ज करते समय व्यापारी खातों में भुगतान के सुरक्षित हस्तांतरण की सुविधा प्रदान कर रहा है। लेखापरीक्षा ने देखा कि करदाता ₹ 2000 से कम के संव्यवहार के लिए लगाए गए कमीशन के लिए अधिसूचना 12/2017 के तहत छूट का लाभ उठा रहा था, यह लाभ विशेष रूप से केवल अधिग्रहण करने वाले बैंकों⁷³ को दिया गया था। चूंकि करदाता केवल एक भुगतान ससाधक है, जो व्यापारियों और कई तृतीय-पक्ष बैंकों के लिए अपने ऑनलाइन भुगतान संव्यवहार को संभालने के लिए संपर्क के एकमात्र स्थान के रूप में कार्य करता है, वे एक अधिग्रहण बैंक के रूप में योग्य नहीं हैं। परिणामस्वरूप, दावा की गई छूट अनियमित है। परिणामस्वरूप ₹ 6.03 करोड़ की आपूर्ति की गई सेवाओं के लिए कर का भुगतान न करने की राशि ₹ 1.09 करोड़ थी। यह मुद्दा अन्य भुगतान सेवा मध्यस्थों के लिए भी प्रासंगिक है।

जब इसे इंगित किया गया (सितंबर 2022), विभाग ने बकाया की वसूली के लिए 29 सितंबर 2023 को मांग नोटिस जारी किया।

घ) आपूर्ति का कम मूल्यांकन

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 15 आपूर्ति के मूल्य से संबंधित है। माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का मूल्य संव्यवहार मूल्य होगा, जो वास्तव में माल या सेवाओं या दोनों की उक्त आपूर्ति के लिए भुगतान या देय का मूल्य है जहां आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति के प्राप्तकर्ता आपस में संबंधित नहीं हैं, और

⁷³ अधिसूचना 12/2017 के अनुसार, अधिग्रहण करने वाले बैंक का अर्थ है कोई भी बैंकिंग कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित वित्तीय संस्थान या कोई अन्य व्यक्ति, जो किसी भी व्यक्ति को भुगतान करता है जो डेबिट/क्रेडिट कार्ड स्वीकार करता है। वाणिज्यिक बोलचाल में, अधिग्रहण बैंक वह बैंक है जिसके पास अपने ऑनलाइन कार्ड भुगतानों को संसाधित करने के लिए एक व्यापारी के साथ दायित्व है। सफल लेनदेन के मामलों में, जारीकर्ता बैंक द्वारा ग्राहक के खाते से धन काट लिया जाता है और फिर बाद में अधिग्रहण करने वाले बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

जहां आपूर्ति के लिए कीमत ही एकमात्र प्रतिफल हैं। ऐसे मामलों में जहां माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का मूल्य इस पद्धति के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है, सीजीएसटी नियमावली के नियम 27 से 35 तक मूल्य के निर्धारण के लिए तरीके निर्धारित करते हैं।

लेखापरीक्षा ने करदाताओं द्वारा आपूर्ति के कम मूल्यांकन के कारण ₹ 121.15 करोड़ की राशि के 19 मामलों (जांचे गए 1,036 मामलों में से) में अनुपालन कमियों को पाया, जिससे कर भुगतान का निर्वहन नहीं हुआ।

जब इसे इंगित किया गया था, मंत्रालय/विभाग ने ₹ 108.78 करोड़ की राशि वाले नौ मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया। शेष 10 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था/अस्वीकार किया गया था। आपूर्ति के कम मूल्यांकन के शीर्ष पांच मामले ₹ 117.39 करोड़ के थे। कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

- i. अधिनियम की धारा 25(5) के अनुसार, किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में किसी व्यक्ति की स्थापना और किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में उसकी स्थापना को इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए सुभिन्न व्यक्ति माना जाएगा। इस संदर्भ में, एक पंजीकृत व्यक्ति और उसके कॉर्पोरेट कार्यालय की स्थापना को सुभिन्न व्यक्तियों के रूप में माना जाएगा और उनमें से संव्यवहार जीएसटी के तहत प्रभार्य होगा।

बेंगलुरु उत्तरी केंद्रीय कर आयुक्तालय के एएनडी-4 रेंज के अंतर्गत दो करदाताओं के पास अधिनियम की धारा 25 के अनुसार विभिन्न स्थापना पंजीकृत हैं। करदाता अपनी सुभिन्न इकाइयों को किए गए प्रति प्रभार⁷⁴ (क्रॉस चार्जस) पर कर का निर्वहन कर रहे थे। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि उन्होंने प्रति प्रभार (क्रॉस चार्जस) पर कम करों का निर्वहन किया था

⁷⁴ प्रति प्रभार (क्रॉस चार्जस) को विशेष रूप से किसी भी जीएसटी अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, इसे दो या दो से अधिक शाखाओं/कार्यालयों के बीच सेवाओं के साझाकरण के एक प्रकार के रूप में कहा जा सकता है जहां एक शाखा / कार्यालय सेवाओं के ऐसे साझाकरण के लिए अन्य शाखाओं / कार्यालयों से शुल्क लेता है। एक इकाई की सभी इकाइयों के बीच लागत साझा करना विभिन्न इकाइयों की लाभप्रदता का निर्धारण करने के लिए एक लेखांकन आवश्यकता है (लागत / पार प्रभार का विभाजन) जिसमें सभी सामान्य व्यय कुछ उचित आधार पर सभी इकाइयों को विभाजित किए जाते हैं।

क्योंकि कई व्यय शीर्षों को मूल्यांकन के लिए जोड़ा नहीं गया था। ₹ 1,602.8 करोड़ के व्यय, जिसमें प्रशासनिक व्यय, कार्यालय बिजली और ईंधन, किराया, मरम्मत और रखरखाव, संचार लागत, सीएसआर व्यय, यात्रा और वाहन, भर्ती और स्थानांतरण व्यय, लेखापरीक्षक को भुगतान, और कर्मचारियों के वेतन और निदेशक के पारिश्रमिक शामिल थे को कर के भुगतान के लिए विचार नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि करदाता ने इन उदाहरणों में देर से बीजक लगाया था, जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 31 के अनुसार नहीं है। इन मामलों में कर का कम भुगतान क्रमशः ₹ 99.20 करोड़ और ₹ 1.72 करोड़ है। जब नवंबर 2022 में इसे बताया गया, तो विभाग ने 22 सितंबर 2023 और 27 सितंबर 2023 को करदाताओं को मांग नोटिस जारी किए।

बेंगलुरु उत्तरी केंद्रीय कर आयुक्तालय के एएनडी-4 रेंज के अंतर्गत दो करदाताओं ने अपनी अन्य समूह कंपनियों से प्राप्त प्रतिपूर्ति पर कर का निर्वहन नहीं किया। करदाता के पास अपनी समूह कंपनियों के बीच अपने व्ययों को प्रति प्रभार करने (क्रॉस चार्जिंग) की प्रथा थी जो या तो प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त या भुगतान किया गया था। प्रतिपूर्ति या तो संबंधित पक्षों (आवक) की ओर से करदाता द्वारा भुगतान की गई राशि या करदाता (जावक) की ओर से समूह कंपनियों द्वारा किए गए व्यय की राशि के कारण थी। लेखापरीक्षा ने सामान्य बहीखाता से पाया कि ₹ 22.49 करोड़ के प्रति प्रभार (क्रॉस चार्जिंग) का व्यय कर्मचारियों के वेतन, ग्रेच्युटी, अवकाश, आवास और यात्रा व्यय और कर्मचारियों के जमा से जुड़े बीमा का बटवारा, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, कर्मचारियों की चिकित्सा और जीवन बीमा एवं परिसर आवंटन के स्वरूप का था। समूह कंपनियों को सुविधा सेवाएं प्रदान करने की ये गतिविधियां, जिनके लिए प्रतिपूर्ति का दावा या तो कर्मचारियों के ऋण के रूप में किया गया था या कर्मचारियों से जुड़ी लागत को अधिनियम की धारा 7 (1)(ए) के तहत सेवाओं और आपूर्ति के दायरे में कवर की गई थी। 18 प्रतिशत की दर से क्रमशः ₹ 4.22 करोड़ और ₹ 0.36 करोड़ कर का भुगतान नहीं किया गया। जब

नवंबर 2022 में बताया गया, तो विभाग ने 22 सितंबर 2023 और 27 सितंबर 2023 को करदाताओं को मांग नोटिस जारी किए।

इ) आपूर्ति का समय

अधिनियम की धारा 12, 13 और 14 आपूर्ति के समय से संबंधित प्रावधानों से संबंधित हैं और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 के आधार पर, ये प्रावधान एकीकृत कर के लिए लगाए जाने वाले अंतर-राज्य आपूर्ति पर भी लागू होते हैं। धारा 12 के प्रावधान माल की आपूर्ति के समय को निर्धारित करते हैं, धारा 13 सेवाओं की आपूर्ति के समय को निर्धारित करती है, और धारा 14 वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कर की दरों में बदलाव से संबंधित है।

लेखापरीक्षा ने 12 मामलों (जांच किए गए 1,036 मामलों में से) में ₹ 32.28 करोड़ की अनुपालन कमियां देखी, करदाताओं द्वारा आपूर्ति के समय प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण, जिससे कर दायित्व का निर्वहन नहीं हो सका।

जब इसे इंगित किया गया, मंत्रालय/विभाग ने ₹ 27.61 करोड़ की राशि से जुड़े आठ मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 0.42 करोड़ की वसूली पांच मामलों में की गई थी। शेष चार मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था/अस्वीकार किया गया। शीर्ष पांच मामलों में आपूर्ति के समय पर ₹ 32.21 करोड़ की अनियमितताएं थीं। कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

- i. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 13(2)(ए) और (बी) सेवाओं की आपूर्ति के समय को निर्धारित करती है और यह परिकल्पना करती है कि जहां न तो सेवाओं का प्रावधान पूरा होता है और न ही बीजक जारी किया जाता है, सेवाओं की आपूर्ति का समय भुगतान की प्राप्ति की तिथि होगी। इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 142 (11) (बी) में प्रावधान है कि इस अधिनियम के तहत सेवाओं पर कोई कर उस सीमा तक देय नहीं होगा जब तक कि वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V के तहत उक्त सेवाओं पर कर लगाया गया हो। राउरकेला केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंगुल I जीएसटी रेंज के अंतर्गत एक करदाता को वर्ष 2017-18 के दौरान एनएचएआई से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए

अग्रिम प्राप्त हुए थे। अग्रिम रजिस्टर के अनुसार, करदाता को 1 जून 2017 को ₹122.98 करोड़ और 31 जुलाई 2017 को ₹4.01 करोड़ की अग्रिम राशि प्राप्त हुई थी। करदाता ने नियत तिथि से पहले प्राप्त अग्रिमों पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया क्योंकि 'आम जनता द्वारा उपयोग के लिए सड़कों का निर्माण' की सेवाओं को अधिसूचना 25/2012 एसटी दिनांक 20 जून 2012 के क्रम संख्या 13 के तहत पारंपरिक व्यवस्था में छूट दी गई थी। हालांकि, ये सेवाएं अब जीएसटी व्यवस्था में कर योग्य हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि करदाता ने जुलाई 2017 तक उपभोग नहीं किए गए अग्रिमों पर जीएसटी का निर्वहन नहीं किया। उपभोग नहीं किए गए अग्रिम की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी क्योंकि संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे। बकाया राशि, ब्याज के साथ, वसूल करने की आवश्यकता है।

इसे सितंबर 2022 में इंगित किया गया था। मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि करदाता को मांग नोटिस जारी किया गया है।

- ii. अधिनियम की धारा 50 यह निर्दिष्ट करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके लिए कर या उसका किसी भाग का भुगतान नहीं किया जाता है, वह स्वयं उस ब्याज का भुगतान करेगा जिसके ब्याज की दर 18 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी एवं सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित की गई हों।

बेलगावी केंद्रीय कर आयुक्तालय के होस्पेट सी रेंज के अंतर्गत एक करदाता, ने जिला खनिज संस्थान उपकर और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास उपकर के लिए प्रति प्रभार तंत्र के तहत कर का भुगतान किया, भले ही वह प्रत्येक माह अपनी लेखा बहियों में व्यय का नियमित रूप से लेखा करता था। हालांकि, संबंधित ब्याज देयता का निर्वहन नहीं किया गया था। जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत करने की नियत तिथियों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए ब्याज देयता की गणना क्रमशः ₹ 2.42 करोड़ एवं ₹ 2.24 करोड़ है। अगस्त 2022 में इसे ध्यान में लाए जाने पर, मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

च) प्रति प्रभार तंत्र के अंतर्गत कर भुगतान

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5(3) के प्रावधानों के अनुसार, सरकार परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की श्रेणियों को निर्दिष्ट कर सकती है, जिस पर कर ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा प्रति प्रभार के आधार पर भुगतान किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर लागू होंगे जैसे कि वह ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है।

लेखापरीक्षा ने प्रति प्रभार तंत्र के तहत करदाताओं द्वारा गलत तरीके से कर भुगतान का निर्वहन करने के कारण 45 मामलों (1,036 मामलों की जांच की गई) में ₹ 7.53 करोड़ की अनुपालन कमियों को पाया, जिससे कर की कम वसूली हुई।

जब इसे इंगित किया गया था, मंत्रालय/विभाग ने ₹ 0.85 करोड़ की राशि वाले 10 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया। शेष 35 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था/अस्वीकार किया गया था। शीर्ष पांच मामलों में आरसीएम के तहत ₹ 5.41 करोड़ के गलत कर का भुगतान था। कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

- i. कोलकाता उत्तरी केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, जीएसटीआर-2ए⁷⁵ विवरणों में आवक आपूर्ति के 391 बीजकों के विवरण दिखाता है जहां प्राप्तकर्ता के रूप में करदाता को आरसीएम के तहत कर का भुगतान करना आवश्यक था, जिसका कर योग्य मूल्य ₹ 17.40 करोड़ था। इनमें से, 62 बीजकों में ₹ 0.66 करोड़ की कर देयता दिखाई, जबकि ₹ 4.17 करोड़ के कर योग्य मूल्य के शेष बीजकों ने किसी भी कर देयता का संकेत नहीं दिया। हालांकि, यह देखा गया कि करदाता ने आरसीएम के तहत किसी भी कर का निर्वहन नहीं किया था, जो कम से कम ₹ 0.66

⁷⁵ जीएसटीआर -2 ए एक करदाता के लिए उनके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा फाइल रिटर्न के आधार पर एक स्वचालित रिटर्न है, जिसमें आपूर्तिकर्ताओं द्वारा घोषित सभी आवक आपूर्ति का विवरण शामिल है।

करोड़ के कर के कम भुगतान का संकेत है। इसे मई 2022 में इंगित किया गया था। जनवरी, 2024 तक मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था।

- ii. अधिसूचना संख्या 13/2017 दिनांक 28 जून 2017 के अनुसार, प्रविष्टि संख्या 5, रॉयल्टी पर कर का भुगतान प्रति प्रभार के आधार पर सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाना आवश्यक है और एसएसी कोड 997337 के तहत 18 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना चाहिए। बेलगावी केंद्रीय कर आयुक्तालय के गुलबर्गा ए रेंज के अंतर्गत एक करदाता ने चालू खाता बिल से कार्यकारी एजेंसियों द्वारा वसूल किए गए गौण खनिज की रॉयल्टी पर कर का निर्वहन नहीं किया था। आरसीएम के तहत ₹ 0.59 करोड़ के कर का भुगतान नहीं किया गया था।

नवंबर 2022 में ध्यान में लाए जाने पर, विभाग ने करदाता से स्पष्टीकरण की मांग की और जनवरी 2024 तक मंत्रालय/विभाग से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी।

छ) अन्य अभ्यक्तियां

लेखापरीक्षा ने जीएसटी के अन्य आयामों जैसे आपूर्ति की प्रकृति, शून्य दर आपूर्ति, पंजीकरण और कर के प्रेषण न करने में अलग-अलग कमियां भी देखीं।

लेखापरीक्षा ने इन सभी आयामों में 37 अनुपालन कमियों को देखा, जिनकी राशि ₹ 62.85 करोड़ थी, और उनमें से महत्वपूर्ण मुद्दों को नीचे दर्शाया गया है।

जब इसे इंगित किया गया था, मंत्रालय/विभाग ने ₹ 15.72 करोड़ की राशि से जुड़े 23 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्यक्तियों को स्वीकार किया, जिनमें से छः मामलों में ₹ 0.94 करोड़ की वसूली हुई। शेष 14 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था/अस्वीकार किया गया था।

- (i) **क्रेडिट नोट जारी करने में अपनाई जाने वाली अनियमित प्रक्रिया:** सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 34 उन स्थितियों को निर्धारित करती है जहां क्रेडिट नोट जारी किए जा सकते हैं। इसमें बताया गया है कि क्रेडिट नोट पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किए जा सकते हैं, जिसने एक वित्तीय वर्ष में की गई आपूर्ति के लिए प्राप्तकर्ता को माल की

आपूर्ति की हो, तब ऐसी आपूर्ति के संबंध में, या जहां आपूर्ति की गई माल को प्राप्तकर्ता द्वारा वापस किया जाता है, या जहां आपूर्ति की गई माल या सेवाओं या दोनों में कमी पाई जाती है। जब कर बीजक में कर योग्य मूल्य या लगाए गए कर योग्य मूल्य या कर से अधिक पाया जाता है।

बेलगावी केंद्रीय कर आयुक्तालय के होस्पेट सी रेंज के अंतर्गत एक करदाता ने एमसी के माध्यम से प्रभावित लौह अयस्क की बिक्री के लिए निगरानी समिति (एमसी) को जीएसटी बीजक जारी किए थे। कर्नाटक राज्य में अंधाधुंध और व्यापक खनन गतिविधि को रोकने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने ई-नीलामी के माध्यम से लौह अयस्क की बिक्री को विनियमित⁷⁶ करने के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया। यह उम्मीद की गई थी कि एमसी ग्राहकों पर जीएसटी बीजक जारी करेगा और करदाता को भुगतान करते समय करदाता द्वारा बिल किए गए जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करेगा जैसा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क व्यवस्था में किया गया था। हालांकि, 1 जुलाई 2017 से 30 सितंबर 2017 की अवधि के लिए, एमसी ने करदाता द्वारा जारी किए बीजक को स्वीकार नहीं किया और करदाता द्वारा बिल किए गए जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किए बिना सरकारी खजाने में ग्राहकों से एकत्र किए गए ₹45.73 करोड़ के जीएसटी का भुगतान किया। एमसी ने करदाता को कर के भाग का भुगतान नहीं किया क्योंकि उन्हें कर को छोड़कर केवल शुद्ध बीजक मूल्य का भुगतान किया गया

⁷⁶ ई-नीलामी गठित निगरानी समिति द्वारा की जाती है। निगरानी समिति पट्टाधारकों को उत्पादित किए जाने वाले लौह अयस्क की मात्राओं को ई-नीलामी के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति देती है। ई-नीलामी के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मात्रा, इसका ग्रेड, लॉट आकार, इसका आधार/न्यूनतम मूल्य और सुपर्दगी की अवधि संबंधित पट्टाधारकों (खनन कंपनी) द्वारा निर्धारित/प्रदान की जाती है। अंतिम बोलीदाता (खरीददार) ई-नीलामी के दौरान प्राप्त बिक्री मूल्य (रॉयल्टी और लागू करों को छोड़कर) का 90% का भुगतान खरीददार द्वारा सीधे संबंधित पट्टाधारकों (खनन कंपनियों) को किया जाता है और शेष 10% रॉयल्टी, वन विकास कर (एफडीटी), और अन्य लागू करों/शुल्कों के साथ निगरानी समिति के पास जमा किया जाता है। 10% प्रतिधारित राशि, कर्नाटक के अभिज्ञात तीन जिलों में खनन पट्टों के आस-पास सुधार और प्रशमन उपाय करने के लिए सृजित "विशेष प्रयोजन माध्यम संस्था" को अंतरित की जाती है।

था। जुलाई से सितंबर 2017 की अवधि के लिए एमसी से जीएसटी घटक की वसूली में विफलता रहने पर, करदाता ने अगस्त और सितंबर 2018 के दौरान क्रेडिट नोट जारी करने के तरीके को चुना, ताकि उक्त अवधि के दौरान निष्पादित बिक्री के लिए आईटीसी घटक को समायोजित किया जा सके, जो अधिनियम की धारा 34 के प्रावधान के अनुरूप नहीं था। चूंकि क्रेडिट नोट जारी करने से आपूर्तिकर्ता की आउटपुट कर देयता को कम करने का प्रभाव पड़ता है, करदाता द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पूरी आपूर्ति जिसका निर्वहन किया गया था को समाप्त कर दिया गया था।

चूंकि कर्नाटक में अन्य खनन कंपनियों द्वारा इसी दृष्टिकोण को अपनाया गया था, विभाग द्वारा प्रक्रियात्मक चूक की जांच करने की आवश्यकता है, तथा जीएसटी प्रावधानों के साथ प्रक्रिया को संरेखित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। इस अवलोकन को अगस्त 2022 में इंगित किया गया था, और मंत्रालय/विभाग की प्रतिक्रिया जनवरी 2024 तक प्रतीक्षित थी।

- (ii) **संभावित सर्कुलर ट्रेडिंग:** वास्तविक प्राप्ति और माल की आपूर्ति के बिना अपनी मूल कंपनियों से पाम तेल की खरीद का दावा करने के लिए सात करदाताओं पर अगस्त 2021 में डीजीएआरएम से प्राप्त इनपुट के आधार पर रोकथाम इकाई द्वारा एक अपराध रिपोर्ट बुक की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान, यह पता चला कि मद्रुरै आयुक्तालय के विरुधुनगर रेंज II के अंतर्गत करदाता ने भी जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक इन कंपनियों के माध्यम से खरीद की थी। जीएसटीआर-9सी के अनुसार, करदाता ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान ₹135.37 करोड़ के पाम तेल की खरीद की थी और ₹6.77 करोड़ के आईटीसी का लाभ उठाया था। इसके अतिरिक्त, करदाता की आयकर 3सीडी रिपोर्ट⁷⁷ ने भी पुष्टि की कि ये आपूर्तिकर्ता करदाता की सहयोगी कंपनियां थीं। विभाग

⁷⁷ विवरण, जो आयकर निर्धारण के दृष्टिकोण से प्रासंगिक हैं, व्यवसाय या पेशे पर ले जाने वाले सभी प्रकार के निर्धारितियों के मामलों में प्रपत्र संख्या 3 सीडी में धारा 44 एबी के तहत प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, जिनके खाते धारा 44एबी के तहत लेखापरीक्षा की जानी है।

से अनुरोध किया गया था कि इस श्रृंखला में करदाता के शामिल होने की उच्च संभावना को देखते हुए, संभावित रूप से सर्कुलर ट्रेडिंग की ओर अग्रसर होने के कारण मामले की जांच करें।

इस अभ्युक्ति को अक्टूबर 2022 में बताया गया था। मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि नवंबर 2022 में करदाता के परिसर में आयुक्तालय द्वारा तलाशी ली गई थी और बरामद दस्तावेजों के आधार पर, ₹ 8.71 करोड़ की राशि के लिए मांग नोटिस जारी करना विचाराधीन था।

सिफारिशें: विभाग यह सुनिश्चित करे

- 12) 440 मामलों (अप्रस्तुतीकरण के 67 मामले और आंशिक प्रस्तुतीकरण के 373 मामले) में करदाताओं के अभिलेख प्रदान करे क्योंकि यह जीएसटी राजस्व के लेखापरीक्षा के क्षेत्र को काफी सीमित करता है।
- 13) समय बाधित होने से पहले इस प्रतिवेदन में सामने आए सभी अनुपालन विचलनों के लिए सुचारात्मक कार्रवाई शुरू करे।

4.9 राज्य माल एवं सेवा कर पर प्रभाव

जीएसटी भुगतान में विभिन्न घटक शामिल हैं जैसे कि सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी आदि और संघ और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों दोनों के राजस्व को प्रभावित करता है। इस अध्याय में उजागर की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व पर निष्कर्षों का मौद्रिक प्रभाव परिशिष्ट-VI में दिया गया है।

4.10 निष्कर्ष और सिफारिशों का सारांश

जीएसटी भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) विवरणी दाखिल करने की अलग-अलग प्रवृत्ति और निरंतर डेटा विसंगतियों के संदर्भ में किया गया था, जिसका उद्देश्य विवरणी दाखिल करने और कर भुगतान की निगरानी में प्रणाली की पर्याप्तता, अनुपालन की सीमा और अन्य विभागीय निरीक्षण कार्य का निर्धारण करना था।

यह एसएससीए मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण द्वारा संचालित था, जिसमें 2017-18 के लिए दाखिल जीएसटी विवरणी में जोखिम क्षेत्रों, चिन्हित और कुछ मामलों में, नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया था। एसएससीए ने वैश्विक डेटा प्रश्नों के माध्यम से डेटा स्तर पर और कार्यात्मक स्तर पर रेंज और जीएसटी विवरणी दोनों के गहन विस्तृत लेखापरीक्षा के साथ दो स्तरों पर सीबीआईसी क्षेत्राधिकार संरचनाओं (रेंज) के निरीक्षण कार्यों का निर्धारण करना शुरू किया, जिसमें जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर करदाता के अभिलेख का निर्धारण शामिल था। इसलिए लेखापरीक्षा नमूने में 179 रेंज, वर्ष 2017-18 के लिए वैश्विक प्रश्नों के माध्यम से चयनित 14 मापदंडों में 10,667 उच्च मूल्य की विसंगतियां और जीएसटी विवरणी की विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए जोखिम निर्धारण पर चयनित 1,103 करदाता शामिल थे।

विभाग ने विवरणी की संविक्षा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (मार्च 2022) तैयार करने के बाद, हाल ही में वर्ष 2017-18 के लिए विवरणी की जांच शुरू की है। तब तक, विभाग केवल डीजीएआरएम द्वारा पहचानी गई जीएसटी विवरणी संबंधी विसंगतियों का ही अनुसरण कर रहा था। 179 रेंजों की समीक्षा से पता चला कि विवरणी दाखिल करने की निगरानी, करदाता अनुपालन और डीजीएआरएम रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई जैसे रेंजों के आवश्यक निरीक्षण कार्यों का दस्तावेजीकरण खराब था और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी नहीं थे। हालांकि विभाग ने अपनी बैक-एंड प्रक्रियाओं को स्वचालित कर दिया था, सीबीआईसी बैक-एंड प्रणाली में, सत्यापन नियंत्रण और आवश्यक विशेषताओं/कार्यक्षमताओं का अभाव था ताकि विवरणी दाखिल करने, लंबित और पंजीकरण रद्द करने आदि की निगरानी रेंज अधिकारियों द्वारा की जा सके, जिन पर पूर्व सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्टों में प्रकाश डाला गया था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा पहचानी गई 10,667 उच्च मूल्य डेटा विसंगतियों में से विभाग ने 8,220 मामलों का उत्तर दिया। इनमें से 15 प्रतिशत वाले 1,268 मामले, ₹ 2,203.57 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ स्पष्ट अनुपालन की कमियों के थे। ब्याज के कम/गैर-भुगतान, आईटीसी मिलान न होना, अतिरिक्त आरसीएम आईटीसी का लाभ उठाना, गलत टर्नओवर घोषणाओं और कर के कम भुगतान में कमियों की अपेक्षाकृत अधिक दर देखी

गई। जबकि डेटा प्रविष्टि त्रुटियां 17 प्रतिशत मामलों में विसंगतियों का कारण बनी, छः प्रतिशत मामलों में विभाग ने पहले ही सक्रिय कार्रवाई की थी। विभाग ने विसंगतियों के 2,447 मामलों का उत्तर नहीं दिया है।

जीएसटी विवरणी की विस्तृत लेखापरीक्षा ने अननुपालन के उल्लेखनीय उदाहरणों को भी सूचित किया। सबसे पहले, 1,103 करदाताओं के नमूने में से 67 मामलों में वित्तीय विवरण, जीएसटीआर-9सी और 2ए जैसे आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे और अन्य 373 मामलों में जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर मांगे गए ग्रैन्युलर करदाता अभिलेख उपलब्ध नहीं थे, जो एक उल्लेखनीय कार्यक्षेत्र की सीमा का गठन करते हैं। ये मामले आईटीसी लाभ उठाने और कर भुगतान में पहचाने गए बेमेल मामलों के प्रति ₹ 2,507.74 करोड़ के संभावित जोखिम स्पष्टीकरण को बताते हैं। पूरी तरह से या आंशिक रूप से लेखापरीक्षा किए गए 1,036 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने ₹ 468.96 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ 657 अनुपालन कमियों को पाया। मुख्य कारण कारक अपात्र और अनियमित आईटीसी, आपूर्ति का गलत वर्गीकरण, कराधान के लिए आपूर्ति का अपवर्जन, आपूर्ति का कम मूल्यांकन और आरसीएम के तहत कर का गलत निर्वहन का लाभ उठाना था। इसके अलावा, चूंकि अनुपालन विचलन के लिए मुख्य कारण कारक में से एक अपात्र और अनियमित आईटीसी का लेना था, इसलिए, राजस्व की रक्षा के लिए, विभाग को जीएसटी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को अक्षरशः और भावार्थ में लागू करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (10) जो यह प्रदान करती है कि उचित अधिकारी प्रतिदाय के भुगतान को तब तक रोक सकता है जब तक कि करदाता ने विवरणी प्रस्तुत नहीं की हो या कर, ब्याज या दंड का भुगतान नहीं किया हो, या जैसा भी मामला हो; आईटीसी के जीएसटी प्रतिदाय की मंजूरी के दौरान कर योग्य व्यक्ति द्वारा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी किसी भी कर, ब्याज, शास्ति, शुल्क या किसी अन्य राशि की प्रतिदाय से कटौती की जाए।

अनुपालन कमियों की उल्लेखनीय दर को ध्यान में रखते हुए, विभाग को लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मामलों को समय बाधित होने से पहले उपचारात्मक उपाय शुरू करने चाहिए। एक प्रणालीगत दृष्टिकोण से, विभाग को दस्तावेज़ीकरण

की गुणवत्ता को सुदृढ करने और विवरणी दाखिल करने, करदाता अनुपालन, कर भुगतान, डीजीएआरएम रिपोर्ट का पालन करने, पंजीकरण रद्द करने और चूककर्ताओं से बकाया की वसूली पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने और बनाए रखने के लिए रेंज में संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित सीबीआईसी बैक-एंड अनुप्रयोग में कुछ सत्यापन नियंत्रण और एमआईएस सुविधाओं को तेजी से अभिनियोजित करने की आवश्यकता है। विभाग डेटा गुणवत्ता में सुधार और करदाता अनुपालन और विवरणी की संवीक्षा की सुविधा के लिए जीएसटी विवरणी में अतिरिक्त सत्यापन नियंत्रण शुरू करने पर भी विचार कर सकता है।

इस अध्याय में प्रस्तुत लेखापरीक्षा सिफारिशों का सारांश इस प्रकार है।

1. विभाग बैक-एंड प्रक्रियाओं जैसे कि विवरणी दाखिल न करने वालों (जीएसटीआर-3ए) की पहचान करना और नोटिस जारी करना, विवरणी में मिलान न होने की पहचान, कारण बताओ नोटिस (आरईजी-17) जारी करना, निर्धारण और मांग आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई और विवरणियों की संवीक्षा के स्वचालन में तेजी लाये। जब तक स्वचालन पूरा नहीं हो जाता, विभाग मैनुअल रिकॉर्ड/रजिस्टर का उचित रखरखाव सुनिश्चित करे।
2. विभाग अधीक्षक और निरीक्षक स्तरों पर कार्यभार सौंपने/लेने की प्रक्रिया को लागू करे।
- 3(क) विभाग, नोटिस जारी करने (जीएसटीआर-3ए), निर्धारण आदेश (एसएमटी-13) और मांग आदेश (डीआरसी-07), लंबित एसएमटी-13 मूल्यांकन, डीआरसी-07 पर वसूली पूर्ववृत्त और अपील के मामलों, संयोजन करदाताओं और अन्य श्रेणी के पंजीकरणों जैसे इनपुट सेवा वितरकों आदि में विलंब और विवरणी दाखिल न करने वालों आदि से संबंधित एमआईएस प्रतिवेदन, प्रभावी निगरानी के लिए सीबीआईसी-एसीईएस बैक-एंड सिस्टम में कर अधिकारियों को प्रदान करे।
- 3(ख) इसके अलावा, विभाग नोटिस, निर्धारण आदेश, मांग आदेश आदि जारी करने का समर्थन करने के लिए सीबीआईसी-एसीईएस बैक-एंड आईटी सिस्टम के माध्यम से स्वचालन के अधिक उपयोग पर विचार करे।

- 4 वर्तमान प्रणाली में करदाता सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में प्रदान की गई अंतिम अवधि के बाद जीएसटीआर-3बी के विलंब से दर्ज होने पर आईटीसी का लाभ उठा सकता है। एक प्रभावी नियंत्रण यह सुनिश्चित करे कि मासिक जीएसटीआर-3बी से वार्षिक विवरणी की तालिका 6ए में स्वतः दर्ज आईटीसी के लाभ में, अंतिम अवधि के बाद दायर जीएसटीआर-3बी सम्मिलित न हो।
- 5(क) डीजीएआरएम प्रतिवेदन से संबंधित अनुवर्ती गतिविधियों के पूरे सेट का कार्यप्रवाह स्वचालन सीबीआईसी बैक-एंड सिस्टम के एक हिस्से के रूप में किया जाए।
- 5(ख) विभाग डीजीएआरएम प्रतिवेदन और डीजीएआरएम प्रतिवेदन के सत्यापन से संबंधित अभिलेखों/फाइलों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।
- 6) विभाग करदाता द्वारा पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पहले पंजीकरण रद्द करने से रोकने के लिए आवश्यक वैधीकरण नियंत्रण नियुक्त करे।
- 7) विभाग करदाताओं के जीएसटी पंजीकरण को स्वतः रद्द करने से पहले क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करना सुनिश्चित करे।
- 8) विभाग पंजीकरण मॉड्यूल के अंतर्गत रद्दीकरण कार्यप्रवाह में रद्दीकरण आवेदनों के लंबित होने, पंजीकरण रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस (आरईजी-17) जारी करने और अंतिम विवरणी (जीएसटीआर-10) दाखिल करने के लिए आवश्यक एमआईएस प्रतिवेदन/सुविधाओं की पूर्ति करे।
- 9) लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि विभाग लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 2,447 विसंगतियों और विचलन पर तत्काल कार्रवाई करे और प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए ऐसे विचलन के कारणों का विश्लेषण करे ताकि ऐसे विचलन दोबारा न हो।
- 10) विभाग आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों को नियंत्रित करने, करदाता अनुपालन को बढ़ाने और बेहतर जांच की सुविधा के लिए जीएसटी विवरणी में सत्यापन नियंत्रण और विनम्र सचेतक के न्यायसंगत संयोजन को शुरू करने पर

विचार करे । इसके अलावा, विभाग क्षेत्राधिकार कार्यालयों के दुर्लभ संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए करदाताओं द्वारा जीएसटी विवरणी में संशोधन के प्रावधान को शामिल करने पर भी विचार करे।

- 11) विभाग निर्माण संविदा सेवाओं से संबंधित रियायतों की प्रयोज्यता की समीक्षा कर सकता है जहां उप-संविदाकार सरकारी परियोजनाओं को निष्पादित कर रहे हैं।
- 12) विभाग यह सुनिश्चित करे कि 440 मामलों (अप्रस्तुतीकरण के 67 मामले और आंशिक प्रस्तुतीकरण के 373 मामले) में करदाताओं के अभिलेख प्रदान करे क्योंकि यह जीएसटी राजस्व के लेखापरीक्षा के क्षेत्र को काफी सीमित करता है।
- 13) विभाग यह सुनिश्चित करे कि समय बाधित होने से पहले इस प्रतिवेदन में सामने आए सभी अनुपालन विचलनों के लिए सुचारात्मक कार्रवाई शुरू करे।

अध्याय V: जीएसटी के तहत परिवर्ती क्रेडिट

5.1 प्रस्तावना

जीएसटी के तहत परिवर्ती क्रेडिट पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) वर्ष 2020-21 के दौरान की गई थी और 2022 के सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 5 के अध्याय VI (अप्रत्यक्ष कर: माल और सेवा कर) में निष्कर्षों को प्रतिवेदित किया गया था। इस लेखापरीक्षा में, नियमित अनुपालन विचलन के अलावा, लेखापरीक्षा ने परिवर्ती क्रेडिट अभिलेख के गैर-आंशिक प्रस्तुतीकरण पर प्रकाश डाला था, जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा के लिए ₹ 6,849.68 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट वाले कुल 954 दावों को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अलावा, ₹ 19,660.72 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट वाले 2,209 दावों में, अभिलेख आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें लेखापरीक्षा के लिए शुल्क भुगतान दस्तावेजों जैसे ग्रैन्यूलर अभिलेखों को छोड़ दिया गया था।

मंत्रालय से इन अभिलेखों को प्रदान करने का अनुरोध किया गया क्योंकि इन अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण ने मूलभूत विषय क्षेत्र को सीमित किया था। इसे विभाग के साथ निकास सम्मेलन (7 फरवरी 2022) में भी विशेष रूप से चिन्हित किया गया था। तदनुसार, पहले प्रतिवेदित किए गए अप्रस्तुतीकरण/आंशिक प्रस्तुतीकरण मामलों में से लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत दावों को सम्मिलित करते हुए, परिवर्ती क्रेडिट पर एसएससीए की एक अनुपूरक लेखापरीक्षा वर्ष 2022 के दौरान की गई थी।

5.2 लेखापरीक्षा विषयक्षेत्र

परिवर्ती क्रेडिट दावों की अनुपूरक लेखापरीक्षा का विषयक्षेत्र 2022 के सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 (अप्रत्यक्ष कर: माल और सेवा कर) के पैरा 6.8 में सूचित किए गए अप्रस्तुतीकरण/आंशिक रूप से प्रस्तुत मामलों में से लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत दावों तक सीमित था। लेखापरीक्षा ने अक्टूबर 2022 के अंत तक क्षेत्राधिकार वाले केंद्रीय कर आयुक्तालयों द्वारा प्रस्तुत दावों/अभिलेखों को सम्मिलित किया।

मंत्रालय को अनुपूरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का मसौदा 30 जनवरी 2023 को टिप्पणियों के लिए जारी किया गया था। 19 मई 2023 को निकास सम्मेलन के दौरान भी मंत्रालय के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों पर चर्चा की गई थी। जनवरी 2024 तक प्राप्त मंत्रालय/विभाग के उत्तर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं।

5.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस एसएससीए का उद्देश्य निम्नलिखित पर आश्वासन प्राप्त करना था:

- i. क्या परिवर्ती क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिए विभाग द्वारा परिकल्पित तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था; तथा
- ii. क्या करदाताओं द्वारा जीएसटी व्यवस्था में किए गए परिवर्ती क्रेडिट वैध और स्वीकार्य थे।

5.4 लेखापरीक्षा मानदंड

सीजीएसटी अधिनियम 2017 (अधिनियम) की धारा 140 विरासतीय केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रावधानों से सेनवैट क्रेडिट के परिवर्तन को नियंत्रित करता है। सीजीएसटी नियम 2017 (नियम) के नियम 117 के साथ पठित इस धारा और सीबीआईसी द्वारा जारी प्रासंगिक अधिसूचनाओं/परिपत्रों ने इस लेखापरीक्षा के लिए मानदंड का गठन किया है।

5.5 अभिलेख प्रस्तुतीकरण की स्थिति

सीएजी की 2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 5 (अप्रत्यक्ष कर: माल और सेवा कर) के पैरा 6.8 में परिवर्ती क्रेडिट पर एसएससीए के दौरान लेखापरीक्षा के लिए अभिलेख के अप्रस्तुतीकरण और आंशिक प्रस्तुतीकरण का सीबीआईसी जोन-वार विवरण दिया गया है। अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान, अप्रस्तुत मामलों के रूप में सूचित किए गए 954 मामलों में से, केवल 354 मामलों से संबंधित अभिलेख पूरी तरह से लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए थे। इसके अलावा, आंशिक- प्रस्तुतीकरण श्रेणी के तहत पहले सूचित किए गए 2,209 दावों में से, ₹ 12,388.27 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट से जुड़े 1,103 दावों के संबंध में लंबित अभिलेख लेखापरीक्षा जांच के लिए प्रस्तुत किए गए थे और ₹ 7,272.45 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट वाले शेष 1,106 दावों से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए

गए थे। अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान अप्रस्तुतीकरण और आंशिक प्रस्तुतीकरण श्रेणियों के तहत अभिलेख प्रस्तुतीकरण की जोन-वार स्थिति अगले पैराग्राफ में विस्तृत है।

5.5.1 अप्रस्तुतीकरण के मामले

परिवर्ती क्रेडिट दावों का क्षेत्राधिकार-वार अप्रस्तुतीकरण तालिका 5.1 में दिया गया है।

तालिका 5.1: क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों को अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने की तालिका

(राशि ₹ करोड़ में)

सीबीआईसी का क्षेत्राधिकार जोन	अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने वाले मामले जिन्हें सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5/2022 में दर्ज किया गया		इस अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान अप्रस्तुतीकरण		पहले प्रस्तुत न किए गए मामलों में से आंशिक प्रस्तुतीकरण	
	दावों की संख्या	क्रेडिट की राशि	दावों की संख्या	क्रेडिट की राशि	दावों की संख्या	क्रेडिट की राशि
मेरठ	294	1,676.82	240	1,141	55	536.56
लखनऊ	67	334.14	41	190	26	143.68
मुंबई	21	500.03	5	142	0	0
बैंगलुरु	61	542.19	16	122	0	0
दिल्ली	70	593.34	16	112	25	409.11
भोपाल	162	1,057.78	23	35	0	0
चंडीगढ़	19	42.33	3	2	0	0
रांची	111	792.93	0	0	0	0
हैदराबाद	61	39.99	0	0	1	5.38
विशाखापट्टनम	48	204.62	0	0	0	0
अन्य क्षेत्र ⁷⁸	40	1,065.51	18	487	132	940.51 ⁷⁹
कुल	954	6,849.68	362	2,231	238	2,029.86

⁷⁸ सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 5/2022 मामलों में रिपोर्ट किए गए अप्रस्तुतीकरण का विवरण- 40 मामले: कोलकाता- 13 मामले (₹ 449.95 करोड़), पुणे -9 मामले (₹ 134.81 करोड़), चेन्नई - 5 मामले (₹ 17.06 करोड़), नागपुर -5 मामले (₹ 22.17 करोड़), तिरुवनंतपुरम- 2 मामले (₹ 27.64 करोड़), वडोदरा - 4 मामले (₹ 410.31 करोड़), पंचकुला- 2 मामले (₹ 3.56 करोड़)।

अनुपूरक लेखापरीक्षा में गैर-प्रस्तुतीकरण का विवरण-18 मामले कोलकाता 11 मामले (₹ 441.15 करोड़), पुणे-3 मामले (₹12.44 करोड़), पंचकुला-1 मामला (₹ 2.49 करोड़), नागपुर- 1 मामला (₹ 2.84 करोड़), तिरुवनंतपुरम-2 मामले (₹ 27.64 करोड़)

⁷⁹ सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 5/2022 मामलों में रिपोर्ट किए गए आंशिक प्रस्तुतीकरण का विवरण- 138: भोपाल- 50 मामले (₹ 537.26 करोड़), चंडीगढ़- 41 मामले (₹ 184.06 करोड़), तिरुवनंतपुरम-14 मामले (₹14.35 करोड़), रांची- 25 मामले (₹319.91 करोड़), जयपुर- 8 मामले (₹60.96 करोड़)।

अनुपूरक लेखापरीक्षा में आंशिक प्रस्तुतीकरण का विवरण -198 मामले रांची-136 मामले (1,112.85 करोड़), बैंगलुरु -7 मामले (₹ 71.97 करोड़), भोपाल -11 मामले (₹ 125.51 करोड़), चंडीगढ़ -27 मामले (₹ 93.78 करोड़), जयपुर-7 मामले (₹ 45.91 करोड़), तिरुवनंतपुरम-9 मामले (₹ 8.37 करोड़) और चेन्नई-1 मामला (₹ 5.39 करोड़)।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, पूर्व एसएससीए में प्रस्तुत न किए गए 954 मामलों में से 362 दावे, जो 38 प्रतिशत हैं, पूरक लेखापरीक्षा के दौरान भी लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए 592 दावों में से ₹ 2,029.86 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट दावे वाले 238 दावों में आंशिक रूप से अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे। इन मामलों में, शुल्क भुगतान दस्तावेज, स्टॉक विवरण, परिसंपत्ति बहीखाता आदि जैसे अंतर्निहित अभिलेख/सूचना लेखापरीक्षा सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं की गई थी।

इस प्रकार, प्रभावी रूप से पूरक लेखापरीक्षा के दौरान पहले अप्रस्तुतीकरण के रूप में सूचित किए गए 954 दावों में से केवल 354 दावे, जिनमें ₹ 2,588.88 करोड़ का परिवर्ती क्रेडिट शामिल है, की पूर्ण रूप से लेखापरीक्षा की जा सकी। इन लेखापरीक्षित मामलों से उत्पन्न समग्र विचलन दर 16 प्रतिशत थी, जिसमें स्टॉक में शुल्क भुगतान किए गए माल पर अपात्र क्रेडिट की श्रेणी में काफी अधिक विचलन देखा गया था।

चूंकि बड़ी संख्या में दावों का पूरी तरह से सत्यापन नहीं किया गया था, लेखापरीक्षा विभागीय सत्यापन की प्रभावशीलता और परिवर्ती क्रेडिट प्रावधानों के करदाताओं के अनुपालन पर आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी। विचलन के उच्च प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए, यह सिफारिश की जाती है कि विभाग शेष मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सत्यापित करे।

मंत्रालय ने कहा (मई 2023) कि 362 मामलों में से जहां अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, 229 मामलों में क्षेत्र कार्यालयों द्वारा अभिलेख अब प्रस्तुत किए गए जा चुके हैं। हालांकि, इन मामलों को लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा, मंत्रालय ने बताया कि उसने 112 मामलों में परिवर्ती क्रेडिट दावों का सत्यापन किया था और सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की थी। इसके अतिरिक्त, छह मामलों में सत्यापन प्रगति पर था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि 10 मामलों में करदाताओं का या तो पता नहीं है या एनसीएलटी कार्यवाही के अंतर्गत, उनकी इकाइयां बंद कर दी गई हैं जबकि शेष पांच मामलों में स्थिति उचित समय में प्रदान की जाएगी।

5.5.2 अभिलेखों को आंशिक रूप से प्रस्तुत करना

अभिलेखों का क्षेत्राधिकार-वार आंशिक-प्रस्तुतीकरण तालिका 5.2 में दिया गया है। इन मामलों में, क्रेडिट की पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए अंतर्निहित अभिलेख⁸⁰ लेखापरीक्षा जांच के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे। सीएजी की पूर्व लेखापरीक्षा 2022 की प्रतिवेदन संख्या 5 (अप्रत्यक्ष कर: माल और सेवा कर) में प्रतिवेदित किए गए 2,209 आंशिक रूप से प्रस्तुत दावों में से, ₹ 7,272.45 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट वाले 1,106 दावे, जो 50 प्रतिशत मामले हैं, इस पूरक लेखापरीक्षा के दौरान भी लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसका विवरण तालिका 5.2 में दिया गया है।

तालिका 5.2: क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा प्रतिवेदित किए गए अभिलेखों का आंशिक प्रस्तुतीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

सीबीआईसी का क्षेत्राधिकार जोन	सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5/2022 में आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए मामले		ऐसे मामले जहां लंबित अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे		ऐसे मामले जहां रिकॉर्ड अभी तक पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं	
	दावों की संख्या	क्रेडिट की राशि	दावों की संख्या	क्रेडिट की राशि	दावों की संख्या	क्रेडिट की राशि
कोलकत्ता	917	2,157.56	398	744.79	519	1,412.77
पंचकुला	226	6,157.92	177	5,180.59	49	977.33
मेरठ	195	1,772.63	0	0	195	1,772.63
दिल्ली	167	1,164.26	74	516.75	93	647.51
गुवाहटी	151	1,343.08	85	703.00	66	640.08
हैदराबाद	83	512.89	83	512.89	0	0.00
लखनऊ	79	852.50	0	0	79	852.50
विशाखापत्तनम	76	430.12	76	430.12	0	0.00
चेन्नई	67	1,099.35	39	924.40	28	174.95
अहमदाबाद	57	2,185.89	51	2,161.91	6	23.98
वडोदरा	53	867.98	48	640.55	5	227.43
अन्य क्षेत्र ⁸¹	138	1,116.54	72	573.27	66	543.27
कुल	2,209	19,660.72	1,103	12,388.27	1,106	7,272.45

⁸⁰ शुल्क भुगतान दस्तावेज, परिसंपत्ति खाताबही, स्टॉक विवरण आदि,

⁸¹ सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5/2022 में रिपोर्ट किए गए आंशिक रूप से प्रस्तुत किये जाने का विवरण-138 मामले: भोपाल- 50 मामले (₹ 537.26 करोड़), चंडीगढ़- 41 मामले (₹ 184.06 करोड़), तिरुवनंतपुरम-14 मामले (₹ 14.35 करोड़), रांची- 25 मामले (₹ 319.91 करोड़), जयपुर- 8 मामले (₹ 60.96 करोड़)।

अनुपूरक लेखापरीक्षा में आंशिक प्रस्तुतीकरण का विवरण -198 मामले रांची-136 मामले (₹ 1,112.85 करोड़), बैंगलुरु-7 मामले (₹ 71.97 करोड़), भोपाल-11 मामले (₹ 125.51 करोड़), चंडीगढ़-27 मामले (₹ 93.78 करोड़), जयपुर-7 मामले (₹ 45.91 करोड़), तिरुवनंतपुरम-9 मामले (₹ 8.37 करोड़), और चेन्नई-1 मामला (₹ 5.39 करोड़)।

मंत्रालय ने कहा (मई 2023) कि परिवर्ती क्रेडिट दावों का विभागीय सत्यापन नियमों के अनुसार करदाताओं द्वारा प्रदान किए गए मूल अभिलेखों के आधार पर किया गया था, और क्षेत्रीय कार्यालय इन सभी अभिलेखों की प्रतियां नहीं रख रहे थे। मंत्रालय ने आगे बताया कि विभाग के पास आसानी से उपलब्ध सभी रिकॉर्ड लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए थे और लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए अतिरिक्त रिकॉर्ड संबंधित करदाताओं से प्राप्त किए जा रहे थे। मंत्रालय ने यह भी बताया कि विभाग ने कुछ उच्च राशि के दावों का सत्यापन किया था जहां लेखापरीक्षा के लिए आंशिक रूप से रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए थे और ₹ 62.18 करोड़ के अपात्र दावों की पहचान की थी। इन मामलों में वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।

5.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सीएजी की 2022 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 में, लेखापरीक्षा ने ₹ 977.54 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ 1,686 विचलन की सूचना दी थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों में प्रणालीगत और अनुपालन विचलन दोनों सम्मेलित थे। यद्यपि, प्रणालीगत मुद्दों में विभाग द्वारा अपनाए गए परिकल्पित सत्यापन तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावकारिता को संबोधित किया गया था, अनुपालन संबंधी मुद्दों में अलग-अलग मामलों में अधिनियम/नियमों के उपबंधों से विचलन को संबोधित किया गया था। चूंकि अनुपूरक लेखापरीक्षा को पहले प्रस्तुत न किए गए/आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए दावों को शामिल करने के लिए परिवर्ती क्रेडिट पर एसएससीए की निरंतरता के रूप में लिया गया था, इसलिए अनुपूरक लेखापरीक्षा का ध्यान इन मामलों से उत्पन्न अनुपालन विचलन की ओर उन्मुख था।

अनुपालन संबंधी मामले करदाताओं द्वारा जीएसटी व्यवस्था में किए गए परिवर्ती क्रेडिट की वैधता और स्वीकार्यता से संबंधित हैं। करदाताओं को ट्रान 1 और ट्रान 2 रूपों के विभिन्न निर्दिष्ट तालिकाओं⁸² के माध्यम से, जैसा भी लागू हो,

⁸² ट्रान 1-तालिका: 5 (ए) - पारंपरिक विवरणी का अंत: क्रेडिट शेष; 6(क) - पूंजीगत वस्तुओं पर क्रेडिट न लिया जाना; 7 ए (ए) - बीजक के साथ शुल्क भुगतान स्टॉक पर क्रेडिट; 7 ए (बी) - बीजक के बिना शुल्क भुगतान स्टॉक पर क्रेडिट; 7 (बी) - पारगमन में इनपुट या इनपुट सेवा पर क्रेडिट; 8-केंद्रीय पंजीकृत इकाइयों द्वारा क्रेडिट का अंतरण; 11-अग्रिमों पर भुगतान किए गए कर का क्रेडिट: ट्रान 2-तालिका 4: बीजक के बिना स्टॉक पर वहन किया गया क्रेडिट

परिवर्ती क्रेडिट का दावा करना आवश्यक था। मुख्यतः, इन तलिकाओं में विरासतीय रिटर्न ईआर1 (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) और एसटी3 (सेवा कर) से अग्रेषित सेनवैट क्रेडिट, पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में अप्राप्त सेनवैट क्रेडिट, स्टॉक में रखे गए निविष्टियों/आधे रूप से तैयार मालों/तैयार माल के संबंध में सेनवैट क्रेडिट और पारगमन में निविष्टियों या आदान सेवाओं के सेनवैट क्रेडिट के संबंध में प्रावधान हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अधिनियम की धारा 140 के तहत उप-धाराओं के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, जिसके प्रति दावों का सत्यापन किया गया था, जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफ में विस्तृत रूप से बताया गया है। विचलनों पर व्यापक परिप्रेक्ष्य रखने के लिए, लेखापरीक्षा ने प्रस्तुत नहीं किए गए और आंशिक रूप से प्रस्तुत मामलों में से लेखापरीक्षित दावों में पाए गए विचलन की सीमा का विश्लेषण अलग-अलग किया। उन मामलों से विचलन का अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत देखा गया जहां लेखापरीक्षा सत्यापन के लिए पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया था और पूर्णतः लेखापरीक्षा की गई थी। यह इंगित करता है कि उन मामलों की श्रेणी में जहां आंशिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए थे, अगर पूर्ण रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया होता तो विचलन दर बढ़ सकती थी। विचलनों की प्रकृति का सारांश तथा पाए गए विचलन को **तालिका 5.3** में दिया गया है:

तालिका 5.3: पूरी तरह से लेखापरीक्षित मामले में अभियुक्तियों की प्रकृति और विचलन दरों का सारांश

अभियुक्तियों की प्रकृति	ऐसे मामले जहां पूरे रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए थे		पाई गई कमियां		लेखापरीक्षित मामलों के प्रतिशत के रूप में कमियां	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि
अपात्र शुल्कों का परिवर्तन- सभी तालिकाएँ	354	2,588.88	13	2.61	3.67	0.10
जमा शेष पर अनियमित दावा- तालिका 5(क)	211	2,009.06	10	3.77	4.74	0.19
पूजीगत वस्तुओं पर अप्राप्य क्रेडिट पर अनियमित दावा- तालिका 6(क)	126	131.63	8	9.29	6.35	7.06
दस्तावेजों के साथ स्टॉक में शुल्क भुगतान किए गए माल पर अपात्र क्रेडिट-तालिका 7(ए)ए	213	279.08	24	9.97	11.27	3.57
दस्तावेजों के बिना स्टॉक में शुल्क भुगतान किए गए माल पर अपात्र क्रेडिट- तालिका 7(ए)बी	17	*	3	0.25	17.65	--
पारगमन में इनपुट या इनपुट सेवाओं पर अपात्र क्रेडिट - तालिका 7(बी)	147	147.45	4	0.86	2.72	0.58
कुल			62	26.75		

* क्रेडिट दावा जीएसटी के तहत की गई आपूर्ति पर निर्भर करता है

लेखापरीक्षा ने, पूर्णरूप से लेखापरीक्षित 354 दावों में से 62 अनियमितताएं, 17 प्रतिशत की (मामलों की संख्या) विचलन दर में परिवर्तित होते हुए, 61 जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा गया है, जिनमें ₹ 26.75 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट शामिल थे, पाई। स्टॉक में शुल्क भुगतान किए गए माल पर अपात्र

क्रेडिट, परिवर्तीत अपात्र शुल्कों, पारगमन में इनपुट और इनपुट सेवाओं के अपात्र क्रेडिट और पूंजीगत वस्तुओं पर अप्राप्त क्रेडिट के अनियमित दावे की श्रेणियों में अपेक्षाकृत अधिक विचलन पाया गया।

इन मामलों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान 1,344 आंशिक रूप से प्रस्तुत मामलों में से ₹ 30.55 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट वाले 127 विचलन पाए। इन मामलों में केवल सीमित लेखापरीक्षा की जा सकी था। पूरक लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित 1,698 मामलों में से समग्र विचलन नीचे तालिका 5.4 में प्रदर्शित किए गए हैं।

तालिका 5.4: अभियुक्तियों का समग्र सारांश

अभियुक्तियों की प्रकृति	अप्रस्तुतीकरण/आंशिक प्रस्तुतीकरण में से लेखापरीक्षित मामले		पाई गई कमियां	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
अपात्र शुल्कों का परिवर्तन- सभी तालिकाएँ	1,698	17,006.99	65	12.23
जमा शेष पर अनियमित दावा- तालिका 5(क)	1,119	13,567.72	21	9.32
पूंजीगत वस्तुओं पर अप्राप्य ऋण पर अनियमित दावा- तालिका 6(क)	598	758.06	30	11.50
दस्तावेजों के साथ स्टॉक में शुल्क भुगतान किए गए माल पर अपात्र क्रेडिट-तालिका 7(ए ए)	909	1,706.28	48	11.64
दस्तावेजों के बिना स्टॉक में शुल्क भुगतान किए गए माल पर अपात्र क्रेडिट- तालिका 7(ए)बी	49	*	4	0.42
पारगमन में इनपुट या इनपुट सेवाओं पर अपात्र क्रेडिट -तालिका 7(बी)	698	918.58	18	7.21
केंद्रीकृत पंजीकृत इकाइयों द्वारा अनियमित क्रेडिट- तालिका 8	59	#	2	2.83
कुल			188	55.15

* क्रेडिट दावा जीएसटी के तहत की गई आपूर्ति पर निर्भर करता है, # पहले से ही जमा शेष श्रेणी के तहत प्रदर्शित किया गया है

कुल मिलाकर, अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित 1,698 मामलों में से 188 विचलन देखे गए जिनमें ₹ 55.15 करोड़ का परिवर्ती क्रेडिट शामिल

था। इन 1,698 मामलों में से, जिसमें ₹ 11,794.07 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट शामिल था, विभागीय कार्यालयों ने पहले ही 1,224 मामलों को सत्यापित कर लिया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने इन सत्यापित मामलों में से 128 (10 प्रतिशत) में अनियमितताएं पाईं जो विभागीय सत्यापन प्रक्रिया में कमियां दर्शाती हैं।

अनुपालन विचलनों की प्रकृति और विस्तार को बाद के पैराग्राफों में विस्तृत किया गया है। प्रत्येक खण्ड में, महत्व के परिप्रेक्ष्य के लिये, शीर्ष पांच अनियमितताओं की राशि और निदर्शी मामले विचलनों की प्रवृत्ति और महत्ता के अभिमूल्यन के लिए प्रदर्शित किये गये हैं।

5.6.1 अपात्र शुल्क को अग्रोषित किया जाना

अधिनियम की धारा 140 विद्यमान विधियों के तहत इनपुट और इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए पात्र शुल्कों को जीएसटी व्यवस्था परिवर्तित करने का प्रावधान करती है। इस धारा के प्रयोजन के लिए पात्र शुल्कों को धारा के तहत स्पष्टीकरण 1 और 2 में परिभाषित किया गया है। सीजीएसटी संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 की संख्या 31) दिनांक 29 अगस्त 2018 के तहत एक पूर्वव्यापी संशोधन किया गया था, जिसने अधिनियम की धारा 140 के तहत 'सेनवैट क्रेडिट' की प्रयोज्यता को 'पात्र शुल्कों के सेनवैट क्रेडिट' तक सीमित कर दिया था, जैसा कि स्पष्टीकरण 1 और 2 में निर्दिष्ट है। इसके अतिरिक्त, स्पष्टीकरण 3 में विशेष रूप से किसी भी उपकर को अभिव्यंजन "पात्र शुल्कों का क्रेडिट" में शामिल नहीं किया गया है। जिसे स्पष्टीकरण 1 या 2 में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है और कोई उपकर जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के रूप में एकत्र किया जाता है। इस प्रकार, शिक्षा उपकर, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर, कृषि कल्याण उपकर, स्वच्छ भारत उपकर और स्वच्छ ऊर्जा उपकर के सेनवैट क्रेडिट जीएसटी में परिवर्तन के लिए योग्य शुल्क नहीं थे।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने अधिनियम की धारा 140 की विभिन्न उप-धाराओं के तहत आंशिक रूप से प्रस्तुत मामलों सहित ₹ 17,005.16 करोड़ के कुल परिवर्ती क्रेडिट वाले 1,698 परिवर्ती क्रेडिट दावों की जांच की।

लेखापरीक्षा ने 65 मामलों में अननुपालन पाया जिसमें जीएसटी में अग्रेषित किये गये ₹ 12.23 करोड़ की राशि वाले अपात्र शुल्क शामिल थे। विचलन अपात्र उपकर क्रेडिट का अग्रेषण, वैट पर दावाकृत क्रेडिट; और व्यक्तिगत बहीखाते (पीएलए)⁸³ शेष पर दावा किए गए क्रेडिट की श्रेणियों में पाए गए।

इसे बताए जाने पर, मंत्रालय/विभाग ने ₹ 7.71 करोड़ के अनियमित क्रेडिट वाले 45 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्वीकार की थीं और 19 मामलों में ₹ 0.79 करोड़ की वसूली की गई थी। इस श्रेणी के अंतर्गत पाई गई शीर्ष पांच अनियमितताओं की राशि ₹ 6.48 करोड़ थी। दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं।

क) गुरुग्राम केंद्रीय कर आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता ने अधिनियम की धारा 140 (1) के तहत विरासतीय विवरणी से अग्रेषण के लिए पात्र शुल्कों के जमा शेष के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। नियत दिन से ठीक पहले समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विरासतीय विवरणी में कुल सेनवैट क्रेडिट शेष ₹ 35.49 करोड़ था। सेनवैट क्रेडिट शेष के सत्यापन पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि अग्रेषित क्रेडिट में कृषि कल्याण उपकर, शैक्षिक उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर पर ₹ 1.93 करोड़ की राशि का सेनवैट क्रेडिट शामिल था। चूंकि, शिक्षा उपकर, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर और कृषि कल्याण उपकर का सेनवैट क्रेडिट अधिनियम के तहत परिवर्तन के लिए पात्र शुल्क नहीं हैं, इन शुल्कों पर करदाता द्वारा दावा किया गया क्रेडिट अनियमित था।

इसे बताए जाने पर (दिसंबर 2021), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मई 2023) और कहा कि करदाता को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया है।

ख) मुंबई पूर्व केंद्रीय कर आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता ने अधिनियम की धारा 140 (1) के तहत विरासतीय सेवा कर विवरणियों से अग्रेषित सेनवैट क्रेडिट के अंतशेष का दावा किया था। दावे के सत्यापन के

⁸³ पीएलए केंद्रीय उत्पाद शुल्क जमा करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 8 ए की अनिवार्य आवश्यकता है; परिपत्र सं.249/83/96-सीएक्स दिनांक 11 अक्टूबर 1996

दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने पात्र क्रेडिट शेष के साथ शिक्षा उपकर, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर और कृषि कल्याण उपकर के अंतशेष को अनियमित रूप से अग्रषित किया था। इस मामले में अपात्र उपकर की राशि ₹ 1.40 करोड़ थी।

इसे बताए जाने पर (जून 2022), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति (मई 2023) को स्वीकार कर लिया और कहा कि करदाता को डीआरसी-01ए जारी किया गया है।

5.6.2 अंतिम विवरणी में क्रेडिट का अंतशेष (ट्रान 1 की तालिका 5(ए))

अधिनियम की धारा 140(1) के अनुसार, कोई पंजीकृत व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प लेने वाले से भिन्न है, विद्यमान विधि के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत करने के लिये नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी में अग्रणीत विद्यमान सेनवेट क्रेडिट अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में लेने का, विहित की जाने वाली रीति में हकदार होगा। पंजीकृत व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (i) जहां क्रेडिट की उक्त राशि अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में अनुज्ञेय नहीं है; या
- (ii) जहां उसने नियत तिथि से ठीक पहले छह महीने की अवधि के लिए विद्यमान विधि के तहत अपेक्षित सभी विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हैं; या
- (iii) जहां क्रेडिट की उक्त राशि सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी छूट की अधिसूचनाओं के अधीन विनिर्मित और निकासी किए गए माल से संबंधित है।

इस धारा के अंतर्गत अंतिम विरासती विवरणी में क्रेडिट के अंतशेष का दावा करने के लिए, करदाताओं को ट्रान 1 रिटर्न की तालिका 5(ए) का उपयोग करना था। लेखापरीक्षा ने इस श्रेणी के अंतर्गत ₹ 13,565.94 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट वाले 1,119 दावों की जांच की।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 21 दावों में करदाताओं ने नियत दिन से ठीक एक दिन पहले समाप्त होने वाली अवधि के लिए फाइल अपनी विरासती विवरणी में जमा शेष सेनवैट क्रेडिट शेष से अधिक क्रेडिट को परिवर्तित कर दिया था। इन मामलों में परिवर्तित अतिरिक्त क्रेडिट की राशि ₹ 9.32 करोड़ थी।

इसे बताए जाने पर, मंत्रालय ने ₹ 7.98 करोड़ के अनियमित क्रेडिट वाले 15 मामलों में लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार कर लिया था और चार मामलों में ₹ 1.11 करोड़ की वसूली की गई थी। इस श्रेणी के अंतर्गत पाई गई शीर्ष पांच अनियमितताओं की राशि ₹ 6.39 करोड़ थीं। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है।

गुरुग्राम केंद्रीय कर आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता ने अधिनियम की धारा 140 (1) के तहत ट्रान 1 की तालिका 5 (ए) में ₹ 6.44 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि नियत दिन से ठीक पहले के दिन के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए विरासती ईआर⁸⁴ रिटर्न के अनुसार पात्र क्रेडिट केवल ₹ 4.71 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.48 करोड़ की राशि का अतिरिक्त क्रेडिट आगे ले जाया गया।

इसे बताए जाने पर (दिसंबर 2021), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और कहा कि अतिरिक्त दावा किए गए क्रेडिट (मई 2023) की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया है।

5.6.3 पूंजीगत माल पर अनुपभुक्त क्रेडिट (ट्रान 1 की तालिका 6 (ए))

अधिनियम की धारा 140(2) के अनुसार, धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अलावा कोई पंजीकृत व्यक्ति, नियत दिन से ठीक पहले दिन के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बहीखाते में पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में अप्रयुक्त सेनवैट क्रेडिट का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, जो विद्यमान विधि के तहत प्रस्तुत

⁸⁴ विरासती व्यवस्था के तहत, प्रत्येक निर्धारिती को एसीईएस प्रणाली (केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रणाली का स्वचालन) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक विवरणी प्रस्तुत करनी थी, जैसा कि सेवा कर नियम 1994 के नियम 7 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 12 (5) के तहत निर्दिष्ट है।

विवरणों में अग्रोषित नहीं किया गया है। इस धारा में यह भी प्रावधान किया गया है कि पंजीकृत व्यक्ति को क्रेडिट लेने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उक्त क्रेडिट विद्यमान विधि के तहत सेनवैट क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य न हो और इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में भी स्वीकार्य हो।

इस प्रयोजन के लिए उपयोग में न लाए गए सेनवैट क्रेडिट का अर्थ है वह राशि जो विद्यमान विधि के तहत कराधीन व्यक्ति द्वारा पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में पहले से प्राप्त सेनवैट क्रेडिट की राशि को सेनवैट क्रेडिट की कुल राशि, जिसके लिए उक्त व्यक्ति विद्यमान विधि के तहत उक्त पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में हकदार था, से घटाने के बाद शेष रहती है।

पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग में न लाए गए भाग के संबंध में क्रेडिट का दावा ट्रान 1 रिटर्न की तालिका 6(ए) में किया जाना था। लेखापरीक्षा ने इस श्रेणी के अंतर्गत पूरक लेखापरीक्षा के दौरान ₹ 758.01 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट वाले 598 दावों की जांच की।

लेखापरीक्षा में 30 दावों में अनियमितताएं पाई गईं जिनमें ₹ 11.50 करोड़ की अनियमित परिवर्ती क्रेडिट राशि शामिल थी। विचलन अयोग्य या अधिक क्रेडिट दावा के कारण थे; और पूंजीगत वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट के अनुपलब्ध हिस्से के रूप में पूंजीगत वस्तुओं पर 100 प्रतिशत क्रेडिट का लाभ उठाना, जो अस्वीकार्य था।

(i) अनियमित क्रेडिट का दावा

अधिनियम की धारा 140(2) के अनुसार, परिवर्ती ऋण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि क्रेडिट विद्यमान सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के तहत सेनवैट क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य न हो और अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में भी स्वीकार्य हो। सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(ए) के अनुसार, पूंजीगत वस्तुओं का अर्थ है, जिनका उपयोग किया गया था:

1. अंतिम उत्पादों के निर्माता के कारखाने में लेकिन कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले किसी भी साज-समान या उपकरण को शामिल नहीं करता है।

2. उत्पादित सेवाओं को प्रदान करने के लिए

इस प्रकार, पूंजीगत वस्तुओं पर क्रेडिट केवल उन वस्तुओं पर स्वीकार्य है, जिनका उपयोग मौजूदा कानूनों के तहत निर्माण या सेवाओं के प्रावधान में किया गया था और जीएसटी के तहत कर योग्य आपूर्ति के लिए भी उपयोग किया जा रहा है।

पांच दावों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाताओं ने ₹ 0.30 करोड़ की पूंजीगत वस्तुओं पर क्रेडिट का दावा किया था, जो या तो विद्यमान विधियों के तहत क्रेडिट के लिए अपात्र थे या अधिक दावा किए गए थे।

इसे बताए जाने पर, मंत्रालय ने सभी मामलों में लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति स्वीकार कर ली और तीन मामलों में ₹ 0.26 करोड़ की वसूली की सूचना दी। एक निदर्शी मामला नीचे बताया गया है:

चेन्नई उत्तरी आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले करदाता ने अधिनियम की धारा 140 (2) के तहत पूंजीगत वस्तुओं पर ₹ 1.13 करोड़ के अप्रयुक्त सेनवैट क्रेडिट के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। दावे के सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि इस धारा के तहत परिवर्ती क्रेडिट दावे में पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित 52 बीजक शामिल थे जिसमें ₹ 0.11 करोड़ के सेनवैट क्रेडिट शामिल थे, जिस पर करदाता ने विरासतीय नियमों के तहत 100 प्रतिशत सेनवैट क्रेडिट का दावा पहले ही कर लिया था। इस प्रकार, धारा के तहत दावा किया गया क्रेडिट परिवर्तन के लिए पात्र नहीं था। इन पूंजीगत वस्तुओं पर दावा किए गए अपात्र क्रेडिट की राशि ₹ 0.11 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर (जुलाई 2022), मंत्रालय ने कहा (मई 2023) कि राशि ₹ 0.09 करोड़ के ब्याज के साथ वसूल की गई थी।

(ii) पूंजीगत वस्तुओं पर 100 प्रतिशत क्रेडिट को प्राप्त करना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली के नियम 4 (2)(ए) के अनुसार, पूंजीगत माल के संबंध में क्रेडिट केवल उस राशि का लिया जाएगा जो उसी वित्तीय वर्ष में पूंजीगत माल पर भुगतान किए गए शुल्क के 50 प्रतिशत से अधिक न हो। इसलिए, यह धारा पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में 50 प्रतिशत क्रेडिट के परिवर्तन का प्रावधान करती है, जिस पर विरासतीय विवरणी के तहत क्रेडिट का दावा

किया गया था। यह प्रतिबंध विद्यमान नियमों के प्रावधानों के अनुरूप है ताकि उन वस्तुओं पर क्रेडिट के संभावित दुरुपयोग से सुरक्षा की जा सके जो या तो क्रेडिट के लिए अपात्र हैं या जिन पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 32 के तहत सेनवैट क्रेडिट भाग पर मूल्यहास के लाभ का दावा किया गया था।

यह विचार सीबीआईसी के दिशानिर्देश लेख के पैरा 5.1 में भी व्यक्त किया गया था, जिसमें कहा गया है कि यदि पहले कोई क्रेडिट नहीं लिया गया था, तो तालिका 6 (ए) के माध्यम से पूरी राशि के क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में 25 दावों में अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें करदाताओं ने पूंजीगत वस्तुओं पर 100 प्रतिशत क्रेडिट का दावा सेनवैट क्रेडिट के अप्रयुक्त हिस्से के रूप में किया था। इन दावों में शामिल अनियमित परिवर्ती क्रेडिट ₹ 11.20 करोड़ था।

इसे बताए जाने पर, मंत्रालय ने ₹ 10.69 करोड़ के अनियमित क्रेडिट वाले 15 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और तीन मामलों में ₹ 0.13 करोड़ की वसूली की गई थी। इस श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष पांच विचलन की राशि ₹ 10.03 करोड़ थी। दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं।

क) जबलपुर केंद्रीय कर आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता ने अधिनियम की धारा 140(2) के तहत पूंजीगत वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट के अप्रयुक्त हिस्से के ₹ 36.25 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। इस धारा के तहत दावे की संवीक्षा करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने कुछ पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में 100 प्रतिशत क्रेडिट का दावा किया था, जो मौजूदा कानून के तहत अनुमेय नहीं था। इन मामलों में शामिल क्रेडिट राशि ₹ 6.83 करोड़ थी। इसे बताए जाने पर (मई 2022), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और कहा (मई 2023) कि करदाता को एससीएन जारी किया गया था।

ख) भोपाल केन्द्रीय कर आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले एक करदाता ने अधिनियम की धारा 140(2) के अंतर्गत ₹ 15.71 करोड़ के परिवर्ती

क्रेडिट का दावा किया था। दावे के सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 55 बीजकों के संबंध में, करदाता ने ₹ 1.99 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था जो पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए 100 प्रतिशत शुल्क का प्रतिनिधित्व करता है। मौजूदा प्रावधानों के तहत इसकी अनुमति नहीं थी।

यह बताए जाने पर (अक्टूबर 2022), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और कहा (मई 2023) कि करदाता को एससीएन जारी किया गया था।

5.6.4 शुल्क प्रदत्त स्टॉक पर क्रेडिट (ट्रान 1 की तालिका 7(ए)ए और बी)

अधिनियम की धारा 140(3) के अनुसार, कोई पंजीकृत व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन पंजीकरण के लिये दायी नहीं था या जो छूट प्राप्त मामलों के विनिर्माण में लगा था या जो छूट प्राप्त सेवाओं के उपबंधों या जो सकर्म संविदा सेवाओं को उपलब्ध करता रहा था और जो अधिसूचना संख्यांक 26/2012- सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2012 के लाभ प्राप्त कर रहा था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिन पर स्टॉक में धारित निविष्टिओं और अर्ध-निर्मित या तैयार माल में अंतर्विष्ट निविष्टिओं के संबंध में पात्र शुल्कों के क्रेडिट अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खातों में लेने का हकदार होगा।

- (i) इस अधिनियम के तहत कर योग्य आपूर्ति करने के लिए ऐसे निविष्टिओं या माल का उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है;
- (ii) इस अधिनियम के तहत उक्त पंजीकृत व्यक्ति ऐसे इनपुट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र है;
- (iii) उक्त पंजीकृत व्यक्ति के पास ऐसे इनपुट के संबंध में मौजूदा कानून के तहत शुल्क के भुगतान को प्रमाणित करने वाले बीजक या अन्य निर्धारित दस्तावेज हैं;
- (iv) इस तरह के बीजक या अन्य निर्धारित दस्तावेज नियत दिन से ठीक पहले बारह महीने से पहले जारी नहीं किए गए थे; और
- (v) सेवाओं का आपूर्तिकर्ता इस अधिनियम के तहत किसी भी छूट के लिए पात्र नहीं है

परंतु जहां किसी विनिर्माता या सेवाओं के पूर्तिकार से भिन्न किसी पंजीकृत व्यक्ति को, जो शुल्क के संदाय के साक्ष्य स्वरूप कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज अपने कब्जे में नहीं रखता है वहां ऐसा पंजीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तें जो विहित की जाये, जिनके अंतर्गत यह शर्त भी है कि उक्त कराधेय व्यक्ति ऐसे क्रेडिट के लाभ के प्राप्तिकर्ता के लिये दाम की कमी के द्वारा अंतरित करेगा, ऐसा क्रेडिट ऐसी रीति में और ऐसी दर पर जो विहित की जाए, प्राप्त करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

क) शुल्क भुगतान दस्तावेजों के साथ दावे

इस धारा के तहत परिवर्ती क्रेडिट का दावा ट्रान 1 रिटर्न की तालिका 7(ए)ए के तहत किया जाना था, जो नियत तिथि को स्टॉक में रखे गए शुल्क भुगतान किए गए माल की मात्रा को विधिवत दर्शाता है। लेखापरीक्षा ने इस श्रेणी के अंतर्गत 909 दावों की जांच की जिसमें ₹ 1,706.28 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट दावे शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने ₹ 11.64 करोड़ के अनियमित परिवर्ती क्रेडिट वाले 48 दावों में विचलन पाया। विचलन अपात्र या दावा किए गए अधिक क्रेडिट, समयबाधित दस्तावेजों पर दावा किया गया क्रेडिट, पुष्टिकारक दस्तावेजों के बिना दावा किया गया क्रेडिट और शुल्क भुगतान किए गए मालों पर दावा किया गया क्रेडिट या तो स्टॉक में नहीं था या घोषित स्टॉक से अधिक की प्रकृति में थे।

इन श्रेणियों में से प्रत्येक के तहत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

(i) अपात्र क्रेडिट का दावा किया गया

अधिनियम की धारा 140 (3) के तहत नियत दिन पर स्टॉक में रखे गए इनपुट और स्टॉक में रखे गए अर्ध-निर्मित माल या निर्मित माल में निहित इनपुट पर भुगतान किए गए पात्र शुल्कों के संबंध में क्रेडिट की अनुमति है। इसलिए, इनपुट सेवाओं के संबंध में क्रेडिट की धारा के तहत परिकल्पना नहीं की गई है। इसके अलावा, माल पर क्रेडिट की पात्रता इस शर्त पर निर्भर करती है कि माल का उपयोग किया जाता है या अधिनियम के तहत कर योग्य आपूर्ति करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसके लिए इनपुट टैक्स पात्र है।

18 दावों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि करदाताओं ने ₹ 3.67 करोड़ के अपात्र क्रेडिट को परिवर्तित किया था। विचलन अपात्र वस्तुओं पर दावा किए गए क्रेडिट, अधिक क्रेडिट का दावा और पूंजीगत वस्तुओं पर दावा किए गए क्रेडिट की प्रकृति में थे।

इसे बताए जाने पर, विभाग ने ₹ 2.26 करोड़ के अपात्र क्रेडिट वाले नौ मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्वीकार की थीं और दो मामलों में ₹ 0.02 करोड़ की वसूली की गई थी। इस श्रेणी के अंतर्गत देखे गए शीर्ष पांच विचलन ₹ 3.00 करोड़ के थे। एक निदर्शी मामला नीचे बताया गया है।

इंदौर केंद्रीय कर आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाला एक करदाता एक आयातक विक्रेता था जो विरासतीय केंद्रीय उत्पाद शुल्क व्यवस्था के तहत पंजीकृत था। करदाता ने अधिनियम की धारा 140(3) के तहत माल के संबंध में भुगतान किए गए शुल्कों के सेनवैट क्रेडिट के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था, जो ₹ 2.02 करोड़ था। दावे के सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने उन वस्तुओं के संबंध में ₹ 1.39 करोड़ का दावा किया था जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के पूर्ववर्ती जॉब वर्क प्रावधानों के तहत जॉब-वर्कर को आपूर्ति की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता न तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत पंजीकृत विनिर्माता था और न ही उसने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत जॉब वर्क आधार पर उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक अनुमति ली थी। करदाता वास्तव में जॉब-वर्कर को सेनवैट बीजकों के माध्यम से आयातित माल की आपूर्ति कर रहा था जैसा कि उनके द्वारा प्रस्तुत विक्रेता विवरणी में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, करदाता द्वारा दावा किया गया क्रेडिट उन वस्तुओं पर था जिन्हें जॉब-वर्कर को सेनवैट क्रेडिट घटकों पर विधिवत रूप से पारित करने के लिए भेजा गया था। इसलिए, इन मामलों में करदाता द्वारा दावा किया गया क्रेडिट अधिनियम की धारा 140(3) के प्रावधानों के तहत अपात्र था। इस मामले में दावा किया गया अनियमित क्रेडिट ₹ 1.39 करोड़ है।

यह बताए जाने पर (मई 2022) मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और बताया (मई 2023) कि दावा किए गए अनियमित क्रेडिट की वसूली के लिए एससीएन जारी किया गया था।

(ii) समयबाधित दस्तावेजों पर दावा किया गया क्रेडिट

अधिनियम की धारा 140(3) के तहत दावों के लिए निर्दिष्ट शर्तों में से एक यह थी कि बीजक या अन्य निर्धारित दस्तावेज नियत दिन से ठीक पहले बारह महीने से पहले जारी नहीं किए जाने चाहिए। इसलिए, 30 जून 2016 से पहले जारी किए गए दस्तावेजों या बीजकों पर क्रेडिट अधिनियम के तहत क्रेडिट के लिए पात्र नहीं थे।

18 दावों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि करदाताओं ने नियत दिन से 12 महीने से पहले जारी किए गए दस्तावेजों के आधार पर नियत दिन पर स्टॉक में रखे गए सामानों पर भुगतान किए गए शुल्क के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। इन दस्तावेजों पर दावा किए गए अनियमित परिवर्ती क्रेडिट की राशि ₹ 0.42 करोड़ थी।

इसे बताए जाने पर, मंत्रालय ने ₹ 0.32 करोड़ के अपात्र क्रेडिट वाले 15 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्वीकार की थीं और 13 मामलों में ₹ 0.29 करोड़ की वसूली की गई थी। एक निदर्शी मामला नीचे बताया गया है।

दिल्ली दक्षिण केंद्रीय कर आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता ने नियत दिन पर स्टॉक में रखे गए शुल्क भुगतान वाले सामानों के लिए ट्रान 1 विवरणी की तालिका 7ए(ए) में ₹ 1.59 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। दावे के समर्थन में प्रस्तुत शुल्क भुगतान दस्तावेजों के सत्यापन पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि कुछ शुल्क भुगतान दस्तावेज नियत तिथि से 12 महीने से पहले जारी किए गए थे। इसलिए, अधिनियम के तहत क्रेडिट का दावा करने के लिए ये समयबाधित थे। इन समयबाधित दस्तावेजों पर दावा किए गए अनियमित क्रेडिट की राशि ₹ 0.09 करोड़ थी।

इसे बताए जाने पर (सितंबर 2022), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और कहा (मई 2023) कि लागू ब्याज के साथ राशि वसूल की गई थी।

(iii) या तो स्टॉक में नहीं है या करदाता को नहीं भेजे गए शुल्क प्रदत्त माल पर दावा किया गया क्रेडिट

माल पर भुगतान किए गए शुल्क का परिवर्ती क्रेडिट उपलब्ध है यदि पंजीकृत व्यक्ति ने नियत दिन पर स्टॉक में ऐसी वस्तुओं को रखा था और उसके पास शुल्क भुगतान के प्रमाण वाले बीजक या अन्य निर्धारित दस्तावेज हैं।

12 दावों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि करदाताओं ने उन वस्तुओं पर भुगतान किए गए शुल्क के क्रेडिट का दावा किया था जो कब्जे में नहीं थे या विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर भेजे गए थे, और इस प्रकार क्रेडिट के लिए पात्र नहीं थे। इन मामलों में अनियमित क्रेडिट का दावा ₹ 7.55 करोड़ था।

इसे बताए जाने पर, मंत्रालय ने ₹ 7.15 करोड़ के अनियमित क्रेडिट वाले 10 मामलों में लेखापरीक्षा अभियुक्ति स्वीकार की थी और ₹ 0.45 करोड़ के ब्याज सहित एक मामले में ₹ 0.93 करोड़ की वसूली की गई थी। इस श्रेणी के तहत शीर्ष पांच मामलों में ₹ 6.72 करोड़ की राशि दर्ज की गई। दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं।

क) इंदौर केंद्रीय कर आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता ने अधिनियम की धारा 140(3) के तहत नियत तिथि पर स्टॉक में रखे गए शुल्क भुगतान वाले सामान के संबंध में ₹ 3.46 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। शुल्क भुगतान के दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि कई मामलों में परेषिती दावेदार से अलग थे जो यह साबित करता है कि करदाता का नियत दिन पर माल पर कब्जा नहीं था जिन पर क्रेडिट का दावा किया गया। जिन सामानों के लिए क्रेडिट का दावा किया गया था, उन्हें उपयोग के लिए देश भर के विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर भेजा गया था और करदाता के पास माल नहीं था। इस प्रकार, इन दस्तावेजों पर दावा किया गया ₹ 2.75 करोड़ का क्रेडिट अनियमित था।

इसे बताए जाने पर (अप्रैल 2022), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति (मई 2023) को स्वीकार कर लिया।

ख) इंदौर केंद्रीय कर आयुक्तालय के तहत आने वाले एक अन्य करदाता ने अधिनियम की धारा 140 (3) के तहत नियत दिन पर स्टॉक में रखे गए तैयार

माल पर भुगतान किए गए शुल्क के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था, जो कि ₹ 2.86 करोड़ था। करदाता ने नियत तिथि पर स्टॉक में रखे गए सामानों का विवरण फाइल किया था, जिसके संबंध में शुल्क भुगतान दस्तावेज उपलब्ध थे। दावे के सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि कई मामलों में या तो परेषिती दावेदार से अलग था, जो यह प्रमाणित करता है कि करदाता के पास माल नहीं था, या शुल्क भुगतान दस्तावेज उनके पास उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, करदाता उन सामानों पर क्रेडिट के लिए पात्र नहीं था, जो उनके द्वारा स्टॉक में नहीं रखे गए थे या शुल्क भुगतान दस्तावेजों के बिना थे। इन वस्तुओं पर अनियमित क्रेडिट का दावा ₹ 2.52 करोड़ था।

बताए जाने पर (मई 2022), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (मई 2023) को स्वीकार कर लिया।

ख) शुल्क प्रदत्त दस्तावेजों के बिना दावा

कोई पंजीकृत व्यक्ति जब शुल्क के भुगतान को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज उसके पास नहीं होते हैं, तब भी स्टॉक में रखे गए शुल्क भुगतान किए गए सामान के संबंध में क्रेडिट लेने के लिए भी पात्र होता है यदि उसने प्राप्तकर्ता को कम कीमतों के माध्यम से इस तरह के क्रेडिट का लाभ दिया है। अनुमानित क्रेडिट की यह योजना केवल विनिर्माता या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के अलावा अन्य करदाताओं के लिए उपलब्ध थी, जिनके पास नियत दिन को स्टॉक में रखे गए इनपुट के संबंध में शुल्क के भुगतान को प्रमाणित करने वाले बीजक या कोई अन्य दस्तावेज नहीं था। यह योजना नियत तिथि से छह महीने की अवधि के लिए लागू थी और क्रेडिट का लाभ सीजीएसटी नियमावली के नियम 117 (4) के तहत निर्दिष्ट शर्तों के अधीन लिया जाना था।

इस योजना का लाभ उठाने वाले पंजीकृत व्यक्ति को सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 117 (2) के खंड (बी) के प्रावधानों के अनुसार नियत दिन पर रखे हुए स्टॉक का विवरण अलग से निर्दिष्ट करना था। हालांकि, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ऐसे सामानों पर देय कर के 60% तक सीमित था, जिन पर नियत तिथि के बाद ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति पर नौ प्रतिशत या उससे अधिक की दर से सीजीएसटी लागू होता है, और अन्य वस्तुओं के लिए देय कर का 40% होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में जमा की जाएगी,

जब ऐसी आपूर्ति पर लागू केंद्रीय कर का भुगतान किया गया है, जैसा कि ट्रान 2 रिटर्न में घोषित किया गया है।

इस धारा के तहत परिवर्ती क्रेडिट का दावा ट्रान 1 रिटर्न की तालिका 7(ए)बी के तहत किया जाना था। लेखापरीक्षा ने इस श्रेणी के अंतर्गत 49 दावों की जांच की।

₹ 0.42 करोड़ के अनियमित ऋण दावे वाले चार दावों में विचलन देखा गया। विचलन ट्रान 2⁸⁵ फाइल किए बिना ट्रान 1 के माध्यम से स्टॉक पर दावा किए गए क्रेडिट की प्रकृति के थे।

इसे बताए जाने पर, मंत्रालय ने कहा कि एक मामले में करदाता ने संशोधित ट्रान विवरणी दाखिल किया था; दो मामलों में लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार किया गया था। एक निदर्शी मामला नीचे बताया गया है।

(i) ट्रान 2 दाखिल किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया

करदाताओं को नियत तिथि पर रखे गए स्टॉक का विवरण प्रस्तुत करना था जिस पर ट्रान 1 रिटर्न की तालिका 7(ए) बी में क्रेडिट का दावा किया गया था। माल के संबंध में पात्र क्रेडिट को ट्रान 2 विवरणी दाखिल करने पर करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में जमा किया जाना था, जिसमें जीएसटी के भुगतान पर इन सामानों की आपूर्ति का विधिवत संकेत दिया गया था। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते को दिया गया आनुपातिक क्रेडिट ट्रान 2 विवरणी में घोषित आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर की दर पर आधारित होगा।

नई दिल्ली पश्चिम केंद्रीय कर आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता ने ट्रान 1 विवरणी की तालिका 7(ए) बी के तहत स्टॉक में रखे गए शुल्क भुगतान किए गए माल के संबंध में क्रेडिट का दावा किया था। स्टॉक में रखे गए माल पर भुगतान किए गए शुल्क को दर्शाते हुए ₹ 0.17 करोड़ की राशि का दावा किया गया था जिसके लिए शुल्क के भुगतान के लिए दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। दावे के सत्यापन पर, यह देखा गया कि ट्रान 1 के

⁸⁵ नियत तिथि को स्टॉक पर रखे गए इनपुट का विवरण, जिसके संबंध में करदाता के पास कोई बीजक/दस्तावेज नहीं है, जो आगे ले जाने वाले कर के भुगतान को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बहीखाते में प्रमाणित करता है।

माध्यम से दावा की गई राशि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में जमा की गई थी, बावजूद इसके कि करदाता ने ट्रान 2 विवरणी दाखिल नहीं की थी। इस प्रकार, जीएसटी के भुगतान पर इन वस्तुओं की आपूर्ति को प्रभावित किए बिना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में स्वीकृत किया गया क्रेडिट अनियमित था।

इसे बताए जाने पर (जुलाई 2022), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और कहा (मई 2023) कि अनियमित क्रेडिट की मांग करने वाले करदाता को एससीएन जारी किया गया था।

5.6.5 ट्रांजिट में इनपुट/इनपुट सेवाएं

अधिनियम की धारा 140(5) में प्रावधान है कि करदाता नियत दिन को या उसके बाद प्राप्त इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में पात्र शुल्कों और करों का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, किन्तु जिसके संबंध में शुल्क या कर विद्यमान विधि के अधीन आपूर्तिकर्ता द्वारा संदत्त किया गया या, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि नियत दिन से 30 दिन की अवधि के भीतर या आयुक्त⁸⁶ द्वारा अनुमत ऐसी विस्तारित 30 दिनों की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति की बहीखातों में बीजक या कोई अन्य शुल्क या संदाय दस्तावेज अभिलिखित था।

धारा 140 (5) के तहत क्रेडिट का दावा ट्रान 1 विवरणी की तालिका 7 (बी) के तहत किया जाना था। लेखापरीक्षा ने इस श्रेणी के अंतर्गत 698 दावों की जांच की जिसमें ₹ 918.58 करोड़ का परिवर्ती क्रेडिट शामिल है।

लेखापरीक्षा ने ₹ 7.21 करोड़ के अनियमित परिवर्ती क्रेडिट से जुड़े 18 दावों में अनियमितताएं देखीं, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर लेखाबद्ध नहीं किये गये बीजकों पर क्रेडिट प्राप्त करना; अपात्र या अतिरिक्त क्रेडिट का परिवर्तन; और पूंजीगत वस्तुओं पर दावा किए गए अनियमित क्रेडिट की प्रकृति के हैं।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

⁸⁶ आयुक्त के पास नियत तिथि से 30 दिनों से अधिक कर भुगतान किए गए दस्तावेजों को लेखांकन में विलंब को क्षमा करने की शक्ति है, एक और अवधि के लिए पर 30 दिनों से अधिक नहीं है जो पर्याप्त कारण दिखाने पर।

(i) **निर्धारित समयसीमा में लेखाबद्ध नहीं किए गए दस्तावेजों पर दावा किया गया क्रेडिट**

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अधिनियम की धारा 140 (5) निर्धारित समय सीमा के भीतर लेखाबद्ध न किए गए दस्तावेजों पर दावा किए गए क्रेडिट के लिए शर्तें प्रदान करती है।

लेखापरीक्षा ने ₹ 1.69 करोड़ के परिवर्ती ऋण से जुड़े आठ दावों में विचलन देखा, जहां करदाताओं ने 60 दिनों की समय सीमा के भीतर लेखाबद्ध नहीं की गई आपूर्ति पर परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था।

इसे बताए जाने पर, मंत्रालय ने ₹ 1.00 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट वाले पांच मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्वीकार की थीं। इस श्रेणी के तहत शीर्ष चार विचलन की राशि ₹ 1.66 करोड़ थी। एक निदर्शी मामला नीचे बताया गया है।

गुरुग्राम केंद्रीय कर आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता ने अधिनियम की धारा 140 (5) के तहत पारगमन में इनपुट और इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए शुल्क के लिए ₹ 0.68 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। दावे के सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि शुल्क भुगतान किए गए दस्तावेज जिन पर क्रेडिट का दावा किया गया था, धारा के तहत लेखांकन के लिए निर्दिष्ट नियत तिथि से 100 दिनों के बाद खाते में लेखाबद्ध नहीं किए गए थे। इसलिए, इन दस्तावेजों पर दावा किया गया क्रेडिट परिवर्तन के लिए अपात्र था और इस मामले में शामिल अपात्र क्रेडिट की राशि ₹ 0.68 करोड़ थी।

इसे बताए जाने पर (दिसंबर 2021), मंत्रालय ने कहा (मई 2023) कि करदाता ने इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट का दावा किया और माल पर नहीं, इसलिए क्रेडिट के लिए पात्र है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर लेखा बहियों में क्रेडिट लिए गए दस्तावेजों का लेखाबद्ध नहीं किया गया था।

(ii) **अपात्र या अधिक क्रेडिट का दावा किया गया**

अधिनियम की धारा 140 (5) नियत दिन को या उसके बाद प्राप्त इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में पात्र शुल्कों और करों के परिवर्तन का प्रावधान करती है। अतः इस प्रावधान में नियत दिन को अथवा उसके बाद प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं पर सेनवेट क्रेडिट के परिवर्तन की परिकल्पना नहीं की गई है। इसके अलावा, इनपुट या इनपुट सेवाओं की पात्रता ऐसी आपूर्ति के उपयोग से निर्धारित होती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 मामलों में करदाताओं ने अधिनियम की धारा 140 (5) के तहत इनपुट या इनपुट सेवाओं पर अपात्र या अधिक क्रेडिट का दावा किया था, जिसमें ₹ 5.52 करोड़ का परिवर्ती क्रेडिट शामिल था।

इसे बताए जाने पर, मंत्रालय ने ₹ 4.40 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट वाले छ मामलों में अभ्युक्ति स्वीकार की थी। इस श्रेणी के तहत शीर्ष पांच विचलन की राशि ₹ 5.37 करोड़ थी। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है।

रायपुर केंद्रीय कर आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता ने नियत तिथि को या उसके बाद प्राप्त इनपुट और इनपुट सेवाओं पर अधिनियम की धारा 140 (5) के तहत ₹ 17.28 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। ट्रान 1 विवरणी की तालिका 7 (बी) के तहत दावे के सत्यापन पर, यह देखा गया कि करदाता ने विभिन्न पूंजीगत वस्तुओं जैसे रोटार असंबली, स्टोरेज टैंक, कन्वेयर बेल्ट, पंप और पुर्जे या सहायक उपकरण पर क्रेडिट का दावा टैबल में किया था, जो पात्र नहीं हैं। इसलिए, इन पूंजीगत वस्तुओं पर ₹ 3.74 करोड़ का दावा किया गया क्रेडिट अनियमित था।

इसे बताए जाने पर (अप्रैल 2022), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (मई 2023) को स्वीकार कर लिया।

5.6.6 विद्यमान विधि के तहत केंद्रीकृत पंजीकरण वाले पंजीकृत व्यक्तियों के संबंध में क्रेडिट (ट्रान 1 की तालिका 8)

अधिनियम की धारा 140 (8) के अनुसार, विद्यमान विधि के तहत केंद्रीकृत पंजीकरण रखने वाले कोई पंजीकृत व्यक्ति, जिसने जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राप्त किया है, को अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में, विद्यमान

विधि के तहत प्रस्तुत विवरणी में नियत दिन से ठीक पहले दिन के साथ समाप्त होने वाली अवधि के संबंध में अग्रेषित सेनवैट क्रेडिट की राशि का क्रेडिट लेने की अनुमति दी जाएगी, इस तरह से जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। उपधारा के तहत दावा किया गया क्रेडिट किसी भी पंजीकृत व्यक्तियों को हस्तांतरण के लिए पात्र है, जिनके पास एक ही स्थायी खाता संख्या है (पैन), जिसके लिए मौजूदा कानून के तहत केंद्रीकृत पंजीकरण प्राप्त किया गया है।

इस श्रेणी के तहत क्रेडिट हस्तांतरण के लिए दावा ट्रान 1 विवरणी की तालिका 8 के तहत किया जाना था। लेखापरीक्षा ने इस श्रेणी के अंतर्गत 59 दावों का सत्यापन किया और ₹ 2.83 करोड़ के परिवर्ती ऋण वाले दो मामलों में अनियमितताएं पाईं। एक निदर्शी मामला नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है:

अतिरिक्त क्रेडिट का दावा किया गया

धारा 140(8) के तहत क्रेडिट का परिवर्तन इस शर्त के अधीन है कि पंजीकृत व्यक्ति ने नियत दिन के तीन महीने के भीतर नियत दिन से ठीक पहले दिन के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपनी विवरणी प्रस्तुत की थी, और उक्त रिटर्न या तो एक मूल विवरणी या संशोधित विवरणी है। संशोधित विवरणी केवल पहले दावा किए गए क्रेडिट की तुलना में दावे को कम कर सकता है। इसके अलावा, क्रेडिट जीएसटी अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य होना चाहिए।

दिल्ली दक्षिण केंद्रीय कर क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले विद्यमान विधि के तहत केंद्रीय रूप से पंजीकृत एक करदाता ने अधिनियम की धारा 140 (8) के तहत विरासतीय सेवा कर विवरणी से सेनवैट क्रेडिट के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। करदाता ने सितंबर 2017 के दौरान फाइल नियत दिन से ठीक पहले दिन के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए संशोधित एसटी 3 रिटर्न से ₹ 99.78 करोड़ (दावा किए गए कुल उपकर क्रेडिट) के सेनवैट क्रेडिट के जमा शेष को अग्रेषित किया था। दावा की गई राशि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बहीखाते में जमा की गई थी और समान पैन नंबर वाली अन्य इकाइयों में वितरित की गई थी। दावे के सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि अगस्त 2017 के दौरान दाखिल मूल एसटी 3 विवरणी में, करदाता के पास ₹ 97.08 करोड़ (दावा किया गया कुल उपकर का क्रेडिट) की राशि का सेनवैट क्रेडिट का जमा शेष था। इस प्रकार,

करदाता ने अपने संशोधित विवरणी से क्रेडिट को अग्रेषित किया था जिसमें क्रेडिट शेष की राशि अधिक थी। यह नियम के प्रावधानों का उल्लंघन था जो यह प्रावधान करता है कि संशोधित विवरणी तब ही अनुमित है जब क्रेडिट पूर्व में दावा किये गये क्रेडिट से कम किया गया है। अतः विरासतीय विवरणी से संशोधित राशि के क्रेडिट को प्रदर्शित करते हुये अधिक सेनवेट क्रेडिट के अग्रेषण की राशि ₹ 2.69 करोड़ थी।

इसे बताए जाने पर (सितंबर 2022), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (मई 2023) को स्वीकार कर लिया।

5.6.7 अपात्र परिवर्ती क्रेडिट पर ब्याज का भुगतान न करना

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 117(3) में निर्दिष्ट किया गया है कि प्रपत्र जीएसटी ट्रान 1 में अनुप्रयोग में निर्दिष्ट क्रेडिट की राशि सामान्य पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी पीएमटी 2 में अनुरक्षित आवेदक के ईसीएल में जमा की जाएगी। नियम 121 के अनुसार, नियम 117 के उप-नियम (3) के तहत जमा की गई राशि की वसूली अधिनियम की धारा 73 या धारा 74, जैसा भी मामला हो, के तहत शुरू की जा सकती है। धारा 73 या 74 के तहत कार्यवाही के लिए करदाता को अधिनियम की धारा 50 के तहत देय ब्याज के साथ क्रेडिट का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 50 (1) में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके लिए कर या उसका कोई हिस्सा भुगतान नहीं किया जाता है, 18 प्रतिशत दर से ब्याज का भुगतान करे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 11 मामलों में, विभाग ने करदाताओं द्वारा दावा किए गए अनियमित परिवर्ती क्रेडिट की वसूली की थी, जिसकी राशि ₹ 0.98 करोड़ थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि अनियमित दावे किए गए ₹ 0.21 करोड़ के अनियमित क्रेडिट पर देय ब्याज की वसूली नहीं की गई थी।

इसे बताए जाने पर, मंत्रालय ने छह मामलों में ₹ 0.03 करोड़ की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की और चार मामलों में ₹ 0.02 करोड़ की ब्याज राशि वसूल की गई।

5.6.8 अन्य मामले

परिवर्ती क्रेडिट पर एसएससीए के अलावा, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान किए गए अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान परिवर्ती क्रेडिट दावों को भी सत्यापित किया था। इन लेखापरीक्षाओं से निकले महत्वपूर्ण निष्कर्षों को सीबीआईसी के क्षेत्राधिकार क्षेत्र कार्यालयों को पहले ही सूचित कर दिया गया था। इन अनुपालन लेखापरीक्षाओं के दौरान ₹ 10.60 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट वाले 22 विचलनों में से विभाग ने ₹ 10.50 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट वाली 21 मामलों में अभियुक्तियां स्वीकार की थीं। इस श्रेणी के तहत शीर्ष पांच विचलन की राशि ₹ 7.49 करोड़ थी। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है।

मुंबई-पश्चिम केंद्रीय कर आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता ने अधिनियम की धारा 140 (1) के तहत नियत दिन से ठीक पहले दिन के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए विरासतीय एसटी 3 विवरणी के अनुसार सेनवैट क्रेडिट के जमा शेष को दर्शाते हुए ₹ 2.53 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। दावे के सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि करदाता अचल संपत्ति को किराए पर देने की सेवाओं में था और उसने इमारतों के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली कार्य अनुबंध सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट का दावा किया था। पूर्ववर्ती सेनवैट क्रेडिट नियमावली के अंतर्गत कार्य संविदा सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट की अनुमति नहीं थी क्योंकि करदाता ऐसी सेवाओं के प्रावधान में शामिल नहीं था। इसलिए, दावा किया गया क्रेडिट आदितः अनुचित था, और इस मामले में परिवर्तित अपात्र क्रेडिट की राशि ₹ 2.53 करोड़ है।

इसे बताए जाने पर (फरवरी 2020), विभाग/मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और पूरे क्रेडिट की वसूली और ₹ 1.35 करोड़ के ब्याज की मांग करते हुए एससीएन जारी करने की सूचना दी (अगस्त 2021)।

5.6.9 निष्कर्ष और सिफारिशें

सीएजी की 2022 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 (अप्रत्यक्ष कर: माल और सेवा कर) के अध्याय VI में उल्लिखित किए गए जीएसटी के तहत परिवर्ती क्रेडिट पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में, लेखापरीक्षा ने सारभूत विषय क्षेत्र सीमा को इंगित किया क्योंकि 954 दावों, जो 8,514 दावों के नमूना आकार का 11 प्रतिशत था, के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये थे। इसके अलावा, 2,209 दावों से संबंधित अभिलेख, जो नमूना आकार का 26 प्रतिशत था, आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे।

सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में जांचे गए 7,560 मामलों में से 1,688 अनुपालन विचलनों, 22 प्रतिशत की विचलन दर बताते हुए को उजागर किया गया था, जिसमें ₹ 977.54 करोड़ का राजस्व निहितार्थ था। चूंकि इनमें से 79 प्रतिशत अनियमितताएं उन मामलों से संबंधित थीं जो विभाग द्वारा पहले ही सत्यापित किए जा चुके थे, इसलिए लेखापरीक्षा ने विभाग की सत्यापन प्रक्रिया में अपर्याप्तता को इंगित किया था। प्रतिवेदन में नियंत्रण में खामियां/आंकड़ों के स्तर पर वैधीकरण की कमी के कारण देखे गए महत्वपूर्ण विचलनों को भी उजागर किया गया है, जो परिवर्ती दावा प्रक्रिया में अंतर्निहित जोखिमों को लक्षित करता है।

अनुपूरक लेखापरीक्षा मुख्य रूप से विभाग को जीएसटी के तहत परिवर्ती क्रेडिट पर एसएससीए के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए या आंशिक रूप से प्रस्तुत रिकॉर्ड प्रदान करने का अवसर प्रदान करने और अधिनियम/नियमों के अनुपालन के दावों का मूल्यांकन करने के लिए शुरू की गई थी। हालांकि, पूरक लेखापरीक्षा में भी, अभिलेखों का पर्याप्त अप्रस्तुतीकरण एवं आंशिक प्रस्तुतीकरण हुआ था जिससे विषय क्षेत्र की सीमा परिलक्षित हुई थी। पहले प्रस्तुत न किए गए 954 दावों में से केवल 354 दावे पूरी तरह से प्रस्तुत किए गए थे। इन लेखापरीक्षित मामलों से उत्पन्न समग्र विचलन दर 17 प्रतिशत थी। इसके अलावा, 238 दावों में आंशिक रूप से लेखापरीक्षा के लिए रिकॉर्ड पेश किए गए थे क्योंकि अंतर्निहित अभिलेख जैसे कि शुल्क प्रदत्त दस्तावेज, परिसंपत्ति खाता बही और

इसी तरह, पहले लेखापरीक्षा के दौरान आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए 2,209 दावों में से 1,106 दावों में पूरक लेखापरीक्षा के दौरान विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त रिकॉर्ड प्रदान नहीं किया गया था। यह इस लेखापरीक्षा का विषय क्षेत्र को सीमित करता है।

व्यापक अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के बाद भी, पूरी तरह या आंशिक रूप से लेखापरीक्षा किए गए 1,698 दावों में से ₹ 55.15 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट वाले 188 मामलों में विचलन देखा गया। पाए गए विचलन मोटे तौर पर पहले प्रतिवेदन किए गए एसएससीए में प्रतिवेदन किए गए विचलन के अनुरूप थे और निम्नलिखित श्रेणियों में अर्थात: अपात्र शुल्कों को आगे बढ़ाया गया; स्टॉक में रखे गए शुल्क भुगतान किए गए माल पर अपात्र क्रेडिट और पूंजीगत वस्तुओं पर अप्राप्य क्रेडिट पर अनियमित दावा में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में विचलन देखे गए थे। उपर्युक्त अनुपालन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 के अध्याय VI में निहित सिफारिशों को दोहराती है और निम्नलिखित सिफारिश करती है:

विभाग को करना चाहिए:

1. लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत न किए गए/आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए मामलों का सत्यापन सुनिश्चित करे और लेखापरीक्षा के परिणाम प्रदान करे।
2. ट्रान 1 की तालिका 6(ए) (पूंजीगत वस्तुओं पर अप्रयुक्त क्रेडिट पर अनियमित दावा) और ट्रान 1 की तालिका 7(ए)(ए) (बीजक के साथ शुल्क प्रदत्त स्टॉक पर क्रेडिट) में परिलक्षित डेटा स्तर असंगतता के माध्यम से पहचाने जाने योग्य उच्च जोखिम वाले दावों का सत्यापन शुरू करे।
3. यह सुनिश्चित करे कि दावों के समयबाधित होने से पहले एसएससीए के तहत ट्रांजिशनल क्रेडिट की लेखापरीक्षा के दौरान और एसएससीए की पूरक लेखापरीक्षा के तहत बताए गए अनुपालन विचलनों के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाएं।

अध्याय VI: माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा अनुरक्षित जीएसटी आंकड़ों की विश्वसनीयता

6.1. प्रस्तावना

सूचना प्रौद्योगिकी माल और सेवा कर के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कानून के तहत आवश्यक कर अनुपालन के लिए मंच प्रदान करती है, करदाताओं के साथ इंटरफेस का गठन करती है और राजस्व के संग्रह में कर प्रशासन में सहायता करती है। जीएसटी प्रणाली में अधिकांश प्रक्रियाएं ऑनलाइन⁸⁷ की जाती हैं और कई प्रक्रियाएं मानवीय हस्तक्षेप⁸⁸ के बिना की जाती हैं। कर भुगतान स्व-मूल्यांकन⁸⁹ के आधार पर होता है। कर अधिकारी को केवल तभी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती है जब उसके पास यह मानने का कारण हो कि प्रदान⁹⁰ की गई जानकारी में कोई कमी है या जब करदाता ने चूक की है। सरकार ने शुरू में इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रणाली-सत्यापित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए "बीजक-मिलान" शुरू करने की परिकल्पना की थी। हालांकि, अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। बाद में, सरकार ने करदाताओं द्वारा अधिक/अपात्र क्रेडिट लेने को प्रतिबंधित करने के लिए प्रणाली⁹¹ के माध्यम से उनके पास उपलब्ध से अधिक अनंतिम आईटीसी के दावे को विशिष्ट सीमाओं तक सीमित करने हेतु अधिसूचना जारी की। अंत में, 2021 में जारी अधिसूचना⁹²

⁸⁷ पंजीकरण, पंजीकरण प्रकारों में परिवर्तन, पंजीकरण विवरण में संशोधन, रद्दीकरण, प्रतिदाय, करों का भुगतान, विभिन्न फॉर्म के माध्यम से विवरणी फाइल करना, कर अधिकारियों द्वारा करदाता से संचार ऑनलाइन किये जाते हैं।

⁸⁸ स्वयं-निर्मित आईटीसी उपलब्धता, स्वयं-निर्मित जीएसटीआर-3बी आदि।

⁸⁹ धारा 59 में स्व-मूल्यांकन का प्रावधान है

⁹⁰ धारा 61 के अनुसार, कर निर्धारण अधिकारी विवरणी की सत्यता को सत्यापित करने के लिए पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विवरणों की जांच कर सकता है और उसे देखी गई विसंगतियों के बारे में सूचित कर सकता है।

⁹¹ उपलब्ध आईटीसी को जीएसटीआर-2 ए में करदाताओं को दिखाया गया था, जो उनके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दायर जीएसटीआर-1 से ऑटो-ड्राफ्ट किया गया है। नियम 36 के उप-नियम (4) को दिनांक 09.10.2019 से अधिसूचना संख्या 49/2019 - केंद्रीय कर दिनांक 09.10.2019 के माध्यम से अंतः स्थापित किया गया है। आईटीसी के दावे को 20 प्रतिशत से अधिक प्रतिबंधित किया गया, जिसे बाद में क्रमशः 1.1.2020 और 1.1.2021 से घटाकर 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत कर दिया गया था।

⁹² अधिसूचना संख्या 40/2021 - केंद्रीय कर दिनांक 29 दिसंबर 2021।

के माध्यम से, करदाताओं को प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध आईटीसी से अधिक आईटीसी को लेने से रोक दिया गया था।

चूंकि ₹ 1.36 करोड़ से अधिक करदाताओं⁹³ को इस प्रणाली के तहत लाया गया है, इसलिए केंद्र और राज्य जीएसटी प्रशासनों के लिए सभी करदाताओं के रिटर्न की संवीक्षा करना संभव नहीं है। इसलिए सरकार ने चयनात्मक संवीक्षा⁹⁴ का प्रस्ताव दिया है। ऐसे परिदृश्य में, डेटा की गुणवत्ता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर कर प्रशासन जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप कर सकता है।

2021-22 के दौरान, लेखापरीक्षा ने करदाताओं द्वारा अगस्त 2021 तक फाइल 2017-18 से 2019-20 की अवधि से संबंधित जीएसटी विवरणी आंकड़ों का विश्लेषण किया और कर योग्य राशि और घोषित कर देयता के बीच महत्वपूर्ण आंकड़ा विसंगतियाँ देखीं। जीएसटी के सीजीएसटी और एसजीएसटी घटकों के बीच और जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-9 विवरणियों में दर्ज आईटीसी आंकड़ों के बीच विसंगतियां भी देखी गईं। जीएसटी आंकड़ों में इस तरह की महत्वपूर्ण विसंगतियों के परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा जीएसटी राजस्व में लेखापरीक्षा अंतर्दृष्टि और प्रवृत्ति को खोजने और अखिल भारतीय स्तर पर कर देयता और बेमेल आईटीसी जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों का आकलन करने के उद्देश्य से डेटा की विश्वसनीयता स्थापित नहीं कर सका। तदनुसार, लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि मंत्रालय को महत्वपूर्ण आंकड़ा तत्वों के संबंध में कार्योत्तर डेटा विश्लेषण द्वारा पूरक उचित वैधीकरण नियंत्रण (नियंत्रण जो अनुचित आंकड़ा प्रविष्टियों को रोकते हैं या करदाता को अनुचित आंकड़ों के लिए सचेत करते हैं या दोनों) शुरू करने पर विचार करना चाहिए जहां करदाता द्वारा आंकड़ों (जैसे कर राशि; कर योग्य मूल्य; कर घटक, जैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी; आईटीसी और कर राशि का सत्यापन) की प्रविष्टि की जाती है। आंकड़ों की विसंगतियों के मामलों की समीक्षा और समाधान के लिए जीएसटीएन में एक प्रभावी समीक्षा और अनुवर्ती प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

⁹³ स्रोत: <https://www.gst.gov.in/download/gststatistics>

⁹⁴ निर्देश संख्या 02/2022-जीएसटी दिनांक 22 मार्च 2022 में जोखिम मापदंडों के आधार पर विवरणियों की संवीक्षा के लिए करदाताओं के चयन की परिकल्पना की गई है। आकलन अधिकारी प्रति माह न्यूनतम 3 जीएसटीआईएन से संबंधित विवरणियों की संवीक्षा करेगा।

महत्वपूर्ण विचलन के मामलों में, कर अधिकारियों को अशुद्धियों के प्रति सतर्क किया जा सकता है और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। इन निष्कर्षों को 2022⁹⁵ की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 के अध्याय -IV में प्रतिवेदित किया गया था।

6.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

यह एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा है जिसे जीएसटीएन आंकड़ों की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए अधिक संख्या में जांच बिंदुओं के साथ लिया गया है। यह लेखापरीक्षा इस बात पर आश्वासन मांगती है कि क्या:

- (i) विभिन्न विवरणियों में करदाताओं से एकत्र किए गए आंकड़ें व्यापक और सटीक हैं और कर प्रशासन द्वारा विश्वसनीयता से उपयोग किए जा सकते हैं।
- (ii) महत्वपूर्ण आंकड़ा विसंगतियों का पता लगाने के लिए एक प्रणाली मौजूद है और इन्हें करदाताओं और कर प्रशासन को सूचित किया जा रहा है।
- (iii) क्या मंत्रालय/जीएसटीएन ने जीएसटीएन आंकड़ा विसंगतियों के मुद्दे का निदान किया है, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, और करदाताओं द्वारा अनुचित आंकड़ों की प्रविष्टि को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त सत्यापन नियंत्रण लगाये हैं।

6.3 लेखापरीक्षा विषयक्षेत्र

आंकड़ों का विश्लेषण 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए निम्नलिखित जीएसटी विवरणी आंकड़ों पर किया गया था:

- (i) जीएसटीआर-1 (आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मासिक/त्रैमासिक फाइल की गई, जिसमें अन्य पंजीकृत करदाताओं को आपूर्ति के बीजक विवरण सहित सभी जावक आपूर्ति दिखाई गई है)
- (ii) जीएसटीआर-2ए (करदाता के सभी आवक आपूर्ति विवरणों को अंकित करती स्वयं निर्मित मासिक विवरणी)

⁹⁵ 2022 की रिपोर्ट संख्या 5-: <https://cag.gov.in/en/audit-report/details/116623>

(iii) जीएसटीआर-3बी (मासिक विवरणी, जिसमें आपूर्तिकर्ता आपूर्ति, कर देयता, आवक आपूर्ति और भुगतान किए गए करों पर दावा किए जाने वाले आईटीसी का सारांश घोषित करते हैं)

(iv) जीएसटीआर-9 (एक वार्षिक विवरणी, जिसमें करदाता की पूरे वर्ष के लेनदेन जैसे कर देनदारियों, करों का भुगतान, दावा किया गया आईटीसी, प्रतिपूर्ति किया गया आईटीसी, आदि के सारांश की घोषणा होती है।)

जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2ए, जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 9 के तहत विभिन्न क्षेत्रों का विवरण **परिशिष्ट-VII** में दिया गया है।

6.4 कार्यपद्धति

लेखापरीक्षा ने 2017-18 से 2020-21 की अवधि के जीएसटी आंकड़ों का विश्लेषण (जून 2022) किया। आंकड़ों की विसंगतियों⁹⁶ को संकलित किया गया और जीएसटीएन⁹⁷ को सूचित किया गया। इस प्रयोजन के लिए, आंकड़ों की विसंगतियों के दस आयामों⁹⁸ को उनके महत्व और संबंधित जोखिम के आधार

⁹⁶ आंकड़ों में छोटी विसंगतियों को नजरअंदाज कर दिया गया, जैसे - (ए) सामान्य रूप से ₹ 1000 तक के अंतर, (बी) सीजीएसटी और एसजीएसटी अंतर के लिए ₹ 100 तक, लेनदेन स्तर के आंकड़े होने के नाते और इसमें छोटी राशि शामिल हो सकती है, और (सी) ऐसे मामलों में 20 प्रतिशत तक जहां प्रणाली करदाताओं को अतिरिक्त देयता घोषित करने की अनुमति देता है जैसे कि जीएसटीआर-9 की तालिका-4 में और जीएसटीआर-9 की तालिका-6 बी से 6 एच में जहां करदाता विभिन्न श्रेणियों के बीच आईटीसी का आदान-प्रदान कर सकता है, जो जीएसटीआर-3बी में घोषित करते समय चूक के कारण उत्पन्न हो सकता है।

⁹⁷ प्रारंभिक विश्लेषण 2020-21 के लिए जीएसटीआर-9 आंकड़ों पर था, जिन्हें सितंबर 2021 तक अद्यतन किया गया था। बाद में, जुलाई 2022 तक फाइल विवरणियों के लिए अद्यतन आंकड़े प्राप्त होने पर, प्रतिवेदन को तदनुसार अद्यतन किया गया था।

⁹⁸ दस आयाम, जिनके लिए क्षेत्र में सत्यापन किया गया था, वे हैं - (i) आर3बी में दावा किए गए आईटीसी और आर9 में स्वतः भरा गया आईटीसी का मिलान न होना (ii) आर3बी में दावा किए गए और आर9 में घोषित आईटीसी का मिलान न होना, (iii) आर3बी और आर9 में आईटीसी रिवर्सल का मिलान न होना (iv) आर3बी और आर9 के बीच कर देनदारियों का मिलान न होना (v) आर9 में देय कर और भुगतान किए गए कर का मिलान न होना (vi) आर1, आर3बी और आर9 में सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच मिलान न होना (vii) आर1, आर3बी और आर9 में प्रभावी कर दर 28 प्रतिशत से अधिक होना, (viii) आर1 में देय कर की कम गणना (ix) निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद प्राप्त क्रेडिट नोट और (x) निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद बीजक में संशोधन।

पर विस्तृत जांच के लिए चुना गया था। 200 मामलों⁹⁹ (अनुपात के संदर्भ में उच्चतम विचलन वाले दस चयनित मानदंडों में से प्रत्येक के लिए 20 मामले) का सीबीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच की गई ताकि आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त विसंगतियों की पुष्टि की जा सके और यह आकलन किया जा सके कि क्या प्रणाली द्वारा चेतावनी उत्पन्न की गई और ऐसी आंकड़ों की विसंगतियों/भिन्नता के संबंध में विभाग को सूचित किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए किसी भी मामले में विभाग को विसंगति/असंगत आंकड़ों के संबंध में प्रणाली चेतावनियां प्राप्त नहीं हुई थीं।

लेखापरीक्षा ने नमूना मामलों के संबंध में तीन वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण भी किया ताकि यह जांच की जा सके कि क्या विसंगतियां एकाकी थीं या लगातार बनी हुई थीं।

लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले, सीईओ, माल एवं सेवा कर नेटवर्क (अक्टूबर 2022) के साथ लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यप्रणाली और कार्यक्षेत्र से अवगत कराने के लिए एक आगम सम्मेलन किया गया था।

6.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.5.1 मासिक और वार्षिक विवरणियों के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट में असंगति

6.5.1.1 मासिक से वार्षिक विवरणियों में आईटीसी का गलत भरा जाना

(i) सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 67 और 80 के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 39 के संदर्भ में, करदाता मासिक आधार पर, विभिन्न शीर्षों के तहत, जैसे वस्तुओं/सेवाओं के आयात से, आईएसडी¹⁰⁰

⁹⁹ कोलकाता जोन में प्रत्येक मानदंड के लिए उच्चतम विचलन वाले 10 नमूना मामले; बेंगलुरु जोन में प्रत्येक मानदंड के लिए उच्चतम विचलन वाले 5 नमूना मामले; और शेष भारत में प्रत्येक मानदंड के लिए उच्चतम विचलन वाले 5 नमूना मामले।

¹⁰⁰ इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) का अर्थ है माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता का एक कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के लिए कर बीजक प्राप्त करता है और केंद्रीय कर (सीजीएसटी), राज्य कर (एसजीएसटी) / संघ राज्य क्षेत्र कर (यूटीजीएसटी) या एकीकृत कर (आईजीएसटी) के क्रेडिट जो उक्त सेवाओं पर भुगतान किया गया है को वितरित करने के प्रयोजनों के लिए एक निर्धारित दस्तावेज जारी करता है, आईएसडी के समान पैन वाले कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता के लिए।

वितरकों से प्राप्त, रिवर्स चार्ज¹⁰¹ आधार पर और जीएसटीआर-3 बी की तालिका 4 ए में अन्य आपूर्ति पर आईटीसी का दावा करते हैं। जीएसटीआर-9 प्रपत्र भरने के निर्देशों के अनुसार, जीएसटीआर-9¹⁰² की तालिका 6ए जीएसटीआर-3बी की तालिका 4ए में किए गए दावों से स्वतः भर जाता है, और यह गैर-संपादन योग्य है। चूंकि जीएसटीआर-9 की तालिका 6ए एक असंपादन योग्य क्षेत्र है जो एक करदाता द्वारा एक वर्ष के दौरान जीएसटीआर-3 बी की तालिका 4ए से स्वतः भरा जाता है, इसलिए आईटीसी के रूप में दावा की गई राशि के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए जो कि जीएसटीआर-3 बी में परिलक्षित होता है और जो जीएसटीआर-9 में परिलक्षित होता है, क्योंकि बाद वाली मासिक राशि के आधार पर आईटीसी की वार्षिक विवरणी है।

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 2017-21 के दौरान फाइल की गई कुल 117 लाख जीएसटीआर-9 विवरणियों में से 33,381 जीएसटीआर-9 विवरणियों में जीएसटीआर-3बी की तालिका 4ए के आंकड़े जीएसटीआर-9 की तालिका 6ए में सही तरीके से स्वतः भरे हुए नहीं थे। विसंगतियों का वर्ष-वार विवरण नीचे तालिका 6.1 में दर्शाया गया है।

तालिका -6.1: जीएसटीआर-3बी के 4ए और जीएसटीआर -9 के 6ए के बीच आईटीसी राशियों में अंतर

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरणी वर्ष	जीएसटीआर -9 के 6ए में आईटीसी जीएसटीआर -3बी के 4ए में आईटीसी से कम था				जीएसटीआर-9 के 6ए में आईटीसी जीएसटीआर-3बी के 4ए में आईटीसी से अधिक था			
	असंगत जीएसटीआर -9 रिटर्न	आर3बी के 4ए में आईटीसी का दावा	आर9 के 6ए के अनुसार आईटीसी	4ए और 6ए का अंतर	असंगत जीएसटीआर -9 रिटर्न	आर3बी के 4ए में आईटीसी का दावा	आर9 के 6ए के अनुसार आईटीसी	4ए और 6ए का अंतर
2017-18	4,005	3,29,772	3,28,947	825	117	43,184	43,195	-11
2018-19	8,666	1,09,312	1,07,934	1,379	153	93,228	93,232	-4
2019-20	7,822	95,675	90,258	5,417	172	82,617	82,627	-10
2020-21	12,264	78,105	61,482	16,622	182	78,951	78,956	-5

3बी के 4ए में दावा किए गए कुल आईटीसी का अंतर 4 प्रतिशत है।

¹⁰¹ प्रति प्रभार एक ऐसा तंत्र है जहां माल या सेवाओं का प्राप्तकर्ता, आपूर्तिकर्ता के बजाय, माल और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

¹⁰² फॉर्म जीएसटीआर-3बी के माध्यम से प्राप्त आईटीसी की कुल राशि (फॉर्म जीएसटीआर-3बी की तालिका 4ए का कुल योग)।

जीएसटीआर-9 के गैर-संपादन योग्य स्वतः भरे गए क्षेत्रों में आंकड़ों की विसंगतियों को करदाताओं द्वारा आंकड़ा प्रविष्टि की गलतियों द्वारा उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है और इसलिए, जीएसटीएन प्रणाली में कमी का संकेत मिलता है। इस तरह की आंकड़ों की विसंगतियां आईटीसी के मूल्यांकन को प्रभावित कर सकती हैं और इसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा जांच के लिए मामलों का अनुचित चयन हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (अगस्त 2022)। जीएसटीएन ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए (अक्टूबर 2022), इसके लिए प्रणाली की एक कमी को उत्तरदायी ठहराया और उस पर प्राथमिकता से ध्यान देने का आश्वासन दिया।

लेखापरीक्षा ने 20 मामलों की विस्तार से जांच की। 10 मामलों में जीएसटीआर-3बी के 4ए और जीएसटीआर-9 के 6ए में स्वतः भरी गई राशियों के बीच का अंतर असामान्य रूप से ज्यादा था जो 6ए राशि के 13,625 फीसदी से 119 फीसदी के बीच था।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (अक्टूबर 2022), तो विभाग ने 10 मामलों में, (अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2023) आंकड़ों की विसंगती के लिए जीएसटी पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों और प्रणाली त्रुटि को उत्तरदायी ठहराया। एक मामले में विभाग द्वारा करदाता से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था। तीन मामलों में विभाग को विसंगति की जानकारी नहीं थी। एक मामले में, विभाग ने सत्यापन करने पर पाया कि करदाता ने आईटीसी को वापस कर दिया था। शेष पांच मामलों में उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही थी (जनवरी 2024)।

कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं।

पुणे-॥ सीजीएसटी आयुक्तालय के एक करदाता के मामले में, जीएसटीआईएन: 2XXXXXXXXXXXX4, वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर-3बी की तालिका 4ए के अनुसार आईटीसी का दावा ₹ 15.61 लाख था, जबकि जीएसटीआर-9 की तालिका 6 ए में स्वतः भरी गई आईटीसी राशि केवल ₹ 11,460 थी।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (अक्टूबर 2022), विभाग ने कहा (दिसंबर 2022) कि करदाता ने ₹ 15.61 लाख के आईटीसी को वापिस कर दिया था।

इसी तरह, दिल्ली पश्चिम सीजीएसटी आयुक्तलय के एक अन्य मामले में, GSTIN: OXXXXXXXXXXP, वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटीआर-3 बी की तालिका 4 ए के अनुसार आईटीसी का दावा ₹ 10.70 करोड़ था, जबकि जीएसटीआर-9 की तालिका 6 ए में स्वतः भरी गई आईटीसी राशि केवल ₹ 0.14 करोड़ थी। इस प्रकार, उपरोक्त मामलों में जीएसटीआर-3B के 4A से जीएसटीआर-9 के 6ए में आंकड़े गलत भरे गये थे।

जब लेखापरीक्षा ने इसे बताया (अक्टूबर 2022), विभाग ने कहा (दिसंबर 2022) कि मिलान न होना एक तकनीकी/प्रणाली मुद्दा था।

जीएसटीआर -3बी में आइटीसी दावे और जीएसटीआर -9 में उसकी घोषणा के बीच आंकड़ों की विसंगतियों को लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2022 की सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 में भी प्रतिवेदित किया गया था। आंकड़ों की लगातार विसंगतियां इंगित करती हैं कि प्रणाली में कमी को ठीक करने के लिए विभाग द्वारा कार्रवाई किया जाना शेष था।

सिफ़ारिश 1: मंत्रालय/जीएसटीएन द्वारा वार्षिक विवरणियों (जीएसटीआर-9) के स्वतः भरे गए और गैर-संपादन योग्य क्षेत्रों में आंकड़ों की लगातार विसंगतियों को दूर करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (जनवरी 2023)। मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित था (जनवरी 2024)।

6.5.1.2 जीएसटीआर 2ए से वार्षिक विवरणी में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का गलत स्वतः भरा जाना

जीएसटीआर-9 फाइल करने के लिए निर्देश (5) के अनुसार, जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए एक वित्तीय वर्ष से संबंधित आवक आपूर्ति (आयात और रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी आवक आपूर्ति के अलावा लेकिन एसईजेड से प्राप्त सेवाओं को शामिल करते हुए) के लिए उपलब्ध कुल क्रेडिट दर्शाती है और जीएसटीआर-2ए से स्वतः भरी जाएगी। जीएसटीआर-2ए की तालिका 3 एक करदाता के लिए उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का कुल योग है और सभी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जीएसटीआर-1 में घोषणाओं से आता है। जीएसटीआर-2ए

की तालिका 5 तालिका 3 में बताई गई आपूर्ति के संबंध में डेबिट/क्रेडिट नोट्स के बारे में जानकारी देती है।

प्राप्तकर्ता की जीएसटीआर-2ए निरंतर प्रकृति की है और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जीएसटीआर-1/5 फाइल करने या पुराने बीजकों में संशोधन करने पर इसकी राशि बदल सकती है। हालांकि, पुराने बीजक को मूल बीजक¹⁰³ से संबंधित वर्ष के अगले वित्त वर्ष के सितंबर तक ही संशोधित किया जा सकता है, जीएसटीआर-9 फाइल करने की नियत तिथि इस तरह के संशोधनों¹⁰⁴ की अनुमति देने की अंतिम तिथि से काफी बाद है। इसके अलावा, जीएसटीआर -9 को फाइल करने के निर्देशों के अनुसार, जीएसटीआर -9 की तालिका 8ए को उन सभी आईटीसी को समेकित करना चाहिए जो विशिष्ट तिथियों¹⁰⁵ पर जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध थे।

जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए और जीएसटीआर-2ए (तालिका 3 और तालिका 5) के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि कुल 1.17 करोड़ दाखिल की गई जीएसटीआर-9 विवरणियों में से 1.96 लाख जीएसटीआर-9 विवरणियों में तालिका 8ए में उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर-2ए की तुलना में अधिक (कम से कम एक लाख) था। इसलिए, जीएसटीआर -9 की तालिका -8 ए में भरी गई राशि में सारभूत आंकड़ा विसंगति थी। विवरण **तालिका 6.2** में दर्शाया गया है।

¹⁰³ सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 37 (3) के अनुसार, एक करदाता त्रुटि या चूक को सुधार सकता है और कर और लागू ब्याज का भुगतान करेगा। वित्त वर्ष जिससे ऐसे विवरण संबंधित हैं के अंत के बाद सितंबर के महीने के लिए रिटर्न फाइल करने या जीएसटीआर -9 फाइल करने, जो भी पहले हो के बाद त्रुटि या चूक के सुधार की अनुमति नहीं होगी।

¹⁰⁴ जीएसटीआर-9 फाइल करने की अंतिम तिथि बनाम संशोधन की अनुमति देने की अंतिम तिथि

वित्त वर्ष	जीएसटीआर-1 में अनुमत संशोधनों की अंतिम तिथि	जीएसटीआर-9 फाइल करने की नियत तिथि
2017-18	मार्च 2019	5 ^{वां} /7 ^{वां} फ़रवरी 2020
2018-19	सितंबर 2019	30 जून 2020
2019-20	सितंबर 2020	31 मार्च 2021
2020-21	सितंबर 2021	28 फ़रवरी 2022

¹⁰⁵ 2017-18 के लिए, 1 मई 2019; 2018-19 के लिए, 1 नवंबर 2019; और 2019-20 के लिए, 1 नवंबर 2020

**तालिका-6.2: जीएसटीआर -9 के 8ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी
जीएसटीआर -2ए में उपलब्ध आईटीसी से अधिक है**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरणी वर्ष	विसंगतियों के साथ जीएसटीआर -9 विवरणियां (लाखों में)	विसंगतियों के साथ जीएसटीआर-9 विवरणियां (प्रतिशत में)	जीएसटीआर 2ए की तालिका 3 और 5 के अनुसार आईटीसी	जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए के अनुसार आईटीसी	उपलब्ध आईटीसी में अंतर	उपलब्ध आईटीसी में अंतर (प्रतिशत में)
2017-18	0.87	2.0	5,25,000	5,37,046	12,046	2.3
2018-19	0.34	1.4	1,84,269	1,91,378	7,109	3.9
2019-20	0.32	1.2	1,62,765	1,66,424	3,659	2.2
2020-21	0.43	1.9	2,86,104	2,91,213	5,109	1.8

जीएसटीआर -9 की तालिका 8ए करदाता को उपलब्ध आईटीसी की राशि प्रदान करती है, जिसके प्रति करदाता आईटीसी का दावा करने के लिए पात्र हैं। यह जानकारी अधिक मात्रा (यदि कोई हो) में दावा किए गए आईटीसी की गणना के लिए उपयोगी है। इसलिए, तालिका 8ए में जानकारी की शुद्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

जब इंगित किया गया (अक्टूबर 2022), जीएसटीएन ने कहा (अक्टूबर 2022) कि जीएसटीआर-2ए, एक निरंतर विवरण होने के नाते, जीएसटीआर-9 फाइल करने के बाद भी बदल जाएगा। जीएसटीएन ने उन परिस्थितियों की एक सूची प्रदान की जहां जीएसटीआर-2 ए आईटीसी को जीएसटीआर-9 की तालिका 8 ए में शामिल नहीं किया जाएगा: (i) जीएसटीआर -9 फाइल करने के बाद फाइल जीएसटीआर -1/5, (ii) बाद के वर्ष में जीएसटीआर -1/5 में किए गए संशोधन, (iii) जीएसटीआर -1 की आरसीएम तालिका को ध्यान में नहीं रखा गया, (iv) यदि दस्तावेज़ आपूर्तिकर्ता की संरचना अवधि के अंतर्गत आता है (v) रद्द करने की तिथि के बाद अपलोड किए गए दस्तावेजों को तालिका 8 ए में आईटीसी की गणना में शामिल नहीं किया जाता है।

जीएसटीएन का उत्तर कि जीएसटीआर-9 फाइल करने के बाद फाइल जीएसटीआर-1/5 और बाद में किए गए संशोधनों के कारण जीएसटीआर-9 में जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी की तुलना में अधिक आईटीसी हुआ, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं है कि जीएसटीआर -9 के बाद

जीएसटीआर -1/5 फाइल करने से जीएसटीआर-2 ए में आईटीसी में वृद्धि होगी और इस प्रकार, जीएसटीआर-9 की तालिका 8 ए में अधिक आईटीसी की व्याख्या नहीं करता है। इसके अलावा, जीएसटीआर-1 में क्रेडिट नोटों को फाइल करने से भी ऐसी विसंगतियों की व्याख्या नहीं होती है, क्योंकि 30 नमूना मामलों¹⁰⁶ में से, 21 मामलों में जीएसटीआर-9 की अतिरिक्त राशि की कमी वाले संशोधन या जीएसटीआर-2 ए में दर्शाए गए क्रेडिट नोटों से व्याख्या नहीं की जा सकती है, भले ही वे प्राप्तकर्ता द्वारा जीएसटीआर-9 फाइल करने के बाद जीएसटीआर-1 में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा शामिल किए गए हों।

जीएसटीएन का उत्तर कि 'जीएसटीआर -1 की आरसीएम तालिका पर विचार नहीं किया गया था, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा जीएसटीआर-9 के 8ए के साथ जीएसटीआर-2ए की तुलना करते समय आरसीएम तालिका के प्रभाव पर विचार किया गया था।

जीएसटीएन का उत्तर कि "दस्तावेज़ आपूर्तिकर्ता की संयोजन अवधि के अंतर्गत आ सकता है और रद्द करने की तिथि के बाद अपलोड किए गए दस्तावेजों को तालिका 8ए में आईटीसी की गणना में शामिल नहीं किया जाता है" भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन दस्तावेजों को जीएसटीआर-9 के 8ए और जीएसटीआर-2ए को समान रूप से प्रभावित करना चाहिए।

ऐसा एक मामला नीचे दिया गया है:

गुरुग्राम सीजीएसटी आयुक्तालय के एक करदाता जीएसटीआईएन : 0XXXXXXXXXXXXU के संबंध में, यह पाया गया कि जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध ₹ 8.08 करोड़ गैर आरसीएम-आईटीसी के प्रति (सितंबर 2022 तक), जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए में ₹ 29.46 करोड़ भरा गया था, जिससे 265 प्रतिशत का अंतर था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएसटीआर-2ए में सितंबर 2022 तक उपलब्ध ₹0.42 करोड़ का क्रेडिट नोट, जीएसटीआर-9 के 8ए और जीएसटीआर-2ए के बीच ₹ 21 करोड़ के अंतर की व्याख्या नहीं कर

¹⁰⁶ ये 30 नमूने 200 नमूनों के अलावा थे जिनके लिए क्षेत्र में सत्यापन किया गया था। नमूने केवल एक उदाहरण के रूप में जीएसटीएन के साथ साझा किए गए थे।

सकता है। इसलिए, जीएसटीआर -9 की तालिका 8 ए को जीएसटीआर -2 ए से प्रणाली द्वारा सही ढंग से नहीं भरा गया था।

सिफ़ारिश 2: मंत्रालय द्वारा जीएसटीआर-2ए (स्वतः प्रारूपित आपूर्ति का विवरण) से जीएसटीआर-9 (वार्षिक रिटर्न) की तालिका 8ए में आईटीसी मूल्य की स्वतः भरने की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही राशि को जीएसटीआर-2ए से जीएसटीआर-9 में ले जाया गया है।

लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (जनवरी 2023)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

6.5.2 मासिक और वार्षिक विवरणियों के बीच कर देयता में असंगति

6.5.2.1 जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 3बी के बीच जावक आपूर्ति पर देनदारियों में विसंगतियाँ

जीएसटीआर-3बी एक मासिक विवरणी है जिसमें करदाता अपनी कर देनदारियों की घोषणा करते हैं और समय-समय पर उनका निपटान करते हैं। इसमें पिछले वर्ष में फाइल किए गए बीजकों के संशोधन और वित्त वर्ष के अंत के बाद एक निर्धारित अवधि¹⁰⁷ तक सम्पन्न देयता शामिल है। यह जानकारी जीएसटीआर 9 की तालिका 10 और 11 में दर्ज होती है। इस प्रकार, वर्ष के लिए जीएसटीआर -3 बी की कर देयता ऐसे संशोधनों के कारण भुगतान/निपटान के लिए समायोजन करने के बाद प्राप्त होती है। जीएसटीआर-9 की तालिका 4एन में सभी स्रोतों से कुल कर देनदारी और क्रेडिट/डेबिट नोट्स और वर्ष के दौरान लागू किए गए संशोधनों के कारण समायोजन दिया जाता है। इसमें रिवर्स चार्ज आधार पर देय आवक आपूर्ति पर कर देयता भी शामिल है (जीएसटीआर 9 की तालिका 4 जी में घोषित)। इसलिए आदर्श रूप से, जीएसटीआर -3बी में उपलब्ध टैक्स देयता आर9 की टेबल 4एन में घोषित टैक्स देयता के अनुरूप होनी चाहिए।

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर-3बी के बीच कुल जावक कर देनदारी का अंतर 97.84 लाख विवरणियों में से 3.35 लाख में था, जैसा कि तालिका 6.3 में दर्शाया गया है

¹⁰⁷ सीजीएसटी अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, वित्त वर्ष जिसमें बीजक जारी किया गया था के अगले वित्त वर्ष के सितंबर तक, या जीएसटीआर-9 फाइल करना, जो भी पहले हो।

तालिका -6.3: जीएसटीआर -3बी में तय जावक कर देयता और जीएसटीआर -9 में घोषित देयता के बीच अंतर¹⁰⁸

(राशि करोड़ में)

विवरणी वर्ष	संख्या* (लाख में)	आर9 देयता आर3बी से अधिक थी				आर9 देयता आर3 से कम थी			
		सारभूत अंतर के साथ विवरणियां (लाख में)	आर3बी जावक देयता	आर9 जावक देयता	आर9 और आर3बी देयता के बीच अंतर	सारभूत अंतर के साथ विवरणियां (लाख में)	आर3बी जावक देयता	आर9 जावक देयता	आर9 और आर3बी देयता के बीच अंतर
2017-18	34.13	0.89	8,961	7,66,004	7,57,044	0.47	8,736	4,259	-4,477
2018-19	21.96	0.36	7,181	4,01,282	3,94,101	0.26	13,531	6,254	-7,277
2019-20	22.12	0.37	7,284	13,983	6,698	0.29	14,578	4,899	-9,679
2020-21	19.63	0.35	6,295	6,65,072	6,58,777	0.36	26,520	2,503	-24,017

* जावक कर देयता के मामलों की संख्या और फाईल की गई जीएसटीआर-9

जैसा कि ऊपर तालिका से देखा जा सकता है, 1.97 लाख विवरणियों में जीएसटीआर -9 देनदारियां जीएसटीआर-3 बी देनदारियों से अधिक थीं, जबकि 1.38 लाख विवरणियों में, जीएसटीआर-9 देनदारियां कम थीं। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि जीएसटीआर-9 उन मामलों में उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त कर देनदारी को नहीं लेता है जहां जीएसटीआर-9 में जावक कर घोषित देयता जीएसटीआर -3 बी में निपटान की गई कर देयता से अधिक है।

जीएसटीआर-9 में काफी बड़ी अतिरिक्त देयता की घोषणा या तो गलत आंकड़े लेने या करदाता द्वारा कर भुगतान में विलंब को इंगित करती है, जो करों के विलंबित भुगतान हेतु ब्याज लगान के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जीएसटीआर-9 में घोषित अतिरिक्त कर देयताओं को डीआरसी-03 चालान के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।

जब लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (अक्टूबर 2022) तो जीएसटीएन ने कहा (अक्टूबर 2022) कि आर 9 की तालिका 4 (4 जी को छोड़कर) जीएसटीआर-1 से स्वतः भरी हुई है एवं जीएसटीआर-3 बी में राशियों के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। अतः जीएसटीआर-1 तथा जीएसटीआर-3बी दोनों के आधार पर मान्यकरण लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-3बी देयताओं के मध्य अंतर के प्रतिवेदनों को आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के

¹⁰⁸ 20 प्रतिशत से अधिक

लिए कर अधिकारियों के साथ साझा किया जा रहा है। जीएसटीएन का उत्तर जीएसटीआर-9 एवं जीएसटीआर-3बी के बीच जावक कर देयता के मध्य अंतर के कारणों पर मौन था।

लेखापरीक्षा का विचार है कि जीएसटीआर-9 को जीएसटीआर-9 एवं जीएसटीआर-3बी के मध्य अंतर के कारण उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त कर देयता का अभिग्रहण करना चाहिए ताकि करदाता एवं कर प्रशासन दोनों को अतिरिक्त कर देयता की जानकारी हो।

ऐसी विसंगतियों वाले 20 नमूना मामलों के क्षेत्र में सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा में जीएसटीआर3बी एवं जीएसटीआर-9 के बीच कर देयता में ₹ 1.09 करोड़ से ₹ 47.81 करोड़ (260 प्रतिशत से 1,86,991 प्रतिशत) तक का गलत मिलान पाया गया। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि सात मामलों में देयता में अंतर, आंकड़ों की प्रविष्टि में त्रुटि के कारण हो सकता है। विभाग ने चार मामलों में करदाताओं द्वारा आंकड़ों की गलत प्रविष्टि को स्वीकार किया (नवंबर 2022), दो मामलों में करदाताओं से स्पष्टीकरण मांगा एवं एक मामले में जीएसटी पोर्टल में प्रणाली की त्रुटि को जिम्मेदार ठहराया।

पांच मामलों में करदाताओं ने जीएसटीआर-9 में उच्च देयता घोषित की, लेकिन अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया। बकाया कर देयता ₹ 32.61 करोड़ थी। छह मामलों में 21 माह तक के विलंब के साथ अतिरिक्त देयता का भुगतान किया गया था। एक मामले में विभाग ने ₹ 1.04 करोड़ की वसूली की।

शेष एक मामले में, विभाग की प्रतिक्रिया प्राप्त न होने (जनवरी 2024) के कारण लेखापरीक्षा विसंगतियों के कारणों का पता नहीं लगा सका।

इसके अलावा क्षेत्र में सत्यापन से संकेत मिला कि क्षेत्रीय संरचनाओं में कर अधिकारियों को वास्तव में प्रदत्त कर एवं जीएसटीआर -9 में घोषित कर के बीच महत्वपूर्ण अंतर वाले नमूना मामलों के बारे में कोई सचेतक नहीं मिला था। इसी प्रकार, 20 नमूना मामलों में से विभाग को केवल तीन मामलों में विसंगतियों के बारे में पता था। यह महत्वपूर्ण आंकड़ों बिंदुओं के मध्य मिलान न होने के मामलों में पर्याप्त कार्योत्तर आंकड़ा विश्लेषण की कमी को दर्शाता है।

दो उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं।

बेंगलुरु-उत्तर पश्चिम सीजीएसटी आयुक्तालय में एक करदाता, जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXXडब्ल्यू, ने 2018-19 में सीजीएसटी के साथ-साथ एसजीएसटी के अंतर्गत जीएसटीआर-9 में कुल ₹ 7.15 करोड़ की जावक कर देयता घोषित की, जो कि जीएसटीआर-3बी में भुगतान किए गए कर की राशि ₹ 0.72 करोड़ का 10 गुना थी। जीएसटीआर-9 की तालिका-9 में देय कर भुगतान की गई राशि, जीएसटीआर-1 के अनुसार कर देयता तथा संभवतः जीएसटीआर-3बी राशि के बीच मिलान नहीं था। इससे यह पता चलता है कि जीएसटीआर-9 में विसंगतिपूर्ण आंकड़े जीएसटीआर-9 में आंकड़ों की गलत प्रविष्टि के कारण थे, जिससे देयताओं एवं भुगतान की गई वास्तविक राशि में 900 प्रतिशत का अंतर था।

लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (अक्टूबर 2022)। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

एक अन्य करदाता (जीएसटीआईएन: 22XXXXXXXXXXXXडब्ल्यूडी, बेंगलुरु उत्तर, सीजीएसटी आयुक्तालय में) ने जीएसटीआर-3बी में जावक आपूर्ति पर ₹ 0.03 करोड़ के कर का भुगतान किया लेकिन सितंबर 2020 में फ़ाइल की गई 2018-19 की जीएसटीआर-9 में ₹ 47.84 करोड़ की संबंधित कर देयता घोषित की। जीएसटीआर-9 की तालिका-9 में ₹ 48.42 करोड़ की कर 'देय' राशि (प्रतिप्रभार सहित) एवं ₹ 0.61 करोड़ की 'भुगतान की गई' राशि के बीच समान अंतर था। इस प्रकार, जीएसटीआर-3बी एवं जीएसटीआर-9 के बीच जावक कर देयता में ₹ 47.81 करोड़ का अंतर (भुगतान किए गए वास्तविक कर का 1,86,991 प्रतिशत) था।

लेखापरीक्षा जांच में यह भी पता चला कि करदाता ने बाद के महीनों में अपनी कर देयता का भुगतान कर दिया था। करदाता ने मार्च एवं अगस्त 2020 में ₹ 47.53 करोड़ का भुगतान किया, अर्थात् जीएसटीआर -9 फ़ाइल करने से पहले एवं शेष ₹ 0.29 करोड़ अक्टूबर 2020 में अर्थात् सितंबर 2020 में जीएसटीआर -9 फ़ाइल करने के बाद अर्थात् नियत तारीख (अप्रैल 2019) के 18 महीने बाद, जैसा कि देयता रजिस्टर- II में उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त मामले का अध्ययन करदाता द्वारा चुकाई जाने से बाकी रही वाली शेष कर देयताओं का अभिग्रहण करने के लिए जीएसटीआर-9 में किसी भी

प्रावधान की कमी पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त, जीएसटीआर-9 प्रपत्र जीएसटीआर-3बी फ़ाइल करते समय किए गए भुगतानों के अलावा करदाता द्वारा किए गए भुगतानों का अभिग्रहण नहीं करता है।

विभाग ने कहा (फरवरी 2023) कि उन्होंने जांच शुरू की, जनवरी 2020 तक की अवधि के लिए मांग की पुष्टि की तथा उसकी वसूली की।

सिफ़ारिश 3: मंत्रालय एवं जीएसटीएन, मासिक रिटर्न (जीएसटीआर-3बी) से जीएसटीआर-9 में घोषित अतिरिक्त कर देयता का अभिग्रहण करने के लिए जीएसटीआर-9 में एक अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करने पर विचार करें। तालिका 4 से शुद्ध देयता एवं जीएसटीआर-3बी एवं डीआरसी-चालान के माध्यम से किए गए कर भुगतान स्वतः भरे गए एवं असंपादन योग्य होने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने इस ओर इंगित किया (जनवरी 2023)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

6.5.2.2 देय कर एवं प्रदत्त कर के बीच अंतर

घोषित देयताओं के सापेक्ष प्रदत्त कर राशि जीएसटीआर-9 की तालिका-9 में दर्शाई जाती है। जीएसटीआर-9 प्रपत्र भरने के निर्देशों के अनुसार, यह वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किया गया वास्तविक कर होना चाहिए। इसके अलावा, मासिक जीएसटीआर -3 बी विवरणी की तालिका 6.1 के अंतर्गत कर के भुगतान का उपयोग, कर भुगतान विवरण भरने के लिए किया जा सकता है। हालाँकि, यदि जीएसटीआर-9 में घोषित देयता जीएसटीआर-9 के माध्यम से प्रदत्त कर से अधिक है, तो डीआरसी-3 चालान के माध्यम से प्रदत्त कर का अभिग्रहण करने के लिए जीएसटीआर-9 में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

जीएसटीआर-9 की तालिका-9 के देय कर राशि एवं प्रदत्त कर राशि के आंकड़ों के बीच तुलना की गई। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 2017-21 के दौरान 6.98 लाख विवरणियों में, जो फाइल की गई जीएसटीआर-9 का 7.1 प्रतिशत थी, प्रदत्त कर, घोषित देय कर राशि से कम था। 6.68 लाख विवरणियों में, प्रदत्त कर देय कर से अधिक था, जैसा कि तालिका-6.4 में बताया गया है। 6.68 लाख रिटर्न में, प्रदत्त कर, देय कर से अधिक था, जैसा कि तालिका-6.4 में दिया गया है।

तालिका -6.4: तालिका 9 में देय कर एवं प्रदत्त कर के बीच अंतर

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण वर्ष	संख्या* (लाख में)	तालिका-9 देय कर प्रदत्त कर से अधिक				तालिका-9 देय कर प्रदत्त कर से कम			
		अंतर के साथ विवरणियां (लाख में)	तालिका-9 के अनुसार देय कर	तालिका-9 के अनुसार प्रदत्त कर	आर 9 के देय कर एवं प्रदत्त कर के बीच अंतर	अंतर के साथ विवरणियां (लाख में)	तालिका-9 के अनुसार देय कर	तालिका-9 के अनुसार प्रदत्त कर	आर 9 के देय कर एवं प्रदत्त कर के बीच अंतर
2017-18	34.13	2.59	11,86,725	5,77,303	6,09,422	1.73	5,64,392	5,78,922	-14,530
2018-19	21.97	1.59	27,40,381	7,34,532	20,05,849	1.88	8,80,087	11,96,884	-3,16,797
2019-20	22.12	1.51	7,54,187	7,36,925	17,262	1.77	7,14,567	8,04,454	-89,887
2020-21	19.63	1.28	17,26,833	5,90,927	11,35,907	1.30	5,99,038	6,14,397	-15,358

* कर देयता के साथ फ़ाइल की गई जीएसटीआर-9 की संख्या।

देय कर एवं प्रदत्त कर राशि के बीच का अंतर, कुछ मामलों में, वास्तव में दावा किए गए आईटीसी की तुलना में अधिक आईटीसी के उलटाव के कारण हो गई, जिसके परिणामस्वरूप करदाता के लिए अतिरिक्त कर देयता हो सकती है। हालांकि, जीएसटीआर-9 ने जीएसटीआर-9 फ़ाइल करने से पहले डीआरसी-03 के माध्यम से प्रदत्त राशि के साथ-साथ बकाया राशि को भी अभिग्रहित नहीं किया।

जीएसटीआर-9 की तालिका 9 के अनुसार देय कर एवं प्रदत्त कर के बीच अंतर वाले 10 नमूना मामलों के क्षेत्र में सत्यापन के दौरान, 11 प्रतिशत से 1,04,945 प्रतिशत तक एवं जीएसटी राशि के संदर्भ में ₹ 1 करोड़ से ₹ 48 करोड़ के संदर्भ में, यह पाया गया कि ₹ 54.07 करोड़ की अंतर देयता का चार मामलों में पूरी तरह से भुगतान किया गया था, दो मामलों में ₹ 5.39 करोड़ के आंशिक कर देयता का भुगतान किया गया था तथा चार मामलों में ₹ 5.32 करोड़ के अंतर देयता का भुगतान नहीं किया गया।

एक मामला उदाहरणात्मक नीचे दिया गया है।

एक करदाता (कोलकाता दक्षिण आयुक्तालय के जीएसटीआईएन: 1XXXXXXXXXXडब्ल्यू) ने जीएसटीआर-9 की तालिका 9 में ₹ 8.63 करोड़ की कर देयता घोषित की। हालाँकि, मार्च 2021 में फ़ाइल की गई जीएसटीआर-9 की उसी तालिका में करदाता ने वर्ष 2019-20 के लिए केवल ₹ 1.50 करोड़ के कर भुगतान की घोषणा की थी। इसलिए, देय कर एवं कर भुगतान के बीच ₹ 7.12 करोड़ का अंतर था। साथ ही यह देखा गया कि ₹ 7.12 करोड़ की अंतर

देयता में से करदाता ने अंतिम तिथि (अप्रैल 2020) के बाद नौ माह के विलंब से, डीआरसी-03 चालान के माध्यम से ₹5.15 करोड़ (सितंबर 2020 एवं जनवरी 2021 में) का स्वैच्छिक भुगतान किया। 2019-20 की कर अवधि में ₹1.98 करोड़ की कर देयता बकाया थी (नवंबर 2022)। हालांकि, जीएसटीआर-9 ने जीएसटीआर-9 फ़ाइल करने से पहले डीआरसी-03 के माध्यम से भुगतान की गई राशि एवं साथ ही बकाया राशि का अभिग्रहण नहीं किया।

जब लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (अक्टूबर 2022) तो विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि करदाता से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था।

सिफारिश 4: जीएसटीआर -9 की तालिका 9 में प्रदत्त वास्तविक कर राशि, पिछले वर्ष के देयता भुगतानों/समायोजनों को ध्यान में रखते हुए जीएसटीआर -3 बी एवं डीआरसी -03 से प्रवाहित होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (जनवरी 2023)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

6.5.2.3 वार्षिक विवरणी की तालिका 4 एवं तालिका 9 में घोषित कर देयता की राशि में विसंगति।

जीएसटीआर-9 की तालिका-4 (आपूर्ति एवं अग्रिम जिस पर कर का भुगतान किया जाना है) में विभिन्न प्रकार की आपूर्तियों जैसे पंजीकृत व्यक्ति, अपंजीकृत व्यक्ति, एसईजेड को आपूर्ति, निर्यात, मानद निर्यात, रिवर्स चार्ज आधार पर आवक आपूर्ति, संशोधनों के कारण किए गए समायोजन के अलावा, डेबिट एवं क्रेडिट नोट्स एवं अग्रिम प्राप्तियों पर देय कर के अंतर्गत कर देयता की घोषणा का प्रावधान है। जीएसटीआर-9 की तालिका 9 का भाग IV, उस अवधि के लिए जिसके लिए वार्षिक विवरणी दाखिल की गई है, मासिक विवरणियों के अनुसार प्रदत्त कर व कर देयता की समेकित राशि प्रदान करती है। इसलिए, जीएसटीआर-9 की तालिका-4 (विवरण) एवं तालिका-9 (देय कर) के कॉलम-2 में घोषित "देय कर" राशि का कुल योग समान होना चाहिए।

जीएसटीआर 9 की तालिका 4 एवं तालिका 9 के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 19.34 लाख विवरणियों में, जो कर देयता के साथ फ़ाइल की गई जीएसटीआर -9 विवरणियों का 20 प्रतिशत है, दोनों तालिकाओं में देय राशि के

बीच अंतर¹⁰⁹ था, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। 7.79 लाख विवरणियों में, जो 8 प्रतिशत मामले हैं, तालिका 9 में घोषित देय कर जीएसटीआर-9 की तालिका 4 में देय कर से कम था।

तालिका-6.5: तालिका 4 में घोषित देयता एवं जीएसटीआर-9 की तालिका 9 में घोषित देय कर का मिलान न होना

(₹ करोड़ में)

विवरणी वर्ष	संख्या* (लाख में)	तालिका-9 देयता तालिका-4 देयता से अधिक				तालिका-9 देयता तालिका-4 देयता से कम			
		अंतर के साथ विवरणियां (लाख में)	तालिका-4 के अनुसार कर देयता	आर 9 के तालिका-9 के अनुसार देय कर	आर 9 की देय कर एवं देयता के बीच अंतर	अंतर के साथ विवरणियां (लाख में)	तालिका-4 के अनुसार कर देयता	तालिका-9 के अनुसार देय कर	देय कर एवं आर 9 की देयता के बीच अंतर
2017-18	34.13	3.21	4,13,488	12,61,859	8,48,372	3.26	10,19,253	2,60,747	-7,58,506
2018-19	21.96	3	6,28,010	26,56,140	20,28,130	1.59	6,92,981	2,99,105	-3,93,876
2019-20	22.12	2.92	5,29,506	5,66,198	36,692	1.53	2,70,949	2,58,168	-12,782
2020-21	19.63	2.42	5,35,044	16,82,513	11,47,468	1.41	9,34,125	2,49,759	-6,84,366

* कर देयता के साथ फ़ाइल की गई जीएसटीआर-9 की संख्या।

जब लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (अक्टूबर 2022), तो जीएसटीएन ने कहा (अक्टूबर 2022) कि तालिका 4 (4जी को छोड़कर) जीएसटीआर-1 से स्वतः भरी जाती है, जबकि तालिका 9 जीएसटीआर-3बी से स्वतः भरी जाती है। चूंकि, दोनों मामलों में स्वतः भरे हुए आंकड़ों का स्रोत अलग है, इसलिए मान भिन्न हो सकते हैं। हालाँकि, आवश्यक कार्रवाई जहां भी अपेक्षित हो, शुरू करने के लिए कर प्राधिकारियों को समेकित जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-3बी प्रदान किये गये। आगे यह कहा गया कि यद्यपि आर9 की तालिका 9 आर3बी से स्वतः-भरी जाती है, राशि संपादन योग्य हैं। यह प्रावधान करदाताओं को वार्षिक विवरणी फ़ाइल करते समय बहीखातों के अनुसार ज्ञात हुए किसी भी कम/अतिरिक्त देयता को रिपोर्ट करने की अनुमति देने के लिए किया गया है अतः प्रणाली द्वारा स्वचालित रूप से भरे गए आंकड़ों में समायोजन करने की आवश्यकता होगी। महत्वपूर्ण अंतर के मामलों में आवश्यक कार्रवाई शुरू करने

¹⁰⁹ विश्लेषण के लिए ₹ 1,000 से कम के अंतर को नजरअंदाज कर दिया गया।

के लिए कर प्राधिकारियों को जीएसटीआर-9 एवं करदाता द्वारा दायर की गई सिस्टम की गणना प्रदान की जाती है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि चूंकि तालिका 4 करदाताओं को किसी भी गलती को सुधारने की अनुमति देने के लिए संपादन योग्य है, इसलिए इन आंकड़ों को देय राशि के रूप में तालिका 9 में स्वतः भरा जाना चाहिए। तालिका 4 एवं तालिका 9 दोनों को संपादन योग्य रखने एवं करदाता को एक ही विवरणी में कर देयता की अलग-अलग राशि घोषित करने की अनुमति देने का कोई स्पष्ट औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

155 प्रतिशत से लेकर 14,817 प्रतिशत तक एवं जीएसटी राशि के संदर्भ में ₹ 1.28 करोड़ से ₹ 28 करोड़ तक की विसंगतियों वाले 10 नमूना मामलों के क्षेत्र में सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि चार मामलों में, करदाताओं ने उच्च देयता की घोषणा की लेकिन दो मामलों में पूरी राशि का भुगतान नहीं किया। इन मामलों में कुल बकाया देयता ₹ 26.24 करोड़ थी। एक मामले में विभाग ने कहा कि जीएसटीआर-3बी की तालिका 4 एवं जीएसटीआर-9 की तालिका 9 के बीच देय कर का अंतर सिस्टम की गड़बड़ी के कारण था। चार मामलों में, देयता में अंतर आंकड़ों की प्रविष्टि में त्रुटि के कारण हो सकता है, जबकि एक शेष मामले में विभाग ने कहा कि मार्च 2020 माह की कर देयता की जानकारी गलती से जीएसटीआर-3बी में नहीं दी गई एवं अप्रैल 2020 में इसकी सूचना दी गई तथा देय कर का पूर्ण भुगतान किया गया।

दस में से तीन मामलों में, यह मुद्दा तीनों वर्षों में देखा गया था। चार मामलों में असंगतता या तो पिछले वर्ष या अगले वर्ष में मौजूद थी।

दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं।

एक करदाता के मामले में (हल्दिया सीजीएसटी आयुक्तालय के जीएसटीआईएन: 1XXXXXXXXXXXXX2), देय कर जीएसटीआर-9 की तालिका 4 एवं तालिका-9 के अनुसार क्रमशः ₹ 26.06 करोड़ एवं ₹ 0.71 करोड़ घोषित किया गया था। प्रणाली ने एक ही जीएसटीआर-9 प्रपत्र में कर देयता की अलग-अलग राशि को प्रतिबंधित नहीं किया।

आगे यह पाया गया कि ₹ 25.35 करोड़ (26.06 - 0.71) की अंतर कर देयता में से केवल ₹ 0.15 करोड़ डीआरसी-03 चालान के माध्यम से ऐसी देयता दृष्टिगोचर होने की नियत तारीख के 12 से 30 माह के बाद निपटाया गया था।

इसी तरह, एक अन्य करदाता (जीएसटीआईएन: 1XXXXXXXXXXXXX4 सिलीगुड़ी सीजीएसटी आयुक्तालय में) ने जीएसटीआर 9 की तालिका -4 एवं तालिका-9 में क्रमशः ₹ 3.43 करोड़ एवं ₹ 0.15 करोड़ की कर देय राशि घोषित की। यह अंतर ₹ 3.30 करोड़ की गलत एसजीएसटी राशि के कारण था जो जीएसटीआर -9 की तालिका 4 (ए) में ₹ 3.30 लाख की सीजीएसटी राशि का ठीक 100 गुना था। लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (अक्टूबर 2022), विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

सिफारिश 5: एक ही विवरणी में असंगतता से बचने के लिए जीएसटीआर-9 तालिका-9 में कुल देय कर को तालिका-4 की कुल कर देयता से मेल खाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (जनवरी 2023)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

6.5.2.4 जीएसटीआर-9 की तालिका 10 एवं 11 में संशोधन विवरण एवं तालिका 14 में देय कर के बीच असंगतता

वित्तीय वर्ष (वि.व) में जारी किए गए बीजकों में गलत राशियों/करों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक निर्धारित समय सीमा के भीतर संशोधित किया जा सकता है एवं पहले भुगतान किए गए किसी भी अतिरिक्त कर को समायोजित किया जा सकता है या ऐसे संशोधनों के कारण उत्पन्न होने वाले

करों की कम अदायगी का भुगतान किया जा सकता है। जीएसटीआर-1 में किए गए करों के सभी संशोधनों का योग विवरणी वर्ष के जीएसटीआर 9 की तालिका 10 (कर देयता में वृद्धि के लिए) एवं तालिका 11 (कर देयता में कमी के लिए) में घोषित किया जाना है। जीएसटीआर 9 की तालिका 14 पिछले वित्तीय वर्ष के किसी भी बीजक में संशोधन के कारण देय बकाया कर को दर्शाती है।

2017-21 की अवधि के जीएसटीआर 9 की तालिका 10 और 11 में घोषित संशोधन विवरण एवं इस कारण से देय तालिका-14 में घोषित कुल कर से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि संशोधन प्रविष्टियों वाली 7.63 लाख जीएसटीआर-9 विवरणियों में से 4.86 लाख, जोकि 64 प्रतिशत विवरणियां हैं, में जीएसटीआर-9 की तालिका 10/11 के अनुसार देय कर पूर्वोक्त तालिका 14 में दिखाए गए कर से मेल नहीं खाता था। विवरण तालिका 6.6 में दिया गया है:

तालिका-6.6: जीएसटीआर-9 में संशोधन विवरण (तालिका 10/11) एवं उसके देय कर की घोषणा (तालिका 14) के बीच असंगतता

(₹ करोड़ में)					
विवरणी वर्ष	संख्या*	अंतर के साथ विवरणियां	संशोधनों के कारण बकाया देयता (तालिका 10-11)	तालिका 14 के अनुसार देय कर	आर 9 की बकाया कर देयता (10/11) एवं देय कर (तालिका 14) के बीच कुल अंतर
2017-18	2,58,632	97,398	956	923	3,319
2018-19	1,84,911	1,17,016	938	1,832	4,807
2019-20	1,70,827	1,08,328	521	7,688	10,634
2020-21	1,49,014	1,63,631	2,501	4,198	8,280
कुल	7,63,384	4,86,373	4,916	14,640	27,039

* संशोधन प्रविष्टियों वाली आर9 विवरणियों की कुल संख्या

चूंकि जीएसटीआर-9 की तालिका 14 जीएसटीआर-9 की तालिका 10 एवं तालिका 11 में भरे गए शुद्ध राशि को दर्शाती है विसंगतियां प्रणाली में कमी का संकेत देती हैं जिसके परिणामस्वरूप गलत आंकड़े का अभिग्रहण हुआ। सत्यापन की कमी और जीएसटीआर-9 में आंकड़ों की विसंगतियों ने कर प्रशासन पर अतिरिक्त बोझ डाला, जिससे विसंगतिपूर्ण आंकड़ों के आधार पर चुने गए मामलों की जांच में व्यर्थ प्रयास हुए।

जीएसटीएन ने (अक्टूबर 2022) तालिका 10, 11 एवं 14 में रिपोर्ट की गई देयता, जिसका भुगतान फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से किया जा रहा है, की संभावना को आंकड़ों में अंतर के लिए जिम्मेदार ठहराया। जीएसटीएन का उत्तर, हालांकि, जीएसटीआर-9 की तालिका 10/11 एवं तालिका 14 के बीच कर देय राशियों के बीच विसंगति पर मौन था।

लेखापरीक्षा का विचार है कि प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तालिका 10/11 में घोषित संशोधनों के कारण शुद्ध देय कर विवरणी फ़ाइल करते समय जीएसटीआर-9 की तालिका-14 के देय कर के साथ मेल खाए।

सिफ़ारिश 6: मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए तालिका 14 में वैधीकरण जांच बिंदु लागू करना चाहिए कि जीएसटीआर-9 की तालिका 10 एवं 11 के आधार पर केवल सही मान ही तालिका 14 में भरे गए हों; कम से कम अंतर बताने वाला एक उपयोगकर्ता सचेतक जारी होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने इस ओर इंगित किया (जनवरी 2023)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

6.5.3 जीएसटी के सीजीएसटी एवं एसजीएसटी घटकों के बीच असंगतता

वस्तुओं या सेवाओं पर लगाए गए सीजीएसटी एवं एसजीएसटी की दरें समान¹¹⁰ हैं। इसलिए, रिटर्न में करदाता द्वारा सीजीएसटी एवं एसजीएसटी दोनों के अंतर्गत घोषित कर की राशि बराबर होनी चाहिए। हालांकि, आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि करों की इन दो श्रेणियों की घोषणाओं के बीच महत्वपूर्ण अंतर थे जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

6.5.3.1 जीएसटीआर-1 में विसंगति

जीएसटीआर-1 आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि, 32,807 करदाताओं द्वारा फ़ाइल की गई जीएसटीआर-1 के 1.22 लाख अभिलेखों¹¹¹ में सीजीएसटी एवं

¹¹⁰ जीएसटी परिषद की सिफारिशों और समय-समय पर केंद्र और राज्यों द्वारा जारी विभिन्न दर अधिसूचनाओं के अनुसार।

¹¹¹ जीएसटी से पहले के समय के नोट समेत सभी डेबिट/क्रेडिट नोट के अभिलेख विश्लेषण में शामिल नहीं किए गए।

एसजीएसटी राशियों के बीच अंतर¹¹² था, जैसा कि तालिका 6.7 में दर्शाया गया है:

तालिका-6.7: सीजीएसटी/एसजीएसटी के संबंध में जीएसटीआर-1 के आंकड़ों में असंगतता

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	विसंगति वाले अभिलेखों की संख्या	जीएसटीआईएन की संख्या	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सीजीएसटी एवं एसजीएसटी में कुल अंतर
2017-18	30,428	7,314	2,284	2,062	667
2018-19	39,019	9,734	9,037	3,483	6,250
2019-20	29,331	8,575	1,119	1,042	256
2020-21	23,231	7,184	347	434	179
कुल	1,22,009	32,807	12,787	7,021	7,353

6.5.3.2 जीएसटीआर-3बी में विसंगति

34,994 करदाताओं द्वारा फ़ाइल की गई जीएसटीआर-3बी में देय कर से संबंधित 43,443 अभिलेखों में एसजीएसटी एवं सीजीएसटी राशि में अंतर पाया गया तालिका 6.8 में विस्तृत रूप से दिखाया गया है:

तालिका-6.8: सीजीएसटी/एसजीएसटी के संबंध में जीएसटीआर-3बी के आंकड़ों में असंगतता

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	विसंगति वाले अभिलेखों की संख्या	शामिल जीएसटीआईएन की संख्या	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सीजीएसटी एवं एसजीएसटी में कुल अंतर
2017-18	35,795	30,127	14,016	14,065	1,148
2018-19	4,543	2,512	8,993	9,102	199
2019-20	2,440	1,747	3,314	3,374	70
2020-21	665	608	31	31	1
कुल	43,443	34,994	26,354	26,573	1,418

6.5.3.3 जीएसटीआर-9 में विसंगति

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि कुल कर योग्य जावक आपूर्ति¹¹³ से संबंधित जीएसटीआर-9 के 19,020 रिकॉर्ड में, 18,173 करदाताओं द्वारा घोषित

¹¹² एक हजार रुपये से अधिक

¹¹³ विश्लेषण में डेबिट/क्रेडिट नोट्स और संशोधनों से संबंधित रिकॉर्ड शामिल नहीं किए गए थे।

कर के एसजीएसटी एवं सीजीएसटी घटकों के बीच अंतर था, जैसा कि तालिका 6.9 में बताया गया है:

तालिका-6.9: सीजीएसटी/एसजीएसटी के संबंध में जीएसटीआर-9 के आंकड़ों में असंगतता

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	विसंगति वाले अभिलेखों की संख्या	शामिल रिटर्न की संख्या	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सीजीएसटी एवं एसजीएसटी में पूर्ण अंतर
2017-18	6,599	6,277	12,447	13,144	1,709
2018-19	4,154	3,986	5,694	6,294	1,285
2019-20	5,099	4,842	4,01,281	15,160	3,88,106
2020-21	3,168	3,068	3,369	6,56,914	6,54,489
कुल	19,020	18,173	4,22,791	6,91,512	10,45,590

उत्तर में जीएसटीएन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि सीजीएसटी एवं एसजीएसटी राशियां अलग-अलग हो सकती क्योंकि पिछली व्यवस्था के डेबिट/क्रेडिट नोट में अलग-अलग एसजीएसटी/सीजीएसटी घटक थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने जीएसटीआर-1 के आंकड़ों का विश्लेषण जीएसटी-पूर्व अवधि के लेनदेन को छोड़कर किया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने 2019-20 एवं 2020-21 की अवधि के लिए सीजीएसटी एवं एसजीएसटी राशियों के बीच विसंगतियां देखीं, जिन्हें पूर्व-जीएसटी अवधि द्वारा समझाया नहीं जा सकता क्योंकि इन वर्षों में पूर्व-जीएसटी अवधि के डेबिट/क्रेडिट नोट समय-बाधित थे।

जीएसटीएन ने आगे कहा कि सीजीएसटी एवं एसजीएसटी घटकों में राशि की समानता को सुनिश्चित करने के लिए जून 2018 में सामान्य पोर्टल पर जीएसटीआर-3बी में, फरवरी 2020 में एपीआई में एवं नवंबर 2021 में जीएसटीआर-1 में एक नियंत्रण बनाया गया था। हालाँकि, जीएसटीआर-9 में कोई नियंत्रण नहीं बनाया गया क्योंकि यह जीएसटीआर-1 एवं 3बी का सारांश है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने 2020-21 की अवधि के दौरान, अर्थात् जून 2018/फरवरी 2020 में उक्त नियंत्रण के कार्यान्वयन के बाद भी जीएसटीआर-3बी में सीजीएसटी/एसजीएसटी राशियों के बीच अंतर पाया।

ऐसी विसंगतियों वाले 20 नमूना मामलों के क्षेत्र में सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि दस¹¹⁴ मामलों में, आंकड़ों में अंतर स्पष्ट रूप से सिस्टम में वैधीकरण नियंत्रण न होने से करदाताओं द्वारा आंकड़ों की प्रविष्टि में त्रुटि के कारण था। दो मामलों में, विभाग ने इस अंतर के लिए जीएसटी-पूर्व अवधि के बीजक से संबंधित डेबिट/क्रेडिट नोट्स को जिम्मेदार ठहराया। दो अन्य मामलों में, हालांकि विभाग ने कहा कि अंतर जीएसटी जीएसटी-पूर्व अवधि के विरुद्ध डेबिट/क्रेडिट नोटों के कारण था, ऐसे डेबिट/क्रेडिट नोट द्वारा अंतर को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया जा सका। एक मामले में, करदाता ने केवल सीजीएसटी घटक दिखाकर जीएसटी-पूर्व अग्रिम को अनियमित रूप से समायोजित किया। एक मामले में, करदाता ने जानबूझकर जीएसटीआर-1 में सीजीएसटी एवं एसजीएसटी राशियों को विभिन्न घोषित किया था। शेष चार मामलों में, विभाग की प्रतिक्रिया (जनवरी 2024) प्राप्त न होने के कारण लेखापरीक्षा विसंगतियों के कारणों का पता नहीं लगा सकी।

दो मामलों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं।

एक करदाता (जीएसटीआईएन: 2XXXXXXXXXXXX0, बेंगलुरु-उत्तर पश्चिम सीजीएसटी आयुक्तालय) ने 2019-20 में जीएसटीआर-9 की तालिका-4ए (बी2सी आपूर्ति) में ₹ 2.71 लाख के कर योग्य मूल्य के लिए सीजीएसटी एवं एसजीएसटी की विभिन्न राशि क्रमशः ₹ 0.28 लाख एवं ₹ 2,349 लाख घोषित की। इस प्रकार, गलत आंकड़ों के कारण सीजीएसटी एवं एसजीएसटी राशि में ₹ 23.49 करोड़ अर्थात् 8,38,829 प्रतिशत का अंतर था। करदाता द्वारा ऐसे आंकड़ों की प्रविष्टियों में त्रुटियाँ प्रणाली में संभव थीं क्योंकि जीएसटीएन प्रणाली में सीजीएसटी एवं एसजीएसटी घटक की समान राशि सुनिश्चित करने के लिए कोई सत्यापन नहीं था।

लेखापरीक्षा ने इस ओर इंगित किया (अक्टूबर 2022)। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

¹¹⁴ एक मामला रायपुर, छत्तीसगढ़ से संबंधित था, चार मामले बेंगलुरु जोन और पांच मामले कोलकाता जोन से संबंधित थे।

एक करदाता (जीएसटीआईएन: 1XXXXXXXXXXV बोलपुर सीजीएसटी आयुक्तालय का) ने माह दिसम्बर 2020 के लिए जीएसटीआर-1 में अपंजीकृत व्यक्तियों को समेकित मासिक आपूर्ति के विरुद्ध प्रत्येक जीएसटी दर (5, 12, 18 एवं 28 प्रतिशत) के लिए विभिन्न सीजीएसटी एवं एसजीएसटी राशि (क्रमशः कुल ₹ 0.36 लाख एवं ₹ 123.73 लाख) घोषित की, यद्यपि, कुल कर (यानी सीजीएसटी एवं एसजीएसटी का योग) जीएसटी दर व उसमें घोषित कर योग्य राशि के अनुरूप था। इसी महीने में पंजीकृत करदाताओं से संबंधित बीजकों के मामले में, समान सीजीएसटी एवं एसजीएसटी घोषित किए गए थे। यह भी देखा गया कि जीएसटीआर-1 में गणना की गई कुल कर राशि का भुगतान उक्त महीने में जीएसटीआर-3बी में समान सीजीएसटी एवं एसजीएसटी राशि के साथ किया गया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि करदाता ने जानबूझकर जीएसटीआर-1 में अलग-अलग सीजीएसटी एवं एसजीएसटी दर्ज किया, ताकि प्राप्तकर्ता को अपनी सीजीएसटी/एसजीएसटी देयता को पूरा करने के लिए आईटीसी का लाभ उठाने की अनुमति मिल सके। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सीजीएसटी-आईटीसी का उपयोग एसजीएसटी देयता के निपटान के लिए नहीं किया जा सकता है और न ही इसका विपरीत भी।

इसलिए, सिस्टम में सत्यापन की कमी अविश्वसनीय डेटा को अभिग्रहण करने का कारण बनती है, लेकिन इससे कर चोरी भी हो सकती है।

लेखापरीक्षा ने इस ओर इंगित किया (अक्टूबर 2022)। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

उपरोक्त आंकड़ों की असंगतता अविश्वसनीय आंकड़ों की मौजूदगी का संकेत देती हैं तथा संघ एवं राज्यों द्वारा अलग-अलग कर संग्रह के माध्यम से राजस्व निहितार्थ हो सकते हैं। प्रणाली में उचित वैधीकरण नियंत्रण की कमी के कारण लिए गए आंकड़े अविश्वसनीय हैं। ये असंगतता अनुपालन कार्यों के लिए जटिलता और आवश्यक संसाधनों को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं जिन्हें कर प्रशासन द्वारा निष्पादित किया जाना अपेक्षित है।

जीएसटी के सीजीएसटी एवं एसजीएसटी घटक के बीच असंगतता को लेखापरीक्षा द्वारा 2022 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 5 में भी उल्लिखित किया गया था। उत्तर में, जीएसटीएन ने कहा कि जीएसटीआर-9 में समान एसजीएसटी एवं

सीजीएसटी घटक के बारे में नियंत्रक को सरकार/जीएसटी परिषद के निर्देशों पर शामिल किया जा सकता है। लेखापरीक्षा का विचार है कि सीजीएसटी एवं एसजीएसटी घटकों का मिलान एक बुनियादी वैधीकरण नियंत्रण है। हालांकि, जीएसटीएन या सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है।

सिफारिशें

7. **लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई विसंगतियों को देखते हुए जीएसटीआर-1/3बी विवरणियों में सीजीएसटी एवं एसजीएसटी राशियों का मिलान सुनिश्चित करने के लिए वैधीकरण नियंत्रण की समीक्षा की जाए एवं इसे मजबूत किया जाए।**
8. **अविश्वसनीय आर-9 आंकड़ों व संघ एवं राज्यों के कर संग्रहण में अंतर के जोखिम को कम करने के लिये जीएसटीआर-9 में भी सीजीएसटी और एसजीएसटी घटकों के मिलान के संबंध समान वैधीकरण नियंत्रण निगमित किया जाये।**

लेखापरीक्षा ने इस ओर इंगित किया (जनवरी 2023)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

6.5.4 घोषित कर योग्य मूल्यों, दर एवं कर देयता के बीच असंगतता

सभी जीएसटी विवरणियों प्रपत्रों में कर योग्य मूल्यों एवं देय करों को दर्ज करने के लिए क्षेत्र होते हैं। जीएसटीआर-1 में कर की दर भी दर्ज की जा सकती है। लेखापरीक्षा में केवल उचित मूल्यों को स्वीकार करने या अनुचित मूल्यों को चिह्नित करने के लिए जीएसटी कॉमन पोर्टल में सीमा¹¹⁵ सत्यापन में कमी पाई गई। लेखापरीक्षा द्वारा नोट किए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को निम्नलिखित पैराग्राफ में उजागर किया गया है:

6.5.4.1 जीएसटीआर-1 में 28 प्रतिशत से अधिक प्रभावी जीएसटीआर दर के साथ गलत आंकड़ें

जीएसटीआर-1 के आंकड़ों का विश्लेषण उन मामलों को छोड़कर किया गया जहां डेबिट/क्रेडिट नोट जारी किए गए थे। निम्नलिखित तालिका उन अभिलेखों का

¹¹⁵ कर की दर (डेटा) मूल्यों की पूर्व निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।

बीजक-वार सारांश दर्शाती है जहां औसत दर 28 प्रतिशत, जीएसटी के अंतर्गत उच्चतम कर दर, से अधिक थी जो करदाताओं द्वारा फ़ाइल की गई रिटर्न में कर योग्य मूल्य/कर राशि में गलत राशि अभिग्रहण करने का संकेत देती है।

तालिका :6.9: जीएसटीआर-1 में गलत आंकड़ों के वाले अभिलेख,जिनकी प्रभावी जीएसटीआर दर 28 प्रतिशत से अधिक है

(₹ करोड़ में)

बीजक के प्रकार ¹¹⁶	अभिलेख गणना	करदाताओं की संख्या	कर योग्य राशि	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल जीएसटी	औसत प्रभावी दर (प्रतिशत में)
बी2बी	7,40,977	56,490	3,170	2,780	1,475	1,307	5,562	175
एक्सपीडब्ल्यूपी	83,937	607	1,149	769	-	-	769	67
बी2सीएस	33,092	23,201	2,131	52	7,664	1,798	9,514	446
एटी	660	426	67	6	23	24	53	79
टीएक्सपीडी	612	433	101	14	112	137	263	260
बी2सीएल	322	126	13	7	-	-	7	56
कुल	8,59,600	81,283	6,631	3,630	9,273	3,266	16,169	244

जीएसटीआर-1 में देय कर की गलत/अधिक राशि की घोषणा से प्राप्तकर्ताओं द्वारा उसका भुगतान किए बिना अधिक क्रेडिट प्राप्त करने का संभावित जोखिम होता है।

6.5.4.2 जीएसटीआर-3बी में 28 प्रतिशत से अधिक प्रभावी जीएसटीआर दर के साथ गलत आंकड़ें

5.98 लाख करदाताओं द्वारा फ़ाइल की गई जावक आपूर्ति के 6.76 लाख अभिलेखों के संबंध में जीएसटीआर-3बी के आंकड़ों में भी विसंगतियां पाई गईं, जैसे कि नीचे विवरण दिया गया है:

¹¹⁶ बी2बी: पंजीकृत व्यक्ति को आपूर्ति, ईएक्सपीडब्ल्यूपी: कर के भुगतान के साथ निर्यात, बी2सीएल: अपंजीकृत व्यक्ति को आपूर्ति (₹ 2.5 लाख से अधिक मूल्य के बड़े बीजक), बी2सीएस: अपंजीकृत व्यक्ति को आपूर्ति (अन्य बीजक), एटी: अग्रिम भुगतान पर कर; टीएक्सपीडी: अग्रिम भुगतान पर समायोजित कर।

तालिका-6.10: लागू जीएसटी दरों के संबंध में जीएसटीआर-3बी के आंकड़ों में विसंगति

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	अभिलेख गणना	जीएसटीआईएन की संख्या	कर योग्य राशियां	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	औसत प्रभावी दर (प्रतिशत में)
2017-18	1,81,646	1,58,393	41,361	9,302	6,698	6,553	55
2018-19	1,75,640	1,55,347	34,267	8,317	6,009	6,003	59
2019-20	1,76,269	1,55,769	5,19,002	4,005	4,54,212	4,54,212	176
2020-21	1,42,390	1,28,319	17,190	5,903	5,018	5,018	93
कुल	6,75,945	5,97,828	6,11,820	27,527	4,71,937	4,71,786	159

6.5.4.3 जीएसटीआर-9 में 28 प्रतिशत से अधिक प्रभावी जीएसटीआर दर के साथ गलत आंकड़ें

जीएसटीआर-9 में, 'कुल जावक आपूर्ति' में कर योग्य राशियां उसमें दर्ज कर राशि (आईजीएसटी+सीजीएसटी+एसजीएसटी) के साथ असंगत थे, जैसा कि तालिका 6.11 में बताया गया है:

तालिका-6.11: लागू जीएसटी दरों के संबंध में जीएसटीआर-9 के आंकड़ों में विसंगति

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	अभिलेखों की संख्या	जीएसटीआईएन की संख्या	कर योग्य राशियां	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	औसत प्रभावी दर (प्रतिशत में)
2017-18	4,820	4,788	7,440	7,49,474	1,551	1,946	10,121
2018-19	3,263	3,235	5,773	1,029	3,87,797	1,820	6,766
2019-20	2,847	2,837	5,082	1,087	1,034	1,590	73
2020-21	2,081	2,068	5,866	785	1,098	6,54,647	11,192
कुल	13,011	12,928	24,161	7,52,374	3,91,481	6,60,003	7,466

जब लेखापरीक्षा ने इस ओर इंगित किया (अक्टूबर 2022), जीएसटीएन ने कुछ परिस्थितियों का हवाला दिया (अक्टूबर 2022), जैसे कि विभिन्न कंपनियों एवं करदाताओं द्वारा अपनाई जाने वाली पूर्णांकन विधियों में अंतर के कारण, एक ही बीजक में अलग-अलग जीएसटी दरों के साथ कई लाइन आइटम हो सकते

हैं एवं इसलिए अंतिम कर राशि में राशियों के औसत एवं पूर्णांकन के कारण पूरी तरह से भिन्न कर दरें हो सकती हैं। जीएसटीएन का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए बड़े अंतरों को देखते हुए स्वीकार्य नहीं है, जहां कर की दर 28 प्रतिशत से अधिक थी, जो अविश्वसनीय है।

जीएसटीएन ने यह भी कहा कि अनुसूची-1 मदों¹¹⁷, जो बिना प्रतिफल के आपूर्ति की जाती हैं, को घोषित करते समय, करदाता उनको किसी भी बीजक में करयोग्य राशि प्रतिवेदित किये बिना शामिल कर सकता है। जीएसटीएन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अनुसूची-1 वस्तुओं के मामले में, हालांकि संबंधित पक्ष को देय धन का कोई वास्तविक लेनदेन नहीं हुआ है, जीएसटी अधिनियम के प्रयोजन के लिए, करदाताओं को करों के भुगतान के लिए उपयुक्त कर योग्य राशि की घोषणा करने की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा ने 38 प्रतिशत की प्रभावी कर दर से 1,03,28,20,80,000 प्रतिशत कर दर तक के 20 नमूना मामलों की जांच की एवं पाया कि 14 मामलों में सिस्टम में पर्याप्त नियंत्रण की कमी के कारण कर योग्य राशियों या देय कर राशि की गलत प्रविष्टि के कारण कर की दरें असंभावित थीं। पांच मामलों में, विसंगति कर योग्य राशियों को बदले बिना डेबिट/क्रेडिट नोट के माध्यम से कर राशि में समायोजन के कारण थी। शेष एक मामले में, लेखापरीक्षा विभाग की प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण विसंगतियों के कारणों का पता नहीं लगा सका (जनवरी 2024)।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है।

एक करदाता (जीएसटीआईएन: 2XXXXXXXXXXXX7 सूरत सीजीएसटी आयुक्तालय में) ने दिसंबर 2020 के महीने के लिए जीएसटीआर -1 में चार पंजीकृत करदाताओं (सभी असंबंधित) को जारी किए गए सभी पांच नियमित बीजकों में कर योग्य मूल्य ₹ 0.01 का उल्लेख किया है; हालाँकि, 18 प्रतिशत की दर से कुल कर ₹ 1.44 करोड़ घोषित किया गया था, जो संभव नहीं है एवं आंकड़ों की प्रविष्टि में गलतियों को इंगित करता है। करदाता ने बिना किसी

¹¹⁷ अपर्याप्त या बिना किसी प्रतिफल के संबंधित व्यक्तियों के बीच की गई आपूर्ति सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची 1 के अंतर्गत कवर की गई है।

कर देयता के जीएसटीआर-3बी फ़ाइल किया। इस प्रकार, कर योग्य राशि एवं दर के अनुरूप कर राशि को वैध करने के लिए सिस्टम में कोई नियंत्रण नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम में गलत डेटा अभिग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा ने इस ओर इंगित किया (अक्टूबर 2022)। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

लेखापरीक्षा ने 2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट 5 में कर योग्य मूल्यों एवं कर देयता के बीच असंगतता के कारण अविश्वसनीय आंकड़ों की मौजूदगी के मुद्दे पर प्रकाश डाला। जवाब में, जीएसटीएन ने कहा कि पूर्णांक विधियों में अंतर और क्रेडिट और डेबिट नोट जारी करने के कारण सिस्टम में कर योग्य राशि और कर राशि के बीच सटीक सह-संबंध हेतु सत्यापन नहीं किया गया था।

सिफारिश 9: जीएसटीआर-3बी में मृदु नियंत्रण शामिल किया जाए ताकि करदाताओं को कर राशि की तुलना में असंगत राशि दर्ज करने का प्रयास करने पर सचेत किया जा सके। कर भुगतान जहां कर योग्य राशि घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, डीआरसी चालानों के माध्यम से किया जाए।

लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (जनवरी 2023)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

6.5.5 जीएसटीआर-1 में कर की कम गणना

करदाता जीएसटीआर-1 की विभिन्न तालिकाओं में कर योग्य राशि, कर की दर एवं कर राशि की घोषणा करता है। कर राशि (आईजीएसटी, सीजीएसटी एवं एसजीएसटी का योग लेकिन मुआवजा उपकर राशि को छोड़कर) कर दर को कर योग्य राशि से गुणा करने के बराबर होनी चाहिए।

हालांकि, जीएसटीआर-1 डेटा के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि 3.12 लाख करदाताओं द्वारा दाखिल 46.84 लाख से अधिक रिकॉर्ड में देय कर की राशि (आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की राशि) करदाता द्वारा जीएसटीआर-1 में दर्ज कर दर के अनुसार भुगतान की जाने वाली राशि से कम थी जिसका भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इसके अलावा, 2019-20 के लिए, लेखापरीक्षा में करदाताओं द्वारा दर्ज की गई देय कर की ऋणात्मक राशि भी देखी गई, जो अविश्वसनीय है। चूंकि कर योग्य राशि, कर की दर एवं देय कर

की जानकारी सभी संपादन योग्य क्षेत्र हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि करदाताओं ने देय कर का मान कम कर दिया है। विवरण तालिका 6.12 में दिया गया है:

तालिका-6.12: लागू जीएसटी दरों के संबंध में जीएसटीआर-1 में आंकड़ों के विसंगतियां
(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	अभिलेखों की संख्या	जीएसटीआईएन की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा गणना के रूप में देय कर*	करदाताओं द्वारा दर्ज किए गए देय कर			कर की अल्प गणना
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	
2017-18	9,21,449	59,815	10,987	850	2,332	2,389	5,416
2018-19	13,20,510	86,174	19,742	937	3,194	3,193	12,418
2019-20	13,50,891	88,918	21,917	-12,55,313	3,404	3,403	15,110
2020-21	10,91,602	77,234	16,440	819	2,948	2,950	9,723

* कर योग्य मूल्यों एवं लागू कर दरों के आधार पर

जब लेखापरीक्षा ने इस ओर इंगित किया (अक्टूबर 2022), जीएसटीएन ने कहा कि करदाताओं को देय कर राशि को संपादित करने की अनुमति है एवं ऋणात्मक राशियों को अस्वीकार करने के लिए कोई जांच-प्रक्रिया नहीं है। जीएसटीएन ने आगे कहा कि असंगत आंकड़ों के कई उदाहरण बी2सी लेनदेन से संबंधित हैं जहां आईटीसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 96 प्रतिशत रिकॉर्ड (44,48,043 रिकॉर्ड) जहां उपरोक्त विसंगति पाई गई गई, बी2बी आपूर्ति से संबंधित थे एवं कर राशि (₹ 40,979 करोड़) की कुल कम गणना का 93 प्रतिशत था।

जीएसटीआर-1 में ₹ 569.17 करोड़ से ₹ 13.29 लाख तक की कम गणना वाले 20 नमूना मामलों के क्षेत्र में सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 15 मामलों में, आंकड़ों में अंतर जीएसटीआर-1 में कर योग्य राशियों या कर दर की गलत प्रविष्टि के कारण था। हालाँकि, इन सभी मामलों में, उसी वर्ष एवं पिछले वर्ष के पहले महीनों में फ़ाइल किए गए समान बीजक एवं/या रिटर्न के विश्लेषण के आधार पर, जीएसटीआर-3बी रिटर्न के अनुसार प्रदत्त कर सही प्रतीत हुए। दो मामलों में, जीएसटीआर-3बी में गलत गणना के साथ-साथ कर का कम भुगतान (₹ 3.64 करोड़ से) भी हुआ। शेष तीन मामलों में, विभाग की प्रतिक्रिया (जनवरी 2024) प्राप्त न होने के कारण लेखापरीक्षा विसंगतियों के कारणों का पता नहीं लगा सका।

दो उदाहरणात्मक मामले नीचे दिये गए हैं।

एक करदाता (जीएसटीआईएन: 2XXXXXXXXXXXX5 मुंबई ईस्ट सीजीएसटी आयुक्तालय में) के मामले में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक बीजक के संबंध में, जनवरी 2019 के जीएसटीआर -1 में कर योग्य राशि को गलत तरीके से ₹ 3,162 करोड़ के रूप में उल्लेख किया गया जबकि देय कर को 18 प्रतिशत कर दर पर ₹ 51,608 के रूप में घोषित किया गया था। प्रणाली में यह जांचने के लिए कि कर योग्य राशि और जीएसटी दर के अनुरूप है किसी वैधीकरण नियंत्रण या उपयोगकर्ता सचेतक कि कमी के कारण करदाता की ऐसी स्पष्ट गलती संभव थी।

जब लेखापरीक्षा ने इस ओर इंगित किया (अक्टूबर 2022), तो विभाग ने कहा (फरवरी 2023) कि आंकड़ों में अंतर जीएसटीआर-1 में गलत प्रविष्टि के कारण था।

एक अन्य करदाता (जीएसटीआईएन: 1XXXXXXXXXXXXआर कोलकाता उत्तरी आयुक्तालय के अंतर्गत) ने मई 2019 के जीएसटीआर -1 में 5 प्रतिशत पर 88 बीजक एवं 18 प्रतिशत कर दर पर 64 बीजक सूचीबद्ध किए। हालाँकि, 64 बीजकों के लिए 18 प्रतिशत की गणना सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में सत्यापन जांच की कमी के कारण सभी मामलों में कुल जीएसटी (आईजीएसटी + सीजीएसटी + एसजीएसटी) की गणना 5 प्रतिशत की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीएसटीआर-3बी रिटर्न में भुगतान भी 5 प्रतिशत की दर से किया गया था।

लेखापरीक्षा ने नमूना माह के एक महीने पहले एवं एक महीने बाद के करदाता के जीएसटीआर-1 रिटर्न का विश्लेषण किया। यह देखा गया कि जीएसटीआर-1 में 5 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत दोनों दरों वाली मदें थीं, एवं करों की गणना तदनुसार संबंधित दरों पर की गई थी। अतः इसकी अत्यधिक संभावना है कि मई 2019 के जीएसटीआर-1 में 64 बीजकों के लिए 18 प्रतिशत के बजाय पांच प्रतिशत पर कर की गलत गणना की गई हो, जिसके परिणामस्वरूप कर का ₹3.20 करोड़ कम भुगतान हुआ। इसलिए, विभाग आपूर्ति की प्रकृति की पुष्टि करने एवं करदाता द्वारा कर का सही भुगतान सुनिश्चित करने के लिए करदाता के बीजकों की जांच करे।

जब लेखापरीक्षा ने इस ओर इंगित किया, तो विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि मामला विभाग की जानकारी में नहीं था।

सिफ़ारिश 10: मंत्रालय जीएसटीआर-1 में कर योग्य राशि, कर दर एवं कर राशि की सुसंगतता सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन जांच एवं प्रणाली/उपयोगकर्ता सचेतक को शामिल करने पर विचार करें।

लेखापरीक्षा ने इस ओर इंगित किया (जनवरी 2023)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

6.5.6 जीएसटीआर 1- में अन्य विसंगतियाँ

आंकड़ों में विसंगतियों के अलावा, जीएसटीआर-1 के आंकड़ा विश्लेषण से करदाताओं द्वारा अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के उदाहरणों का पता चला। जीएसटीआर-1 में पर्याप्त सत्यापन की कमी के कारण जीएसटीएन प्रणाली द्वारा ऐसे अननुपालन/विचलन की अनुमति दी गई थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

6.5.6.1 प्रणाली ने निर्धारित समय की समाप्ति के बाद क्रेडिट नोट्स (साख पत्र) दाखिल करने की अनुमति दी

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 34(2) के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में क्रेडिट नोट जारी करता है, उसे महीने के दौरान रिटर्न में ऐसे साख पत्रों का विवरण घोषित करना होगा, जिसके दौरान ऐसा साख पत्र जारी किया गया है, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष¹¹⁸ के सितंबर के बाद नहीं, या संबंधित वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख, जो भी पहले हो।

¹¹⁸ 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से 'नवंबर के तीसवें दिन'

जीएसटीआर 1 की तालिका 9 में तालिका 4, 5 एवं 6¹¹⁹ में पहले की कर अवधि के लिए रिटर्न में प्रस्तुत क्रेडिट नोट्स का विवरण शामिल होता है।

जीएसटीआर-1 की तालिका 9 के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि, ₹ 888 करोड़ की कर राशि वाले 45,69,931 रिकॉर्ड में, वित्त वर्ष जिसमें आपूर्ति की गई थी की समाप्ति से कम से कम एक वर्ष की समाप्ति के बाद करदाताओं के जीएसटीआर-1 में क्रेडिट नोट की सूचना दी गई थी, जैसा कि तालिका 6.13 में दर्शाया गया है:

तालिका- 6.13: निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद साख पत्र की रिपोर्टिंग

(₹ करोड़ में)

बीजक अवधि	विवरणी में जहां तक स्वीकार्य साख पत्र	जब तक के लिए विवरणियों में घोषित साख पत्र	अभिलेखों की संख्या	टैक्स की राशि
2016-17*	सितंबर 2018	2018-19 से 2020-21	18,10,679	227.97
2017-18	मार्च 2019	2019-20 एवं 2020-21	23,42,735	551.53
2018-19	सितंबर 2019	2020-21	4,16,517	108.84
		कुल	45,69,931	888.34

* या पूर्व अवधि।

इसके अलावा, 11.44 करोड़ अभिलेखों में जिसमें ₹ 47,435 करोड़ की कर राशि शामिल है, मूल बीजक की तारीख जिसके लिए साख पत्र जारी किया गया, नहीं मिली। जीएसटीएन प्रणाली, इन मामलों में, मूल बीजक तिथि की घोषणा के बिना साख पत्र दाखिल करने की अनुमति देती है। ऐसे मामलों में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि क्रेडिट नोट निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किए गए थे या नहीं।

इस प्रकार, अधिनियम में प्रदान किए गए समय की समाप्ति के बाद करदाता को क्रेडिट नोट्स की रिपोर्ट करने से रोकने के लिए जीएसटीआर -1 रिटर्न सिस्टम में पर्याप्त वैधीकरण की कमी के परिणामस्वरूप अधिनियम के प्रावधानों से विचलन हुआ एवं उनकी कर देयता में ₹ 888.34 करोड़ की संभावित अनुचित कमी हुई।

¹¹⁹ जीएसटीआर-1 की तालिका-4 अन्य करदाताओं को आपूर्ति के लिए बीजक का विवरण प्रदान करने के लिए है; तालिका-5 अंतिम उपभोक्ता को जारी किए गए बड़े बीजक (₹2.5 लाख से अधिक के मूल्य वाले बीजक) के लिए है; और तालिका-6 निर्यात, मानद निर्यात और एसईजेड आपूर्ति के लिए है।

जीएसटीएन ने कहा (नवंबर 2022) कि 2017-18 के बीजकों के लिए क्रेडिट नोट्स को फरवरी 2020 तक, अर्थात् अधिसूचना संख्या 2/2018 दिनांक 31 दिसंबर 2018 के अनुसार वार्षिक विवरणी दाखिल करने की देय तिथि तक रिपोर्ट करने की अनुमति दी गई थी। इसमें आगे कहा गया है कि चल रहे अभियोगों के कारण लचीलापन रखा गया था।

जीएसटीएन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उक्त अधिसूचना के अनुसार, 2017-18 के बीजकों के लिए क्रेडिट नोट केवल मार्च 2019 तक या वार्षिक रिटर्न फ़ाइल करने तक, जो भी पहले हो, की अनुमति दी गई थी। किसी भी कानूनी प्रावधान के अभाव में, निर्धारित अवधि से परे जीएसटीआर -1 में साख पत्रों की अनुमति अनियमित थी।

उपरोक्त दोनों श्रेणियों के अंतर्गत 18 करदाताओं से संबंधित 20 नमूना रिकॉर्ड के क्षेत्र में सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि चार करदाताओं के संबंध में जीएसटीआर-1 में ₹875 करोड़ के कुल कर प्रभाव वाले 21,218 साख पत्रों के विरुद्ध मूल बीजक संख्या एवं तारीख का कोई उल्लेख नहीं था। निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, छह करदाताओं ने नमूना माह में 71 साख पत्र दाखिल किए, जिसमें ₹ 78.38 करोड़ की कर राशि शामिल थी। एक मामले में कोई अनियमितता या कर निहितार्थ नहीं था, क्योंकि साख पत्र निर्धारित अवधि के भीतर रिपोर्ट किया गया था; हालाँकि, प्रणाली ने बीजक विवरण की घोषणा के बिना ऐसी प्रविष्टि की अनुमति दी। शेष आठ करदाताओं के लिए, विभाग से उत्तर की कमी के कारण लेखापरीक्षा विचलन के कारणों को सत्यापित नहीं कर सका।

जब लेखापरीक्षा ने इस ओर इंगित किया (अक्टूबर 2022), तो विभाग ने 10 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अक्टूबर 2022) एवं कहा कि मामला विभाग की जानकारी में नहीं था। इन 10 मामलों में से दो मामलों की जांच डीजीजीआई द्वारा की जा रही थी। चार मामलों में, विभाग ने कहा (मई 2023 से दिसंबर 2023) कि विसंगति करदाताओं द्वारा आंकड़ों के प्रविष्टि त्रुटि के कारण थी एवं साख पत्र निर्धारित अवधि के भीतर जारी किए गए थे। शेष छह मामलों में, उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

दो उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं।

एक करदाता (जीएसटीआईएन: 1XXXXXXXXXXई हल्दिया सीजीएसटी आयुक्तालय के अंतर्गत) ने मार्च से सितंबर 2018 के बीजक के विरुद्ध अगस्त 2020 के जीएसटीआर -1 में कुल जीएसटी राशि ₹ 68.12 लाख के साथ छह साख पत्र दाखिल किए, जिनकी निर्धारित अवधि क्रमशः मार्च 2019 और अक्टूबर 2019 में समाप्त हो गई थी।

जब बताया गया (अक्टूबर 2022), तो विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि उन्हें विसंगति की जानकारी नहीं थी।

इसी तरह, एक अन्य करदाता (जीएसटीआईएन: 1XXXXXXXXXXडी कोलकाता उत्तरी आयुक्तालय के अंतर्गत) ने फरवरी एवं मार्च 2018 के मूल बीजक के विरुद्ध जून 2019 के जीएसटीआर -1 में 58 क्रेडिट नोट पोस्ट किए थे, जिसमें ₹ 3.75 करोड़ की जीएसटी राशि शामिल थी। विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि करदाता की जीएसटी जांच महानिदेशालय द्वारा जांच चल रही थी।

इस प्रकार, प्रणाली में कमी के कारण, करदाता विधि के अनुसार अनुमत समय सीमा से परे पुराने बीजकों से संबंधित अपनी कर देयता को अनुचित रूप से कम कर सकते हैं, जिससे कर संग्रह प्रभावित हो सकता है।

सिफारिश 11: मंत्रालय, जीएसटीआर -1 की तालिका 9 में सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने पर विचार करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दाखिल करने की निर्धारित अवधि के बाद किसी भी साख पत्र को दाखिल करने की अनुमति न दी जाए।

लेखापरीक्षा ने इस ओर इंगित किया (जनवरी 2023)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

6.5.6.2 प्रणाली ने निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद बीजकों के संशोधन की अनुमति दी

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 37 (3) के प्रावधान के अनुसार, किसी भी कर अवधि के लिए धारा के अंतर्गत प्रस्तुत बीजक विवरण में किसी भी त्रुटि या चूक का पता चलने पर, करदाता ऐसी त्रुटि या चूक को सुधारेगा तथा

यदि कोई कर एवं ब्याज देय हो, तो उसका भुगतान करेगा, यदि ऐसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणी में कर का कम भुगतान किया जाता है, बशर्ते कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद सितंबर माह के लिए जीएसटीआर -3 बी प्रस्तुत करने के बाद ऐसे किसी भी सुधार, या जिसमें ऐसे विवरण संबंधित हैं, प्रासंगिक वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत, करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो भी पहले हो। जीएसटीआर-1 की तालिका 9 में तालिका 4, 5 एवं 6 में प्रस्तुत कर योग्य आपूर्ति विवरण में संशोधनों को दर्शाया जाता है।

2017-18 से 2020-21 के जीएसटीआर-1 की तालिका 9 के विश्लेषण से पता चला कि, 22,444 करदाताओं से संबंधित 3.35 लाख रिकॉर्ड में, निर्धारित समय सीमा के बाद बीजकों में संशोधन किया गया, जिससे कुल कर देयता में 36.43 करोड़ की कमी आई, जैसा कि तालिका 6.14 में दिखाया गया है:

तालिका-6.14: निर्धारित अवधि के बाद संशोधन

(₹ करोड़ में)

मूल बीजक वर्ष	संशोधन की अनुमति प्रदान की गई	विवरणी वर्ष में किया गया संशोधन	अभिलेखों की संख्या	जीएसटीआईएन की संख्या	कुल कर राशि (संशोधित कर रहित मूल कर राशि)
2017-18	मार्च 2019	2019-20 एवं 2020-21	2,53,518	15965	-32
2018-19	सितंबर 2019	2020-21	81,281	6,479	-4.44
		कुल	3,34,799	22,444	-36.44

इस प्रकार, अपर्याप्त प्रणाली नियंत्रणों ने करदाताओं को पुराने बीजकों से संबंधित अपनी देयता को कम करने की अनुमति दी, जिससे राजस्व संग्रह प्रभावित हुआ।

जब यह इंगित किया गया, जीएसटीएन ने कहा कि बी2बी लेनदेन के मामले में सत्यापन जांच लागू नहीं की जा सकती क्योंकि धारा 37 की उपधारा (3) का प्रावधान बीजक संशोधन की अंतिम तिथि के बारे में अस्पष्ट था। हालांकि, वित्त अधिनियम 2022 के माध्यम से धारा में संशोधन के बाद, इसका समाधान किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बीजक में संशोधन की अंतिम तिथि के बारे में धारा 37 की उपधारा 3 में कोई अस्पष्टता नहीं थी। 2022 में किए गए उक्त प्रावधान के संशोधन ने निर्दिष्ट मानदंड को बदल दिया जिसके द्वारा इस तरह

के संशोधन किए जाने थे। पहले यह वित्त वर्ष के बाद 'सितंबर माह की रिटर्न फ़ाइल करते समय' करना था, जिससे बीजक संबंधित था, एवं अब इसे संशोधित करके '30 नवंबर' किया गया है। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि लेखापरीक्षा ने केवल ऐसे मामलों को इंगित किया है जहां 2017-18 से संबंधित बीजकों के मामले में जिसके लिए सितंबर 2018 तक संशोधन की अनुमति दी गई थी अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अर्थात् अप्रैल 2019 के बाद के महीनों के लिए विवरणी में बीजक में संशोधन किया गया था।

15 करदाताओं से संबंधित 20 नमूना बीजकों विवरणों का क्षेत्र में सत्यापन किया गया, जहां जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में ऐसे अनियमित संशोधन पाए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आठ मामलों में करदाता ने निर्धारित अवधि के बाद बीजक में संशोधन किया, जिसका प्रभाव ₹ 3.68 करोड़ की सीमा तक कर देयता को कम करने में पड़ा। एक मामले में हालांकि कर राशि में अनियमित संशोधन हुआ था, लेकिन कर देयता को तदनुसार समायोजित नहीं किया गया था। दो मामलों में, संशोधित बीजकों के संगत मूल बीजक की प्रतिलिपि पाई गई; इसलिए कुल प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका। एक मामले में, विभाग ने विसंगति के लिए प्रणाली में कमी को जिम्मेदार ठहराया, जिसके कारण बीजक कई बार सामने आया, जिसके कारण संशोधन करना पड़ा। तीन मामलों में, विभाग ने संशोधनों के कारण नगण्य अंतर का दावा किया। हालांकि, इसके समर्थन में कोई पुष्टिकारक दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किये गये।

शेष पांच मामलों में, विभाग से प्रतिक्रिया की कमी के कारण लेखापरीक्षा विचलन के कारणों का पता नहीं लगा सकी।

एक मामले का विवरण उदाहरण के माध्यम से नीचे दिया गया है।

एक करदाता (जीएसटीआईएन: 1XXXXXXXXXXXXडब्ल्यू कोलकाता-उत्तरी आयुक्तालय का) ने मई 2018 से मार्च 2019 की अवधि से संबंधित 12 बीजकों को अप्रैल 2020 के जीएसटीआर-1 में अर्थात् संशोधन की निर्धारित अवधि के बाद संशोधित किया। बीजकों में संशोधन से शुद्ध कर देयता को ₹ 1.42 करोड़ तक कम करने का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार, प्रणाली में पर्याप्त वैधीकरण की

कमी के कारण बीजकों के संशोधन के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में प्रदान की गई निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद भी बीजक में संशोधन की अनुमति दी गई।

यह बताए जाने पर, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि मामला सत्यापन के अधीन था एवं आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा रही थी।

सिफारिश 12: मंत्रालय निर्धारित अवधि के भीतर बीजक विवरण में संशोधन के लिए जीएसटीआर-1 रिटर्न में वैधीकरण नियंत्रण को शामिल करने पर विचार करें।

लेखापरीक्षा ने इस ओर इंगित किया (जनवरी 2023)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

6.5.6.3 अंतरा-राज्य आपूर्ति के लिए आईजीएसटी लगाया गया

एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) केंद्र सरकार द्वारा माल एवं सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर अर्थात् एक राज्य से दूसरे राज्य में माल/सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। आईजीएसटी-आईटीसी का उपयोग आईजीएसटी या सीजीएसटी या एसजीएसटी कर देयता के निपटान के लिए किया जा सकता है, जबकि सीजीएसटी-आईटीसी का उपयोग एसजीएसटी कर देयता या विपरीतता को निपटाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1.97 लाख करदाताओं से संबंधित 50.20 लाख रिकॉर्ड में, इस तथ्य के बावजूद कि माल एवं सेवाओं की आपूर्ति एक ही राज्य के भीतर थी, एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) को जीएसटीआर-1 में दर्ज किया गया, जैसा कि **तालिका 6.15** में दिखाया गया है:

तालिका-6.15: जीएसटीआर-1 में अंतरा-राज्य आपूर्ति पर आईजीएसटी लगाया गया

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	अभिलेखों की संख्या	जीएसटीआईएन की संख्या	कर योग्य राशि	आईजीएसटी
2017-18	10,53,216	52,553	14,173	2,353
2018-19	15,18,740	55,446	25,344	4,220
2019-20	15,01,555	50,544	28,155	4,471
2020-21	9,45,688	38,309	25,208	4,369
कुल	50,19,199	1,96,852	92,880	15,414

चूंकि जीएसटीआर-1 का उपयोग मुख्य रूप से आईटीसी का लाभ लेने के लिए किया जाता है, आईजीएसटी के रूप में कर की गलत सूचना का उपयोग सीजीएसटी और एसजीएसटी कर देयता को समायोजित कर के कर क्रेडिट का लाभ लेने के लिए किया जा सकता है, जिसकी अन्यथा अनुमति नहीं हो सकती है। यह जीएसटी राजस्व के सही सहभाजन को भी विकृत कर सकता है।

जीएसटीएन ने कहा कि 30 नमूना मामलों¹²⁰ में से 22 में, आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता करदाता आपूर्ति की उसी राज्य में एसईजेड इकाई के रूप में पंजीकृत है जिसमें आईजीएसटी लागू होगा। जीएसटीएन का उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर अस्वीकार्य है कि जीएसटीआर-1 अलग से तालिका 6 में एसईजेड आपूर्ति को दर्ज करता है जहां आपूर्ति के स्थान का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

शेष आठ मामलों में, जीएसटीएन ने उत्तर दिया कि प्रणाली में कमी के कारण आईजीएसटी गलत तरीके से लगाया गया था। जीएसटीएन त्रुटि का समाधान करने की प्रक्रिया में था (दिसंबर 2022)।

6.6 सिफारिशों का निष्कर्ष एवं सारांश

2021-22 के दौरान, लेखापरीक्षा ने करदाताओं द्वारा अगस्त 2021 तक दाखिल किए गए 2017-18 से 2019-20 की अवधि से संबंधित जीएसटी रिटर्न आंकड़ों का विश्लेषण किया था, एवं कर योग्य राशि तथा घोषित कर देयता के बीच महत्वपूर्ण आंकड़ों में असंगतता देखी। 2022-23 के दौरान, जीएसटीएन आंकड़ों

¹²⁰ ये 30 नमूने 200 नमूनों के अतिरिक्त थे जिनके लिए क्षेत्र सत्यापन किया गया था। नमूने केवल उदाहरण के तौर पर जीएसटीएन के साथ साझा किए गए थे।

की गुणवत्ता का आकलन करने एवं यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या मंत्रालय/जीएसटीएन ने जीएसटीएन आंकड़ों में असंगतता के मुद्दे का समाधान किया था, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा पिछले लेखापरीक्षा के दौरान सूचित किया गया था एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई।

वर्तमान प्रक्रिया के दौरान, लेखापरीक्षा ने आंकड़ों में लगातार बनी हुई असंगतता देखी जैसे कि जीएसटीआर-3 बी में आईटीसी दावे एवं जीएसटीआर -9 में इसकी घोषणा के बीच असंगतता, जीएसटी के सीजीएसटी एवं एसजीएसटी घटकों के बीच असंगतता तथा कर योग्य राशि, दर एवं घोषित कर देयता के बीच असंगतता। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने जीएसटीआर 2ए से जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के स्वतः भरे गए आंकड़ों में विसंगतियां, मासिक एवं वार्षिक रिटर्न के बीच कर देयता में असंगतता, जीएसटीआर-1 में कर की कम गणना एवं जीएसटीआर-1 में पर्याप्त वैधीकरण की कमी के कारण अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों से करदाताओं द्वारा विचलन के दृष्टांत देखे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि जीएसटीएन/विभाग द्वारा आंकड़ों की प्रविष्टि में गलतियों का विश्लेषण नहीं किया जा रहा था तथा ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की जा रही थी।

गलत आंकड़ों की मौजूदगी विभिन्न कारकों का परिणाम है जैसे प्रणाली में सत्यापन जांच एवं उपयोगकर्ता सचेतक की कमी करदाताओं को अवास्तविक राशि प्रविष्ट करने की अनुमति देती है; सिस्टम की कमियों एवं करदाताओं तथा कर अधिकारियों को सचेत करने के लिए सिस्टम में ऐसी विसंगतियों का विश्लेषण करने के लिए सिस्टम की कमी के कारण स्वतः भरे गए गलत आंकड़े एक रिटर्न से दूसरे रिटर्न में आ जाते हैं।

तदनुसार, लेखापरीक्षा जीएसटीएन आंकड़ों के असंगतता के मुद्दे का समाधान करने एवं भविष्य में इसे अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें करता है। इसके अलावा, मंत्रालय/जीएसटीएन अधिनियम/नियमों के अनुसार उचित उपाय करने के लिए लेखापरीक्षा में पायी गई विसंगतियों वाले सभी मामलों की समीक्षा करे।

1. मंत्रालय/जीएसटीएन द्वारा वार्षिक विवरणियों (जीएसटीआर-9) के स्वतः भरे गए और गैर-संपादन योग्य क्षेत्रों में आंकड़ों की लगातार विसंगतियों को दूर करना चाहिए।
2. मंत्रालय द्वारा जीएसटीआर-2ए (स्वतः प्रारूपित आपूर्ति का विवरण) से जीएसटीआर-9 (वार्षिक रिटर्न) की तालिका 8ए में आईटीसी मूल्य की स्वतः भरने की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही राशि को जीएसटीआर-2ए से जीएसटीआर-9 में ले जाया गया है।
3. मंत्रालय एवं जीएसटीएन, मासिक रिटर्न (जीएसटीआर-3बी) से जीएसटीआर-9 में घोषित अतिरिक्त कर देयता का अभिग्रहण करने के लिए जीएसटीआर-9 में एक अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करने पर विचार करें। तालिका 4 से शुद्ध देयता एवं जीएसटीआर-3बी एवं डीआरसी-चालान के माध्यम से किए गए कर भुगतान स्वतः भरे गए एवं असंपादन योग्य होने चाहिए।
4. जीएसटीआर -9 की तालिका 9 में प्रदत्त वास्तविक कर राशि, पिछले वर्ष के देयता भुगतानों/समायोजनों को ध्यान में रखते हुए जीएसटीआर -3 बी एवं डीआरसी -03 से प्रवाहित होनी चाहिए।
5. एक ही विवरणी में असंगतता से बचने के लिए जीएसटीआर-9 तालिका-9 में कुल देय कर को तालिका-4 की कुल कर देयता से मेल खाना चाहिए।
6. मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए तालिका 14 में वैधीकरण जांच बिंदु लागू करना चाहिए कि जीएसटीआर-9 की तालिका 10 एवं 11 के आधार पर केवल सही मान ही तालिका 14 में भरे गए हों; कम से कम अंतर बताने वाला एक उपयोगकर्ता सचेतक जारी होना चाहिए।
7. लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई विसंगतियों को देखते हुए जीएसटीआर-1/3बी विवरणियों में सीजीएसटी एवं एसजीएसटी राशियों का मिलान सुनिश्चित करने के लिए वैधीकरण नियंत्रण की समीक्षा की जाए एवं इसे मजबूत किया जाए।

8. अविश्वसनीय आर-9 आंकड़ों व संघ एवं राज्यों के कर संग्रहण में अंतर के जोखिम को कम करने के लिये जीएसटीआर-9 में भी सीजीएसटी और एसजीएसटी घटकों के मिलान के संबंध समान वैधीकरण नियंत्रण निगमित किया जाये।
9. जीएसटीआर-3बी में मृदु नियंत्रण शामिल किया जाए ताकि करदाताओं को कर राशि की तुलना में असंगत राशि दर्ज करने का प्रयास करने पर सचेत किया जा सके। कर भुगतान जहां कर योग्य राशि घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, डीआरसी चालानों के माध्यम से किया जाए।
10. मंत्रालय जीएसटीआर-1 में कर योग्य राशि, कर दर एवं कर राशि की सुसंगतता सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन जांच एवं प्रणाली/उपयोगकर्ता सचेतक को शामिल करने पर विचार करे।
11. मंत्रालय, जीएसटीआर -1 की तालिका 9 में सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने पर विचार करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दाखिल करने की निर्धारित अवधि के बाद किसी भी साख पत्र को दाखिल करने की अनुमति न दी जाए।
12. मंत्रालय निर्धारित अवधि के भीतर बीजक विवरण में संशोधन के लिए जीएसटीआर-1 रिटर्न में वैधीकरण नियंत्रण को शामिल करने पर विचार करे।

अध्याय VII: संयोजन शुल्क योजना के आंकड़ों का विश्लेषण

7.1 परिचय

1 जुलाई 2017 से जीएसटी के कार्यान्वयन के साथ, पंजीकरण, रिटर्न फ़ाइल करने एवं करों का भुगतान जैसी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य पोर्टल पर ऑनलाइन करना आवश्यक था। बड़े करदाताओं के पास परिवर्तनों को अपनाने के लिए आवश्यक संसाधन होंगे जबकि छोटे करदाताओं के पास इस उद्देश्य को अपनाने के लिए उतने संसाधन नहीं होंगे। इसलिए, छोटे करदाताओं के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत जीएसटी के रूप में एक संयोजन शुल्क योजना (सीएलएस) निर्धारित की गई थी। योजना के अंतर्गत, कई नियमित व्यावसायिक प्रक्रियाओं को पात्र करदाताओं के लिए अनुपयुक्त बना दिया गया था। इसके अलावा, ऐसे करदाताओं को विशिष्ट शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन, अपने टर्नओवर पर एक निश्चित दर पर कर का भुगतान करना आवश्यक था। प्रारंभ में यह योजना केवल वस्तुओं के लिए लागू थी (सेवाओं के लिए नहीं रेस्तरा सेवाओं को छोड़कर)। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में संशोधन के परिणामस्वरूप, 01 फरवरी 2019 से पिछले वर्ष के टर्नओवर के 10 प्रतिशत या ₹ 5 लाख, जो भी अधिक हो, तक सेवाओं की आपूर्ति की अनुमति दी गई थी। एक अलग सीएलएस 01 अप्रैल 2019 से अधिनियम की धारा 10(2ए) के अंतर्गत सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं (वस्तुओं एवं सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं सहित) के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, एक पंजीकृत व्यक्ति जो सेवाओं का आपूर्तिकर्ता है एवं सामान्य सीएलएस के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं है, इस योजना के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है यदि पिछले वित्तीय वर्ष में उसका कुल टर्नओवर पचास लाख रुपये से अधिक नहीं था। इस योजना के लिए कर की निर्धारित दर 6 प्रतिशत (सीजीएसटी+एसजीएसटी) है। इसके अलावा, सामान्य सीएलएस पर लागू सभी प्रतिबंध/शर्तें आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस योजना पर भी लागू होती हैं।

7.2 कानूनी प्रावधान

सीएलएस से संबंधित प्रावधान सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10 एवं सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 3 से 7 के साथ आने वाले समय-समय पर जारी विभिन्न अधिसूचनाओं में निहित हैं।

7.3 संयोजन शुल्क योजना की मुख्य विशेषताएं

7.3.1 अधिकतम सीमा:-

सीएलएस उन करदाताओं के लिए उपलब्ध है जिनका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर ₹1.5 करोड़ से अधिक नहीं रहा है। विशेष श्रेणी वाले राज्यों के करदाताओं के लिए यह सीमा ₹ 75 लाख है। प्रारंभ में (अर्थात् 01.07.2017 से), अधिकतम सीमा ₹ 75 लाख एवं ₹ 50 लाख (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए) तय की गई थी। 14 अक्टूबर 2017 से इन्हें बदलकर ₹ 1 करोड़ एवं ₹ 75 लाख कर दिया गया एवं ये सीमाएं 31.03.2019 तक लागू रहीं। 1 अप्रैल 2019 से लागू सीमा ₹ 1.5 करोड़ एवं ₹ 75 लाख थी। हालाँकि, सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में नए सीएलएस के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले करदाताओं के मामले में, अधिकतम सीमा ₹ 50 लाख है।

7.3.2 संयोजन शुल्क योजना के लिए पात्रता

अधिनियम की धारा 10 (2) एवं धारा 10 (2 ए) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति योजना के लिए पात्र है, यदि:

(क) वह रेस्तरां सेवाओं को छोड़कर, सेवाओं की आपूर्ति से नहीं जुड़ा है। हालाँकि, टर्नओवर के 10 प्रतिशत तक या ₹ 5 लाख, जो भी अधिक हो, सेवाओं की आपूर्ति की अनुमति है;

(ख) वह माल या सेवाओं की कोई भी आपूर्ति करने से नहीं जुड़ा है, जो अधिनियम के अंतर्गत कर के लिए उद्ग्रहणीय नहीं हैं;

(ग) वह माल या सेवाओं की कोई अंतर-राज्य जावक आपूर्ति करने में नहीं लगा है;

(घ) वह किसी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर के माध्यम से माल या सेवाओं की कोई आपूर्ति करने में नहीं लगा है, जिसे स्रोत पर कर एकत्र करना आवश्यक है;

(ड) वह ऐसे वस्तुओं का निर्माता नहीं है जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। इस आशय की अधिसूचित वस्तुएं हैं - 'आइसक्रीम एवं अन्य खाद्य बर्फ' (टैरिफ आइटम: 2105 00 00), 'पान मसाला' (टैरिफ आइटम: 2106 90 20), 'तंबाकू एवं निर्मित तंबाकू के विकल्प' एवं 'वातित जल';

(च) वह न तो एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति है एवं न ही अनिवासी कर योग्य व्यक्ति है।

(छ) सेवाओं के आपूर्तिकर्ता भी इस योजना के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं यदि पिछले वित्तीय वर्ष में उनका कुल टर्नओवर ₹ 50 लाख से अधिक नहीं था।

यदि एक ही पैन वाले एक से अधिक पंजीकरण हैं, तो उनमें से कोई भी योजना के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वे सभी, योजना का विकल्प नहीं चुनते हैं।

7.3.3 संयोजन शुल्क योजना के लिए अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध

योजना के अंतर्गत कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों का भी पालन करना होगा:

- (1) योजना के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प उस दिन से समाप्त हो जाएगा जिस दिन उसका कुल टर्नओवर, एक वित्तीय वर्ष के दौरान, निर्धारित सीमा से अधिक है;
- (2) वह प्राप्तकर्ताओं से उसके द्वारा की गई आपूर्ति पर कोई कर एकत्र नहीं करेगा;
- (3) वह इनपुट टैक्स के किसी भी क्रेडिट का हकदार नहीं होगा;
- (4) यदि वह एक मौजूदा करदाता है, तो नियत दिन पर उसके द्वारा भंडारण में रखा गया माल, अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान खरीदा नहीं गया है, या भारत के बाहर किसी स्थान से आयात नहीं किया गया है,

- या राज्य के बाहर स्थित उसकी शाखा से, या राज्य के बाहर उसके एजेंट या प्रमुख व्यक्ति से प्राप्त नहीं किया गया;
- (5) उसके द्वारा भंडारण में रखे गए माल को एक अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से नहीं खरीदा गया है, एवं, यदि से खरीदा गया है, वह प्रतिप्रभार के अंतर्गत कर का भुगतान करता है;
- (6) माल या सेवाओं, या दोनों, की आवक आपूर्ति पर, प्रतिप्रभार के अंतर्गत, वह कर का भुगतान करेगा
- (7) वह अपने द्वारा जारी किए गए आपूर्ति बिल के शीर्ष पर "संयोजन कर योग्य व्यक्ति, आपूर्ति पर कर एकत्र करने के लिए पात्र नहीं" शब्दों का उल्लेख करेगा; एवं
- (8) वह प्रत्येक नोटिस या साइनबोर्ड पर शब्दों "संरचना कर योग्य व्यक्ति" का उल्लेख करेगा, जो एक विशिष्ट स्थान पर, उसके व्यवसाय के प्रमुख स्थान पर एवं प्रत्येक अतिरिक्त स्थान या व्यवसाय के स्थानों पर प्रदर्शित करता हो।

7.3.4 कंपोजीशन लेवी योजना के लिए कर की दरें

संयोजन शुल्क करदाताओं के लिए निर्धारित दरें तालिका 7.1 में दी गई हैं।

तालिका 7.1: संयोजन शुल्क करदाताओं के लिए निर्धारित दरें

क्रम सं.	पंजीकृत व्यक्तियों की श्रेणी	कर की दर
1	निर्माता	01.07.2017 से 31.12.2017 तक प्रभावी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में टर्नओवर का 1% सीजीएसटी + 1% एसजीएसटी। 01.01.2018 से प्रभावी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में टर्नओवर का ½% सीजीएसटी + ½% एसजीएसटी
2	अनुसूची II के पैराग्राफ 6 के खंड (बी) में निर्दिष्ट आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता (अर्थात् रेस्तरां सेवाएँ)	01.07.2017 से प्रभावी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में टर्नओवर का 2 ½% सीजीएसटी + 2 ½% एसजीएसटी।
3	कंपोजीशन स्कीम के लिए पात्र अन्य आपूर्तिकर्ता (अर्थात् व्यापारी)	01.07.2017 से प्रभावी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में टर्नओवर का ½% सीजीएसटी + ½% एसजीएसटी 01.01.2018 से प्रभावी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में माल की कर योग्य आपूर्ति के टर्नओवर का ½% सीजीएसटी + ½% एसजीएसटी
4	धारा 10 की उपधारा (2ए) के अंतर्गत कंपोजीशन योजना का विकल्प चुनने वाले पंजीकृत व्यक्ति (अर्थात् सेवाओं के आपूर्तिकर्ता या वस्तुओं एवं सेवाओं की मिश्रित आपूर्ति)	01.04.2019 से प्रभावी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में टर्नओवर का 3% सीजीएसटी + 3% एसजीएसटी

7.4 संयोजन शुल्क योजना के लिए निर्धारित रिटर्न

धारा 39(2) के साथ पठित नियम 62 के अनुसार, सीएलएस के अंतर्गत करदाताओं को तिमाही के बाद माह की 18 तारीख तक फॉर्म जीएसटीआर-4 में त्रैमासिक रिटर्न फ़ाइल करना आवश्यक था। इसके बाद, नियम 62 को 23 अप्रैल 2019 से प्रभावी रूप से संशोधित किया गया, जिसमें फॉर्म जीएसटीआर-4 वार्षिक रिटर्न को अगले वर्ष के 30 अप्रैल तक फ़ाइल किया जाना था, जैसे पहले निर्धारित त्रैमासिक रिटर्न था उसकी तुलना में। इसके अलावा, संशोधित प्रक्रिया के अंतर्गत, करदाताओं को तिमाही के अगले माह की 18 तारीख तक फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 में प्रत्येक तिमाही के लिए एक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था।

7.5 संयोजन शुल्क योजना से संबंधित अखिल भारतीय आंकड़ों का विश्लेषण (सीबीआईसी से संबंधित आंकड़े)

योजना को चुनने का एक मुख्य मानदंड पिछले वित्तीय वर्ष में करदाता का 'कुल टर्नओवर' है। इसके अलावा, करदाता को सीएलएस हेतु पात्र बनने के लिए कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। सीएलएस के अंतर्गत, करदाता एक तिमाही के दौरान उसके द्वारा किए गए 'जावक आपूर्ति के मूल्य' पर कम दर पर कर का भुगतान करता है एवं यह 'जावक आपूर्ति का मूल्य' करदाता द्वारा त्रैमासिक विवरण (फॉर्म जीएसटी सीएमपी -08) में स्व-घोषित करता है। चूंकि सीएलएस करदाताओं को अपने त्रैमासिक विवरण के साथ 'आपूर्ति बिल' स्तर का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वार्षिक टर्नओवर को सत्यापित करने का दायरा जीएसटी सीएमपी-08 विवरण में घोषित 'जावक आपूर्ति के मूल्य' तक सीमित था। इसलिए, सीएलएस करदाताओं के संबंध में दो प्रमुख जोखिम क्षेत्र हैं:

1. योजना में जारी रहने के लिए करदाताओं द्वारा 'जावक आपूर्ति मूल्य' की कम घोषणा; एवं
2. सीएलएस का लाभ लेने के लिए पात्रता शर्तों को पूरा न करना।

इसलिए, सीएलएस से संबंधित अखिल भारतीय आंकड़ों के विश्लेषण निम्नलिखित की पहचान करने के उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया था:

- i. सीएलएस के अंतर्गत उच्च जोखिम वाले करदाता;
- ii. जिन करदाताओं ने योजना के लिए अयोग्य होने के बावजूद सीएलएस का विकल्प चुना था एवं पहचाने नहीं गए;
- iii. करदाता जिन्होंने निर्धारित नियमों के अनुसार कर, ब्याज एवं जुर्माना जैसी अपनी अनिवार्य देयता का निर्वहन नहीं किया; एवं
- iv. जिन करदाताओं ने निर्धारित नियमों के अनुसार अपना रिटर्न एवं अन्य निर्धारित फॉर्म फाइल नहीं किए।

7.6 आंकड़ों के विश्लेषण का दायरा

फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 को त्रैमासिक विवरण के रूप में लाकर एवं फॉर्म जीएसटीआर-4 को वार्षिक रिटर्न बनाकर सीएलएस में रिटर्न फाइल करना वित्त

वर्ष 2019-20 से सुव्यवस्थित किया गया था। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था (अर्थात् पिछले 3 वर्षों के)।

सितंबर 2022 में जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, पूरे देश में सीएलएस के अंतर्गत 23.69 लाख करदाता थे। इसमें से 8.66 लाख करदाता केंद्रीय क्षेत्राधिकार (अर्थात् सीबीआईसी से संबंधित) के अंतर्गत थे। वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के लिए केंद्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इन 8.66 लाख संयोजन शुल्क करदाताओं से संबंधित आंकड़ों पर विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के परिणाम आगामी अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

7.7 संयोजन शुल्क योजना के अंतर्गत उच्च जोखिम वाले करदाता

सीएलएस में उच्च जोखिम वाले करदाताओं के संबंध में विभागीय कार्रवाई का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने उन करदाताओं की पहचान की जिनके मामले में किसी विशेष वर्ष के दौरान कुल टर्नओवर की निर्धारित सीमा अर्थात् ₹1.5 करोड़ (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए ₹75 लाख) को पार करने की उच्च संभावना थी, लेकिन योजना में बने रहने के लिए हो सकता है कि उन्होंने उस वर्ष सीएलएस रिटर्न में अपना टर्नओवर कम घोषित किया हो। इन उच्च जोखिम वाले करदाताओं की पहचान निम्नलिखित तरीके से की गई है।

7.7.1 संयोजन शुल्क योजना के लिए प्रारंभिक सीमा से अधिक आवक आपूर्ति का मूल्य रखने वाले करदाता

फॉर्म जीएसटीआर-4ए सीएलएस करदाताओं द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक आपूर्ति का स्वतः-तैयार किया गया विवरण है। यह जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-5 एवं जीएसटीआर-7 से स्वतः तैयार किया गया है। ऐसे मामलों में जहां जीएसटीआर-4ए में प्रतिबिंबित एक वित्तीय वर्ष में कुल आवक आपूर्ति का मूल्य तीनों वित्तीय वर्षों (2019-20, 2020-21 एवं 2021-22) में ₹ 1.5 करोड़/₹ 75 लाख से अधिक है, वहां ऐसे करदाताओं द्वारा जावक आपूर्ति की सीमा को पार करने की उच्च संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 से संबंधित सीएलएस करदाताओं के आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया कि 10,597 करदाता ऐसे थे जिनकी वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आवक आपूर्ति का मूल्य ₹ 1.5 करोड़/₹ 75 लाख की अधिकतम सीमा से अधिक था। इन 10,597 करदाताओं में से, 6,236 करदाताओं को कम से कम लगातार दो वर्षों में अधिकतम सीमा से अधिक मूल्य की आवक आपूर्ति प्राप्त हुई थी एवं 1,820 करदाताओं को लगातार सभी तीन वर्षों में अधिकतम सीमा से अधिक मूल्य की आवक आपूर्ति प्राप्त हुई थी। 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान ₹ 1.5 करोड़ से अधिक आवक आपूर्ति मूल्य वाले करदाताओं की संख्या तालिका 7.2 में दी गई है।

तालिका 7.2: ₹1.5 करोड़ से अधिक आवक आपूर्ति मूल्य वाले करदाताओं की संख्या

वि.व.	सामान्य श्रेणी के राज्य		विशेष श्रेणी के राज्य	
	आवक आपूर्ति के मूल्य की रेंज	जीएसटीआईएन की संख्या	आवक आपूर्ति के मूल्य की रेंज	जीएसटीआईएन की संख्या
2019-20	>1.5 करोड़ एवं <=2करोड़	4,230	>75 लाख एवं <= 1 करोड़	298
	>2 करोड़ एवं <=5करोड़	3,141	>1 करोड़. एवं <=2.5 करोड़	330
	>5 करोड़	111	>2.5 करोड़	27
2020-21	>1.5 करोड़ एवं <=2करोड़	2,868	>75 लाख एवं <= 1 करोड़	245
	>2 करोड़ एवं <=5करोड़	2,337	>1 करोड़. एवं <=2.5 करोड़	232
	>5 करोड़	71	>2.5 करोड़	18
2021-22	>1.5 करोड़ एवं <=2करोड़	1,845	>75 लाख एवं <= 1 करोड़	125
	>2 करोड़ एवं <=5करोड़	998	>1 करोड़. एवं <=2.5 करोड़	126
	>5 करोड़	35	>2.5 करोड़	1

लेखापरीक्षा का विचार है कि लगातार तीन वर्षों में अधिकतम सीमा से अधिक मूल्य की आवक आपूर्ति प्राप्त करने वाले 1,820 करदाता उच्च जोखिम वाले करदाता हैं, जिनके लिए बाह्य आपूर्ति की अधिकतम सीमा को पार करने की अधिक संभावना थी, लेकिन जो सीएलएस में जारी थे। ऐसे शीर्ष पांच करदाताओं की 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान औसत आवक आपूर्ति ₹38.29 करोड़ थी।

आगे के विश्लेषण से पता चला कि इन 1,820 करदाताओं में से 1,054 करदाता (अर्थात् लगभग 58 प्रतिशत) औषधि उत्पादों के डीलर थे। योजना के अंतर्गत औषधि उत्पादों के ऐसे डीलर वर्ष-दर-वर्ष उच्च मूल्यों में इनपुट खरीद रहे थे,

लेकिन योजना के लिए निर्धारित सीमा के भीतर जावक आपूर्ति दिखाते हुए रिटर्न फ़ाइल कर रहे थे। ऐसे शीर्ष पांच करदाताओं की 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान औसत जावक आपूर्ति ₹ 17.63 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा ने इन मामलों को मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए चिह्नित किया (जनवरी 2023) कि क्या इन करदाताओं के संबंध में सीबीआईसी क्षेत्र संरचनाओं द्वारा कोई अनुपालन सत्यापन किया गया है। जीएसटीएन ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2023) कि सीएलएस के लिए पात्रता करदाता द्वारा घोषित जावक आपूर्ति के मूल्य पर आधारित है, न कि जावक आपूर्ति के मूल्य पर। इसलिए, अगस्त 2021 से सिस्टम में जावक आपूर्ति के आधार पर एक सत्यापन जांच शुरू कर दी गई है।

जीएसटीएन द्वारा बताए गए योजना के प्रावधान को स्वीकार करते हुए, लेखापरीक्षा ने दोहराया कि यह समीक्षा उच्च जोखिम वाले करदाताओं की पहचान करने के उद्देश्य से की गई थी जो पात्र न होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे हैं। वे करदाता जिनकी जावक आपूर्ति का मूल्य लगातार अधिकतम सीमा से अधिक है, उनकी जावक आपूर्ति का मूल्य पात्रता सीमा से अधिक होने की संभावना है, एवं इसलिए वे उच्च जोखिम वाले करदाता हैं। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि मंत्रालय द्वारा सिस्टम में आगे के सत्यापन के लिए ऐसे मामलों को रेड-फ्लैगिंग करने का प्रावधान होना चाहिए।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

7.7.2 जीएसटीआर-4ए के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य वाली जावक आपूर्ति रखने वाले एवं 28 प्रतिशत या 18 प्रतिशत की जीएसटी दर वाली वस्तुओं की आपूर्ति में लगे हुए करदाता

28 प्रतिशत की दर को आकर्षित करने वाली कई वस्तुएं उच्च मूल्य वाली वस्तुएं हैं जैसे न्यूमेटिक टायर, एयर कंडीशनर, मोटर वाहन, इंजन के पुर्जे, इलेक्ट्रिक संचायक आदि। इसलिए, सीएलएस करदाताओं द्वारा टर्नओवर सीमा को पार करने की संभावना ज्यादा हो सकती है।

एक करदाता को अपने पंजीकरण फॉर्म (जीएसटी आरईजी -01) में उसके द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले शीर्ष पांच सामानों के एचएसएन की घोषणा करनी होती

है। इस तरह की सूचना के आधार पर सामान्य जीएसटी दर 28 प्रतिशत वाले माल का कारोबार करने वाले सीएलएस करदाताओं की पहचान की गई। आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि 2,23,011 करदाता ऐसे थे जो 28 प्रतिशत की जीएसटी दर वाली वस्तुओं को आपूर्ति कर रहे थे, जिनमें से 1,100 करदाता ऐसे थे, जिनका जीएसटीआर-4ए के अनुसार 2019-20 से 2021-22 तक कम से कम एक वित्तीय वर्ष में कुल आवक आपूर्ति का मूल्य ₹1.5 करोड़/₹75 लाख की सीमा से अधिक था और जिन्होंने योजना के तहत जारी रखा था। इसके अलावा, इन 1,100 करदाताओं में से यह देखा गया कि 2019-20 से 2021-22 तक कम से कम दो वित्तीय वर्षों में से किसी में भी 356 करदाताओं की आवक आपूर्ति सीमा से अधिक थी और 253 करदाताओं की आवक आपूर्ति का कुल मूल्य सभी तीन वर्षों में अधिकतम सीमा से अधिक था। शीर्ष पांच ऐसे करदाताओं के लिए आवक आपूर्ति का औसत मूल्य 2019-20 से 2021-22 के दौरान 14.26 करोड़ था ।

इसी प्रकार, सीएलएस करदाता 18 प्रतिशत कर दर के अंतर्गत आने वाले कुछ विशिष्ट वस्तुओं जैसे 'मोबाइल फोन' (शीर्षक 8517), 'इलेक्ट्रॉनिक खिलौने एवं वीडियो गेम' (शीर्षक 9503 एवं 9504), 'टीवी सेट एवं मॉनिटर्स 32 इंच से अधिक न हों (शीर्षक 8528) की आपूर्ति करने वालों की भी पहचान की गई। ऐसे 56,195 करदाताओं में से 151 करदाता ऐसे थे जिनकी जीएसटीआर-4ए के अनुसार 2019-20 से 2021-22 तक किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आवक आपूर्ति का मूल्य ₹ 1.5 करोड़/₹ 75 लाख से अधिक था एवं जिन्होंने योजना के अंतर्गत जारी रखा था। इसके अलावा, इन 151 करदाताओं में से, यह देखा गया कि 47 करदाताओं के पास 2019-20 से 2021-22 तक कम से कम दो वित्तीय वर्षों में आवक आपूर्ति का कुल मूल्य अधिकतम सीमा से अधिक था एवं 29 करदाताओं का सभी तीन वर्षों में अधिकतम सीमा से अधिक आवक आपूर्ति का कुल मूल्य था। ऐसे शीर्ष पांच करदाताओं में आवक आपूर्ति का औसत मूल्य 2019-20 से 2021-22 के दौरान ₹ 8.57 करोड़ था।

इसलिए, ऐसे सभी करदाता जो 28 प्रतिशत या 18 प्रतिशत की सामान्य जीएसटी दर वाली वस्तुओं का कारोबार करते हैं और जिनकी 2019-20 से 2021-22 तक किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान आवक आपूर्ति का मूल्य, विशेष

रूप से जिनका दो वित्तीय वर्षों अधिकतम सीमा से अधिक है, उनके जीएसटीआर-4ए के अनुसार सीएलएस हेतु अधिकतम सीमा से अधिक था, उन्हें भी उच्च जोखिम वाले करदाताओं के रूप में माना जाएगा।

लेखापरीक्षा ने इन मामलों को मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा कि क्या इन करदाताओं के संबंध में सीबीआईसी क्षेत्र कार्यालयों द्वारा कोई अनुपालन सत्यापन किया गया है (जनवरी 2023)। जीएसटीएन ने कहा (मार्च 2023) कि टर्नओवर की जांच जावक आपूर्ति के मूल्य पर आधारित है, न कि उस वस्तु के आधार पर जिसमें करदाता करोबार करता है। इसलिए, जीएसटीएन की इस पहलू में कोई भूमिका नहीं है, यह पूरी तरह से एक नीतिगत मुद्दा है।

लेखापरीक्षा स्वीकार करता है कि टर्नओवर की जांच वस्तुओं/माल के प्रकार/वर्ग पर आधारित नहीं है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऐसे करदाताओं के उनकी जावक आपूर्ति के मूल्य के अधिकतम सीमा पार करने की संभावना है। इसलिए ऐसे मामलों के आगे के सत्यापन के लिए रेड-फ्लैगिंग हेतु एक प्रणालीगत प्रावधान होना चाहिए।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

7.7.3 ऐसे करदाता जिनके विवरण में वार्षिक घोषित टर्नओवर कंपोजीशन लेवी योजना के लिए निर्धारित सीमा से थोड़ा कम है

सीएलएस करदाताओं द्वारा टर्नओवर की घोषणा कम होने की संभावना है, जिनके सीएलएस विवरण में कुल घोषित वार्षिक टर्नओवर ₹ 1.5 करोड़ (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए ₹ 75 लाख) से थोड़ा कम है।

आँकड़ा विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि 5,404 करदाता थे जिनका वार्षिक घोषित कारोबार 2019-20 से 2021-22 तक पिछले तीन वर्षों में से कम से कम एक वर्ष में ₹ 1.4 और ₹ 1.5 करोड़ (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए ₹ 70 और ₹ 75 लाख के बीच) के बीच था और जो इस योजना के तहत जारी कर रहे थे इन 5,404 करदाताओं में से 178 करदाता ऐसे थे जिनका वार्षिक घोषित कारोबार पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में ₹ 1.4 और ₹ 1.5 करोड़ (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए ₹ 70 और ₹ 75 लाख के बीच) के बीच था। ऐसे सभी मामलों में करदाताओं द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा को पार

करने की संभावना थी, यद्यपि, वे इस योजना के तहत कम कर रहे थे। इसलिए, इन 178 करदाताओं को मध्यम जोखिम वाले सीएलएस करदाता माना जाएगा।

लेखापरीक्षा ने इन मामलों को मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा कि क्या इन करदाताओं के संबंध में सीबीआईसी क्षेत्र कार्यालयों द्वारा कोई अनुपालन सत्यापन किया गया है (जनवरी 2023)। जीएसटीएन ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2023) कि सत्यापन जांच सटीक सीमा टर्नओवर पर आधारित है। हालाँकि, करदाता की सुविधा के लिए, सीमा टर्नओवर का 80% पार करने पर करदाता को सतर्क किया जाता है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि करदाता को सतर्क करने के अलावा, जो मुख्य रूप से करदाताओं के लाभ के लिए हैं, ऊपर सुझाए गए निर्धारितियों से संबंधित संभावित जोखिम को देखते हुए मंत्रालय द्वारा अनुपालन सत्यापन के लिए प्रणाली द्वारा चेतावनी दी जाए।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

7.7.4 करदाता जिनके टीडीएस कटौतीकर्ताओं को आपूर्ति का वार्षिक मूल्य कंपोजीशन लेवी योजना के लिए निर्धारित सीमा से अधिक या मामूली कम था

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार, सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, सरकारी एजेंसियों आदि को उन वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं से जीएसटी टीडीएस काटना आवश्यक है जहां अनुबंध के तहत आपूर्ति का कुल मूल्य ₹ 2.5 लाख से अधिक है। ऐसे कटौतीकर्ता उन आपूर्तिकर्ताओं, जिनसे एक महीने के दौरान कर काटा गया था, का विवरण देते हुए मासिक विवरण जीएसटीआर-7 दाखिल करते हैं।

2019-20 से 2021-22 के दौरान टीडीएस कटौतीकर्ताओं द्वारा दाखिल मासिक विवरण के विश्लेषण से, यह देखा गया कि 42 सीएलएस करदाता ऐसे थे, जिनका एक वर्ष के दौरान टीडीएस कटौतीकर्ताओं को आपूर्ति का कुल मूल्य सीएलएस के लिए पात्र होने हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा (₹ 1.5 करोड़/₹ 75

लाख), से अधिक था। परिणामस्वरूप, उपरोक्त 42 करदाता योजना में बने रहने के लिए अपात्र थे।

इसके अलावा, यह देखा गया कि 29 सीएलएस करदाता ऐसे थे जिनकी पिछले तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में टीडीएस कटौतीकर्ताओं को की गई आपूर्ति का वार्षिक मूल्य ₹ 1.3 और ₹ 1.5 करोड़/70 और 75 लाख के बीच था। ऐसे मामलों में, करदाताओं द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा को पार करने की संभावना थी और इसलिए, ऐसे सभी करदाताओं को मध्यम से उच्च जोखिम वाले करदाताओं के रूप में माना जाएगा।

लेखापरीक्षा ने इन मामलों को मंत्रालय को भेजा (जनवरी 2023)। जीएसटीएन ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2023) कि करदाता विवरण/रिटर्न में लेनदेन की सूचना उस कर अवधि में देते हैं जिसमें आपूर्ति की गई है जबकि कटौतीकर्ता, आपूर्तिकर्ता को भुगतान करते समय टीडीएस काटता है। एक कर अवधि से दूसरी कर अवधि में जानकारी फैलने के कारण आपूर्तिकर्ताओं के विवरण के साथ टीडीएस कटौतीकर्ता के विवरण की एक-एक करके तुलना संभव नहीं है। जीएसटीएन ने यह भी कहा कि उसने जांच के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक प्रतिवेदन प्रदान किए हैं।

लेखापरीक्षा का विचार है कि चूंकि सीएलएस करदाताओं की पहचान करना संभव है, जिनका टीडीएस कटौतीकर्ताओं को आपूर्ति का कुल मूल्य, एक वर्ष के दौरान, अधिकतम सीमा से अधिक या अधिकतम सीमा से थोड़ा कम था, इसलिए, जीएसटीएन, सत्यापन के लिए नियमित अंतराल पर विभाग को ऐसे करदाताओं पर प्रतिवेदन प्रदान करने पर विचार करे।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

कुल मिलाकर, उपरोक्त चार मानदंडों के आधार पर कुल 2,223 (1,820+356+47) सीएलएस करदाता उच्च जोखिम वाले करदाता पाए गए।

7.7.5 उच्च जोखिम वाले करदाताओं द्वारा घोषित जावक आपूर्ति के मूल्य का प्रति सत्यापन

लेखापरीक्षा ने आँकड़ा विश्लेषण (पिछले अनुच्छेदों में सामने लाए गए) के माध्यम से पहचाने गए उच्च जोखिम वाले मामलों से एक नमूना जांच की। लेखापरीक्षा ने करदाता द्वारा घोषित जावक आपूर्ति के मूल्य को आय कर विवरण और 'वाहन' डेटाबेस (यानी मोटर वाहन पंजीकरण डेटाबेस) से उपलब्ध जानकारी के साथ प्रति सत्यापित किया। लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

(ए) उपरोक्त 2,223 करदाताओं में से चिन्हित कोलकाता क्षेत्राधिकार के तहत शीर्ष 10 उच्च जोखिम वाले सीएलएस करदाताओं का एक नमूना, संबंधित वर्षों में उनके आय कर विवरण में उनके द्वारा घोषित आपूर्ति के मूल्य के साथ सीएलएस विवरण में घोषित जावक आपूर्ति के मूल्य के प्रतिसत्यापन के लिए चुना गया था। चयनित 10 करदाताओं में से केवल सात करदाताओं के आयकर विवरण ही आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए। यह अवलोकन किया गया कि दो करदाताओं के मामले में, आयकर विवरण के अनुसार आपूर्ति का मूल्य अधिकतम सीमा से अधिक था, लेकिन सीएमपी-08 के अनुसार संबंधित मूल्य अधिकतम सीमा से कम था। इसलिए, ये करदाता सीएलएस के तहत पात्र नहीं थे। बाकी पांच करदाताओं के संबंध में, दोनों विवरण के बीच जावक आपूर्ति के मूल्य में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था।

(बी) पंजीकरण के समय सीएलएस करदाताओं द्वारा घोषित माल के एचएसएन के आधार पर, लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि 4,208 ऐसे सीएलएस करदाता थे जो मोटर वाहनों के डीलर थे। इन 4,208 करदाताओं में से 848 करदाता 2019-20 से 2021-22 के दौरान योजना में बने रहे। इन 848 करदाताओं में से, 42 करदाता ऐसे थे जिनके या तो जीएसटीआर-4ए में पिछले तीन वर्षों में से किसी में भी आवक आपूर्ति का मूल्य ₹ 1.5 करोड़ से अधिक था या जिनकी जावक आपूर्ति का घोषित मूल्य ₹ 1.4 और ₹ 1.5 करोड़ के बीच था। इन 42 करदाताओं को 'वाहन' डेटाबेस में उनके टर्नओवर के सत्यापन के लिए चुना गया था। इन 42 करदाताओं में से 11 करदाताओं के बिक्री रिकॉर्ड 'वाहन' डेटाबेस में पाए गए। यह देखा गया कि सात मामलों में करदाताओं की बिक्री का वार्षिक मूल्य सीएलएस के लिए निर्धारित सीमा से अधिक था, लेकिन

सीएमपी-08 में टर्नओवर को अधिकतम सीमा से कम घोषित करके अनियमित रूप से योजना में बने रहे।

सिफारिश 1: मंत्रालय को जोखिम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके समय-समय पर सीएलएस में उच्च जोखिम वाले करदाताओं को चिन्हित करना चाहिए और अयोग्य व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग की संभावना को कम करने के लिए तीसरे पक्ष सहित अन्य स्रोतों से जावक आपूर्ति के उनके घोषित मूल्य को सत्यापित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (जनवरी 2023)। जीएसटीएन ने कहा (मार्च 2023) कि यह प्रशासनिक-सह-नीतिगत मुद्दा है, जीएसटीएन से प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा सिफारिश को स्वीकार कर लिया (सितंबर 2023) और कहा कि सीएलएस श्रेणी में उच्च जोखिम वाले करदाताओं की पहचान करने के लिए जोखिम मापदंडों को विकसित करने के लिए तीसरे पक्ष के आंकड़ों सहित आँकड़ा स्रोतों की जांच की जा रही है और प्रति सत्यापन से सीएलएस श्रेणी के करदाताओं की पात्रता की जांच करने में मदद मिलेगी।

7.8 संयोजन शुल्क योजना के तहत अयोग्य करदाता

7.8.1 करदाता जिनकी आपूर्ति का मूल्य एक वर्ष के दौरान अधिकतम सीमा से अधिक हो गया लेकिन जो योजना में बने रहे

सीएलएस के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प उस दिन से समाप्त हो जाता है, जिस दिन एक वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता का कुल कारोबार ₹1.5 करोड़ (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए ₹75 लाख) की निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है। त्रैमासिक विवरण में घोषित टर्नओवर के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान टर्नओवर की निर्धारित सीमा को पार करने वाले सभी करदाता योजना में बने रहने के लिए अपात्र हैं।

आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चला कि सीएलएस करदाताओं द्वारा अपने तिमाही विवरण (सीएमपी-08) में घोषित जावक आपूर्ति के मूल्य के अनुसार,

सामान्य श्रेणी के राज्यों में 1,422 करदाता¹²¹ और विशेष श्रेणी के राज्यों में 255 करदाता ऐसे थे, जिन्होंने वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में से कम से कम एक में सीएलएस करदाताओं के लिए निर्धारित जावक आपूर्ति के मूल्य की सीमा को पार किया था। इसमें से, सामान्य श्रेणी के राज्यों में 904 करदाता और विशेष श्रेणी के राज्यों में 178 करदाता योजना में बने रहने के लिए अयोग्य होने के बावजूद अगले वर्ष भी योजना में बने रहे।

तालिका 7.3: करदाता योजना में बने रहने के लिए अयोग्य होने के बावजूद अगले वर्ष भी योजना में बने रहे

वर्ष	सीएलएस करदाताओं की संख्या, जिन्होंने जावक आपूर्ति के मूल्य की सीमा पार कर ली थी और योजना में बने रहे	
	सामान्य श्रेणी के राज्य	विशेष श्रेणी राज्य
2019-20	503	109
2020-21	367	64
2021-22	34	5
कुल	904	178

लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (जनवरी 2023)। जीएसटीएन ने कहा (मार्च 2023) कि टर्नओवर जांच अब अगस्त, 2021 से स्थापित कर दी गई है।

आँकड़ा विश्लेषण के निष्कर्षों से, यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2021-22 में प्रणाली में टर्नओवर जांच किए जाने के बाद से, वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 में ऐसे मामलों की संख्या की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में इस प्रकार के मामलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

7.8.2 करदाता जिन्होंने ई-कॉमर्स संचालक के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति की

सीएलएस के तहत एक करदाता किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स संचालक, जिसे स्रोत पर कर एकत्र करना आवश्यक था, के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है। ई-कॉमर्स संचालक जीएसटीआर-08 फॉर्म में मासिक

¹²¹ लेखापरीक्षा द्वारा पहचाने गए 1,492 करदाताओं में से सीएमपी-08 में अवास्तविक मूल्य वाले 70 करदाताओं को बाहर करने के बाद।

विवरण दाखिल करते हैं, जिसमें उन आपूर्तिकर्ताओं का विवरण दिया जाता है जिनसे उन्होंने एक महीने के दौरान कर एकत्र किया गया था।

ई-कॉमर्स संचालकों द्वारा जीएसटीआर-08 विवरण के माध्यम से प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि उपरोक्त तीन वर्षों के दौरान ई-कॉमर्स संचालकों के माध्यम से आपूर्ति के 1,442 मामले थे जिनमें 136 सीएलएस करदाता भी शामिल थे। कंपोजीशन लेवी के तहत रहते हुए इन करदाताओं द्वारा ई-कॉमर्स संचालक के माध्यम से आपूर्ति उचित नहीं थी और इसलिए, वे अयोग्य थे।

लेखापरीक्षा ने सीएलएस के तहत अयोग्य करदाताओं की सूची के साथ इसे मंत्रालय को सूचित किया (जनवरी 2023)। जीएसटीएन ने कहा (मार्च 2023) कि अधिनियम में संशोधन से पहले, ईसीओ के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति की अनुमति थी, इसलिए कोई जांच नहीं रखी गई थी। अब, सरकार फिर से संयोजन करदाताओं को ईसीओ के माध्यम से आपूर्ति करने की अनुमति दे रही है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि ईसीओ के माध्यम से माल की आपूर्ति शुरू से ही अस्वीकृत थी और ईसीओ के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति (जहां भी सीएलएस करदाताओं के लिए अनुमति थी) 01 जनवरी 2021 से अस्वीकृत कर दी गई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ईसीओ के माध्यम से सामान या सेवाओं की आपूर्ति करने वाले सीएलएस करदाताओं का पता लगाने के लिए कोई प्रणालीगत जांच नहीं थी। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10 (2) को अब ईसीओ के माध्यम से माल की आपूर्ति की अनुमति देने के लिए संशोधित¹²² किया गया है। हालांकि, संशोधन के बाद भी ईसीओ के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति अभी भी अस्वीकृत है और इसलिए, इस संबंध में जांच की आवश्यकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

¹²² अधिसूचना संख्या 28/2023-केंद्रीय कर दिनांक 31 जुलाई 2023 के तहत 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी।

7.8.3 ऐसे करदाता जिन्होंने योजना के अंतर्गत रहते हुए माल की अंतरराज्यीय जावक आपूर्ति की थी

सीएलएस करदाता को अंतरराज्यीय जावक आपूर्ति करने की अनुमति नहीं है। आँकड़ा विश्लेषण के दौरान, 2019-20 से 2021-22 के दौरान करदाताओं द्वारा बनाए गए ई-वे बिलों का विश्लेषण यह देखने के लिए किया गया कि क्या किसी सीएलएस करदाता ने माल की जावक आपूर्ति के लिए अंतरराज्यीय ई-वे बिल तैयार किया था। यह देखा गया कि ऐसे 3,416 मामले थे जहां सीएलएस के तहत रहते हुए माल की अंतरराज्यीय बाहरी आपूर्ति के लिए 2,885 करदाताओं द्वारा ई-वे बिल तैयार किए गए थे, जिससे वे इस योजना में बने रहने के लिए अयोग्य हो गए।

लेखापरीक्षा ने सीएलएस के तहत अयोग्य करदाताओं की सूची के साथ मंत्रालय को यह बताया (जनवरी 2023)। जीएसटीएन ने टिप्पणी को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2023) कि अब जांच को प्रणाली में शामिल कर दिया गया है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

7.8.4 एक ही स्थायी खाता संख्या के तहत बहु पंजीकरण लेकिन सभी पंजीकरणकर्ता संयोजन शुल्क योजना के तहत नहीं हैं

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10 (2) के अनुसार, जहां एक से अधिक पंजीकृत व्यक्तियों के पास एक ही स्थायी खाता संख्या (पैन) है, पंजीकृत व्यक्ति संयोजन शुल्क योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि ऐसे सभी पंजीकृत व्यक्ति योजना के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प नहीं चुनते हैं।

आँकड़ा विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि 69 अलग-अलग पैन धारक थे जिनके पास एक से अधिक जीएसटी पंजीकरण थे, जहां कम से कम एक जीएसटीआईएन योजना के तहत था, लेकिन वे सभी योजना के अंतर्गत नहीं थे। परिणामस्वरूप, उपरोक्त पैन के आधार पर पंजीकृत कोई भी करदाता इस योजना के लिए पात्र नहीं था।

लेखापरीक्षा ने सीएलएस के तहत अयोग्य करदाताओं की सूची के साथ मंत्रालय को यह बताया (जनवरी 2023)। जीएसटीएन ने कहा (मार्च 2023) कि प्रणाली

द्वारा करदाताओं की, जब वह समान पैन के साथ उसी या किसी अन्य राज्य में कंपोजीशन लेवी स्कीम (सीएलएस) में सक्रिय है, सामान्य करदाता के रूप में पंजीकरण करने से रोकने के लिए सत्यापन जांच होती है। इन मामलों में, यह पाया गया कि करदाताओं ने सामान्य करदाता के रूप में उसी दिन उसी पैन पर दूसरे पंजीकरण के लिए तुरंत आवेदन किया था, जब उन्होंने सीएलएस में स्व-रद्दीकरण के लिए आवेदन किया था।

जीएसटीएन का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन जीएसटीआईएन की लेखापरीक्षा जांच से पता चला है कि कई मामलों में, जहां एक ही पैन का उपयोग कई जीएसटीआईएन प्राप्त करने के लिए किया गया है, वहां कम से कम एक जीएसटीआईएन सीएलएस के तहत पंजीकृत है और दूसरा नियमित करदाता के रूप में है और ये दोनों जीएसटीआईएन सक्रिय हैं।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

7.8.5 एक ही स्थायी खाता संख्या के अंतर्गत बहु-पंजीकरण जहां सभी इकाइयों का कुल टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक था

एक ही पैन के तहत एकाधिक सीएलएस करदाताओं के मामले में कुल टर्नओवर सीमा एक ही पैन के तहत पंजीकृत सभी इकाइयों के टर्नओवर को जोड़कर निर्धारित की जानी है। आँकड़ा विश्लेषण से, यह देखा गया कि एक ही पैन के तहत पंजीकृत सीएलएस करदाताओं के 978 सेट थे, जिनकी जावक आपूर्ति का वार्षिक मूल्य (एक ही पैन के लिए) पिछले तीन वर्षों में से कम से कम एक में अर्थात् 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में अधिकतम सीमा से अधिक था। परिणामस्वरूप, वे योजना के लिए पात्र नहीं थे, तथापि, योजना में बने रहे। ऐसे करदाताओं की वर्षवार संख्या **तालिका 7.4** में दर्शायी गयी है।

तालिका 7.4: योजना के लिए अपात्र थे, फिर भी ऐसे करदाता योजना में बने रहे

वित्तीय वर्ष	ऐसे पैन की संख्या जहां समान पैन वाले करदाताओं का टर्नओवर सीमा-रेखा से अधिक था।	शामिल सीएलएस करदाताओं की संख्या
2019-20	228	502
2020-21	276	600
2021-22	474	1020
क्रमानुगत दो साल: 2019-20 और 2020-21	112	257
क्रमानुगत दो साल: 2020-21 और 2021-22	169	381
क्रमानुगत तीन साल: 2019-20, 2020-21 और 2021-22	81	193

लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (जनवरी 2023)। जीएसटीएन ने कहा (मार्च 2023) कि वह इन मामलों का विश्लेषण करने की प्रक्रिया में था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

7.8.6 अधिसूचित वस्तुओं के निर्माण में लगे करदाता

एक करदाता इस योजना को चुनने के लिए पात्र नहीं है यदि वह ऐसे सामानों के निर्माण में लगा हुआ है जो धारा 10(2)(ई) के तहत अधिसूचित है। ऐसे सामान हैं 'आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ' (प्रशुल्क मद: 2105 00 00), 'पान मसाला' (प्रशुल्क मद : 2106 90 20), 'तंबाकू और निर्मित तंबाकू के विकल्प' और 'वातित जल'।

इसके अलावा, एक करदाता को अपने पंजीकरण फॉर्म (जीएसटी आरईजी -01) में व्यावसायिक गतिविधियों की प्रकृति के साथ उसके द्वारा आपूर्ति की गई शीर्ष पांच वस्तुओं का एचएसएन घोषित करना होगा। इस कॉलम में दी गई जानकारी के आधार पर, उन करदाताओं की पहचान की गई जो अधिसूचित वस्तुओं के निर्माता थे। यह देखा गया कि 38 सीएलएस करदाता अधिसूचित

वस्तुओं के निर्माता थे और इसलिए, इस योजना के लिए पात्र नहीं थे। हालाँकि, वे योजना में बने रहे।

सिफ़ारिश 2: मंत्रालय को अयोग्य करदाताओं की पहचान करने की एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए और योजना के इच्छित लाभों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उन्हें योजना से बाहर करने की कार्रवाई करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (जनवरी 2023)। जीएसटीएन ने कहा (मार्च 2023) कि एचएसएन 21050000¹²³, 21069020¹²⁴, 24¹²⁵ और 22021010¹²⁶ आदि के साथ सीएलएस में पंजीकरण लेने के लिए सत्यापन जांच/प्रतिबंध है। इसके अलावा, यह पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय अनिवार्य घोषणा के माध्यम से आवेदक/करदाताओं से पुष्टि मांगता है और आवेदक प्रणाली पर घोषणा प्रदान किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

तथ्य यह है कि 38 सीएलएस करदाता अधिसूचित वस्तुओं के निर्माता पाए गए; इसलिए यह स्पष्ट है कि करदाता झूठी घोषणाओं के माध्यम से योजना का लाभ उठा रहे हैं। यह अयोग्य लाभार्थियों का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा डेटाबेस के आगामी जांच की आवश्यकता का संकेत देता है।

मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2023) कि चूंकि आँकड़ा तत्व जिसके आधार पर सीएलएस करदाताओं के लिए पात्रता मानदंडों की पूर्ति होती है, फ्रंट-एंड एप्लिकेशन में जीएसटीएन के साथ पहले से ही उपलब्ध हैं, ऐसे 18 सत्यापन को फ्रंट-एंड एप्लिकेशन में जीएसटीएन द्वारा बनाए जाने की आवश्यकता है जिससे अयोग्य करदाताओं को सीएलएस योजना का लाभ उठाने से रोका जाना सुनिश्चित किया जा सके। चूंकि मामला जीएसटीएन से संबंधित है, इसलिए इस संबंध में आगे की टिप्पणियां जीएसटीएन से प्राप्त की जा सकती हैं। इस संबंध में एक संदर्भ पहले ही सीबीआईसी द्वारा जीएसटीएन को भेजा जा चुका है।

¹²³ आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे उसमें कोको हो या नहीं

¹²⁴ पान मसाला

¹²⁵ तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू विकल्प

¹²⁶ वतित पेय

7.9 करदाता जिन्होंने अपनी अनिवार्य जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया

7.9.1 पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त आपूर्ति पर प्रति प्रभार के आधार पर कर का भुगतान न करना (प्रति प्रभार के अंतर्गत देय)

संयोजन योजना के तहत करदाताओं को प्रति प्रभार को आकृष्ट करने वाली आपूर्ति प्राप्त होने पर लागू दरों पर प्रति प्रभार तंत्र (आरसीएम) के तहत कर का भुगतान करना आवश्यक है। ऐसे मामलों में जहां ऐसी आपूर्ति किसी पंजीकृत व्यक्ति से प्राप्त होती है, ऐसी आपूर्ति का विवरण जीएसटीआर-4 ए में स्वतः भर जाता है। इसके अलावा, सीएलएस करदाताओं को तिमाही विवरण सीएमपी-08 के साथ-साथ वार्षिक विवरण जीएसटीआर-4 में भुगतान किए गए कर के साथ ऐसी आपूर्ति का विवरण देना आवश्यक है।

आँकड़ा विश्लेषण के दौरान, आवक आपूर्ति के स्वतः भरे गए मूल्य, जिस पर प्रति प्रभार के तहत कर देय था, जैसा कि जीएसटीआर-4ए में दर्शाया गया है, की तुलना करदाताओं द्वारा वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए उनके तिमाही विवरण सीएमपी -08 में प्रदान किए गए संबंधित आंकड़ों के साथ की गई थी और यह देखा गया था कि 99,098 सीएलएस करदाता ऐसे थे जिनके मामले में आवक आपूर्ति के उदाहरण थे जो प्रति प्रभार को आकर्षित कर रहे थे जैसा कि उनके जीएसटीआर-4ए में दिखाया गया है लेकिन सीएमपी-08 के अनुसार प्रति प्रभार के अंतर्गत कर का कुल भुगतान 'शून्य' पाया गया। इससे पता चलता है कि इन मामलों में करदाताओं द्वारा प्रति प्रभार के तहत देय कर का भुगतान नहीं किया गया था। करदाताओं की संख्या और आवक आपूर्ति के मूल्य का वर्ष-वार विवरण, जिस पर प्रति प्रभार के तहत कर का भुगतान नहीं किया गया था, तालिका 7.5 में दिखाया गया है।

तालिका 7.5: करदाताओं की संख्या और आवक आपूर्ति के मूल्य का वर्ष वार विवरण, जिस पर प्रति प्रभार के तहत कर का भुगतान नहीं किया गया है

वित्तीय वर्ष	उन करदाताओं की संख्या जिन्होंने प्रति प्रभार के तहत कर का भुगतान नहीं किया	आवक आपूर्ति का कुल मूल्य जिस पर प्रति प्रभार के तहत कर का भुगतान नहीं किया गया था (₹ करोड़ में)
2019-20	33,075	90.11
2020-21	32,366	77.34
2021-22	33,657	62.47
कुल	99,098	229.92

वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान शीर्ष पांच करदाताओं द्वारा आरसीएम के तहत आवक आपूर्ति का मूल्य जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया था, ₹ 5.16 करोड़ था।

लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (जनवरी 2023)। जीएसटीएन ने कहा (मार्च 2023) कि ऐसे मामलों के लिए प्रणाली अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर में सत्यापन जांच लागू करना संभव नहीं हो सकता है। इसने आगे कहा कि वह शीघ्र ही कर अधिकारियों के साथ रेड फ्लैग प्रतिवेदन साझा करेगा।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

7.9.2 पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त आपूर्ति पर प्रति प्रभार के आधार पर कर का कम भुगतान (प्रति प्रभार के अंतर्गत देय)

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 5(1)(डी) के प्रावधानों के अनुसार, संयोजन योजना के तहत करदाताओं को प्राप्त आपूर्ति पर लागू दरों पर प्रति प्रभार के तहत कर का भुगतान करना आवश्यक है। चूंकि जीएसटी दर के चार मुख्य स्लैब 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत हैं, इसलिए, सीएलएस करदाताओं द्वारा प्रति प्रभार आकृष्ट करने वाली किसी भी आवक आपूर्ति पर, देय न्यूनतम कर कम से कम 5 प्रतिशत होना चाहिए।

आँकड़ा विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान, 4,822 करदाताओं में से, जिन्होंने सीएमपी-08 विवरण के अनुसार प्रति प्रभार के तहत कर का भुगतान किया था, उनमें से 318 करदाता ऐसे थे जिन्होंने आवक आपूर्ति के कुल मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया, जो दर्शाता है कि कर का भुगतान सामान्य के बजाय सीएलएस करदाताओं की बाहरी आपूर्ति पर लागू दर पर किया गया था, जो कम से कम पांच प्रतिशत होनी चाहिए थीं। ऐसे कम भुगतान का वर्षवार ब्यौरा तालिका 7.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.6: इस प्रकार कम भुगतान का वर्ष वार ब्यौरा

वित्तीय वर्ष	करदाताओं की संख्या	वह दर जिस पर आरसीएम के तहत कर का भुगतान किया गया था (प्रतिशत में)	आवक आपूर्ति का कुल मूल्य जिस पर आरसीएम के तहत कर का भुगतान किया गया था (₹ करोड़ में)
2019-20	152	1	13.37
2020-21	90	1	5.26
2021-22	76	1	5.90
कुल	318	-	24.53

लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (जनवरी 2023)। मंत्रालय/जीएसटीएन का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

7.9.3 संयोजन शुल्क योजना के तहत सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा लागू कर दर के अनुसार कर का भुगतान न करना

एक पंजीकृत व्यक्ति जो सीएलएस का विकल्प चुनता है और अनुसूची II के अनुच्छेद 6 के खंड (बी) में निर्दिष्ट (यानी रेस्तरां सेवाएं) आपूर्ति करता है, उसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कारोबार के पांच प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना आवश्यक है।

पंजीकरण फॉर्म (जीएसटी आरईजी -01) में दी गई जानकारी के आधार पर, उन करदाताओं की पहचान की गई जो रेस्तरां सेवाएं (एसएसी 996331) के प्रदाता थे। इन करदाताओं ने जिन दरों पर कर का भुगतान किया था, वे घोषित टर्नओवर और उनके द्वारा भुगतान किए गए कर से प्राप्त की गई थीं।

आँकड़ा विश्लेषण पर, यह पाया गया कि रेस्तरां सेवाओं के प्रदाता के रूप में पहचाने गए कुल 1,064 सीएलएस करदाताओं में से, वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः 92 करदाता, 163 करदाता और 220 करदाता थे, जिन्होंने पांच प्रतिशत की लागू दर से कम दर पर कर का भुगतान किया था।

लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (जनवरी 2023)। जीएसटीएन ने बताया (मार्च 2023) कि ऐसे मामलों के लिए प्रणाली अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर में सत्यापन जांच लागू करना संभव नहीं हो सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि वह जल्द ही टैक्स अधिकारियों के साथ रेड फ्लैग प्रतिवेदन साझा करेंगे।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

7.9.4 योजना का चयन करते समय स्टॉक पर आईटीसी रिवर्सल/कर भुगतान की सूचना दाखिल न करना

केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 3(3) के तहत जीएसटी सीएमपी-02 दाखिल करके कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले पंजीकृत करदाताओं को स्टॉक में रखे गए इनपुट पर आईटीसी रिवर्सल/कर भुगतान नियम 44(4) के तहत, जीएसटी आईटीसी -03 दाखिल करके स्टॉक में रखे गए अर्ध-निर्मित और निर्मित माल में शामिल इनपुट की सूचना प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से साठ दिनों की अवधि के भीतर दाखिल करना आवश्यक है। धारा 18(4) के साथ पठित नियम 44(4) के तहत एक पंजीकृत व्यक्ति जिसने इनपुट कर जमा का लाभ उठाया है और धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनता है और, जहां उसके द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों को पूरी तरह से छूट प्राप्त है, उसे जो स्टॉक में रखे गए इनपुट और अर्ध-निर्मित, स्टॉक में तैयार माल और पूंजीगत वस्तुओं में निहित इनपुट के संबंध में इनपुट कर के जमा के बराबर राशि "इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर" या "इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर" में डेबिट, के माध्यम से विकल्प का प्रयोग करने की तारीख या ऐसी छूट की तारीख से ठीक पहले राशि का भुगतान करना होगा। ऐसी राशि के भुगतान पर, इलेक्ट्रॉनिक जमा बही खाता में पड़ा इनपुट टैक्स जमा का शेष, यदि कोई हो, समाप्त हो जाएगा।

आँकड़ा विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि 1,67,189 पंजीकृत करदाता थे जिन्होंने 2019-20 से 2020-22 के दौरान जीएसटी सीएमपी-02 दाखिल करके योजना का विकल्प चुना था, जिनमें से 61,643 करदाताओं ने उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में जीएसटी आईटीसी-03 के माध्यम से स्टॉक में रखे गए इनपुट, स्टॉक में रखे गए अर्ध-निर्मित और निर्मित माल में निहित इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं पर आईटीसी रिवर्सल/कर भुगतान की सूचना दाखिल नहीं की थी।

लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (जनवरी 2023)। जीएसटीएन ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2023) कि उपरोक्त फॉर्म दाखिल करने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध थी और किसी भी उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू करना कर अधिकारियों का काम है। इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे करदाताओं का विवरण जल्द ही कर अधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

7.9.5 वार्षिक विवरण जीएसटीआर-4 दाखिल न करने वाले

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 62 के अनुसार, सीएलएस के तहत करदाताओं को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 30 अप्रैल तक फॉर्म जीएसटीआर -4 में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। समय-समय पर अधिसूचनाओं के माध्यम से नियत तारीखें बढ़ाई गईं। रिटर्न अवधि 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए बढ़ाई गई देय तिथियां क्रमशः 31.10.2020, 31.07.2021 और 28.07.2022 थीं।

आँकड़ा विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि 1,48,050 सीएलएस करदाताओं से जुड़े 2,62,160 मामले थे, जिन्होंने वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान कम से कम एक तिमाही के लिए फॉर्म सीएमपी-08 में विवरण दाखिल किया था; हालाँकि, उन्होंने संबंधित वर्ष के लिए फॉर्म जीएसटीआर-4 में अपना वार्षिक विवरण दाखिल नहीं किया था। जीएसटीआर-4 दाखिल न करने की वर्ष वार स्थिति तालिका 7.8 में दर्शाई गई है।

तालिका 7.8: जीएसटीआर-4 दाखिल न करने की वर्ष वार स्थिति

क्र.सं.	विवरण दाखिल करने की अवधि (वित्तीय वर्ष)	जीएसटीआर 4-दाखिल न करने वालों की संख्या
1	2019-20	73,036
2	2020-21	84,293
3	2021-22	1,04,831
4	2019-20 और 2020-21	46,971
5	2020-21 और 2021-22	63,855
6	2019-20, 2020-21 और 2021-22	37,934

लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (जनवरी 2023)। जीएसटीएन ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2023) कि उपरोक्त फॉर्म दाखिल करने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध थी और किसी भी उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू करना कर अधिकारियों का काम है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

7.9.6 तिमाही विवरण सीएमपी-08 में प्रदर्शित जावक आपूर्ति का अवास्तविक मूल्य

आँकड़ा विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि 1,492 मामलों में से जहां करदाताओं द्वारा उनका तिमाही विवरण सीएमपी-08 के अनुसार घोषित जावक आपूर्ति का वार्षिक मूल्य सीमा-रेखा से अधिक था, वहीं 70 मामले ऐसे थे जहां सीएमपी-08 में घोषित जावक आपूर्ति का मूल्य अवास्तविक था। परीक्षण जांच के आधार पर डेटाबेस में दिखाए गए मूल्य को बैकएंड प्रणाली में सत्यापित किया गया और यह पाया गया कि बैकएंड प्रणाली भी वही अवास्तविक मूल्य दिखा रही थी। यह सीएलएस आँकड़ों में महत्वपूर्ण विसंगतियों को दर्शाता है।

ऐसे तीन उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

(ए) कोलकाता दक्षिण आयुक्तालय में एक करदाता (जीएसटीआईएन: 1XXXXXXXXXXXY) के मामले में, करदाता ने अप्रैल-जून 2020 तिमाही के लिए सीएमपी-08 में जावक आपूर्ति का मूल्य ₹ 2,47,77,10,12,388 घोषित किया था। हालांकि, यह देखा गया कि इस विवरण में करदाता द्वारा भुगतान किया गया कर ₹ 24,776 था। इसलिए, जावक आपूर्ति का घोषित मूल्य संयोजन शुल्क करदाता के लिए अवास्तविक प्रतीत होता है।

(बी) बोलपुर आयुक्तालय में एक अन्य मामले (जीएसटीआईएन: 1XXXXXXXXXXXC) में, जनवरी-मार्च 2020 तिमाही के लिए सीएमपी-08 में जावक आपूर्ति का घोषित मूल्य ₹ 61,05,27,10,527 था जबकि कुल कर भुगतान ₹ 6,105 था।

(सी) सिलीगुड़ी आयुक्तालय में एक करदाता (जीएसटीआईएन: 1XXXXXXXXXX3) के मामले में, अक्टूबर-दिसंबर 2020 तिमाही के लिए सीएमपी-08 में जावक आपूर्ति का घोषित मूल्य ₹ 12,10,50,06,075 था। इस मामले में भुगतान किया गया कुल कर ₹ 12,150 था।

इसके अलावा, इन मामलों में, जावक आपूर्ति के अवास्तविक मूल्य के कारण, करदाता द्वारा भुगतान किए गए कर की सटीकता का पता नहीं लगाया जा सका।

सिफ़ारिश 3: सीएलएस करदाताओं द्वारा प्रति प्रभार के तहत कर के भुगतान न किए जाने/कम भुगतान, को रोकने के लिए, विभाग फॉर्म जीएसटीआर-4ए (संयोजन शुल्क का विकल्प चुनने वाले पंजीकृत व्यक्ति के लिए स्वतः-प्रारूपित विवरण) और सीएमपी-08 (स्व-निर्धारण कर के भुगतान के लिए विवरण) को एकीकृत करने पर विचार करे ताकि "प्रति प्रभार को आकर्षित करने वाली आवक आपूर्ति का मूल्य" सीएमपी-08 की तालिका 3 में स्वतः भरा जाए। इसके अलावा, सीएमपी-08 में जावक आपूर्ति के मूल्य और भुगतान किए गए कर के बीच संगतता सुनिश्चित करने के लिए वैधीकरण नियंत्रण या, कम से कम, उपयोगकर्ता सचेतक की समीक्षा लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई विसंगतियों के मद्देनजर की जाए।

लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (जनवरी 2023)। जीएसटीएन ने कहा (मार्च 2023) कि कुछ मामलों में, कर योग्य मूल्य की सूचना देते समय त्रुटि हो सकती है जिससे ऐसी विसंगतियां हो सकती हैं।

मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2023) कि मामला जीएसटीएन से संबंधित है।

7.10 संयोजन शुल्क योजना विवरण में सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य अलग से घोषित करने के प्रावधान का अभाव

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10(2) के अनुसार, रेस्तरां सेवाओं की आपूर्ति में लगे करदाताओं को छोड़कर, सेवाओं की आपूर्ति में लगे करदाता इस योजना का विकल्प चुनने के पात्र नहीं थे। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में संशोधन के परिणामस्वरूप, 01.02.2019 से, पिछले वर्ष के टर्नओवर के 10 प्रतिशत या ₹ 5 लाख, जो भी अधिक हो, से अधिक मूल्य तक सेवाओं की आपूर्ति की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, ऐसे करदाताओं द्वारा सेवाओं की आपूर्ति की सीमा के बारे में जानकारी योजना के लिए वर्तमान में निर्धारित विवरण में दर्ज नहीं की गई है।

आँकड़ा विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि 14,419 सीएलएस करदाता ऐसे थे जो सेवाओं (रेस्तरां सेवाओं के अलावा) के आपूर्तिकर्ता थे। इनमें से 7,153 करदाताओं ने धारा 10(2ए) के तहत कर भुगतान करने का विकल्प चुना था। इसलिए, शेष 7,266 करदाता ऊपर उल्लिखित संशोधन का लाभ उठा रहे होंगे।

हालाँकि, ऐसे करदाताओं द्वारा उनके विवरण में सेवाओं की आपूर्ति की सीमा (कुल कारोबार के अनुपात के रूप में) की जानकारी के अभाव में यह निर्धारित करना संभव नहीं था कि क्या उन्होंने धारा 10 (2) के तहत निर्धारित सीमा के भीतर सेवाओं की आपूर्ति की थी।

सिफ़ारिश 4: सीएलएस करदाता जो अधिनियम की धारा 10(1) के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें एचएसएन और एसएसी कोड की अनिवार्य रिपोर्टिंग के साथ उनके द्वारा आपूर्ति की गई सेवा के मूल्य (अनुसूची II के पैराग्राफ 6 के खंड (बी) में निर्दिष्ट के अलावा) की घोषणा विवरण सीएमपी-08 में अलग से करना चाहिए। मंत्रालय सीएमपी-08 को उपयुक्त रूप से संशोधित करने पर विचार करे।

लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (जनवरी 2023)। जीएसटीएन ने अपने उत्तर (मार्च 2023) में कहा कि उसने फॉर्म को कानून के अनुसार बनाया गया है और फॉर्म में कोई भी संशोधन एक नीतिगत मामला है।

मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2023) कि मामले की जांच सीबीआईसी द्वारा की जा रही है। इसके बाद इसे विचार-विमर्श के लिए विधि समिति के सामने रखा जाएगा।

7.11 सिफ़ारिशों का निष्कर्ष और सारांश

सरलता लाने और अनुपालन की लागत को कम करने के लिए, छोटे करदाताओं हेतु सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत जीएसटी लगाने के एक अन्य रूप में एक कंपोजीशन शुल्क योजना (सीएलएस) निर्धारित की गई थी। सीएलएस उन करदाताओं के लिए उपलब्ध है जिनका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार ₹1.5 करोड़ से अधिक नहीं रहा है। विशेष श्रेणी वाले राज्यों के करदाताओं के लिए यह सीमा ₹ 75 लाख है। सीएलएस करदाताओं के संबंध में दो प्रमुख जोखिम क्षेत्र करदाताओं द्वारा योजना में जारी रहने के लिए 'जावक आपूर्ति के मूल्य' की कम घोषणा करना; और सीएलएस का लाभ उठाने के लिए पात्रता शर्तों को पूरा न करना है।

वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए केंद्रीय क्षेत्राधिकार के तहत 8.66 लाख कंपोजीशन शुल्क करदाताओं से संबंधित जीएसटीएन आँकड़ों पर आँकड़ा विश्लेषण किया गया था।

आँकड़ा विश्लेषण से सीएलएस के लिए टर्नओवर अधिकतम सीमा को पार करने के उच्च जोखिम वाले करदाताओं की बड़ी संख्या का पता चला। इन उच्च जोखिम वाले करदाताओं की पहचान लेखापरीक्षा द्वारा जीएसटी विवरण जीएसटीआर-4ए, जीएसटीआर-7 और तीसरे पक्ष के आँकड़ा स्रोतों जैसे आईटी विवरण, 'वाहन' डेटाबेस आदि में निहित आँकड़ों से की गई थी और मंत्रालय को भेजा गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इन करदाताओं के संबंध में सीबीआईसी क्षेत्र कार्यालयों द्वारा कोई अनुपालन सत्यापन किया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि कुछ सीएलएस करदाता थे जो अधिनियम और नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने के बावजूद योजना में बने हुए थे, और बड़ी संख्या में सीएलएस करदाता विवरण दाखिल करने और प्रति प्रभार के अंतर्गत कर के भुगतान की अपनी अनिवार्य जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे थे।


इस अध्याय में दी गई लेखापरीक्षा सिफारिशों का सारांश इस प्रकार है।

1. मंत्रालय को जोखिम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके समय-समय पर सीएलएस में उच्च जोखिम वाले करदाताओं की पहचान करनी चाहिए और अयोग्य व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग की संभावना को कम करने के लिए तीसरे पक्ष सहित अन्य स्रोतों से जावक आपूर्ति के उनके घोषित मूल्य को सत्यापित करना चाहिए।
2. मंत्रालय अयोग्य करदाताओं की पहचान करने की एक प्रणाली विकसित करे और योजना के इच्छित लाभों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उन्हें योजना से बाहर करने की कार्रवाई करे।
3. सीएलएस करदाताओं द्वारा प्रति प्रभार के तहत कर के भुगतान न किए जाने/कम भुगतान, को रोकने के लिए, विभाग फॉर्म जीएसटीआर-4ए (संयोजन शुल्क का विकल्प चुनने वाले पंजीकृत व्यक्ति के लिए स्वतः-प्रारूपित विवरण) और सीएमपी-08 (स्व-निर्धारण कर के भुगतान के लिए

विवरण) को एकीकृत करने पर विचार करे ताकि "प्रति प्रभार को आकर्षित करने वाली आवक आपूर्ति का मूल्य' सीएमपी-08 की तालिका 3 में स्वतः भरा जाए। इसके अलावा, सीएमपी-08 में जावक आपूर्ति के मूल्य और भुगतान किए गए कर के बीच संगतता सुनिश्चित करने के लिए वैधीकरण नियंत्रण या, कम से कम, उपयोगकर्ता सचेतक की समीक्षा लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई विसंगतियों के मद्देनजर की जाए।


4. सीएलएस करदाता जो अधिनियम की धारा 10(1) के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें एचएसएन और एसएसी कोड की अनिवार्य रिपोर्टिंग के साथ उनके द्वारा आपूर्ति की गई सेवा के मूल्य (अनुसूची II के पैराग्राफ 6 के खंड (बी) में निर्दिष्ट के अलावा) की घोषणा विवरण सीएमपी-08 में अलग से करना चाहिए। मंत्रालय सीएमपी-08 को उपयुक्त रूप से संशोधित करने पर विचार करे।

नई दिल्ली
दिनांक: 12 जून 2024


(सिद्धार्थ बोन्डाडे)
प्रधान निदेशक (माल एवं सेवा कर-II)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 21 जून 2024


(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट -I: 2018-19 से 2021-22 तक राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) संग्रह
(पैरा संख्या 1.3 देखें)

(राशि ₹ करोड़ में)

राज्य	एसजीएसटी राजस्व			
	वि.वर्ष19	वि.वर्ष20	वि.वर्ष21	वि.वर्ष22
आंध्र प्रदेश	20,611	20,227	18,871	23,809
अरुणाचल प्रदेश	601	802	859	1,131
असम	8,393	8,755	8,550	10,580
बिहार	15,288	15,801	16,050	19,264
छत्तीसगढ़	8203	7895	7925	9484
दिल्ली	19,187	19,465	15,676	22,263
गोवा	2,529	2,439	1,985	2,758
गुजरात	34,889	34,107	29,459	43,487
हरियाणा	18,613	18,873	18,236	22,922
हिमाचल प्रदेश	3,343	3,550	3,467	4,482
जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख	5,134	2,116	4,839	6,394
झारखंड	8,201	8,418	7,931	9,557
कर्नाटक	41,956	42,147	37,711	49,929
केरल	21,015	20,447	20,028	24,170
मध्य प्रदेश	18,508	20,447	17,258	22,029
महाराष्ट्र	82,352	82,602	69,949	97,305
मणिपुर	695	853	867	1,126
मेघालय	806	910	823	1,118
मिजोरम	455	532	458	632
नागालैंड	470	613	664	830
ओडिशा	11,943	13,204	13,043	16,392
पुडुचेरी	355	782	432	1,273
पंजाब	13,273	12,751	11,819	15,542
राजस्थान	22,938	21,954	20,755	27,502
सिक्किम	406	455	463	656
तमिलनाडु	38,533	38,376	37,942	45,277
तेलंगाना	23,840	23,517	22,190	28,917
त्रिपुरा	977	1,027	1,056	1,283
उत्तर प्रदेश	46,108	47,232	42,860	54,594
उत्तराखंड	4,802	4,931	5,053	5,973
पश्चिम बंगाल	27,068	27,308	26,013	31,271

स्रोत: संबंधित राज्य के राज्य वित्त लेखे

**परिशिष्ट -II: 2021-22 से पहले की अवधि के दौरान पाए गए लेखापरीक्षा
निष्कर्ष**

(पैरा संख्या 2.3 देखें)

(राशि ₹ करोड़ में)

डी.ए. पी संख्या	राज्य	आयुक्तालय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली की गई राशि	एसजीएसटी घटक	मंत्रालय का जवाब	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
जीएसटी के विलंब से भुगतान पर ब्याज								
10	झारखंड	जमशेदपुर	0.29	0.29	0.29	0.145	स्वीकृत	निरंक
12	झारखंड	जमशेदपुर	0.30	0.30	0.12	0.15	स्वीकृत	निरंक
13	झारखंड	जमशेदपुर	0.36	0.36	0.38	0.19	स्वीकृत	निरंक
14	झारखंड	जमशेदपुर	0.11	0.11	0.06	0.55	स्वीकृत	निरंक
15	झारखंड	जमशेदपुर	0.18	0.18	0.02	0.09	स्वीकृत	निरंक
16	झारखंड	जमशेदपुर	0.30	0.30	0.30	0.15	स्वीकृत	निरंक
जीएसटी का कम भुगतान								
11	झारखंड	जमशेदपुर	0.28	0.28	0.37	0.17	स्वीकृत	निरंक
21	बिहार	पटना -I	1.35	1.35	1.35	0.675	स्वीकृत	निरंक
अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया और उपयोग किया गया								
22	झारखंड	जमशेदपुर	3.46	3.46	--	1.73	स्वीकृत	निरंक
कुल			6.63	6.63	2.89	3.35	---	-----

परिशिष्ट -III विभाग द्वारा उत्तर प्रस्तुत न करना
(पैरा संख्या 4.8.4.1 देखें)

(राशि ₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा आयाम	नमूना		विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ		प्रतिशत	
	संख्या	मिलान न होने की राशि	संख्या	मिलान न होने की राशि	संख्या	राशि
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आईटीसी मिलान न होना (डी1)	1,088	7,913.03	230	1,751.41	21	22
लाभ उठाया गया आरसीएम आईटीसी (डी2)	1,020	1,017.12	206	162.83	20	16
आरसीएम भुगतान (डी3)	619	277.43	74	36.02	12	13
आईएसडी आईटीसी मिलान न होना (डी 4)	813	764.28	188	70.01	23	9
आईएसडी रिवर्सल (डी5)	37	17.09	15	0.07	41	-
12एफ - अतिरिक्त आईटीसी (डी6)	846	6,089.34	215	749.15	25	12
14टी अनर्ह आईटीसी (डी7)	850	33,499.30	199	4,878.78	23	15
5आर कुल टर्नओवर (डी8)	1,020	91,413.77	248	16,287.28	24	18
7जी कर योग्य टर्नओवर (डी9)	850	33,112.98	184	7,002.58	22	21
9आर - भुगतान किया गया कर (डी10)	1,099	1,310.67	256	282.25	23	22
निपटान न हुई देयता (डी11)	795	7,53,935.20	176	1,226.02	22	-
ई-कामर्स (डी12)	145	0	54	0	37	-
कोई 3B नहीं लेकिन R1 उपलब्ध है (डी13)	637	233.54	191	58.78	30	25
कम भुगतान किया गया ब्याज (डी14)	848	399.44	211	72.55	25	18
कुल	10,667	9,29,983.19	2,447	32,577.73	23	4

परिशिष्ट -IV अप्रस्तुतीकरण के शीर्ष दस मामलों की सूची
(पैरा संख्या 4.8.5 देखें)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं	करदाता	सीबीआईसी का क्षेत्राधिकार ज़ोन	(आईटीसी और देयता का) मिलान न होना
1	करदाता 1	मुंबई	239.47
2	करदाता 2	चेन्नई	200.64
3	करदाता 3	चंडीगढ़	70.24
4	करदाता 4	जयपुर	29.70
5	करदाता 5	अहमदाबाद	24.12
6	करदाता 6	अहमदाबाद	20.50
7	करदाता 7	मुंबई	20.35
8	करदाता 8	चंडीगढ़	17.38
9	करदाता 9	चेन्नई	16.42
10	करदाता 10	चंडीगढ़	12.03

परिशिष्ट -V आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के शीर्ष दस मामले

(पैरा संख्या 4.8.5 देखें)

(राशि ₹ करोड़ में)

करदाता	सीबीआईसी का क्षेत्राधिकार क्षेत्र	प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों की सूची	मिलान न हुई राशि (आईटीसी और अनउन्मोचित देयता)
करदाता 1	मुंबई	अनुबंध/समझौते, चयनित महीनों के लिए क्रेडिट और डेबिट नोट्स के साथ जावक और आवक चालान, अचल संपत्ति रजिस्टर, भुगतान/रसीद वाउचर, ट्रायल बैलेंस, नियम 42/43 रिवर्सल विवरण, डेस्क समीक्षा में पहचाने गए जोखिम भरे लेनदेन का बही विवरण।	241.10
करदाता 2	बेंगलुरु	अनुबंध/समझौते, चयनित महीनों के लिए क्रेडिट और डेबिट नोट्स के साथ जावक और आवक बीजक, अचल संपत्ति रजिस्टर, भुगतान/रसीद वाउचर, ट्रायल बैलेंस, नियम 42/43 रिवर्सल विवरण, डेस्क समीक्षा में पहचाने गए जोखिम भरे लेनदेन का बही विवरण।	165.53
करदाता 3	लखनऊ	अनुबंध/समझौते, चयनित महीनों के लिए क्रेडिट और डेबिट नोट्स के साथ जावक और आवक बीजक, अचल संपत्ति रजिस्टर, भुगतान/रसीद वाउचर, 3सीडी रिपोर्ट ट्रायल बैलेंस, नियम 42/43 रिवर्सल विवरण, डेस्क समीक्षा में पहचाने गए जोखिम भरे लेनदेन का विवरण, स्टॉक खाता, सीएस -4 प्रमाण पत्र, इनपुट बीजक, खरीद आदेश, जीएसटीआर-1 में घोषित बिक्री बीजक, जॉब-वर्क चालान।	152.81
करदाता 4	जयपुर	अनुबंध/समझौते, चयनित महीनों के लिए क्रेडिट और डेबिट नोट्स के साथ जावक और आवक बीजक, अचल संपत्ति रजिस्टर, भुगतान/रसीद वाउचर, ट्रायल बैलेंस, नियम	128.57

करदाता	सीबीआईसी का क्षेत्राधिकार क्षेत्र	प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों की सूची	मिलान न हुई राशि (आईटीसी और अनउन्मोचित देयता)
		42/43 रिवर्सल विवरण, डेस्क समीक्षा में पहचाने गए जोखिम भरे लेनदेन का बही विवरण।	
करदाता 5	ग्वालियर	अनुबंध/समझौता, चयनित महीनों के लिए लिए क्रेडिट और डेबिट नोट्स के साथ जावक और आवक बीजक, चयनित महीनों के भुगतान/रसीद वाउचर, ट्रायल बैलेंस, आईटीसी का खाता/विवरण, लाभ प्राप्त किया गया और उपयोग किया गया, डेस्क समीक्षा में पाए गए विशिष्ट जोखिम भरे लेनदेन का बही विवरण।	126.50
करदाता 6	नई दिल्ली	अनुबंध/समझौते, चयनित महीनों के लिए लिए क्रेडिट और डेबिट नोट्स के साथ जावक और आवक बीजक, अचल संपत्ति रजिस्टर, भुगतान/रसीद वाउचर, ट्रायल बैलेंस, नियम 42/43 रिवर्सल विवरण, डेस्क समीक्षा में पहचाने गए जोखिम भरे लेनदेन का बही विवरण।	103.24
करदाता 7	मुंबई	ट्रायल बैलेंस, चयनित महीनों के लिए लिए क्रेडिट और डेबिट नोट्स के साथ आवक बीजक। जीएसटीआर-1 अगस्त-17 से अक्टूबर-17 की अवधि के लिए, देनदार/लेनदार बकाया।	94.39
करदाता 8	चेन्नई	आवक आपूर्ति बीजक, जावक आपूर्ति, निर्यात बिल की प्रति, प्रवेश का बिल, जीएसटीआर-9सी में उल्लिखित लिए गए आईटीसी का मिलान विवरण, ट्रान-1 और ट्रान-2 फॉर्म, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए करदाता के वित्तीय विवरण, ट्रायल बैलेंस, विविध लेनदारों के बही खाते के बीजक का समय-वार विवरण, 2017-18 के लिए पूंजीगत वस्तुओं का विवरण, 2017-18 के लिए विविध देनदार और छूट बही खाते, अग्रिम	58.01

करदाता	सीबीआईसी का क्षेत्राधिकार क्षेत्र	प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों की सूची	मिलान न हुई राशि (आईटीसी और अनउन्मोचित देयता)
		भुगतान के लिए भुगतान और रसीद वाउचर, सेवाओं का निर्यात, प्राप्त एफआईआरसी/बीआरसी का विवरण, शिपिंग बिल, निर्यात माल मैनिफेस्ट, एलयूटी, आरएफडी-11, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, बीजकों में संशोधन, दावा किए गए धनवापसी की सूची, खरीद आदेश।	
करदाता 9	मुंबई	अनुबंध/समझौते, चयनित महीनों के लिए लिए क्रेडिट और डेबिट नोट्स, खाते, भुगतान/रसीद वाउचर, ट्रायल बैलेंस, राइट-ऑफ और अप्रचलन के लिए प्रावधान, अचल संपत्ति रजिस्टर। जावक बीजक, आवक बीजक, इनपुट टैक्स क्रेडिट का खाता/विवरण/आउटपुट कर, देय और भुगतान किया गया/आयातित या निर्यातित वस्तुएं या सेवाएं/प्रतिपूर्ति प्रभार पर कर के भुगतान को आकृष्ट करने वाली आपूर्ति, ब्लॉक किए गए क्रेडिट बीजक की सूची विवरण और किए गए आईटीसी रिवर्सल का विवरण, विदेशी मुद्रा लेनदेन का विवरण।	56.65
करदाता 10	बेंगलुरु	अनुबंध/समझौते, चयनित महीनों के लिए लिए क्रेडिट और डेबिट नोट्स के साथ जावक और आवक बीजक, अचल संपत्ति रजिस्टर, भुगतान/रसीद वाउचर, ट्रायल बैलेंस, नियम 42/43 रिवर्सल विवरण, डेस्क समीक्षा में पहचाने गए जोखिम भरे लेनदेन का विवरण।	52.91

**परिशिष्ट VI: राज्य माल एवं सेवा कर पर प्रभाव
(पैरा 4.9 देखें)**

(राशि ₹ करोड़ में)

राज्य /के.शा.प्र./ पैरा संख्या	संख्या	सम्मिलित एसजीएसटी राशि	स्वीकृत एसजीएसटी राशि	वसूली गई एसजीएसटी राशि
आंध्र प्रदेश	75	38.11	33.09	0.59
4.8.5.3(ए)	3	2.40	2.36	0.00
4.8.5.3(b)	2	0.00	0.00	0.00
4.8.4	32	25.66	21.42	0.50
4.8.5.2(ए)	24	4.48	4.42	0.09
4.8.5.4(ए)	2	4.65	3.97	0.00
4.8.5.4(d)	1	0.91	0.91	0.00
4.8.5.4(e)	1	0.01	0.00	0.00
4.8.3.3.3	4	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.5	2	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2(ए)	2	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2(b)	2	0.00	0.00	0.00
अरुणाचल प्रदेश	2	0.48	0.07	0.00
4.8.4	2	0.48	0.07	0.00
असम	92	16.80	16.43	0.54
4.8.5.3(ए)	3	0.02	0.02	0.00
4.8.4	57	16.40	16.40	0.54
4.8.5.2(ए)	25	0.36	0.00	0.00
4.8.5.4(ए)	2	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2(b)	2	0.00	0.00	0.00
4.8.3.2(d)	0	0.00	0.00	0.00
4.8.5.4(g)	3	0.02	0.02	0.00
बिहार	87	11.45	11.38	0.75
4.8.5.3(c)	1	0.01	0.00	0.00
4.8.4	67	11.39	11.38	0.75
4.8.5.2(ए)	4	0.05	0.00	0.00
4.8.3.3.1	4	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.3	3	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.5	4	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2(ए)	4	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	183	44.28	47.35	7.92
4.8.5.3(b)	1	0.81	0.81	0.00
4.8.4	176	43.05	46.55	7.92
4.8.5.2(ए)	3	0.42	0.00	0.00
4.8.3.3.3	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.5	2	0.00	0.00	0.00

2024 की प्रतिवेदन सं. 7 (अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)

राज्य /के.शा.प्र./ पैरा संख्या	संख्या	सम्मिलित एसजीएसटी राशि	स्वीकृत एसजीएसटी राशि	वसूली गई एसजीएसटी राशि
दिल्ली	151	198.48	181.396	2.65
4.8.5.3(ए)	6	0.03	0.02	0.00
4.8.5.3(c)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.4	75	194.45	180.67	2.55
4.8.5.2(ए)	25	3.21	0.13	0.10
4.8.5.4(d)	2	0.78	0.58	0.00
4.8.5.4(e)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.5.4(f)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.3	7	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.4	15	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.5	15	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2(b)	3	0.00	0.00	0.00
गोवा	2	0.30	0.27	0.00
4.8.5.3(b)	1	0.03	0.00	0.00
4.8.4	1	0.27	0.27	0.00
गुजरात	146	91.72	91.40	1.18
4.8.5.3(ए)	18	2.24	2.14	0.01
4.8.5.3(b)	3	0.28	0.28	0.00
4.8.4	63	51.05	51.00	0.67
4.8.5.2(ए)	22	0.31	0.28	0.02
4.8.5.4(ए)	9	0.38	0.29	0.09
4.8.5.4(b)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.5.4(c)	4	0.03	0.03	0.02
4.8.5.4(g)	7	0.77	0.73	0.38
4.8.3.3.3	4	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.4	7	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.5	2	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2(b)	2	36.66	36.66	0.00
4.8.3.2(b)	4	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	69	81.34	79.04	4.59
4.8.5.3(c)	1	0.03	0.03	0.03
4.8.4	54	81.10	78.80	4.39
4.8.5.2(ए)	10	0.21	0.21	0.17
4.8.3.3.3	4	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	2	7.05	7.05	0.00
4.8.4	2	7.05	7.05	0.00
जम्मू और कश्मीर	2	0.575	0.575	0.305
4.8.4	2	0.58	0.58	0.31
झारखंड	5	0.18	0.178	0.13
4.8.4	3	0.18	0.18	0.13

2024 की प्रतिवेदन सं. 7 (अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)

राज्य /के.शा.प्र./ पैरा संख्या	संख्या	सम्मिलित एसजीएसटी राशि	स्वीकृत एसजीएसटी राशि	वसूली गई एसजीएसटी राशि
4.8.3.3.3	2	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	279	170.01	42.103	1.50
4.8.5.3(ए)	18	12.77	4.30	0.00
4.8.5.3(b)	3	0.20	0.00	0.00
4.8.5.3(c)	7	0.16	0.14	0.07
4.8.5.3(d)	3	0.81	0.75	0.00
4.8.4	88	80.34	17.42	1.43
4.8.5.2(ए)	15	1.55	1.27	0.00
4.8.5.4(ए)	6	3.40	0.33	0.00
4.8.5.4(b)	14	11.23	8.83	0.00
4.8.5.4(c)	3	4.35	4.35	0.00
4.8.5.4(d)	13	8.19	2.40	0.00
4.8.5.4(e)	6	2.35	0.02	0.01
4.8.5.4(f)	12	0.90	0.10	0.00
4.8.5.4(g)	12	25.06	2.19	0.00
4.8.3.3.1	8	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.2	2	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.3	6	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.4	9	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.5	10	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2(ए)	7	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2(b)	12	10.97	0.00	0.00
4.8.2.2(c)	2	1.18	0.00	0.00
4.8.2.2(d)	9	5.95	0.01	0.00
4.8.3.2(b)	11	0.45	0.00	0.00
4.8.3.2(c)	2	0.14	0.00	0.00
4.8.3.2(d)	1	0.00	0.00	0.00
केरल	98	12.38	9.06	0.72
4.8.5.3(ए)	3	0.26	0.02	0.00
4.8.5.3(b)	7	0.10	0.09	0.02
4.8.5.3(c)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.4	58	11.77	8.74	0.69
4.8.5.2(ए)	12	0.25	0.21	0.00
4.8.5.4(d)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.3	2	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.4	4	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.5	5	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2(ए)	4	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2(b)	1	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	38	13.19	13.11	0.12

2024 की प्रतिवेदन सं. 7 (अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)

राज्य /के.शा.प्र./ पैरा संख्या	संख्या	सम्मिलित एसजीएसटी राशि	स्वीकृत एसजीएसटी राशि	वसूली गई एसजीएसटी राशि
4.8.5.3(ए)	1	0.01	0.00	0.00
4.8.4	28	13.07	13.07	0.09
4.8.5.2(ए)	9	0.11	0.04	0.02
महाराष्ट्र	143	148.20	69.22	1.66
4.8.5.3(ए)	7	0.49	0.00	0.00
4.8.5.3(b)	2	0.01	0.00	0.00
4.8.5.3(c)	3	0.08	0.07	0.07
4.8.4	71	142.80	69.09	1.52
4.8.5.2(ए)	16	0.22	0.07	0.07
4.8.5.4(g)	3	0.07	0.00	0.00
4.8.3.3.2	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.4	5	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.5	13	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2(ए)	13	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2(b)	7	0.00	0.00	0.00
4.8.3.2(d)	2	4.54	0.00	0.00
मणिपुर	5	0.44	0.00	0.00
4.8.5.2(ए)	5	0.44	0.00	0.00
मेघालय	11	0.80	0.46	0.24
4.8.4	8	0.80	0.46	0.24
4.8.5.2(ए)	2	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2(b)	1	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	5	0.006	0.005	0
4.8.5.2(ए)	3	0.01	0.01	0.00
4.8.5.4(g)	2	0.00	0.00	0.00
ओडिशा	146	69.08	47.68	0.68
4.8.5.3(ए)	9	1.06	0.01	0.00
4.8.5.3(b)	3	0.05	0.03	0.00
4.8.5.3(d)	1	0.07	0.00	0.00
4.8.4	73	46.72	33.21	0.68
4.8.5.2(ए)	15	1.24	0.00	0.00
4.8.5.4(ए)	4	3.80	0.48	0.00
4.8.5.4(b)	3	0.18	0.00	0.00
4.8.5.4(c)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.5.4(e)	1	11.43	11.43	0.00
4.8.5.4(f)	9	2.27	0.26	0.00
4.8.5.4(g)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.3	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.4	3	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.5	3	0.00	0.00	0.00

2024 की प्रतिवेदन सं. 7 (अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)

राज्य /के.शा.प्र./ पैरा संख्या	संख्या	सम्मिलित एसजीएसटी राशि	स्वीकृत एसजीएसटी राशि	वसूली गई एसजीएसटी राशि
4.8.2.2(ए)	3	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2(b)	5	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2(d)	3	1.43	1.43	0.00
4.8.3.2(b)	4	0.00	0.00	0.00
4.8.3.2(c)	2	0.84	0.84	0.00
4.8.3.2(d)	2	0.00	0.00	0.00
पुडुचेरी	1	0.24	0.24	0.00
4.8.4	1	0.24	0.24	0.00
पंजाब	32	50.29	45.73	6.02
4.8.5.3(ए)	1	0.58	0.58	0.00
4.8.4	28	49.29	45.15	6.02
4.8.5.2(ए)	2	0.00	0.00	0.00
4.8.5.4(g)	1	0.42	0.00	0.00
राजस्थान	111	39.75	39.51	1.66
4.8.5.3(ए)	6	1.76	1.76	0.00
4.8.5.3(b)	8	0.03	0.03	0.02
4.8.5.3(c)	2	0.00	0.00	0.00
4.8.5.3(d)	1	0.01	0.00	0.00
4.8.4	68	37.23	37.23	1.44
4.8.5.2(ए)	8	0.03	0.03	0.01
4.8.5.4(d)	1	0.19	0.00	0.00
4.8.5.4(e)	3	0.19	0.19	0.19
4.8.5.4(f)	6	0.07	0.03	0.00
4.8.5.4(g)	2	0.25	0.25	0.00
4.8.3.3.3	6	0.00	0.00	0.00
सिक्किम	4	0.65	0.65	0.12
4.8.4	3	0.65	0.65	0.12
4.8.5.2(ए)	1	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	165	106.90	104.57	5.60
4.8.5.3(ए)	22	7.06	6.40	0.00
4.8.5.3(b)	2	0.05	0.00	0.00
4.8.5.3(c)	4	0.04	0.03	0.00
4.8.5.3(d)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.4	100	98.93	97.95	5.47
4.8.5.2(ए)	6	0.13	0.12	0.08
4.8.5.4(b)	4	0.61	0.00	0.00
4.8.5.4(f)	2	0.03	0.03	0.00
4.8.5.4(g)	1	0.04	0.04	0.04
4.8.3.3.3	5	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.4	10	0.00	0.00	0.00


2024 की प्रतिवेदन सं. 7 (अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)


राज्य /के.शा.प्र./ पैरा संख्या	संख्या	सम्मिलित एसजीएसटी राशि	स्वीकृत एसजीएसटी राशि	वसूली गई एसजीएसटी राशि
4.8.3.3.5	6	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2(ए)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.2(b)	1	0.00	0.00	0.00
तेलंगाना	120	38.43	32.12	1.63
4.8.5.3(ए)	5	4.00	2.11	0.00
4.8.5.3(b)	15	0.99	0.46	0.02
4.8.4	56	29.55	29.34	1.59
4.8.5.2(ए)	30	0.42	0.03	0.02
4.8.5.4(ए)	1	3.19	0.00	0.00
4.8.5.4(b)	2	0.26	0.19	0.00
4.8.5.4(f)	1	0.01	0.00	0.00
4.8.3.3.3	3	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.4	2	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2(ए)	4	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2(b)	1	0.00	0.00	0.00
त्रिपुरा	10	0.11	0.00	0.00
4.8.3.3.3	1	0.00	0.00	0.00
4.8.5.2(ए)	4	0.00	0.00	0.00
4.8.5.4(f)	3	0.07	0.00	0.00
4.8.5.4(g)	2	0.04	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	66	75.00	74.76	2.96
4.8.5.3(b)	1	0.01	0.00	0.00
4.8.4	30	74.86	74.74	2.96
4.8.5.2(ए)	17	0.13	0.01	0.00
4.8.5.4(b)	1	0.01	0.00	0.00
4.8.3.3.1	2	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.3	2	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.4	2	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.5	4	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2(ए)	3	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2(b)	3	0.00	0.00	0.00
4.8.3.2(b)	1	0.00	0.00	0.00
उत्तराखंड	16	0.17	0.000	0.00
4.8.5.3(ए)	3	0.01	0.00	0.00
4.8.5.3(b)	1	0.01	0.00	0.00
4.8.5.3(c)	2	0.00	0.00	0.00
4.8.5.2(ए)	7	0.15	0.00	0.00
4.8.5.4(d)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.5.4(f)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.5.4(g)	1	0.00	0.00	0.00

2024 की प्रतिवेदन सं. 7 (अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)

राज्य /के.शा.प्र./ पैरा संख्या	संख्या	सम्मिलित एसजीएसटी राशि	स्वीकृत एसजीएसटी राशि	वसूली गई एसजीएसटी राशि
पश्चिम बंगाल	179	32.26	24.63	1.90
4.8.5.3(ए)	3	0.60	0.55	0.00
4.8.4	114	29.41	23.10	1.90
4.8.5.2(ए)	22	0.03	0.00	0.00
4.8.5.4(ए)	1	0.02	0.00	0.00
4.8.5.4(b)	3	0.57	0.00	0.00
4.8.5.4(f)	10	0.42	0.00	0.00
4.8.5.4(g)	2	0.98	0.98	0.00
4.8.3.3.1	2	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.3	7	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3.4	1	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2(ए)	5	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2(b)	6	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2(d)	1	0.22	0.00	0.00
4.8.3.2(b)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.2(d)	1	0.02	0.00	0.00
कुल योग	2,245	1,249	972	43

परिशिष्ट VII: जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2ए, जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 9 के तहत विभिन्न क्षेत्रों का विवरण
(पैरा 6.3 देखें)





शब्दावली

एसीईएस	केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्वचालन
एडीवीएआईटी	अप्रत्यक्ष कराधान में उन्नत विश्लेषिकी
एआईओ	सभी में एक प्रणाली
एटीटी	समायोजित कुल कारोबार
बीआईएफए	बिजनेस इंटेलिजेंस और फ्रॉड एनालिटिक्स
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीईसी	केंद्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड
सीईएनवीएटी	केंद्रीय मूल्य वर्धित कर
सीईएसटीएटी	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
सीजीएसटी	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीवीडी	प्रतिकारी शुल्क
डीडीएम	आकड़ा प्रबंधन निदेशालय
डीडीओ	आहरण और संवितरण अधिकारी
डीजीएआरएम	विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय

डीजीसीईआई	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशक
डीजीजीआई	माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय
डीजीपीएम- टीएआर	प्रदर्शन प्रबंधन महानिदेशालय -कर बकाया वसूली
डीओआर	राजस्व विभाग
डीआरआई	राजस्व आसूचना निदेशालय
ईसीएल	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर
ईओयू	निर्यातोन्मुखी इकाई
ईएक्सपीडब्लूओपी	कर के भुगतान के बिना निर्यात
एफटीए	मुक्त व्यापार समझौते
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीएसटीएएम	वस्तु एवं सेवा कर लेखापरीक्षा मैनुअल
जीएसटीएटी	वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
जीएसटीआईएन	वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या
जीएसटीएन	वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क
जीएसटीआर	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न
एचएसएन	नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली

आईसीएआई	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया)
आईएफएफ	बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा
आईजीएसटी	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
आईएसडी	इनपुट सेवा वितरक
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीसी	इनपुट कर जमा
आईटीआर	इनकम टैक्स रिटर्न
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमपीआर	मासिक प्रदर्शन रिपोर्ट
एनएसीईएन	राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक (नारकोटिक्स) अकादमी
एनएसीआईएन	सीमाशुल्क, अप्रत्यक्ष कर और स्वापक (नारकोटिक्स) की राष्ट्रीय अकादमी
ओआईए	अपील में आदेश
ओआईओ	मूल-में-आदेश
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

पीआईबी	प्रेस सूचना ब्यूरो
पीएलए	व्यक्तिगत लेजर खाता
क्यूआरएमपी	मासिक भुगतान के साथ त्रैमासिक रिटर्न
आरसीएम	विपरीत प्रभार तंत्र
आरएमएस	जोखिम प्रबंधन प्रणाली
एसएसी	सेवा लेखा कोड
एसएडी	विशेष अतिरिक्त कर्तव्य
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
एसजीएसटी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
एसएससीए	विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
यूटी	केंद्र शासित प्रदेश
यूटीजीएसटी	केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर
वीएटी	मूल्य वर्धित कर

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in